

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 1

(अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय-सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
कार्यपालिक सारांश	-	vii
भाग – क : राजस्व क्षेत्र		
अध्याय I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	5
बकाया कर निर्धारण	1.3	5
विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना	1.4	6
प्रतिदाय के बकाया प्रकरण	1.5	7
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.6	7
लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.7	8
लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.8	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	11
प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र	1.10	11
अध्याय II : माल एवं सेवा कर (जीएसटी)		
कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	13
'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	14
अध्याय III : भू-राजस्व		
भूमि उपयोग का संपरिवर्तन	3.1	60
अध्याय IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	4.1	63
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	63

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
'अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए प्रक्रिया' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.3	64
राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर की अनियमित छूट	4.4	84
साझेदारी फर्मो को अचल सम्पत्तियों का अंशदान	4.5	86
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के पास उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं करना	4.6	87
अध्याय V : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	5.1	89
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	89
आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा	5.3	90
भाग – ख : व्यय क्षेत्र		
अध्याय VI : सामान्य		
लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा	6.1	103
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	6.2	103
लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	6.3	104
लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर	6.4	104
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	6.5	106
प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र	6.6	106
अध्याय VII : सामान्य		
युवा मामले एवं खेल विभाग शूटिंग रेंज में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय	7.1	107
चिकित्सा शिक्षा विभाग विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बकाया राशि की वसूली का अभाव	7.2	110

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का सारांश	115
परिशिष्ट 2.2(ए)	जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच	118
परिशिष्ट 2.2(बी)	आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटी 3बी/जीएसटीआर 9 में कर भुगतान	120
परिशिष्ट 2.2(सी)	बिना भुगतान के ली गई आरसीएम आईटीसी	122
परिशिष्ट 2.2(डी)	आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग	124
परिशिष्ट 2.2(ई)	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14 टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी	126
परिशिष्ट 2.2(एफ)	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच	127
परिशिष्ट 2.2(जी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नऑवर में मिसमैच	128
परिशिष्ट 2.2(एच)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नऑवर	129
परिशिष्ट 2.2(आई)	लेखा पुस्तकों एवं विवरणीयों के बीच कर भुगतान में मिसमैच	130
परिशिष्ट 2.2(जे)	अस्थिर देनदारियां	132
परिशिष्ट 2.2 (के)	कंपोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना	133
परिशिष्ट 2.2(एल)	जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है	134
परिशिष्ट 2.2 (एम)	ब्याज का कम भुगतान	135
परिशिष्ट 2.3(ए)	जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आइटीसी मिसमैच	136
परिशिष्ट 2.3(बी)	आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान	137
परिशिष्ट 2.3(सी)	बिना भुगतान के ली गयी आरसीएम आईटीसी	138
परिशिष्ट 2.3(डी)	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ लेना	139
परिशिष्ट 2.3(ई)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में मिलान न हुई आईटीसी	140
परिशिष्ट 2.3(एफ)	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच	141

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट 2.3 (जी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान न हुआ कर योग्य टर्नओवर	142
परिशिष्ट 2.3(एच)	लेखा पुस्तकों एवं विवरणियो के बीच कर भुगतान में मिसमैच	143
परिशिष्ट 2.3(आई)	अस्थिर देनदारियाँ	144
परिशिष्ट 2.4	अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना	145
परिशिष्ट 2.5	अभिलेखों को आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाना	146
परिशिष्ट 2.6	विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना	147
परिशिष्ट 2.7(ए)	ब्याज का भुगतान न करना	150
परिशिष्ट 2.7(बी)	अनियमित उपयोग की गयी आईटीसी पर ब्याज का भुगतान नहीं करना	159
परिशिष्ट 2.8(ए)	जीएसटीआर-2ए से अधिक आईटीसी का अधिक लाभ लेना	161
परिशिष्ट 2.8(बी)	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत आईटीसी का अधिक लाभ लेना	162
परिशिष्ट 2.8(सी)	न चुकाई गयी कर देयता	163
परिशिष्ट 2.9	धारा 17(5) के अंतर्गत गैर अनुमत्य आईटीसी का अनियमित लाभ लिया जाना	164
परिशिष्ट 2.10	कर-मुक्त टर्नओवर के लिए आगत कर रिवर्सल का अभाव	165
परिशिष्ट 2.11	संबंधित व्यक्ति से प्राप्त आपूर्तियों को शामिल न करना	166
परिशिष्ट 2.12	आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी भुगतान का अभाव	167
परिशिष्ट 2.13	कर देयता में मिसमैच	168
परिशिष्ट 2.14	आईटीसी उपभोग मे मिसमैच	194
परिशिष्ट 2.15	दावा की गयी आईटीसी तथा आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर में मिसमैच	224
परिशिष्ट 2.16	केंद्रीय माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	225
परिशिष्ट 6.1	विभागों की सूची	226
परिशिष्ट 6.1	निरीक्षण प्रतिवेदनों में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणी-वार दर्शित विवरण	227
परिशिष्ट 7.1	अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 के दौरान निशुल्क प्रकरणों का विवरण	228
परिशिष्ट 7.2	समझौते के वाक्यांश 7 के अनुसार गणना का विवरण	229

प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में दो भागों में सात अध्याय सम्मिलित हैं। भाग-क राजस्व उपार्जन करने वाले चार विभागों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है तथा भाग-ख चयनित सरकारी विभागों द्वारा किये गये व्यय की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इसके अधीन जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम 2007 के प्रावधानों के अधीन की गई है। इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के पटल पर उपस्थापित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2021-22 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2021-22 की अवधि के आगे के दृष्टांत, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यपालिक सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की यह रिपोर्ट राजस्थान सरकार के चयनित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व मूल्यांकन, संग्रहण और समुचित आवंटन पर प्रभावी जाँच के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं डिज़ाइन करने तथा लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है।

यह रिपोर्ट दो भागों में है। **भाग–क** में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं, और **भाग–ख** में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट में नौ अनुच्छेद हैं, जिनमें ₹ 444.05 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

भाग कः राजस्व

इस भाग में सात अनुच्छेद हैं जिनमें ₹441.92 करोड़ अन्तर्निहित हैं। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं 'अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

माल एवं सेवा कर

'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैंः

विवरणियों के जांच की गति धीमी थी क्योंकि सितंबर 2021 में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) के गठन के बाद, इकाई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 9,288 उच्च जोखिम वाले करदाताओं को जांच के लिए चयनित किया, इनमें से केवल 2,535 मामलों (27.29 प्रतिशत) की अगस्त 2022 तक जांच की गई थी। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा विवरणियों की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। कर प्राधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा करने में विलम्ब था, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिये बिजनेस लेखापरीक्षा अभी तक शुरू होनी थी। 2017-18 के लिये चिन्हित सभी प्रकरणों की भी लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी जबकि 2018-19 के पांच प्रतिशत से भी कम प्रकरणों की

लेखापरीक्षा की गयी थी। तीन वृत्तों (अपेक्षित सूचना 21 में से तीन वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी) में 878 करदाताओं (52.39 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उपयुक्त विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। तथापि, क्षेत्राधिकारियों ने इन प्रकरणों में निर्धारण एवं पंजीयन निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। पंजीकरण रद्द करने के बाद जीएसटीआर-10 न भरने पर कार्यवाही का अभाव पाया गया क्योंकि रद्द किए गए इन पंजीकरणों में से लेखापरीक्षा की तिथि तक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अंतिम विवरणी, जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने वाले 4901 करदाताओं के विरूद्ध क्षेत्राधिकारीयों द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा ने ₹ 272.59 करोड़ की राशि के 323 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया गया, जो कि डेटा में 605 विसंगतियों/मिसमैच का 53.39 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये । जोखिम मापदण्डों जैसे कि आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा और आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना में विचलनों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी। 39 करदाताओं के 123 प्रकरणों में देखा गया, जो कि लेखापरीक्षा किए गए 100 करदाताओं का 39 प्रतिशत था, कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणियो को देरी से दाखिल किया था या गलत तरीके से आईटीसी क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग में लिया, जिसका कि वापिस भुगतान किया गया लेकिन ब्याज की राशि ₹ 6.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया । सात प्रकरणों में करदाताओं ने ₹ 1.44 करोड़ की अपात्र आईटीसी का लाभ उठाया, कमियाँ मुख्य रूप से उन माल और सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी प्राप्त करने के कारण थी जिनका उपयोग उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था और अवरुद्ध माल पर क्रेडिट प्राप्ति के कारण था । नौ प्रकरणों में करदाताओं द्वारा आरजीएसटी अधिनियम के नियम 42 को गलत लागू करने के कारण ₹ 3.44 करोड़ आगत कर को रिवर्स नहीं किया गया था । लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए गए 100 प्रकरणों में से 49 प्रकरणों में ₹ 9.75 करोड़ की कर देयता के विचलन/मिसमैच देखे गए। ये कमियां मुख्य रूप से जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 9/3बी में भुगतान किए गए कर के बीच मिसमैच होने के कारण हुई थीं । इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 एवं 9 में घोषित संशोधनों तथा अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया। 100 करदाताओं के लेखापरीक्षा नमूने में से 82 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में मासिक/वार्षिक विवरणी में अधिक आईटीसी का उपभोग किया गया । इन आक्षेपों में प्राप्त आईटीसी में मिसमैच ₹ 0.02 लाख से ₹ 11,635.15 लाख तक है जो कुल ₹ 25,902.69 लाख है ।

लेखा परीक्षा की सिफारिश है कि सरकार/विभाग इस पर विचार कर सकता है:

- **विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणी की जांच सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है । विभाग ऐसी जांच के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपलब्ध संसाधनों/क्षमता के साथ उपयोग करके जांच के लिए चिन्हित किये गए प्रकरणों की संख्या को बेहतर ढंग से संरेखित कर सकता है ।**

- **विभाग को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के खिलाफ समय पर कार्यवाही शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो की जा सके ।**

- ***विभाग राजस्व की किसी भी हानि से बचने के लिए लेखापरीक्षा को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करा सकता है तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रकरणों की जांच कर सकता है ।***

- ***इस प्रतिवेदन में लाए गए अनुपालना के सभी विचलनों के अवधि-पार होने के पूर्व ही विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है ।***

भू-राजस्व

कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 74 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी । पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैः

➢ उचित डीएलसी दर न अपनाने, संपरिवर्तन शुल्क में अनियमित छूट तथा संपरिवर्तन के बाद भूमि के अनाधिकृत उपयोग के कारण संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली ।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

"अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी । पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

कम्पनी के समामेलन दस्तावेज के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.45 करोड़ का कम आरोपण हुआ । उप पंजीयक ने विकासकर्ता अनुबंध के विवरण में मौजूद तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप सम्पति की प्रतिफल राशि ₹ 10.89 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 86.25 लाख का कम आरोपण हुआ । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लीज विलेख के विवरण में बताये गये तथ्यों पर विचार नहीं करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.36 लाख का अनारोपण हुआ। *कृषि उपज मंडी समिति* द्वारा जारी विनिमय लीज विलेख कन्वेयंस के रूप में वर्गीकृत किये जाने चाहिए थे तथा तदनुसार ही बाजार मूल्य ₹ 19.79 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.64 करोड़ आरोपणीय थे । तथापि, उप पंजीयकों ने निर्धारित मूल्य ₹ 6.40 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.48 करोड़ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ । प्रभावशील मौका निरीक्षणों के अभाव में सम्बंधित उप पंजीयकों नें मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.54 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.94 करोड़ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.60 करोड़ का कम आरोपण हुआ । नियमों और प्रक्रियाओं की पालना ना करने तथा गलत/जाली चालानों के उपयोग को रोकने के लिए *ई-पंजीयन* प्रणाली की असमर्थता के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.45 करोड़ की राजस्व हानि हुई ।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि :

- ***ई-पंजीयन प्रणाली में विभिन्न श्रेणियों की भूमियों के खसरा संख्याओं के लिए लागू जिला स्तरीय समिति की दरों के साथ सम्बद्धन सुनिश्चित करना ।***
- ***राजस्व की छीजत को रोकने के लिए पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अचल सम्पतियों के प्रभावी मौका निरीक्षणों को सुनिश्चित करना ।***
- ***उप पंजीयक कार्यालयों में स्थापित प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करना तथा ई-पंजीयन प्रणाली की कमजोरियों को दूर करना, विशेष रूप से शुल्क के भुगतान से संबंधित, ताकि सरकार को होने वाली राजस्व हानि को रोका जा सके ।***
- ***लोगों की सुविधा के साथ-साथ भुगतान की सुरक्षा एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान के विकल्पों में से एक के रूप में ई-पंजीयन प्रणाली में भुगतान गेटवे को लागू करना ।***

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावा निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गयीं:

- राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत दो प्रकरणों में मुद्रांक कर तथा सरचार्ज की अनियमित छूट की कुल राशि ₹ 66.87 लाख तथा ब्याज राशि ₹ 31.54 लाख वसूलनीय थी ।
- उप पंजीयक सम्बंधित दस्तावेजों को ध्यान में रखने में विफल रहा जिससे साझेदारी विलेख का दस्तावेज मुद्रांक कर ₹ 5,000 मात्र से नोटेराइज्ड था जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 2.83 करोड़ का कम आरोपण रहा ।
- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अभिलेखों के प्रभावी निरीक्षण में असमर्थता के परिणामस्वरूप विकासकर्ता अनुबंध दस्तावेज पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 1.15 करोड़ का कम आरोपण हुआ ।

राज्य आबकारी

राज्य आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी । राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति (नीति) 2020-21 के प्रावधानों की अनुपालना में पायी गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के कम उठाए गए मासिक गारंटी कोटा पर आबकारी शुल्क ₹ 23.88 करोड़ का कम राजस्व संग्रहण हुआ।

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नीति के प्रावधानों को लागू न करने के कारण आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की अंतर राशि ₹ 24.65 करोड़ का कम राजस्व संग्रहण हुआ।

- आबकारी आयुक्त के लागू दिशा-निर्देशों की अनुपालना न होने के परिणामस्वरुप रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि ₹ 72.88 करोड़ की अवसूली रही ।

- जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नही किया तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम उठायी गयी मात्रा पर अतिरिक्त राशि ₹ 15.25 करोड़ की अवसूली रही ।

- जिला आबकारी अधिकारियों के द्वारा नियम/अधिसूचना के विद्यमान प्रावधानों की अनुपालना न कर पाने से रेस्टोरेंट बार लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस ₹ 77.50 लाख की कम वसूली रही ।

भाग खः अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय क्षेत्र से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ है ।

प्रतिवेदन के इस भाग में, युवा मामले एवं खेल विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित ₹ 2.13 करोड़ की राशि के दो अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं ।

युवा मामले एवं खेल विभाग

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद परिषद द्वारा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय बहुत ही अकुशलता से किया गया था, क्योंकि प्रत्येक चरण में निर्णय लेने में बहुत समय लिया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग की क्रय क्षमता की कमी के कारण क्रय प्रक्रिया में भी अत्यन्त कुप्रबंधन हुआ ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बकाया राशि ₹ 2.13 करोड़ की वसूली का अभाव ।

भाग – क

राजस्व क्षेत्र

अध्याय - I

सामान्य

अध्याय–I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है ।

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	50,605.41	57,380.34	59,244.98	60,283.44	74,807.98
	• कर-भिन्न राजस्व[2]	15,733.72	18,603.01	15,714.16	13,653.02	18,754.95
	योग	**66,339.13**	**75,983.35**	**74,959.14**	**73,936.46**	**93,562.93**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	37,028.01	41,852.35	36,049.14	35,575.77	54,030.61
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	23,940.04	20,037.32	29,105.53	24,795.65	36,326.48[5]
	योग	**60,968.05**	**61,889.67**	**65,154.67**	**60,371.42**	**90,357.09**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**1,27,307.18**	**1,37,873.02**	**1,40,113.81**	**1,34,307.88**	**1,83,920.02**
4	**1 का 3 से प्रतिशत**	**52**	**55**	**53**	**55**	**51**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें ।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें ।

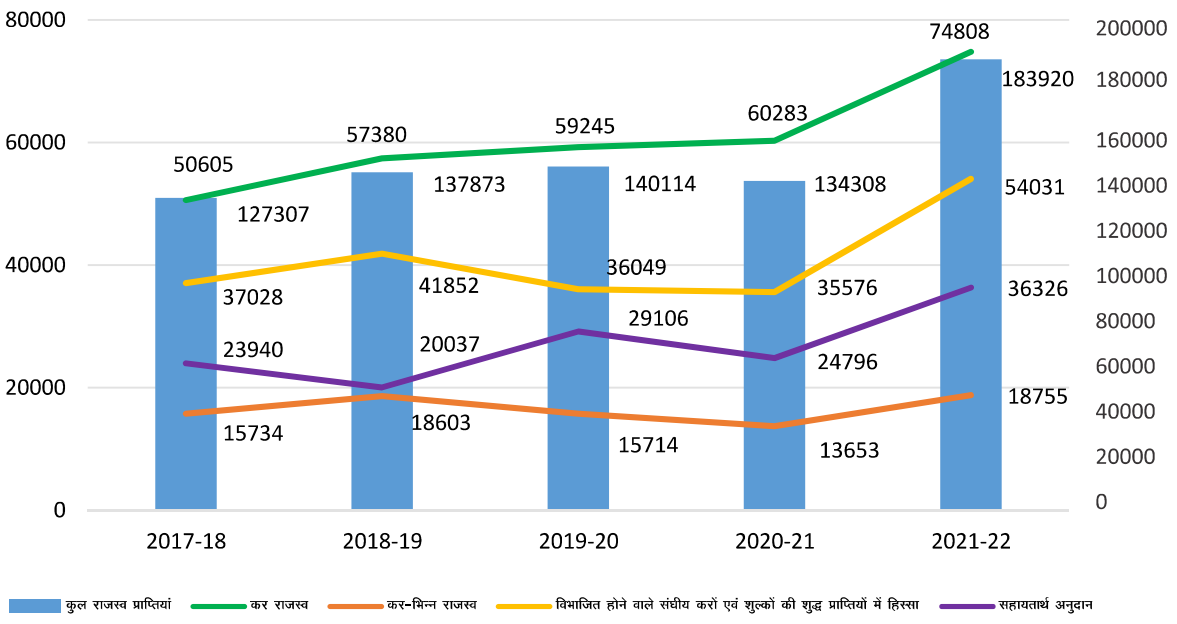
3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें । वित्त लेखों में कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005-केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-वित्त लेखों में दर्ज राज्यों को सौंपी गयी शुद्ध प्राप्तियों का भाग ।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें ।

5 इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से हुई राजस्व हानि के लिए प्राप्त ₹ 3,746.34 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है ।

वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 93,562.93 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,83,920.02 करोड़) का 51 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 में शेष 49 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में अंश एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

चार्ट 1: राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)



1.1.2 अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान एकत्रित कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 कर राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 में 2020-21 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	18,285.44	14,225.31	15,361.61	17,146.94	19,983.79	(+) 16.54
	केन्द्रीय बिक्री कर	722.80	565.65	481.15	332.09	621.61	(+) 87.18
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	12,137.02	22,938.33	21,954.17	20,754.87	27,501.90	(+) 32.51
3	आबकारी शुल्क	7,275.83	8,694.10	9,591.63	9,853.00	11,807.34	(+) 19.83
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	59.78	60.70	61.88	47.87	56.13	(+) 17.26
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	3,070.79	3,255.34	3,544.91	4,571.89	5,560.25	(+) 21.62
	पंजीयन शुल्क	544.21	569.99	627.94	677.51	875.53	(+) 29.23
5	मोटर वाहनों पर कर	4,362.97	4,576.45	4,950.98	4,368.17	4,758.92	(+) 8.95
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	3,376.67	2,147.95	2,262.77	2,142.39	2,606.19	(+) 21.65
7	भू-राजस्व	363.86	289.94	364.49	279.32	631.48	(+)126.08
8	माल एवं यात्रियों पर कर	340.78	50.79	41.12	45.18	171.17	(+)278.86

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 में 2020-21 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	63.93	5.14	1.01	1.23	11.21	(+)811.38
10	अन्य कर[6] इत्यादि	1.33	0.65	1.32	62.97	222.46	(+)253.28
	योग	**50,605.41**	**57,380.34**	**59,244.98**	**60,283.44**	**74,807.98**	**(+) 24.09**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	**14.05**	**13.39**	**3.25**	**1.75**	**24.09**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है।

संबंधित विभागों ने सूचित किया किः

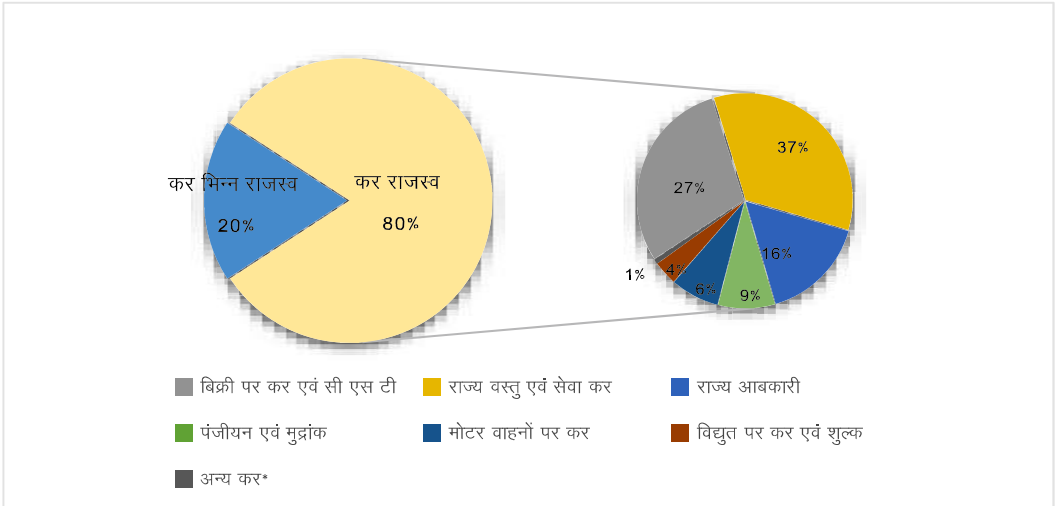
- 'राज्य आबकारी शुल्क' (19.83 प्रतिशत) में वृद्धि अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम एवं वैध मदिरा की बिक्री एवं नियमन से राजस्व की प्रभावी वसूली कारण हुई थी।

- 'भू-राजस्व' (126.08 प्रतिशत) में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को भूमि आवंटन के कारण हुई थी।

'बिक्री, व्यापार पर कर' (16.54 प्रतिशत) एवं 'राज्य वस्तु एवं सेवा कर' (32.51 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त नहीं कराये गये थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2: राज्य का राजस्व



6 अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

1.1.3 वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.3 कर-भिन्न राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 में 2020-21 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	4,521.52	5,301.48	4,579.09	4,966.39	6,395.15	(+) 28.77
ब्याज प्राप्तियां	4,858.90	5,790.87	3,851.99	2,693.15	1,628.18	(-) 39.54
विविध सामान्य सेवायें	762.36	783.86	915.51	747.01	2,591.41	(+) 246.90
पुलिस	296.56	345.38	641.68	192.54	532.37	(+) 176.50
अन्य प्रशासनिक सेवायें	207.55	246.49	207.16	146.62	498.32	(+) 239.86
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	277.72	179.31	77.19	245.47	193.94	(-) 20.99
वानिकी एवं वन्य जीवन	182.26	147.45	109.47	73.67	119.60	(+) 62.35
सार्वजनिक निर्माण	109.26	125.92	91.91	92.98	108.88	(+) 17.10
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	130.67	163.59	238.16	227.09	270.31	(+) 19.03
सहकारिता	63.11	22.24	9.11	95.75	9.40	(-) 90.18
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां[7]	4,323.81	5,496.42	4,992.89	4,172.35	6,407.39	(+) 53.57
योग	**15,733.72**	**18,603.01**	**15,714.16**	**13,653.02**	**18,754.95**	**(+) 37.37**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	**35.45**	**18.23**	**(-) 15.53**	**(-) 13.12**	**37.37**	

स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे।

2021-22 में, पिछले वर्ष की तुलना में कर-भिन्न राजस्व संग्रहण में 37.37 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई थी । संबंधित विभागों ने सूचित किया कि:

- 'विविध सामान्य सेवाओं' के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि का कारण (i) कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि जमा में से राशि ₹ 1,000 करोड़ का अन्तरण, (ii) अनुबंध शुल्क से प्राप्ति (₹ 21.84 करोड़) एवं मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की शेयर पूंजी के विनिवेश पर लाभ (₹ 29.33 करोड़), (iii) राज्य सरकार की बीमा निधि-सामान्य बीमा योजना से ₹ 30.00 करोड़ का अंतरण, आदि ।
- 'पुलिस' के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि अन्य राज्यों और रेलवे में पुलिस कर्मियों की अधिक तैनाती के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त, 'ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अन्तर्गत कमी (39.54 प्रतिशत) बिजली कंपनियों को दिए गए मूल ऋणों की अदायगी एवं निर्धारित ब्याज जो कि उदय[8] के अन्तर्गत पूर्ण रूप से वसूल किया गया था, के कारण थी ।

7 अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मत्स्य पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि से हुई आय, शामिल हैं ।

8 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

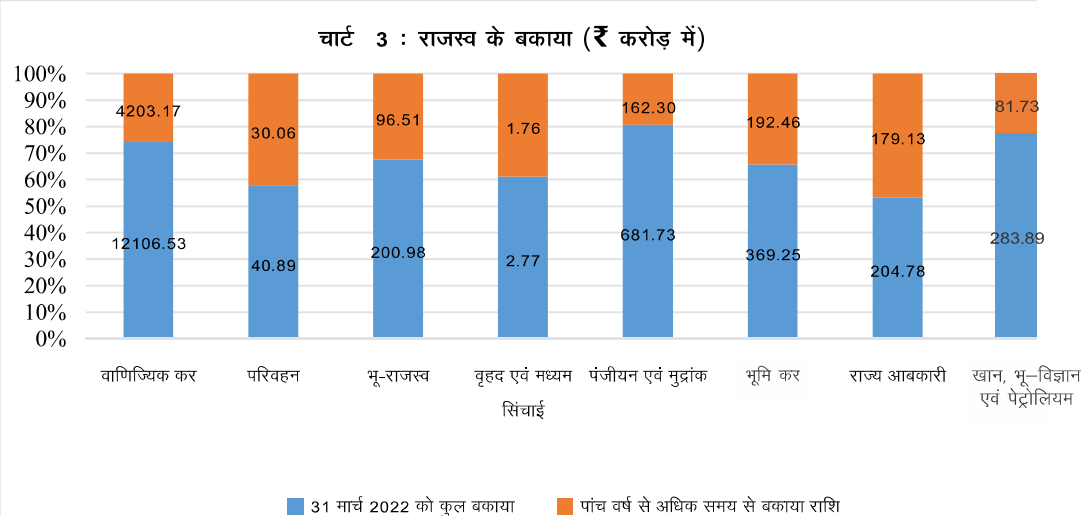
कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2022 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 13,890.82 करोड़ थी, इसमें से ₹ 4,947.12 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2022 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत		31 मार्च 2022 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	18,225.98	12106.53	(-) 33.58	4,203.17
2	परिवहन	59.39	40.89	(-) 31.15	30.06
3	भू-राजस्व[9]	204.34	200.98	(-) 1.64	96.51
4	वृहद एवं मध्यम सिंचाई*	3.10	2.77	(-)10.65	1.76
5	पंजीयन एवं मुद्रांक	1,318.39	681.73	(-) 48.29	162.30
6	भूमिकर	300.66	369.25	(+) 22.81	192.46
7	राज्य आबकारी	208.07	204.78	(-) 1.58	179.13
8	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	276.52	283.89	(+) 2.67	81.73
योग		**20,596.45**	**13,890.82**	**(-) 32.56**	**4,947.12**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।



1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण,

9 *31 मार्च 2021 के अंत मे दिखाई गयी कुल बकाया राशि से दिनांक 1 अप्रैल 2021 को दिखाई गयी बकाया राशि मे अंतर था (भू-राजस्व ₹ 18.18 करोड़ और वृहद एवं मध्यम सिंचाई ₹ 0.37 करोड़)। अन्तर के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।

वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है:

तालिका 1.5: बकाया कर निर्धारण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम		प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2021-22 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर		01	4,894	4,895	4,894	01	99.98
पंजीयन एवं मुद्रांक	पंजीयन एवं मुद्रांक	5,069	6,208	11,277	6,680	4,597	59.24
	भूमिकर	3,952	4,645	8,597	1,822	6,775	21.19
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम		10,301	11,021	21,322	9,661	11,661	45.31
परिवहन		1,236	19,962	21,198	20,154	1,044	95.08

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग ने अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। तथापि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान कर अपवंचना के 608 मामले ध्यान में आये, जिसमें विभाग की तीन प्रति-अपवंचना विंग के मामले भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 596 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी की गई, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान पाए गए मामले शामिल थे। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 475.59 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 126.45 करोड़ की वसूली की।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2021-22 के दौरान कर अपवंचना के 730 मामले ध्यान में आये। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹8.27 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹0.75 करोड़ की वसूली की।

खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग ने सूचित किया कि 2021-22 के दौरान कर अपवंचना के दो मामले देखे गए, जिनमें से सभी मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हो गई। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹0.03 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई जिसे विभाग द्वारा वसूल कर लिया गया था।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों की सूचना अनुसार वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2021-22 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या **तालिका 1.6** में दर्शायी गयी है ।

तालिका 1.6: प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	परिवहन		पंजीयन एवं मुद्रांक		खान एवं भू-विज्ञान	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	742	2.58	1,226	10.95	15	1.34
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	644	4.50	1,437	9.84	1	0.21
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	669	3.63	1,144	8.58	1	0.01
4.	अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	48	0.32	119	0.62	0	0
5.	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	669	3.13	1,400	11.59	15	1.54

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रतिदाय के लंबित प्रकरणों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई ।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए जिससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार को बचत हो सकेगी ।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए । संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया । सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिकृत करती है कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है । विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत और कार्यप्रणाली, सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 और लेखापरीक्षा मानक 2017 में निर्धारित की गई हैं ।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है । वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की गयी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट अभिभाषण, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं । वर्ष 2021-22 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 1,852 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं । उनमें से, वर्ष के दौरान 123 इकाईयों की योजना बनायी गयी एवं 139 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 7.51 प्रतिशत था । इसके अतिरिक्त 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर भी एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी ।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं । निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं । कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है । उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है । गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों[10] के 1,855 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹1305.64 करोड़ के 5,255 अनुच्छेद सितम्बर 2022 के अन्त में बकाया थे जैसा कि **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है ।

10 चार मुख्य राजस्व विभाग अर्थात वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग ।

तालिका 1.7: सितंबर 2022 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की संख्या

विवरण	जून 2021 (दिसम्बर 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2021 (मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2022 (मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,707	1,799	1,855
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	4,963	5.308	5,255
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,079.06	1,656.71	1,305.64

1.8.1 30 सितम्बर 2022 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.8 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों का विभागवार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	562	1,809	470.36
2	भू-राजस्व	भू-राजस्व	117	573	287.21
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,043	2,536	362.41
4	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	133	337	185.66
योग			**1,855**	**5,255**	**1,305.64**

तालिका से देखा जा सकता है कि लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं बकाया अनुच्छेदों की संख्या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अधिकतम है जबकि वाणिज्यिक कर विभाग में लंबित अनुच्छेदों की राशि अधिकतम है ।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[11] का गठन किया । वर्ष 2021-22 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.9** में उल्लेखित है:

11 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये । इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा उप-समितियाँ भी गठित की गयी है ।

तालिका 1.9 लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	वाणिज्यिक कर	3	2	34	7.54
3	भू-राजस्व	2	1	17	2.54
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	3	8	105	2.80
5	राज्य आबकारी	2	2	8	0.07
योग		**10**	**13**	**164**	**12.95**

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 12.95 करोड़ के 164 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद संबंधित विभागों[12] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें।

दस प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के सात अनुच्छेदों में संकलित), सम्बंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को मई और दिसम्बर 2022 के मध्य प्रेषित किये गये थे। सम्बंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां (एटीईएन) जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 80 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को

12 वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

राज्य विधानसभा के समक्ष 06 मार्च 2018 से 22 सितम्बर 2022 के मध्य प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेदों पर भू-राजस्व एवं राज्य आबकारी विभागों के एटीईएन की प्राप्ति में विलम्ब पांच से 81 दिवस के बीच था।

जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 29 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और सात अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को जनलेखा समिति के दो[13] प्रतिवेदनों (2021-22) में सम्मिलित किया गया।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व,पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग की 139 लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच और वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित "जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत मामलों की जांच मे 8,354 मामलों में कुल ₹ 515.26 करोड़ राशि के रूपांतरण शुल्क की कम वसूली, सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण, आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की अवसूली/कम वसूली, आगत कर का मिसमैच, अधिक/गलत आगत कर का लाभ लेना, कर देयताओं का मिसमैच आदि का पता चला।

वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 8,265 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजस्व राशि ₹ 385.04 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 344.99 करोड़ राशि के 2,792 मामले 2021-22 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 2021-2022 के दौरान विभागों ने 4,793 मामलों में ₹ 12.14 करोड़ वसूल किये।

1.10 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

प्रतिवेदन के इस भाग में सात अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 441.92 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 437.61 करोड़ (मार्च 2023 तक) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। स्वीकृत लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से, विभागों ने मार्च 2024 तक ₹ 23.34 करोड़ की वसूली की जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹12.14 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 25.94 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 61.42 करोड़ थी।

13 दो प्रतिवेदनः भू - राजस्व (1), एवं राज्य आबकारी (1) से सम्बंधित है।

अध्याय-II
माल एवं सेवा कर

अध्याय–।। माल एवं सेवा कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं से संबंधित कानूनों के अंतर्गत देय माल एवं सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती है । आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 25 अतिरिक्त आयुक्त, 47 उपायुक्त, 92 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 414 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार कार्य में सहायता प्रदान करते हैं । संबंधित कर कानूनों और नियमों को प्रशासित करने के लिए उन्हें कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य संबद्ध कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2021-22 के दौरान, विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित 288 प्रकरणों में ₹ 6.69 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसके समक्ष विभाग ने 265 प्रकरणों में ₹ 4.91 करोड़ वसूल/समायोजित किये ।

2021-22 में, वृत्त (लेखापरीक्षित इकाई) स्तर पर सामान्य जोखिम मूल्यांकन के बजाय, जीएसटी के तहत लेखापरीक्षा एक डेटा आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से की गई थी जो पंजीयन, रिफंड, विवरणी जांच, ट्रांजिशनल क्रेडिट इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अधिक व्यापक विषय-वस्तु जोखिम मूल्यांकन प्रदान करती है । इसलिए, विशिष्ट विषय के लिए उच्च जोखिम वाले लेनदेन/मामलों को वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक सत्यापन हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से केंद्रीय रूप से चयनित किया गया हैं ।

इस नई कर व्यवस्था के तहत कर अनुपालन के लिए विभाग के नियंत्रण और निरीक्षण तंत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2021-22 में 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की गयी ।

'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एसएससीए से संबंधित निष्कर्षों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है ।

2.3 जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कई करों का स्थान ले लिया हैं । जीएसटी, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है । केंद्र और राज्य द्वारा एक साथ समान कर आधार पर जीएसटी आरोपित किया जाता हैं । केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) राज्य के भीतर आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है, और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतरराज्यिक आपूर्ति पर आरोपित किया जाता हैं ।

सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 59 जीएसटी को एक स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके तहत कर दायित्व की गणना, गणना किये गये कर दायित्व की अदायगी और रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है । जीएसटी रिटर्न सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल की जानी अनिवार्य हैं, अन्यथा शास्ति का भुगतान देय होगा । यहां तक कि अगर किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय पर कोई कर दायित्व नहीं है, तो भी उसे अनिवार्य रूप से 'शून्य' रिटर्न दाखिल करनी होगी । इसके अलावा, एसजीएसटी/सीजीएसटी नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों की सूचना दे सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी प्रणाली के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख थी । जीएसटी के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थीः-

- क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था तथा करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- क्या वृतों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे ।

2.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में करदाताओं द्वारा की गयी अनुपालना की जांच, जांच प्रक्रिया और पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न पर बाद में विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही शामिल थी ।

इसके अतिरिक्त, एसएससीए में वर्ष 2017-18 के लिए करदाताओं के नमूने के अभिलेखों की समीक्षा शामिल थी । इस एसएससीए के कार्यक्षेत्र में चयनित वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन भी सम्मिलित था ।

विवरणियों की संवीक्षा एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा की अवधि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक थी तथा चयनित वृत्तों की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा अवधि 2017-18 से 2020-21 तक थी ।

2.3.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूना चयन

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था । इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचान किए गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे एवं विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों की जांच शामिल थी; तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों की एक नमूना लेखापरीक्षा शामिल है।

(i) **भाग I- वृत्तों की लेखापरीक्षा**

निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित एक से अधिक मामलों के नमूनों का क्षेत्राधिकार वाले 21 वृतों को वृतों के नमूने के रूप में माना गया था ।

(ii) **भाग II- केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा**

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया । करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान 13 मापदंडों के एक समूह, जैसे कि वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच, ब्याज का कम भुगतान, आईटीसी का मिसमैच इत्यादि, पर की गई थी । तद्नुसार, विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च मूल्य या उच्च जोखिम विचलन एवं विवरणियों के बीच विसंगतियों के आधार पर इस एसएससीए के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 628 करदाताओं का चयन किया गया था । करदाता के अभिलेखों की आगे जांच किए बिना लेखापरीक्षा आक्षेपों को संबंधित निर्धारण वृत्तों को जारी किया गया था ।

(iii) **भाग III- विस्तृत लेखापरीक्षा**

लेखापरीक्षा ने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 प्रकरणों का चयन किया, जिसमें निर्धारण वृत्तों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र का दौरा शामिल था । करदाताओं द्वारा कर-अनुपालना की सीमा के मूल्यांकन के लिए करदाताओं के अभिलेखों जैसे विवरणी एवं संबंधित संलग्नक और सूचना को वृत्तों के माध्यम से

एक्सेस किया गया था। लेखापरीक्षा ने बैक-एंड सिस्टम (जैसे पंजीयन, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्यों) में करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकतम संभव सीमा तक प्रदान की गई एसएसओआईडी का उपयोग किया। संबंधित निर्धारण वृत्तों के माध्यम से करदाताओं से चालान आदि जैसे संबंधित विस्तृत अभिलेख तक पहुंचने का प्रयास किया गया।

इस एसएससीए पर परिचयात्मक बैठक 24 दिसंबर 2021 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार तथा राज्य सरकार व विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा 24 नवंबर 2022 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्य राज्य कर आयुक्त और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार एवं प्रारूप अनुच्छेद पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया हैं।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड़

लेखापरीक्षा मानदंड़ के स्रोत में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम शामिल थे। इसके अलावा, राज्य कर विभाग द्वारा विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणी दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, विवरणी दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, माल और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने इत्यादि के संबंध में जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, विवरणी की जांच एवं कर-अनुपालन की निगरानी तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जिसमें विवरणी दाखिल करने, विवरणी की जांच करने, पंजीकरण को रद्द करना तथा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की रिपोर्ट का सत्यापन करने इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को दिए गए निर्देश आदि भी लेखापरीक्षा मानदंड में सम्मिलित किये गये।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष- विभाग का अनुपालना सत्यापन तंत्र (पार्ट-I)

वृत्तों की भूमिका करदाताओं द्वारा घोषित कर योग्य मूल्य की यथार्थता, कर देनदारियों की गणना और भुगतान, विवरणी दाखिल करने आदि के संबंध में अनुपालना सुनिश्चित करना है। वृत्तों के पास इस संबंध में प्रयोग किए जाने वाले कार्यों का एक विस्तृत समूह है, जिनका मूल्यांकन इस एसएससीए के एक भाग के रूप में किया गया था।

चयनित वृत्तों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए, चार संभावित लेखापरीक्षा क्षेत्रों की पहचान की गई थी यथा (i) जांच और मूल्यांकन की प्रभावशीलता (ii) विलम्ब से दाखिल करने वालों एवं गैर-दाखिलकर्ताओं पर कार्यवाही (iii) डीजीएआरएम प्रतिवेदन एवं इसी तरह के विभागीय प्रतिवेदनों की अनुपालना (iv) रद्द पंजीकरण। तद्नुसार, चयनित 21 वृत्तों से 2017-18 से 2020-21

की अवधि के लिए संबंधित अभिलेख और जानकारी मांगी गई थी। तथापि, इनमें से 17 वृत्तों ने अपेक्षित अभिलेख और सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इन वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन उपरोक्त मापदण्डों पर नहीं किया जा सका।

ध्यान में लाए जाने पर, इन 17 वृत्तों[1] के क्षेत्राधिकारियों ने उत्तर दिया (मई से अगस्त 2022 के मध्य) कि दिनांक 01 नवम्बर 2021 को विभाग में पुनर्गठन होने के पश्चात् वृत्त अस्तित्व में आए तथा जीएसटी बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस मॉडल से आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि पुनर्गठित वृत्तों सहित वृत्तों से संबंधित बुनियादी जानकारी की उपलब्धता, क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक और निगरानी कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ऐसी जानकारी जीएसटी बैक एंड पर पहले से ही उपलब्ध है, तथापि, आवश्यक एमआईएस की अनुपस्थिति के कारण किसी विशेष वृत्त की सूचना को समेकित तरीके से नहीं देखा जा सकता है। विभाग को माह मई 2022 और जून 2022 में भी इसकी सूचना दी गई थी। विभाग ने प्रतिउत्तर दिया (सितंबर 2022) कि प्रकरण जीएसटीएन के साथ उठाया जा रहा है।

प्रकरण पुनः विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर, दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023) एवं समापन परिचर्चा (नवम्बर 2022) में चर्चा की गयी। यद्यपि, सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस प्रयासों की जानकारी नहीं दी गई।

अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेखापरीक्षा, वृत्तों के निगरानी कार्यों पर आश्वासन प्रदान नहीं कर सकी।

2.3.6.1 विवरणियों की जांच की धीमी गति

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्ताधिकारी है। इसके अलावा, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि विसंगतियां, यदि कोई हो तो, करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

विभाग द्वारा परिपत्र सं. एफ.17 (151) एसीसीटी/जीएसटी/2017/7602 दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से एकरूपता सुनिश्चित करने तथा अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच-कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए विवरणियों की जांच पर विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी जारी की और एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) का गठन[2] किया

1 वृत्त-सी, एच, आई जयपुर-I, सी, डी, एच जयपुर-II, सी जी, आई जयपुर-III, ए,एफ जयपुर-चतुर्थ, बी, डी, ई कोटा, ई जोधपुर-I, डी जोधपुर-II एवं निम्बाहेड़ा।

2 दिनांक 24.09.2021 को।

गया। इससे पहले जांच प्रक्रिया को मानकीकृत नहीं किया गया था तथा फरवरी 2020 में जारी निर्देशों के आधार पर बहुत सीमित तरीके से जांच की जाती थी।

अधिनियम की धारा 61 के तहत बीआईयू, विवरणियों की जांच के लिए प्रकरणों का चयन जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति (आरटीपी) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर करता है, जो जीएसटीआर-9[3]/जीएसटीआर-3बी[4] की तुलना में जीएसटीआर-1[5] में अधिक निर्गत कर और जीएसटीआर-9 में आरसीएम देयता को जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा दिखाए गए से कम दिखाया जाना इत्यादि जैसे 12 जोखिम मापदंड़ों पर आधारित है। बीआईयू मुख्य आयुक्त राज्य कर से अनुमोदित चिन्हित आर टी पी की सूची प्राप्त करता है तथा इसे संबंधित संभाग को प्रेषित करता है जो उन्हे संबंधित आरटीपी पर क्षेत्राधिकार वाले उचित अधिकारियों को वितरित करता हैं। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि संवीक्षा का विवरण उचित अधिकारी द्वारा विवरणी संवीक्षा रजिस्टर में रखा जाएगा और इस संबंध में मासिक विवरण संबंधित अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) के माध्यम से विशेष आयुक्त (एमईए) को प्रस्तुत किया जाएगा।

एसएससीए के दौरान, बीआईयू द्वारा जोखिम मापदंडों के आधार पर चिन्हित किये गए उच्च जोखिम वाले करदाताओं की जानकारी तथा वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विवरणियों की जांच की क्रियाविधि की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2021 में बीआईयू के गठन के बाद, इकाई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 9,288 उच्च जोखिम वाले करदाताओं को जांच के लिए चयनित किया। इनमें से केवल 2,535 मामलों (27.29 प्रतिशत) की अगस्त 2022 तक जांच की गई थी। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा विवरणियों की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत विभाग द्वारा इन 9,288 चिन्हित करदाताओं की जांच के लिए प्राथमिकता हेतु कोई मापदंड निर्धारित किया गया था।

उचित अधिकारी द्वारा विवरणी संवीक्षा रजिस्टर के संधारण तथा इसको उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने के संबंध में, लेखापरीक्षा को क्योंकि रिकॉर्ड प्रस्तुत/प्रदान नहीं किये गए थे अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इसका संधारण किया गया था एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था।लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि बीआईयू की स्थापना में देरी के साथ-साथ विवरणियों की जांच की धीमी गति के कारण, दिसंबर 2023[6] तक कालातीत हो रहे

3 जीएसटीआर-9 एक वार्षिक विवरणी है जिसे जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाता है।

4 जीएसटीआर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें घोषित आईटीसी के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश तथा कर का भुगतान करदाता द्वारा स्व-घोषित किया जाता है।

5 जीएसटीआर-1 माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति के मासिक विवरण को दर्शाता है।

6 राजस्थान सरकार के अध्यादेश सं.- एफ.12 (11) एफडी/कर/2023/07 दिनांक 01.04.2023।

मामलों में अनुपालना नही करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कार्यवाही करने की समय-सीमा कम हो रही है ।

चार वृत्तों[7] से संबंधित 82 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2022-जनवरी 2023), जिनमें उपरोक्त धारा के तहत विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा की गई थी, में पाया गया कि विभाग के संबंधित वृत्तों[8] द्वारा 31 प्रकरणों में विवरणियों की संवीक्षा के लिए निर्धारित 12 मापदण्डों में से चार मापदण्डों[9] को ध्यान में नहीं रखा गया था। परिणामस्वरूप, 13 प्रकरणों में जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 0.09 करोड़ की राशि का आईटीसी मिसमैच, एक प्रकरण में ₹ 0.06 करोड़ की आईटीसी के रिवर्सल का अभाव, सात प्रकरणों में ₹ 0.12 करोड़ की कर देयता का कम आरोपण और 10 प्रकरणों में ₹ 0.01 करोड़ की राशि के ब्याज का कम/गैर-भुगतान, इस प्रकार वृत्तों द्वारा कुल ₹ 0.28 करोड़ की जांच नहीं की गई।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2023) कि 11 प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया जा चुका है जबकि 20 प्रकरणों में संबंधित वृत्ताधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । तथापि, उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि इन चार मापदंडो को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया । आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

सिफारिशः 1. विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणी की जांच सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है । विभाग ऐसी जांच के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपलब्ध संसाधनों/क्षमता के साथ उपयोग करके जांच के लिए चिन्हित किये गए प्रकरणों की संख्या को बेहतर ढंग से संरेखित कर सकता हैं।

2.3.6.2 कर प्राधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब करना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के प्रावधानानुसार, आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाये, में लेखापरीक्षा कर सकेगा । सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) के अनुसार लेखापरीक्षा से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उस समय प्रभाव में थी, के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संधारित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित टर्न ओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए रिफंड और उपभोग किए गए आगत कर की सत्यता को सत्यापित करने और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रावधानों के अनुरूप उसके अनुपालन को निर्धारित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है ।

7 वृत्त जे जयपुर-I, ए जयपुर-III, ए तथा एच जयपुर-चतुर्थ ।

8 वृत्त-जे जयपुर-I, ए व एच जयपुर-चतुर्थ ।

9 आईटीसी का आधिक्य, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, कर-दायित्व का भुगतान नहीं किया जाना तथा आईटीसी का रिवर्सल ।

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान ने राजस्थान माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली (आरजीएसटीएएम) 2020 में लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की, जिसमें बीआईयू/बीआईएफए[10] द्वारा चिन्हित किए गए करदाताओं, स्थानीय खुफिया जानकारी, रद्द करदाताओं से खरीद इत्यादि जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए करदाताओं के चयन हेतु नए मानदंडों की प्रक्रिया शामिल थी। इसमें उल्लेखित किया गया है कि लेखापरीक्षा किए जाने वाले करदाताओं का चयन मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार[11] ने वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करते हुए (सितंबर 2021) लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ किया और तीन स्तरीय बिजनेस लेखापरीक्षा तंत्र बनाया। जोखिम मापदंडों के आधार पर आवंटित बड़े जटिल मामलों की जांच राज्य स्तर तथा संभाग स्तर की टीमों के द्वारा की जानी थी। शेष मामलों का निपटारा वृत्त स्तर पर किया जाना था।

जीएसटी के अन्तर्गत 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा की गई बिजनेस लेखापरीक्षा का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है:-

तालिका 2.1

विभाग द्वारा की गयी जीएसटी बिज़नेस लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष जिसके दौरान लेखापरीक्षा की गई	कुल करदाताओं की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित[12] करदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)	वास्तविक संख्या जिनमें लेखापरीक्षा पूर्ण की गई (नवम्बर 2022 तक)	प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियां पाई गईं	कमियों में सम्मिलित कुल राशि	कुल वसूली
2017-18	2021-23	6,52,813	660 (0.1 प्रतिशत)	655	**633**	**308.10**	**17.16**
2018-19	2022-23	7,82,564	4938 (0.63 प्रतिशत)	239	**236**	**3.75**	**2.91**

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिए बिजनेस लेखापरीक्षा अभी तक शुरू होनी थी। 2017-18 के चिन्हित सभी प्रकरणों की भी लेखापरीक्षा नहीं की गई है जबकि 2018-19 के पांच प्रतिशत से कम प्रकरणों की विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

उक्त धारा के तहत चार वृत्तों[13] से संबंधित बिजनेस लेखापरीक्षा के 31 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2022-जनवरी 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये विस्तृत अभिलेखों के आधार पर यह देखा गया कि विभाग ने दो मामलों में ₹ 0.25 लाख की कम/अनारोपित कर देयता की पहचान नहीं की और एक मामले में विभाग कर के विलंबित

10 जीएसटीएन का बिजनेस इंटेलिजेंस एडं फ्रॉड़ एनालिटिक्स।

11 आदेश संख्या एफ.9(3) एफडी/टैक्स/2020 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा।

12 आरजीएसटीएएम में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अधिकतम सीमा कुल करदाताओं का 5 प्रतिशत है।

13 वृत्त जे जयपुर-I, ए जयपुर-III, ए तथा एच जयपुर-चतुर्थ।

भुगतान पर ब्याज ₹ 0.28 लाख की राशि की वसूली नहीं कर सका । इसके अलावा, 13 मामलों में विभाग ने सूचित किया था कि इन मामलों में आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली गई थी, तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित वृत्तों के उचित अधिकारियों द्वारा अंतिम कार्यवाही की जानी शेष थी ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्ताधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

सिफारिश: 2. विभाग को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के खिलाफ समय पर कार्यवाही शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, की जा सके । जांच के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा के लिए चिन्हित किए गए प्रकरणों की संख्या को ऐसी लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।

2.3.6.3 देरी से विवरणी दाखिल करने एवं विवरणी दाखिल नहीं करने वालों पर कार्यवाही का अभाव

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46, यदि करदाता नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो तो फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करना प्रावधित करती है, जिसमें पंद्रह दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है । यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का आंकलन कर फॉर्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकते हैं ।

विवरणी दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही है, जो विवरणी न भरने वालों के मामले में कर/शास्ति का भुगतान न करने का जोखिम दर्शाती हैं ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन वृत्तों[14] द्वारा देर से विवरणी दाखिल करने वालों/दाखिल न करने वालों के 1,676 मामलों की पहचान की गई थी । शेष 18 वृत्तों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

यह देखा गया कि इन तीन वृत्तों में 878 करदाताओं (52.39 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उपयुक्त विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। तथापि, क्षेत्राधिकारियों ने इन प्रकरणों में निर्धारण एवं पंजीयन निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही

14 वृत्त-बी उदयपुर, ए-भिवाड़ी एवं शाहपुरा ।

प्रारम्भ नहीं की। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर वृत्त-बी उदयपुर के क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया (जुलाई 2022) गया कि वृत्त द्वारा दाखिल नहीं करने वालों एवं विलम्ब से दाखिल करने वालों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा रही है, तथापि, इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अक्टूबर 2024)

2.3.6.4 पंजीकरण रद्द करने के बाद जीएसटीआर-10 न भरने पर कार्यवाही का अभाव

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 29 पंजीकरण रद्द करने की शर्तों को निर्धारित करती है, जिसमें उन करदाताओं के पंजीकरण को स्वतः रद्द करना शामिल है जिन्होंने लगातार छह महीनों तक (कम्पोजिट करदाताओं के मामलों में लगातार तीन कर अवधि) विवरणी दाखिल नहीं की है। गैर-दाखिलकर्ताओं के पंजीकरण को रद्द करने के लिए वृत्ताधिकारी जिम्मेदार है। सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 45 के साथ पठित सीजीएसटी/आरजीएसटी नियमों का नियम 81 निर्दिष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, वह रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख (जो भी बाद में हो) के तीन महीने के भीतर फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करेगा। इस विवरणी का उद्देश्य अंतिम स्टॉक (आगत और पूंजीगत सामान सहित) में शामिल आईटीसी का विवरण प्रदान करना है, जिसे करदाता द्वारा रिवर्स/भुगतान किया जाना है।

जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए चयनित 21 वृत्तों के अभिलेखों की जांच (जुलाई और अगस्त 2022) के साथ-साथ जीएसटी बैकएंड सिस्टम पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट की जांच के दौरान, यह देखा गया कि जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान चार वृत्तों[15] में 4,934 करदाताओं के पंजीकरण रद्द किए गए थे। शेष 17 वृत्तों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

रद्द किए गए इन पंजीकरणों में से लेखापरीक्षा की तिथि तक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अंतिम विवरणी, जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने वाले 4,901 करदाताओं के विरूद्ध क्षेत्राधिकारीयों द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और एक वृत्त[16] के सिर्फ 33 करदाताओं द्वारा अन्तिम विवरणी दाखिल की गई थी। यह विभाग द्वारा अनुश्रवण में गंभीर कमी को दर्शाता है।

ध्यान में लाये जाने पर सभी वृत्तों के क्षेत्राधिकारीयों ने बताया (जुलाई एवं अगस्त 2022) कि मामले की विधिवत जांच के बाद जवाब सूचित किया जायेगा।

15 वृत्त- ए भिवाड़ी, शाहपुरा, झुंझुनु एवं बी उदयपुर।

16 वृत्त-बी उदयपुर, जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान इस वृत्त में 576 पंजीकरण रद्द किए गए।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अक्टूबर 2024)

2.3.7 केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा (भाग II)

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 13 मापदंडों के एक समूह पर की गई थी, जिन्हें मोटे तौर पर दो आयामों - आईटीसी तथा कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों[17] में से, निम्नलिखित मूल विवरणियां जो सामान्य करदाताओं पर लागू होती हैं, को जीएसटी विवरणी/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और मिसमैच की पहचान करने के उद्देश्य से माना गया।

- जीएसटीआर–1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी है और इसमें माल व सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।

- जीएसटीआर–3बी: करदाता द्वारा कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति और दावा की गई आईटीसी का मासिक सारांश, जो अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट व डेबिट एवं इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ लेजर में डेबिट को प्रदर्शित करती है।

- जीएसटीआर-6: आगत सेवा वितरकों (आई एस डी) के लिए मासिक विवरणी, जो उनके द्वारा वितरित आगत कर क्रेडिट तथा आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करती है।

- जीएसटीआर-8: जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) की कटौती करने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल की जाने वाली मासिक विवरणी, जिसे अक्टूबर 2018 में लागू किया गया।

- जीएसटीआर–9: आगत सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहक, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति तथा अनिवासी करदाता के अलावा अन्य सभी पंजीकृत

17 जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कम्पोजिशन स्कीम के तहत करदाता के लिए), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता के लिए), जीएसटीआर-6 (आगत सेवा वितरक के लिए) , जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता के लिए), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए), जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरणी), जीएसटीआर-11 (युआईएन रखने वाला व रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए), सीएमपी -08, और आईटीसी-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे/प्राप्त किए गए माल के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जाने वाली वार्षिक विवरणी है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, एसजीएसटी व आईजीएसटी) के तहत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के विवरण के साथ-साथ टर्नओवर एवं लेखापरीक्षा का विवरण शामिल होता हैं ।

- जीएसटीआर–9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म है। यह मूल रूप से जीएसटीआर–9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है ।

- जीएसटीआर–2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम जनित विवरण। इसमें जीएसटीआर–1/5 फॉर्म में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेनों का विवरण, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, जीएसटीआर–7 एवं जीएसटीआर–8 से क्रमशः प्रतिपक्ष द्वारा एवं प्रविष्टि के बिल पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट पोर्टल से प्राप्त हुआ, का विवरण है ।

चिन्हित किए गए 13 मापदंडों पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित पैन स्टेट डेटा विश्लेषण एवं देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा को **तालिका 2.2** में सारीकृत किया गया है-

तालिका 2.2: नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	*मापदंड*	*प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम*	*विचलनों की संख्या*	*राशि (₹ करोड़ में)*
आयाम: आईटीसी				
डी1	*जीएसटीआर-2ए और जीएसटी आर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच*	*अपने सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए(5) (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) में उपभोग की गई आईटीसी के साथ की गई, जिसमें तालिका 4बी(2) की रिवर्स आईटीसी को छोड़कर लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर- 9 की तालिका 8 सी में उपभोग की गई आईटीसी को शामिल किया गया ।*	***50***	***205.91***
डी 2	*आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान*	*जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी ।* *ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नही था, जांच को जीएसटीआर-3बी के भीतर प्रतिबंधित किया गया – तालिका 3.1 (डी) में कर की अदायगी की तुलना में तालिका 4 ए (2) एवं 4 ए (3) में प्राप्त आई टी सी ।*	***50***	***31.32***

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डी 3	बिना भुगतान के ली गई आरसीएम आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 4 जी (देय कर) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6 सी , 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर- 9 उपलब्ध नहीं थी, जीएसटीआर-3बी की तालिका (3.1 डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी के (4ए) (2) व 4ए (3) से की गई थी। जहां दोनों उपलब्ध थी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी में अधिक अंतर वाली विवरणी मानी गई।	**50**	**30.86**
डी 4	आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग	जीएसटीआर-9 की तालिका 6 जी या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए) (4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, 8ए व 9ए के योग से की गई थी।	**50**	**12.87**
डी 5	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में धनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जाँच	**50**	**1769.04**
डी 6	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में धनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 13 में उपलब्ध कराये गए कारणों की जाँच	**50**	**463.93**
आयाम: कर का भुगतान				
डी 7	जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 6 में दिए गए कारणों की जाँच	**50**	**5889.32**
डी 8	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जाँच	**50**	**3138.42**
डी 9	लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जाँच	**50**	**47.10**
डी 10	अस्थिर देनदारियां	जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर 9 (तालिका 4 एन,10 और 11) के बीच अधिक कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किये गये कर विवरण से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर- 9 उपलब्ध नहीं थी जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए कर की तुलना जीएसटीआर-1 में देनदारी से की गयी जीएसटीआर-1 एवं 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	**50**	**250.59**
डी 11	कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना	टीसीएस प्रावधान प्रभावी होने पर ई- कॉमर्स जी एस टी आर 8, दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी हो गई। जीएसटीआर- 8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कि कम्पोजिशन योजना के तहत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	**28**	-

क्र.सं.	*मापदंड*	*प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम*	*विचलनों की संख्या*	*राशि (₹ करोड़ में)*
डी 12	*जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है*	*ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3 बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर- 1 दाखिल किया है या जहाँ जीएसटीआर 2 ए उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि करदाता बिना कर चुकाए व्यवसाय कर रहे हैं।*	***50***	*-*
डी 13	*ब्याज का कम भुगतान*	*जीएसटीआर-3बी को देरी से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर जीएसटीआर-3 बी में घोषित ब्याज की तुलना, 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गयी*	***50***	***12.48***
कुल			***628***	***11,851.84***

2.3.7.1 लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए 13 मापदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 628 का एक नमूना चयनित किया। लेखापरीक्षा ने विभाग को ₹ 2,676.41 करोड़ की राशि के 605 लेखापरीक्षा आक्षेप जारी किए।

इन मामलों में चिन्हित विचलनों/मिसमैच पर, लेखापरीक्षा जाँच विभाग की कार्यवाही के सत्यापन तक सीमित थी। विभाग ने जारी किए गए सभी आक्षेपों के उत्तर दिए। तथापि, ₹ 364.64 करोड़ के मिसमैच/विसंगति वाले 104 आक्षेपों में उत्तर अंतरिम था और विभाग ने कहा कि मामलों की जांच अभी की जानी है।

2.3.7.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का सारांश

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर, अनुपालन विचलन (**परिशिष्ट-2.1**) में रूपांतरित 13 मापदंडों में से प्रत्येक को **तालिका 2.3** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.3 कमियों का सारांश

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहां उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया		अनुपालन विचलन							
					वसूली की गई या एससीएन[18] जारी किया गया		एएसएमटी-10[19]/नोटिस/डीआरसी-01ए[20] जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		योग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
जीएसटीआर-2ए और जीएसटी आर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच (डी 1)	50	205.91	18	65.59	01	1.53	21	103.30	00	00	22	104.83
आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान (डी 2)	48	30.30	16	7.32	0	0	28	21.21	00	00	28	21.21
बिना भुगतान के ली गई आरसीएम आईटीसी (डी 3)	47	29.76	17	7.36	0	0	26	20.75	0	0	26	20.75
आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग (डी 4)	50	12.87	18	4.26	01	0.10	22	5.21	01	0.14	24	5.45
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान (डी 5)	47	1686.59	27	920.07	0	0	10	#	0	0	10	#
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच (डी 6)	50	463.93	22	52.22	0	0	22	$	0	0	22	$
जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मिसमैच (डी 7)	50	-[21]	12	0	0	-	27	-	0	-	27	-
जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच (डी 8)	50	-[22]	11	0	05	-	26	-	0	-	31	-

18 19 प्रकरणों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की गई और ₹ 25.88 करोड़ के 31 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया।

19 करदाता को विसंगति की सूचना देना और उसका स्पष्टीकरण मांगना।

20 सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(5)/74(5) के तहत देय निर्धारित कर की सूचना।

21 50 प्रकरणों में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में कुल मिलान नहीं हुआ टर्नओवर ₹ 5,889.32 करोड़ है, जिसमें से 11 प्रकरणों में ₹ 1,342.73 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर की जांच विभाग द्वारा अभी तक की जानी है, 12 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 672.36 करोड़ का मिसमैच टर्नओवर शामिल हैं, विभाग ने मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किया है और ₹ 3,874.23 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले शेष 27 प्रकरणों में विचलन को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

22 50 प्रकरणों में जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में कुल मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नओवर ₹ 3,138.42 करोड़ है, जिसमें से आठ प्रकरणों में ₹ 259.52 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर की विभाग द्वारा जांच की जानी बाकी है, चार प्रकरणों में ₹ 64.87 करोड़ का मिसमैच टर्नऑवर डेटा प्रविष्टि की त्रुटि के कारण था, ₹ 322.34 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले सात प्रकरणों में विभाग द्वारा मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किया गया और शेष 31 प्रकरणों में ₹ 2,491.69 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले विचलन को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

\# जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी का अनुपालन विचलन ₹ 530.97 करोड़।

$ जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में मिलान नहीं हुई आईटीसी का अनुपालन विचलन ₹ 404.07 करोड़।

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहां उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया		अनुपालन विचलन							
					वसूली की गई या एससीएन[18] जारी किया गया		एएसएमटी-10[19]/नोटिस/डीआरसी-01ए[20] जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		योग	
लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच (डी 9)	48	45.72	13	9.05	10	1.36	22	33.67	0	0	32	35.03
अस्थिर देनदारियां (डी 10)	39	188.85	6	37.84	07	21.64	12	53.73	0	0	19	75.37
कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना (डी 11)	26	0	9	0	03	0	10	0	0	0	13	0
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है (डी 12)	50	0	6	0	09	0	22	0	0	0	31	0
ब्याज का कम भुगतान (डी 13)	50	12.48	1	0.13	14	3.12	25	6.97	01	0.16	40	10.25
योग	**605**	**2,676.41**	**176**	**1,103.84**	**50**	**27.75**	**273**	**244.84**	**02**	**0.30**	**325**	**272.89**

लेखापरीक्षा ने ₹ 272.59 करोड़ की राशि वाले 323 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जो कि डेटा में 605 विसंगतियों/मिसमैच का 53.39 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये। जोखिम मापदण्डों जैसे कि अधिक आईटीसी का उपभोग, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा और आरसीएम पर आईटीसी का अधिक उपभोग में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी।

176 प्रकरणों में, जो लेखापरीक्षा नमूने के 29.09 प्रतिशत थे, जहाँ विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य थे, करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में 63 मामले शामिल थे और विभाग ने 30 मामलों में सक्रिय रूप से कार्यवाही कर ली थी।

104 प्रकरणों में जो कि लेखा परीक्षा नमूने का 17.19 प्रतिशत है (₹ 364.64 करोड़ का अंतर्निहित विचलन), विभाग ने बताया कि संबंधित वृत अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। शेष दो मामलों में यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए विचलनों को स्वीकार नहीं किया लेकिन उसका तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन अधीन नहीं था।

प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के उच्च विचलन को नीचे उदाहरणार्थ बताया गया है:

(i) जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच मिसमैच आईटीसी:

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से संबंधित डाटा निकाले गए थे, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान की गई आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था।

वृत एन, जयपुर-III के अधीन करदाता मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACL6442L1ZA) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 207.03 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 226.93 करोड़ थी (जी एस टी आर 9 की तालिका 8 सी से अगले वर्ष 2018-19 में प्राप्त आईटीसी ₹ 6.47 करोड़ सहित) । इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी राशि ₹ 19.90 करोड़ मिसमैच हुई जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023) । जवाब में, विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि विसंगति के कारण जानने के लिए करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया था । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

(ii) ***जीएसटीआर -3बी के अनुसार कर के भुगतान के बिना आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना:*** सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) के तहत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत, माल या सेवाओं की आपूर्ति की कुछ श्रेणियों की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय, प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है । जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां आईटीसी का उपभोग जीएसटीआर -3बी के अनुसार माना गया है ।

वर्ष 2017-18 के लिए आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर -3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर -9 से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जाँचने के लिए की गयी थी कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी किये गये कर भुगतान की सीमा तक सीमित थी ।

वृत - जैसलमेर के अधीन एक करदाता, मैसर्स फोकस एनर्जी लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACP1563C1ZT) के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि, जीएसटीआर -3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के तहत देय कर के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 14.51 करोड़ थी, जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (2) और (3) में प्राप्त की गयी आईटीसी ₹ 25.90 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.39 करोड़ की आईटीसी मिसमैच हुई, जिसे विभाग और राज्य सरकार को (जनवरी 2023) में सूचित किया गया । जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि विसंगति के कारणों की जाँच हेतु एएसएमटी-10 जारी किया गया । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

(iii) ***जीएसटीआर-9 के अनुसार कर के भुगतान किए बिना आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना:*** वर्ष 2017-18 में आरसीएम के तहत समतुल्य कर दायित्व का निर्वहन किये बिना आईटीसी प्राप्त करने की सीमा या दूसरे शब्दों में, आरसीएम के तहत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान की जीएसटीआर-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी के साथ तुलना करके किया गया था जिससे यह जांचा जा सके कि आरसीएम के अन्तर्गत की गई गतिविधियों/लेन-देनों पर कर को पूरी तरह से चुकाया गया है या नहीं ।

वृत बी उदयपुर के अधीन एक करदाता, मैसर्स रोशन लाल जैन एंड कंपनी (जीएसटीआईएनः 08AABFR2507C1ZQ) के प्रकरण में देखा गया कि, जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम के तहत कर का भुगतान ₹ 0.01 करोड़[23] था। जबकि, जीएसटीआर-9 की तालिका 6 (सी, डी एण्ड एफ) के अनुसार, करदाता ने आरसीएम के अन्तर्गत ₹ 2.12 करोड़ की आईटीसी का लाभ उठाया था। इस प्रकार, करदाता ने आरसीएम के अन्तर्गत ₹ 2.11 करोड़ की आईटीसी का लाभ बिना कर के भुगतान किये प्राप्त किया।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

*(iv) **आईएसडी क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का गलत लाभ उठानाः*** यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आई टी सी, इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी) द्वारा हस्तांतरित आई टी सी से अधिक है, करदाता की विवरणी में घोषित आईटीसी लाभ की तुलना उनके जीएसटीआर 6 में आई एस डी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से की गयी है।

वृत-सी, अजमेर के अधीन करदाता मैसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACH1004N1ZU) के मामले में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी में प्राप्त आईटीसी ₹ 11.37 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तान्तरित आईटीसी ₹ 9.25 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी का प्राप्त आई टी सी से राशि ₹ 2.12 करोड़ का मिसमैच हुआ जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

*(v) **जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसीः*** जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्ययों पर प्राप्त आईटीसी के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तिय विवरणों में बताए गए व्ययों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वृत-सी कोटा के अधीन एक करदाता, मैसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACC9762A1ZT) के मामले में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि, जीएसटीआर 9सी की तालिका 14एस के अनुसार वार्षिक विवरणी में ₹ 553.73 करोड़ की

23 जीएसटीआर 3बी में भी ₹ 0.01 करोड़ का आरसीएम भुगतान दिखाया है।

आई टी सी का दावा किया गया था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 आर के अनुसार पात्र आईटीसी की कुल राशि ₹189.92 करोड़ थी। इस प्रकार, जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14 टी में घोषित ₹ 363.81 करोड़ की मिलान नहीं हुई आईटीसी थी, जो कि जीएसटी विवरणी में, वित्तीय विवरणों में बताये गये व्ययों के आधार पर पात्र आई टी सी से अधिक ली गयी थी।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023) I इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि नोटिस जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(vi) वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच:

जीएसटीआर 9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आईटीसी के साथ मिलाती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तिय विवरणों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वृत -सी कोटा के अधीन, करदाता मैसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACC9762A1ZT) के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 12डी में घोषित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार दावा की गई आईटीसी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 12ई के अनुसार दावा की गई आईटीसी के बीच ₹ 364 करोड़ का मिसमैच था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में मिलान नहीं हुई आईटीसी ₹ 364 करोड़ की घोषित की गई।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023) I जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(vii) जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में मिलान नहीं होने वाला टर्नओवर:

जीएसटीआर 9सी की तालिका 5, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का वार्षिक टर्नओवर (जीएसटीआर 9) में घोषित टर्नओवर के साथ मिलान है। इस तालिका का कॉलम 5आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किये गए टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी मे सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में बताए गए टर्नओवर मे पहचाने गये मिसमैच की सीमा

की समीक्षा करने के लिए डेटास्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों में मिलान नही हुई राशि जहां जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है वो किसी राशि को नहीं-दर्शाने, कम-दर्शाने, चूक, आपूर्ति को दर्शाने में त्रुटि के कारण कर चोरी या कर के कम भुगतान को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों को नहीं-दर्शाने का मामला भी हो सकता है।

वृत-एच, जयपुर-1 के अधीन,एक करदाता मैसर्स जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCJ6373K1Z7) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 5पी में घोषित वार्षिक टर्नओवर ₹ 13,316.02 करोड़ था जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 5क्यू में घोषित वार्षिक टर्नओवर ₹ 11,950.67 करोड़ था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में ₹ 1,365.35 करोड़ का मिलान नहीं होने वाला टर्नओवर घोषित किया गया था।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(viii) ***जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं हुए कर योग्य टर्नओवरः*** जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 7जी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद उस वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित मिलान नही होने वाले कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी मे सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में बताए गए कर योग्य टर्नओवर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटास्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों में मिलान नही हुई राशि जहां जी एस टी आर 9 में घोषित टर्नओवर वित्तिय विवरण से कम है वो किसी राशि को नही दर्शाने, कम दर्शाने, चूक, कर योग्य आपूर्ति को दर्शानें में त्रुटि को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनो को नही दर्शाने के कारण भी हो सकता है।

वृत-एन, जयपुर-III के अधीन करदाता मैसर्स सिंटेक्स प्रीफैब एंड इंफ्रा लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AANCS6027R1ZH) में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नही होने वाले कर योग्य टर्नओवर के संबंध में राशि ₹ 1,139.76 करोड़ पर लेखापरीक्षा आक्षेप जारी कर विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ix) लेखा पुस्तको और विवरणियो के बीच भुगतान किए गए कर में मिसमैचः

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9 सी में सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वार्षिक विवरणी एवं लेखा पुस्तकों के बीच भुगतान किये गये कर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था । विवरणी 9सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर के अनुसार अलग करके और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर 9 के अनुसार निर्वहन किये गये कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर को मिलान करने को दर्शाती हैं ।

मिलान नही हुई राशियाँ गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर को करमुक्त टर्नओवर या इसके विपरीत दर्शाना या सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी के गलत आरोपण का संभावित रूप से संकेत हो सकती है । ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें वर्ष 2017-18 के लेनदेनो में आपूर्ति/घोषित कर को संशोधनों (डेबिट नोट्स/क्रेडिट नोट्स का निवल) के माध्यम से बाद के वर्ष में अप्रैल से सितंबर 2018 मे कम किया गया हों । परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान - कम भुगतान और गलत शीर्षों के तहत भुगतान दोनों की भी इस संबंध में जांच किए जाने की आवश्यकता है ।

वृत-सी, जयपुर-III के अधीन एक करदाता, मैसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AACI5139B1ZY) के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9पी के अनुसार भुगतान किया जाने वाला कुल कर ₹ 29.51 करोड़ था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9क्यू के अनुसार वार्षिक विवरणी में भुगतान किया गया कुल कर ₹ 20.46 करोड़ था । इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में ₹ 9.05 करोड़ के कर के भुगतान का मिलान नहीं होना घोषित किया गया था ।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023) । जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि इकाई परिसमापन के अधीन थी और मामला एनसीएलटी हैदराबाद के अधीन विचाराधीन था । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

(x) ***अस्थिर कर देनदारियांः*** माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति के मासिक विवरण को जीएसटीआर-1 में दर्शाया जाता है । जावक आपूर्ति का करदाता द्वारा भी निर्धारण किया जाता है और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के संबंधित कॉलम में इसका उल्लेख किया जाता है । इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किया गया कर भी मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी में दिखाया जाता है ।

वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से, न चुकाई गई कर की देनदारी का विश्लेषण करने के लिए संबंधित डेटा निकाला गया और इन विवरणियो में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 के अनुसार भुगतान किए गए कर से की गई थी । इस प्रयोजन हेतु जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित किये गये संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया ।

वृत-रामगंज मंडी के अधीन करदाता मैसर्स विश्वकर्मा स्टोन इंडस्ट्रीज (जीएसटीआईएनः 08AFRPS6757C2ZT) के मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जीएसटीआर

1 के अनुसार देय कर ₹ 0.40 करोड़ था और जीएसटीआर 9 के अनुसार ₹ 27.34 करोड़ था । जीएसटीआर -9 में घोषित अधिक कर देनदारी ₹ 27.34 करोड़ की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में घोषित ₹ 0.40 करोड़ के कर के साथ की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.94 करोड़ की कर देयता मिसमैच हुई जिसकी सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023) । जवाब में, सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत को अनुपालना प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(xi) ***जीएसटीआर-3बी का दाखिल नहीं किया जाना लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध होना:*** सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम 2017 के नियम 61(5) के तहत जीएसटीआर 3बी विवरणी एकमात्र प्रपत्र है जिसके माध्यम से कर दायित्वों की पूर्ति और आईटीसी का लाभ लिया जाता है।

डेटा विश्लेषण के माध्यम से उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी लेकिन जीएसटीआर 1 दाखिल की थी या जिनका जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था । जीएसटीआर 1 और 2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर 3बी को दाखिल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था/चलाया था लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया । इसमें आईटीसी के अनियमित जारी होने के मामले भी शामिल हो सकते हैं ।

वृत-ई, जयपुर II के अधीन करदाता, मैसर्स वर्धानी मोटर्स (जीएसटीआईएनः 08AARPV8119N1ZM) के मामले में जीएसटीआर 1, 2ए और 3बी में प्रासंगिक स्थानों से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया था । यह देखा गया कि करदाता ने 2017-18 में जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी जबकि करदाता ने अपने जीएसटीआर-1 में ₹ 0.59 करोड़ की कर राशि के साथ कर योग्य आपूर्ति घोषित की थी । प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता द्वारा दिसंबर 2022 में जीएसटीआर 3बी दाखिल कर दी थी ।

(xii) ***ब्याज का कम भुगतानः*** अधिनियम की धारा 50 अनुबंधित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग भुगतान न किया गया हो, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा ।

2017-18 के दौरान कर के विलंब से जमा करायी गई राशि के कारण ब्याज के कम भुगतान की राशि की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान के विवरण एवं जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई । देय ब्याज की गणना करने के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) को मानकर किया है ।

वृत-बी, जयपुर III के अधीन करदाता मैसर्स कृष्ण अर्जुन एंटरप्राइजेज (जीएसटीआईएनः 08AAHFK5693G1ZY) के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि, मार्च 2018 के महीने से संबंधित

विवरणी (जीएसटीआर 3बी) जिसमें ₹ 4.30 करोड़ की कर देनदारी शामिल थी, को मार्च 2019 में देरी से दाखिल किया गया। इस प्रकार, करदाता ने मासिक कर देयता का देरी से भुगतान किया लेकिन देरी से किए गए भुगतान कर पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.73 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया जिसे विभाग एवं राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

2.3.7.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा– डेटा विश्लेषण के दौरान देखे गए विचलन/मिसमैच के कारण

विभाग के 605 मामलों में जवाब को ध्यान में रखते हुए, डेटा विचलन/विसंगतता के कारणों के निम्नानुसार कारक हैं:

(क) **जीएसटी कानून और नियमों से विचलन:** उपरोक्त तालिका 2.3 में सारीकृत 605 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 272.59 करोड़ के कर प्रभाव वाले 323 मामलों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया या उन पर कार्रवाई शुरू की है। इन प्रकरणों में से, विभाग ने 19 प्रकरणों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की, ₹ 25.88 करोड़ के 31 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है, ₹ 193.86 करोड़ के 237 प्रकरणों में करदाता को विसंगतियों से अवगत कराते हुए फॉर्म एएसएमटी -10 में नोटिस जारी किया है तथा ₹ 50.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामलों में संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया गया या डीआरसी-01ए जारी किया गया। विवरण **(परिशिष्ट 2.2(ए) से 2.2(एम))** में दिए गए हैं।

शीर्ष पांच प्रकरणों में जो कि स्वीकार किये गए या जहाँ विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई, उनकी राशि ₹ 778.94 करोड़ थी। उदाहरणात्मक दो मामले नीचे दिये गए है:

(i) ***कर देयता की कम घोषणा:*** वृत-जी, जयपुर-I की लेखापरीक्षा के दौरान, करदाता मैसर्स वेगा एक्सप्रेस कूरियर और कार्गो (जीएसटीआईएनः 08AGBPS2905H1ZG) के मामले में, यह देखा गया कि जीएसटीआर 1 के अनुसार ₹17.64 करोड़ का कर देय था जबकि जीएसटीआर 3बी में केवल ₹ 0.02 करोड़ का देय कर ही घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच ₹ 17.62 करोड़ की कर देयता मिसमैच थी, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ii) ***जीएसटीआर–2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच:*** वृत आई, जयपुर-III के अधीन करदाता मैसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AADCS0472N1Z2) के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 20.69 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी ₹ 34.30 करोड़ थी (जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी (2) के ₹ 0.14 करोड़ की

आईटीसी रिवर्सल को छोड़कर और आगामी वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी में प्राप्त आईटीसी ₹ 2.99 करोड़ सहित) । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 13.61 करोड़ की आईटीसी मिसमैच हुई जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023) । जवाब में, विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि विसंगति के कारण जानने के लिए एएसएमटी-10 जारी किया गया है । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

(ख) विसंगतियों/मिसमैचो को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा खंडन किया गया

मिसमैच/विसंगतियों में लेखापरीक्षा नमूने के 605 प्रकरणों में से, विभाग ने राशि ₹ 0.30 करोड़ के दो प्रकरणों को स्वीकार नहीं किया, जहां लेखापरीक्षा विभाग के तर्क से सहमत नहीं था । इन प्रकरणों को नीचे दिया गया है:

(i) ***प्राप्तकर्ता द्वारा आईएसडी क्रेडिट पर आईटीसी का अनियमित लाभ उठाना:*** वृत शाहजहाँपुर के अधीन करदाता मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACP0486A1ZT) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि प्राप्तकर्ता द्वारा आईएसडी क्रेडिट पर आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ उठाया जा रहा था, जिसमें जीएसटीआर 9 की टेबल 6जी में आईटीसी का लाभ ₹ 0.37 करोड़ उठाया गया जबकि जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित की गई आईटीसी केवल ₹ 0.23 करोड़ थी । इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित की गई राशि ₹ 0.14 करोड़ की आईटीसी के लाभ का मिसमैच हुआ जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार में है, जबकि, फ्रंट-एंड जीएसटी पोर्टल के साथ-साथ विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन में करदाता राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदर्शित था ।

(ii) ***ब्याज का कम भुगतानः*** लेखापरीक्षा ने वृत-सिरोही के अधीन मै. अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCB3087C1ZZ) के संबंध में ब्याज का कम भुगतान देखा, जिसमें जुलाई और अगस्त 2017 के महीनों से संबंधित विवरणी (जीएसटीआर 3बी) देरी से अक्टूबर 2017 में दाखिल की गई थी, जिसमे कर देयता (नकद घटक) क्रमशः ₹ 19.09 करोड़ और ₹ 3.63 करोड़ सम्मिलित थी । तथापि, राशि ₹ 0.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि उक्त ब्याज देयता एक अन्य यूनिट से संबंधित है जिसे करदाता द्वारा नवंबर 2018 में अधिग्रहित किया गया था और इसलिए, ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उस यूनिट का होगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिग्रहीत इकाई से संबंधित ब्याज का भुगतान करने का दायित्व अब अधिग्रहण करने वाली इकाई अर्थात मै. अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड में निहित है ।

(ग) करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियां: जिन प्रकरणों में विभाग से जबाब प्राप्त हुए है उनमे से 10.41 प्रतिशत (63 प्रकरण) डेटा प्रविष्टि त्रुटियों से सम्बंधित हैं । इन डेटा

प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व प्रभाव नहीं था । अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियां आरसीएम, आईएसडी, टर्नओवर, कर योग्य टर्नओवर और भुगतान किए गए कर (जीएसटीआर 9सी में दिखाये गये) से संबंधित हैं जैसा कि **परिशिष्ट 2.3(ए) से 2.3(आई)** में बताया गया है। उदाहरणात्मक एक मामला नीचे दिया गया है:

वृत बी अलवर के अधीन करदाता एसएसडी एंटरप्राइजेज (जीएसटीआईएनः 08AHHPM2757N1ZR) के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.30 करोड़ थी और जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 10.67 करोड़ थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की राशि की आईटीसी मिसमैच हुई जिसे विभाग एवं राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023) । जवाब में, सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि मार्च 2018 माह के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल करते समय, टंकण की त्रुटि के कारण दो अंक अतिरिक्त भरे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आईटीसी का अधिक दावा किया गया, तथापि, इस अधिक आईटीसी को माह जुलाई 2018 की जीएसटीआर 3बी दाखिल करने के दौरान रिवर्स कर दिया गया था । इसके अलावा, गलती से प्राप्त की गई आईटीसी का उपयोग उसके रिवर्स किए जाने की दिनांक तक नहीं किया गया था ।

(घ) लेखापरीक्षा आक्षेपों को जारी करने से पहले की गई कार्यवाहीः जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में सारीकृत किया गया है कि विभाग द्वारा 30 मामलों में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी थी, जो कुल प्राप्त उत्तरों का 4.96 प्रतिशत है । विचलनों/विसंगतियों का सक्रिय रूप से निपटारा करने वाले शीर्ष पांच वृत्तों को **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: लेखापरीक्षा के आक्षेपों से पहले की गई कार्यवाही – वृतवार

वृत	लेखापरीक्षा के प्रश्नों से पहले की गई कार्यवाही	कार्यवाही के प्रकार	प्राप्त प्रत्युतर
ए जयपुर-II	3	एक मामले में मिलान न हुई आईटीसी को रिवर्स किया गया और दो मामलों में पंजीकरण रद्द तथा आईटीसी को ब्लॉक किया गया	3
बी, अलवर	2	अधिक आईटीसी लाभ को पहले ही रिवर्स किया गया	2
बी, भीलवाडा	2	अधिक आईटीसी लाभ को पहले ही रिवर्स किया गया	2
बारां	2	अधिक आईटीसी लाभ को पहले ही रिवर्स किया गया	2
वृत-आई, जयपुर I	2	जांच के दौरान पहले ही नोटिस जारी किया गया	2

2.3.8 विस्तृत लेखापरीक्षा (भाग III)

एक स्वतः निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है । विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना करने और इसे बनाये रखने की है । संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है । एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन के एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाती है और एक लक्षित दृष्टिकोण की अनुपालना को लागू करने की सुविधा प्रदान करती है ।

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन-इंडिया डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणी में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अलावा, इस एसएससीए के एक भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 करदाताओं का जोखिम आधारित नमूना चयनित किया गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली में संभावित जोखिम श्रेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं रेड़ फ्लेग की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 9सी के भाग के रूप में दाखिल की गयी जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों और बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों का प्रारम्भ में एक डेस्क रिव्यू किया गया था। डेस्क रिव्यू लेखापरीक्षा कार्यालय परिसर में किया गया था। डेस्क रिव्यू परिणामों के आधार पर, पहचान किए गए जोखिमों के प्रेरक कारणों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेखों जैसे वित्तीय लेजर, इनवॉयस इत्यादि की मांग करके विभाग के वृतों में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

2.3.8.1 कार्यक्षेत्र का परिसीमन

मांगों और अनुसरण के बावजूद, 100 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से 53 प्रकरणों में क्षेत्राधिकार वृत्तों द्वारा वित्तीय विवरण/ट्रॉयल बैलेंस/ऑडिटर्स रिपोर्ट और जीएसटीआर 2ए आदि जैसे मूलभूत अभिलेखों सहित अन्य अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तरह 53 प्रतिशत नमूना की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, जोखिम-आधारित नमूने के 10 प्रतिशत वाले अन्य 10 प्रकरणों में, अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि इनवॉयस और समझौते की प्रतियां जैसे विस्तृत करदाता अभिलेख प्रदान नही किये गये थे। इसके फलस्वरूप, आंशिक रूप से प्रस्तुत इन मामलों में, लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियो में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित रही। इस प्रकार, लेखापरीक्षा दावा की गई आईटीसी की पात्रता और अस्थिर कर देयता की सीमा का मूल्यांकन नहीं कर सकी, जिससे एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र का परिसीमन हुआ।

क्षेत्राधिकार वार अप्रस्तुत अभिलेखों का सारांश **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। अभिलेखों के प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप, डेटा विश्लेषण के माध्यम से देखे गए राशि ₹ 226.40 करोड़ के मिसमैचों/विचलनो की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

क्षेत्राधिकार-वार आंशिक प्रस्तुत अभिलेखों को **परिशिष्ट 2.5** में सारीकृत किया गया है। प्रकरण-वार विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिए गए हैं। संपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप, ₹ 18.45 करोड़ के आईटीसी लाभ और बकाया देयता की विस्तृत जांच लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

सिफारिशः 3. अभिलेखों को समय पर और पूर्ण रूप से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता हेतु सरकार विभाग की इकाइयों को निर्देश दे सकती है।

2.3.8.2 विस्तृत लेखापरीक्षा– लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(I) जीएसटी विवरणियो से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विस्तृत लेखापरीक्षा में नमूने के 100 करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियों की जाँच से पता चला कि करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था और विवरणियों में डेटा त्रुटियों के मामले बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिन्हें नीचे बताया गया है:

(ए) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा में 39 करदाताओं के 123 प्रकरणों में देखा गया, जो कि लेखापरीक्षा किए गए 100 करदाताओं का 39 प्रतिशत था, कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणियों को देरी से दाखिल किया था या गलत तरीके से आईटीसी क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग में लिया, जिसका की वापिस भुगतान किया गया लेकिन ब्याज की राशि ₹ 6.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया, (परिशिष्ट 2.7(ए) और 2.7(बी) [24]) ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि 29 मामलों[25] (₹ 0.36 करोड़ शामिल) के संबंध में नोटिस जारी किए गए जबकि आठ मामलों[26] के संबंध में डीआरसी-01ए (₹ 0.16 करोड़ शामिल) जारी किए है । 22 मामलों[27] में वसूली (₹ 0.02 करोड़) की जा चुकी है । एक मामले[28] में (₹ 0.002 करोड़ शामिल), यह कहा गया कि ब्याज देयता पहले ही जमा की जा चुकी है। इसके अलावा, शेष सात वृत्त अधिकारियों को 63 मामलों (₹ 5.96 करोड़ शामिल) के संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए गए ।

ब्याज का भुगतान न करने के पांच बड़े प्रकरणों की राशि ₹ 5.95 करोड़ है । उदाहरणात्मक कुछ प्रकरण नीचे दिये गए हैं:

i. वृत बी कोटा के अधीन जे.के. सीमेंट लिमिटेडः जीएसटीआईएन 08AABCJ0355R1Z7 ने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 की विवरणियां देरी से नवंबर और दिसंबर 2017 में दाखिल की, जिससे 11 से 96 दिनों के बीच की देरी हुई थी । तथापि, ₹ 202.58 करोड़ के कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 5.48 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया । प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गए थे ।

ii. वृत सी जयपुर II के अधीन वोडाफोन आइडिया लिमिटेडः जीएसटीआईएन 08AAACB2100P1ZX ने जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी विवरणियों को 20 से 69 दिनों की देरी से नवंबर 2017 में दाखिल किया था । तथापि,

24 36 प्रकरणों में विलम्बित कर भुगतान पर राशि ₹ 6.22 करोड़ के ब्याज का भुगतान नही करना (**परिशिष्ट 2.7(ए)**) और तीन प्रकरणों में गलत तरीके से प्राप्त एवं उपयोग की गयी आईटीसी पर ब्याज राशि ₹ 0.28 करोड़ का भुगतान नही करना (परिशिष्ट 2.7(बी)) ।

25 10 वृत्तों से संबंधित ।

26 तीन वृत्तों से संबंधित ।

27 पांच वृत्तों से संबंधित ।

28 वृत्त जैसलमेर ।

₹ 4.91 करोड़ के कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.16 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया था। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि अधिनियम की धारा 73 के तहत डीआरसी 01[29] जारी कर दिया गया था।

(बी) डेटा प्रविष्टि त्रुटियां

छह करदाताओं की विवरणियो में शामिल ₹ 4.72 करोड़ की डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया। विवरण **परिशिष्ट 2.8(ए) से 2.8(सी)** में दिए गए हैं। त्रुटियां मुख्यतः जीएसटीआर 3बी में आईटीसी, आरसीएम के तहत जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 में आईटीसी, कर देयता आदि की घोषणा से संबंधित थी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया हैः

वृत डी कोटा के अंतर्गत भाटिया कॉलोनाइजर्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AADCB0457G1ZX) ने जीएसटीआर 2ए में ₹ 0.49 करोड़ रुपये की आईटीसी की उपलब्धता के समक्ष जीएसटीआर 3बी में ₹ 3.19 करोड़ की आईटीसी के लाभ को घोषित किया था। आईटीसी के उपभोग में मिसमैच पर लेखापरीक्षा आक्षेप जारी किया गया और विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि मार्च 2018 की जीएसटीआर 3बी लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत तरीके से दाखिल की गयी थी, तथापि, आईटीसी के अधिक उपभोग को अप्रैल 2018 की अवधि की जीएसटीआर 3बी दाखिल करते समय उपयोग में लिए बिना रिवर्स कर दिया था।

(II) अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अधिनियम की धारा 16 माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिसका उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है। अधिनियम की धारा 17(5) उन माल और आपूर्तियों[30] की एक सूची प्रदान करती है जिन पर आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जा सकता है सिवाय इसके कि जब जावक कर योग्य आपूर्ति समान श्रेणी की सेवाओं की हो।

लेखापरीक्षा ने सात प्रकरणों में (47 नमूना प्रकरणों में से जहां अभिलेख प्रस्तुत किए थे) गैर-अनुपालना देखी वहां करदाताओं ने ₹ 1.44 करोड़ की अपात्र आईटीसी का लाभ उठाया था। कमियाँ मुख्य रूप से उन माल और सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी प्राप्त करने के कारण थी जिनका उपयोग उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था और अवरुद्ध माल पर क्रेडिट प्राप्ति के कारण था। (परिशिष्ट 2.9)

29 आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 142(1) (ए) के अनुसार कारण बताओ नोटिस के रूप में जीएसटी डीआरसी - 01 जारी किया जाता है।

30 मोटर वाहनों के संबंध में तेरह से अधिक नहीं, व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) के परिवहन, बीमा की सेवाएं, मरम्मत और रखरखाव, मोटर वाहनों की सेवाएं और खाद्य और पेय पदार्थों, बाहरी खानपान, सौंदर्य उपचार, मोटर वाहनों को किराए पर लेना या पट्टे पर देना आदि की माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि सभी प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

अपात्र आईटीसी प्राप्त करने के तीन बड़े प्रकरणों की राशि ₹ 1.33 करोड़ थी। दो उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिये गए हैं:

i. वृत्त शाहजहांपुर के अंतर्गत, एक करदाता यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCU0113A1Z7) के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता ने माल या सेवाओं या दोनों जैसे कि मोटर वाहनों की सर्विसिंग/किराए पर लेना, उनकी मरम्मत और रखरखाव पर व्यय ₹ 0.88 करोड़ की आईटीसी प्राप्त की थी जैसा कि सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) में निर्दिष्ट है और अन्य माल या सेवाएं या दोनों जिनका सीजीएसटी/आरजीएसटी की धारा 16 के अनुसार व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग नहीं किया गया था या उपयोग नहीं करना आशयित था। तथापि, करदाता ने धारा 17(5) के तहत न तो जीएसटीआर 9 के कॉलम 7(ई) में और न ही जीएसटीआर 3बी में किसी रिवर्सल को बताया था। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

ii. वृत ए, भिवाड़ी के अंतर्गत, एक करदाता जिलेट इंडिया लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACI3924J1ZK) के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता ने माल या सेवाओं या दोनों जैसे खाद्य और पेय पदार्थ, व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं पर ₹ 0.36 करोड़ की आईटीसी प्राप्त की थी जैसा कि सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) में निर्दिष्ट है और अन्य माल या सेवाएं या दोनों जिनका सीजीएसटी/आरजीएसटी की धारा 16 के अनुसार व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग नहीं किया गया था या उपयोग नही करना आशयित था। तथापि, करदाता ने धारा 17(5) के तहत न तो जीएसटीआर 9 के कॉलम 7(ई) में और न ही जीएसटीआर 3बी में किसी रिवर्सल को बताया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(III) आगत कर रिवर्सल का अभाव / कम रिवर्स किया जाना

(i) आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) सपठित आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार, जहां माल या सेवाओं अथवा दोनों का उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अंशतः शून्य दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए एवं अंशतः कर मुक्त आपूर्ति को करने के लिए किया जाता है, वहां क्रेडिट की राशि आगत कर के उस भाग तक सीमित रहेगी, जो

शून्य-दर आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के कारण है। आगतों अथवा आगत सेवाओं के संबंध में आगत कर क्रेडिट के निर्धारण व उसके रिवर्सल का तरीका[31] पूर्वोक्त नियम 42 में निर्दिष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा में नौ प्रकरणों में (47 नमूना प्रकरणों में से जहां अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे), अनुपालना का अभाव देखा गया जहां करदाताओं द्वारा नियम 42 को गलत लागू करने के कारण ₹ 3.44 करोड़ के आगत कर को रिवर्स नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.10)।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि दो प्रकरणों[32] (₹ 0.24 करोड़ शामिल) के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे और पांच प्रकरणों (₹ 3.03 करोड़ शामिल) के संबंध में संबंधित पांच वृत्त अधिकारियों को अनुपालन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, एक प्रकरण[33] में ₹ 0.001 करोड़ की वसूली की गई थी जबकि एक प्रकरण[34] (₹ 0.16 करोड़ शामिल) के संबंध में यह कहा गया था कि माल की आपूर्ति पर कोई आगत कर लाभ नहीं लिया गया था तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लिये गये और उपयोग किये गये आगत कर लाभ (₹ 0.008 करोड़) को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ब्याज सहित रिवर्स कर दिया गया था। तथापि, इन दोनों उत्तरों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष तीन अनियमितताओं में ₹ 2.76 करोड़ की राशि की अनियमितता शामिल है। उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्न प्रकार दर्शाए गए हैं:

31 सामान्य क्रेडिट को 'सी' के रूप में दर्शाया गया है और इसकी गणना निम्न प्रकार की गई है-
सी= टी- (टी 1+ टी 2+ टी 3+ टी 4)
जहाँ टी, एक कर अवधि में आगतो एवं आगत सेवाओं पर शामिल कुल आगत कर के रूप में दर्शाया जावेगा, 'टी' में से आगत कर की राशि जो व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से उपयोग किये जाने वाले आगत एवं आगत सेवाओं पर लागू होगी, को 'टी1' के रूप में दर्शाया जायेगा। 'टी' में से आगत कर की राशि, जो विशेष रूप से छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए उपयोग किये जाने वाले आगत और आगत सेवाओं के लिए उपयुक्त है, को 'टी2' के रूप में दर्शाया जायेगा। उन आगत एवं आगत सेवाओं के सम्बन्ध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन क्रेडिट उपलब्ध नहीं है, 'टी' में से आगत कर की राशि को 'टी3' से दर्शाया जायेगा। आगत एवं आगत सेवाओं के लिए आईटीसी की राशि, जिसका उपयोग छूट प्राप्त आपूर्तियों के अलावा अन्य आपूर्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें शून्य दर वाली आपूर्तियाँ शामिल हैं, को 'टी4' के रूप में दर्शाया जावेगा। छूट प्राप्त आपूर्ति पर आईटीसी की राशि को 'डी' के रूप में दर्शाया गया है तथा इसकी गणना इस प्रकार की गई है।
डी = (ई/एफ) X सी
जहाँ, 'ई' कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त आपूर्ति का कुल मूल्य है, तथा 'एफ' कर अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्ति का राज्य में कुल टर्नओवर है।

32 वृत्त ए भिवाडी एवं ए जयपुर-IV।

33 वृत्त डी भीलवाड़ा।

34 वृत्त ए जयपुर-IV।

(अ) लेखापरीक्षा में देखा गया कि वृत्त सी जोधपुर II के अंतर्गत एक करदाता, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCS1848L1Z2) वर्ष 2017-18 के दौरान कर योग्य के साथ ही कर मुक्त माल की आपूर्ति में कार्यरत था। जीएसटीआर 3बी में, करदाता द्वारा ₹ 9.57 करोड़ के कर मुक्त टर्नओवर और ₹ 34.02 करोड़ के कुल टर्नओवर की घोषणा की गई। तथापि, करदाता द्वारा उसके द्वारा की गई माल अथवा सेवाओं की सभी आपूर्तियों पर ₹ 4.39 करोड़ के एक सामान आगत कर का लाभ लिया गया एवं जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4बी (1) में आगत कर के किसी भी रिवर्सल की घोषणा नहीं की गई। इसलिए, करदाता द्वारा पूर्वोवत नियम 42 के तहत निर्धारित तरीके से गणना अनुसार कर मुक्त आपूर्ति पर ₹ 1.24 करोड़ के आगत कर को रिवर्स किये जाने की आवश्यकता है।

(ब) लेखापरीक्षा में देखा गया कि वृत्त डी जोधपुर II के अंतर्गत एक करदाता, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCH2668B1ZU), वर्ष 2017-18 के दौरान कर योग्य के साथ ही कर मुक्त माल की आपूर्ति में कार्यरत था। जीएसटीआर 3बी में, करदाता द्वारा ₹ 6.56 करोड़ के करमुक्त टर्नओवर और ₹ 559.92 करोड़ के कुल टर्नओवर की घोषणा की गई। करदाता द्वारा उसके द्वारा की गई माल अथवा सेवाओं की सभी आपूर्तियों पर ₹ 92.15 करोड़ के एक सामान आगत कर का लाभ लिया गया। तथापि, करदाता द्वारा जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4बी (1) में आईटीसी के किसी भी रिवर्सल की घोषणा नहीं की गई। इसलिए, करदाता द्वारा पूर्वोक्त नियम 42 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से गणना के अनुसार, कर मुक्त आपूर्ति पर ₹ 1.08 करोड़ के आगत कर को रिवर्स किये जाने की आवश्यकता है।

(स) लेखापरीक्षा में देखा गया कि वृत्त ई जोधपुर II के अंतर्गत, एक करदाता, दयावान स्टील यार्ड (जीएसटीआईएनः 08ABFPB6954J1ZH) वर्ष 2017-18 के दौरान कर योग्य के साथ-साथ कर मुक्त माल वाली आपूर्ति में कार्यरत था। जीएसटीआर 3बी में, करदाता द्वारा ₹ 1.25 करोड़ के करमुक्त टर्नओवर और ₹ 17.21 करोड़ के कुल टर्नओवर की घोषणा की गई। करदाता द्वारा उसके द्वारा की गई माल अथवा सेवाओं की सभी आपूर्तियों पर ₹ 6.07 करोड़ के एक सामान आगत कर का लाभ लिया गया था। तथापि, करदाता द्वारा जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4बी (1) में आगत कर के किसी भी रिवर्सल की घोषणा नहीं की गई। इसलिए, करदाता द्वारा पूर्वोक्त नियम 42 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से गणना अनुसार कर मुक्त आपूर्ति पर ₹ 0.44 करोड़ के आगत कर को रिवर्स किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(ii) आगत कर का कम रिवर्स किया जाना

अधिनियम की धारा 17(4) के अनुसार, एक बैंकिंग कंपनी या एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित एक वित्तीय संस्थान, जो निक्षेपों को स्वीकार करने, ऋण या अग्रिम देने के माध्यम से

सेवाओं की आपूर्ति करने में लगी हुई है, के पास उप-धारा 17 (2)[35] के प्रावधानों का पालन करने का या प्रत्येक माह, उस माह में आगतों, पूंजीगत माल और आगत सेवाओं पर पात्र आईटीसी के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का उपभोग करने का विकल्प होगा तथा शेष राशि व्यपगत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, धारा 17(4) के प्रथम परन्तुक के अनुसार एक बार उपयोग मे लिए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर निम्न प्रकार चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि वृत्त सी, जयपुर- II के अंतर्गत, करदाता, मैसर्स श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (वित्तीय कंपनी) (जीएसटीआईएनः 08AAACS7018R1ZT) द्वारा जीएसटीआर 9 की तालिका 6बी व 6सी में आवक आपूर्ति पर आईटीसी का दावा किया गया, जिसकी राशि सीजीएसटी ₹ 43.62 लाख, एसजीएसटी ₹ 43.62 लाख और आईजीएसटी ₹ 50.98 लाख थी। करदाता द्वारा जीएसटीआर 9 की तालिका 7एच में अधिनियम की धारा 17(4) के अंतर्गत आगत कर राशि सीजीएसटी ₹ 21.81 लाख, एसजीएसटी ₹ 21.81 लाख और आईजीएसटी ₹ 3.55 लाख, को रिवर्स कर दिया गया। आईजीएसटी के अंतर्गत ₹ 25.49 लाख (₹ 50.98 लाख का 50 प्रतिशत) के स्थान पर केवल ₹ 3.55 लाख आगत कर रिवर्स किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आईजीएसटी के अंतर्गत ₹ 21.94 लाख की आगत कर राशि का कम रिवर्सल हुआ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

(IV) आगत कर का अधिक लाभ लिए जाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए और धारा 49 में निर्दिष्ट रीति से उसको किये गये ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रभारित आगत कर का लाभ लेने का हकदार होगा, जिसका उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है, तथा उक्त राशि उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में जमा की जाएगी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर निम्न प्रकार चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि वृत्त आई, जयपुर- I के अंतर्गत करदाता, मैसर्स कमल ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AADCK7842G1ZD) द्वारा जीएसटीआर-3B के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत ₹ 10.08 करोड़ की राशि का आगत कर लाभ लिया गया तथा इसे करदाता के ईसीएल में जमा किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 में क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत ₹ 9.86 करोड़ का

35 जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनो का उपयोग अंशतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य-दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए और अंशतः उक्त अधिनियम के अधीन कर मुक्त आपूर्ति को करने के लिए किया जाता है, वहां क्रेडिट की राशि उतने आगत कर तक सीमित रहेगी, जितनी कि शून्य-दर आपूर्तियों सहित उक्त कर योग्य आपूर्तियों के लिए है।

ही आगत कर वास्तव में उपलब्ध था। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत ₹ 0.22 करोड़ की राशि के अतिरिक्त आगत कर का लाभ लिया गया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024) ।

(ii) आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में आगे ले जाये गये वैट की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर निम्न प्रकार चर्चा की गई है।

वृत्त ए, जयपुर- II के अंतर्गत करदाता, मैसर्स श्री अग्रवाल ब्रदर्स जीएसटीआईएनः08ACTPM0139M1Z3) द्वारा प्रस्तुत विवरणी की जांच के दौरान देखा गया कि करदाता द्वारा वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान जीएसटीआर-9 सी के साथ संलग्न व्यापार खाते में ₹13.68 करोड़ की कुल खरीद दर्शायी, जिसमें अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 10.34 करोड़ की खरीद भी शामिल थी जो कि पूर्ववर्ती रिटर्न वैट 10ए में दर्शायी गयी थी। तथापि, अग्रिम जांच में ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9सी में ₹ 3.34 करोड़ (₹ 13.68 करोड़ - ₹ 10.34 करोड़) की खरीद पर आईटीसी का दावा करने के स्थान पर ₹ 4.70 करोड़ की खरीद पर ₹ 1.13 करोड़ की आईटीसी का दावा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ की खरीद पर कुल ₹ 0.38 करोड़ (सीजीएसटी ₹ 0.19 करोड़ तथा एसजीएसटी ₹ 0.19 करोड़) का अतिरिक्त आगत कर का लाभ लिया गया, जो जीएसटी अवधि से संबंधित नहीं था।

ध्यान में लाये जाने पर, क्षेत्राधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2022) कि आईटीसी की पात्रता आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 16 के अनुरूप थी तथा इसका दावा जीएसटीआर 3बी के माध्यम से किया जा रहा था। तथापि, उक्त दावे के समर्थन में जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए आईटीसी लेजर एवं व्यापार खाता उपलब्ध नहीं करवाया गया था ।प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024) ।

(v) सेवा के आयात पर आईजीएसटी के भुगतान का अभाव से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (11) के अनुसार ''सेवाओं का आयात'' का अर्थ है किसी भी सेवा की आपूर्ति, जहां (i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है; (ii) सेवा प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है; और (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में है । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या 10/2017 आईटी (आर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेवा के आयात पर आईजीएसटी देय है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर चर्चा नीचे की गई है।

करदाता, मैसर्स टोकाई इंपीरियल हाइड्रॉलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः08AADCT9702E1ZD) वृत्त-शाहजहाँपुर की लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि 17 नवंबर 2016 को करदाता एवं एक लाइसेंसर (सुमीरिको होसेटेक्स लिमिटेड, क्योटो, जापान का एक निगम) के मध्य पांच वर्ष के लिए एक समझौता किया गया था, जिसमें यह सहमति हुई थी कि करदाता लाइसेंसर को, लाइसेंसर के विशेष ज्ञान के साथ ही उसके द्वारा दी जाने वाली तकनीकी जानकारी के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए उत्पाद की कुल शुद्ध ब्रिकी पर तीन प्रतिशत की दर से गणना करके रॉयल्टी का भुगतान करेगा। जीएसटीआर 9 के विवरणानुसार करदाता की शुद्ध बिक्री ₹ 19.07 करोड़ थी, जिस पर लाइसेंसकर्ता को ₹ 57.20 लाख (₹ 19.07 करोड़ पर तीन प्रतिशत) की रॉयल्टी देय थी, तथापि, आरसीएम के अंतर्गत रॉयल्टी पर देय ₹ 10.30 लाख की आईजीएसटी[36] का भुगतान नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

(VI) आईटीसी रिवर्सल एवं कर देयता के निर्वहन के सत्यापन का अभाव से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए, तथा विवरणियों में पाई गई किसी भी विसंगति अथवा असंगतता पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

यह देखा गया कि दो करदाताओं[37] द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 10 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष (2018-19) के दौरान क्रमशः ₹ 7.37 लाख और ₹ 69.94 लाख की कर देयता का निर्वहन किया गया। इसके अतिरिक्त, एक करदाता[38] द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 12 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 7.74 लाख की आईटीसी को रिवर्स किया गया। तथापि, इन करदाताओं द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी के संबंधित माह को नहीं दर्शाया, जिसमें कि उपरोक्त कर देयता का निर्वहन किया गया था तथा आगत कर को रिवर्स किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर के विलंबित भुगतान/ आईटीसी रिवर्सल पर देय ब्याज का भुगतान भी करदाताओं द्वारा नहीं किया गया था। विभाग को अगले वित्तीय वर्ष में ₹ 85.05 लाख की राशि के कर के भुगतान/ आईटीसी रिवर्सल को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

36 18 प्रतिशत की दर से।

37 जीएसटीआईएनः 08AADFE4760C1ZQ (वृत्त जी जयपुर-IV) एवं जीएसटीएनः 08AAACS7018R1ZT (वृत्त सी जयपुर-II)।

38 जीएसटीआईएनः 08AADFE4760C1ZQ (वृत्त जी जयपुर-IV)।

(VII) अंतिम स्टॉक कम घोषित किये जाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि एक करदाता[39] द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी) का दावा किया गया एवं ट्रॅान-1 में अंतिम स्टॉक घोषित किया गया। पूर्ववर्ती वार्षिक विवरणी वैट 10ए (जो राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी) तथा ट्रॅान-1 (जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया) के प्रति सत्यापन से ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा 30 जून 2017 को ट्रॅान-1 में ₹ 5.84 करोड़ के अंतिम स्टॉक के समक्ष वैट 10ए में ₹ 6.83 करोड़ का अंतिम स्टॉक घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 01 जुलाई 2017 को जीएसटी व्यवस्था में ₹ 0.99 करोड़ की राशि के स्टॉक का कम अग्रेषण किया गया। इस बात का जोखिम है कि ऐसे स्टॉक की बिक्री पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया हो तथा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

ध्यान में लाये जाने पर, क्षेत्राधिकारी ने बताया (जून 2022) कि करदाता द्वारा स्टॉक में रखे इनपुट[40] पर सीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, जहां शुल्क भुगतान किये गए इनवॉयस उपलब्ध थे। आगे यह भी बताया गया कि ट्रॅान-1 में स्टॉक के विवरण की तुलना वैट-10ए अन्तिम स्टॉक में दर्शाए गए कुल स्टॉक के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि धारा 140 के अनुसार ट्रॅान-1 क्रेडिट पात्रता के लिए 12 माह से पूर्वोत्तर जारी किए गए चालान की आवश्यकता नही है तथा वैट-10ए अन्तिम स्टॉक में सभी अन्तिम स्टॉक शामिल हैं। तथापि, उचित अधिकारी द्वारा इस तरह के दावे की पुष्टि करने अथवा क्रेडिट की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कोई भी सहायक दस्तावेज अर्थात व्यापार खाता (जुलाई 2017 से मार्च 2018), अन्तिम स्टॉक से संबंधित इनवॉयस इत्यादि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

2.3.8.3 अन्य प्रकरण जहां लेखापरीक्षा द्वारा अपर्याप्त अभिलेखों के कारण जांच पूरी नहीं की जा सकी

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी अथवा विभाग द्वारा प्रस्तुत करदाताओं के अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं/मिसमैच भी देखे। तथापि, विभाग द्वारा प्रदान किए गए अपर्याप्त अभिलेखों/सूचना के कारण लेखापरीक्षा द्वारा इन प्रकरणों में कर देयता अथवा अपात्र आईटीसी का पता नहीं लगाया जा सका।

(I) संबंधित व्यक्ति से प्राप्त आपूर्ति को शामिल करने का अभाव

अधिनियम की धारा 9(3) व 9 (4) के साथ पठित अधिसूचना क्रमांक 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार किसी कंपनी के निदेशक द्वारा कर योग्य क्षेत्र में स्थित

39 जीएसटीआईएनः 08ACTPM0139M1Z3 वृत्त ए जयपुर-II।

40 मूल्य ₹ 54.78 लाख।

उक्त कंपनी को आपूर्ति की गई सेवाओं के प्रकरण में[41] सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आरसीएम पर जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 7(1) (सी) सपठित अधिनियम की अनुसूची-I में प्रावधान है कि संबंधित व्यक्तियों के बीच सेवाओं की आपूर्ति को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, चाहे वह बिना किसी प्रतिफल के की गई हो। बैंक ऋण के लिए व्यक्तिगत वित्तीय गारंटी जीएसटी के अंतर्गत एक कर योग्य सेवा है। आगे, बैंक ऐसी बैंक गारंटी के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर शुल्क लेता है। इसलिए, इस तरह के कमीशन/फीस के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रभारित की गई दर को खुले बाजार मूल्य निर्धारित[42] करने के लिए माना जाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा चार प्रकरणों में अनुपालना की कमियां देखीं गईं जिनमें करदाताओं द्वारा बैंक ऋणों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय गारंटी पर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया। आरसीएम भुगतान के मिलान विवरण के अभाव में, आक्षेप वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों पर आधारित है (परिशिष्ट 2.11)।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि तीन प्रकरणों में नोटिस[43] जारी कर दिये गये हैं तथा शेष प्रकरण में संबंधित वृत्त अधिकारी[44] को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

उदाहरण स्वरूप एक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वृत्त ए, भिवाड़ी के अंतर्गत अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACA0062F1ZA) के प्रकरण में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इकाई के निदेशकों द्वारा करदाता की बैलेंस शीट के अनुसार 2017-18 के दौरान ₹ 68.86 करोड़ की वित्तीय गारंटी[45] दी गई थी। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा बैंक ऋणों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय गारंटी पर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान नहीं किया, जो अधिनियम के अंतर्गत देय था। इसके अतिरिक्त, आरसीएम भुगतान के मिलान विवरण और पूर्व-जीएसटी अवधि (अप्रैल से जून 2017) से संबंधित ऋण राशि के विस्तृत अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा आरसीएम के अंतर्गत कर योग्य मूल्य और कर देयता का निर्धारण नहीं किया जा सका। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। प्रत्युत्तर

41 आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102) के अनुसार "सेवाओं" से आशय कुछ भी जो माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक मुद्रा या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, मुद्रा या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

42 आरजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 28(बी) के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए 2.3 प्रतिशत।

43 वृत्त ए भिवाड़ी एवं ए जयपुर IV।

44 वृत्त डी जोधपुर II।

45 यह सेवा वित्तीय सेवाओं एवं संबंधित सेवाओं-एस ए सी 9971 के अन्तर्गत वर्गीकृत है जिस पर (अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 15 (vii) दिनांक 28.06.2017 यथा संशोधित) 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय है।

में, राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

सिफारिश 4: विभाग राजस्व की किसी भी हानि से बचने के लिए लेखापरीक्षा को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करा सकता है तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रकरणों की जांच कर सकता है ।

(II) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के भुगतान का अभाव

अधिनियम की धारा 9(3) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की उन श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है, जिन पर कर का भुगतान ऐसी माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9(4) में पंजीकृत व्यक्तियों की एक श्रेणी दी गई है, जो एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की निर्दिष्ट श्रेणियों के माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे। अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त सभी आपूर्तियों को धारा 9(4) के अंतर्गत 13 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018[46] तक रिवर्स चार्ज से छूट प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा में करदाताओं द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत गलत तरीके से कर भुगतान के कारण छह प्रकरणों में अनुपालना की कमियां देखीं, तथापि, आरसीएम भुगतान से संबंधित विवरणों के अभाव में आक्षेप वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों पर आधारित है। (परिशिष्ट 2.12)।

लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि *पांच वृत्तों से संबंधित छह* करदाताओं को अपंजीकृत व्यक्तियों से परिवहन, माल ढुलाई, कानूनी परामर्श और आपूर्ति से संबंधित सेवाओं की आवक आपूर्ति प्राप्त हुई, जिस पर आरसीएम के अंतर्गत ₹ 1.60 करोड़ का जीएसटी देय था। तथापि, विवरणों, जैसे कि आरसीएम भुगतान के मिलान विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि करदाता द्वारा आक्षेपित नही चुकायी गयी कर देयता का भुगतान किया गया था अथवा नहीं।

(III) अग्रिमों पर जीएसटी का भुगतान

अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानानुसार सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्न तिथियों में से जो सबसे पहले हो, होगा, अर्थात् (ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉयस जारी करने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो अथवा भुगतान प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो; अथवा (बी) सेवा उपलब्ध कराने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया हो अथवा भुगतान की प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो; अथवा (सी) उस प्रकरण में, जहां खंड (क) अथवा खंड (ख) के प्रावधान

46 अधिसूचना संख्या 38/2017-सीटी (आर) दिनांक 13.10.2017।

लागू नहीं होते हैं, वह दिनांक, जिसको प्राप्तकर्ता अपने लेखा पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर चर्चा नीचे की गई है:

लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि सर्किल-सी भिवाड़ी के अंतर्गत करदाता, मैसर्स सलारिया बिल्डर्स (सेवा प्रदाता) (08AAPPS0297N1ZS) द्वारा बैलेंस शीट में ₹ 13.04 करोड़ के चालू दायित्वों को "ग्राहकों से अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया था। करदाता के पास एक ही पैन पर कई पंजीकरण थे। करदाता द्वारा अपने जीएसटीआर 1 में ₹ 3.04 करोड़ के अग्रिमों को दर्शाया था। बैलेंस शीट में दर्शायी अग्रिम राशि के इकाइयों के मध्य विभाजन के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित इकाई से संबंधित अग्रिम और उस पर कर देयता का निर्धारण नहीं किया जा सका।प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

IV: **आग से नष्ट हुए माल पर आगत कर कम रिवर्स किया जाना**।

अधिनियम की धारा 17(5) (एच) के अनुसार माल खोने, चोरी होने, नष्ट होने, उपहार या मुफ्त नमूनों के माध्यम से अपलिखित या निपटाये जाने जैसे विशिष्ट प्रकरणों के संबंध में आगत कर लाभ देय नहीं होगा। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर चर्चा नीचे की गई है।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, यह देखा गया कि वृत्त- शाहजहांपुर के अंतर्गत करदाता, मैसर्स यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCU0113A1Z7) की वर्ष 2017-18 के लिए बैलेंस शीट के अनुसार आग से ₹ 642.13 करोड़ की हानि हुई थी। इसलिए, आग से नष्ट हुए आगत, पूंजीगत सामान, प्रक्रियाधीन सामान, तैयार माल आदि पर आईटीसी को अक्टूबर 2017, जिसमें ऐसा नुकसान हुआ था, के माह के लिए नियमित विवरणी दाखिल करते समय उस सीमा तक रिवर्स करना आवश्यक था।

उपलब्ध अभिलेखों की अग्रिम जांच से ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा जीएसटीआर-9 में ऐसे केवल ₹ 139.75 करोड़ मूल्य के माल पर ₹ 16.18 करोड़ का आईटीसी ही रिवर्स किया गया था। ₹ 502.38 करोड़ मूल्य के शेष माल में शामिल आईटीसी के रिवर्स किये जाने के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे शेष माल पर आईटीसी के रिवर्सल की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

V: **कर देयता में मिसमैच**

लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए गए 100 प्रकरणों में से ₹ 9.75 करोड़ की कर देयता में विचलन/मिसमैच से सम्बंधित 49 प्रकरण देखे गए । ये कमियां मुख्य रूप से जीएसटीआर -1 एवं जीएसटीआर 9/3बी में भुगतान किए गए कर के बीच मिसमैच होने के कारण हुई थीं । इन आक्षेपों में कर देयता ₹ 0.01 लाख से ₹ 198.97 लाख तक है । इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 एवं 9 में घोषित संशोधनों तथा अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया । (परिशिष्ट 2.13)

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि 21 प्रकरणों[47] (₹ 4.55 करोड़ शामिल) के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे, एक प्रकरण[48] (₹ 0.21 करोड़ शामिल) में जांच की जा रही थी, एक प्रकरण[49] (₹ 0.18 करोड़ शामिल) में डीआरसी-01ए जारी किया गया था, 14 प्रकरणों (₹ 3.42 करोड़) के संबंध में संबंधित 11 वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे । एक प्रकरण[50] में (₹ 0.10 करोड़ शामिल), लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने से पहले/बाद में कर देयता का भुगतान/निस्तारण कर दिया गया था ।

आगे यह भी बताया गया कि दो प्रकरणों[51] में (₹ 1.09 करोड़ शामिल) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही कर देयता को रिवर्स/भुगतान कर दिया गया था तथा सात प्रकरणों[52] (₹ 0.04 करोड़ शामिल) में लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर वसूली कर ली गई थी जबकि एक प्रकरण [53] (₹ 0.06 करोड़ शामिल) में अंतर तकनीकी त्रुटि के कारण था । एक प्रकरण में [54] (₹ 0.10 करोड़ शामिल), यह कहा गया था कि आरसीएम के अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा कर देयता का निस्तारण कर दिया गया था । तथापि, इन 11 प्रकरणों के समर्थन में सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष तीन अनियमितताओं में ₹ 3.79 करोड़ की राशि का विचलन शामिल था। उदाहरण स्वरुप कुछ प्रकरण निम्न प्रकार वर्णित किए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा के दौरान, देखा गया कि वृत्त ई, झालावाड़, कोटा के अंतर्गत करदाता मैसर्स प्लेटिनम टेक्सटाइल्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCN1537H1ZM) के प्रकरण में, जीएसटीआर 1 के अनुसार देय कर ₹ 10.12 करोड़ था तथा जीएसटीआर 9 के अनुसार ₹ 10.36 करोड़ (₹ 0.07 करोड़ की आरसीएम देनदारी सहित) कर देय था । जीएसटीआर 9 के अनुसार अधिक कर ₹ 10.36 करोड़ का मिलान, भुगतान किए गए ₹ 8.38 करोड़ के कर

47 17 वृत्तों से संबंधित ।
48 वृत्त ए जयपुर II ।
49 वृत्त बी भिवाड़ी ।
50 वृत्त ए राजसमंद ।
51 वृत्त निंबाहेड़ा, एवं बी अजमेर ।
52 वृत्त सी एवं डी भीलवाड़ा, ए व बी उदयपुर, बी जयपुर IV, किशनगढ़ एवं ई उदयपुर ।
53 वृत्त एच जयपुर II ।
54 वृत्त निम्बाहेड़ा ।

से किया गया। इस प्रकार, ₹ 1.98 करोड़ की कर देयता का मिसमैच रहा जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (जनवरी 2023)। उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था; तथापि विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नोटिस किस धारा के अंतर्गत जारी किया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ii) वृत्त सी, जयपुर III के अंतर्गत, एक करदाता, मैसर्स नवदुर्गा इलेक्ट्रो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AACCN4450C1ZT) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 1/जीएसटीआर 9 के अनुसार देय कर ₹ 4.26 करोड़ था। जीएसटीआर 9 के अनुसार कर देयता ₹ 4.26 करोड़ की तुलना भुगतान किए गए कर ₹ 3.17 करोड़ से की गई थी। इस प्रकार, ₹ 1.09 करोड़ की कर देयता का मिसमैच रहा, जिसके संबंध में विभाग एवं राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(iii) वृत्त डी, जोधपुर II के अंतर्गत करदाता मैसर्स रघुराज सिंह तेजवीर सिंह (जीएसटीआईएनः 08ABPPS7358P1ZE) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीआर 1 के अनुसार देय कर ₹ 5.34 करोड़ था (आरसीएम के अंतर्गत कर देयता ₹ 0.41 करोड़ सहित) तथा जीएसटीआर के अनुसार ₹ 4.62 करोड़ (आरसीएम के अंतर्गत कर देयता ₹ 0.41 करोड़ सहित) कर देय था। कर देयता के अधिक वाले हिस्से ₹ 5.34 करोड़ की तुलना जीएसटीआर 9 के अनुसार ₹ 4.62 करोड़ के भुगतान किए गए कर से की गई, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के मध्य ₹ 0.72 करोड़ की कर देयता का मिसमैच रहा, जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(VI) इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा क्रय किये गये माल एवं/अथवा सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने हेतु किया जाता है। करों के सोपानन/कास्केडिंग प्रभाव को रोकने के लिए, आगत आपूर्तियों पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्तियों पर करों के भुगतान को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

(अ) आईटीसी उपभोग में मिसमैच

उपलब्ध विवरणियों की जांच से ज्ञात हुआ कि 100 करदाताओं के लेखापरीक्षा नमूने में से 82 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में मासिक/वार्षिक विवरणी में अधिक आईटीसी का उपभोग किया गया । इन आक्षेपों में प्राप्त आईटीसी में मिसमैच राशि ₹ 0.02 लाख से ₹ 11,635.15 लाख तक है, जो 82 प्रकरणों में कुल ₹ 259.02 करोड़ है । तालिका 4ए (5) में मिसमैच आईटीसी उपभोग का निर्धारण जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी (2) में रिवर्सल को छोड़कर किया गया था, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटीसी को शामिल किया गया था । (परिशिष्ट 2.14)

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि 35 प्रकरणों (₹ 55.81 करोड़ शामिल)[55] के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे तथा 30 प्रकरणों (₹ 184.98 करोड़ शामिल) के संबंध में संबंधित 15 वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे । चार प्रकरणों[56] में (₹ 10.44 करोड़ शामिल) डीआरसी-01/डीआरसी-07 जारी किए गए थे । एक प्रकरण[57] में (₹ 0.44 करोड़), करदाता द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही अधिक आईटीसी को रिवर्स/जमा कर दिया गया था । दो प्रकरणों[58] में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ₹ 0.24 करोड़ की वसूली की गई थी ।

पांच प्रकरणों[59](₹ 5.30 करोड़) में, करदाताओं द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही अधिक आईटीसी को रिवर्स/जमा कर दिया गया था तथा चार प्रकरणों में (₹ 1.69 करोड़ शामिल)[60] अंतर तकनीकी त्रुटि के कारण था । एक प्रकरण[61] में (₹ 0.12 करोड़ शामिल), ₹ 0.06 करोड़ पूर्व में ही रिवर्स कर दिये गए थे तथा ₹ 0.02 करोड़ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर रिवर्स किए गए थे । तथापि, इन 10 प्रकरणों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पांच अनियमितताओं में ₹ 173.66 करोड़ की राशि का विचलन शामिल है। उदाहरण स्वरुप कुछ प्रकरण निम्न प्रकार वर्णित किए गए हैं:

i. वृत्त सी-जयपुर III के अंतर्गत, लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीएसटीआईएनः AAACL0140P7ZD) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में उपलब्ध आईटीसी, जिसमें जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी में बाद के वर्ष 2018-19 में ली गई आईटीसी (₹ 376.15 करोड़) शामिल है, जीएसटीआर 2ए

55 19 वृत्तों से संबंधित ।
56 वृत्त डी भीलवाड़ा, सी जयपुर II, ई उदयपुर और बी श्री गंगानगर ।
57 वृत्त जैसलमेर ।
58 वृत्त सी भीलवाड़ा और डी जयपुर II ।
59 वृत्त ए जयपुर II, ए उदयपुर, निम्बाहेड़ा, ई जोधपुर I और ए राजसमंद ।
60 वृत्त किशनगढ़, ए जयपुर II, बी अजमेर और ई जयपुर ।
61 वृत्त ए राजसमंद ।

(₹259.80 करोड़) के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक थी । इस प्रकार, आईटीसी ₹ 116.35 करोड़ का मिसमैच रहा । प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । उत्तर में राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को जांच कर अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था । इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

ii. वृत्त बी, कोटा के अंतर्गत जेके सीमेंट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCJ0355R1Z7) के प्रकरण में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में उपलब्ध आईटीसी, जिसमें जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी में बाद के वर्ष 2018-19 में ली गयी आईटीसी (₹ 151.94 करोड़) शामिल है, जीएसटीआर 2ए (₹121.64 करोड़) के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक थी । इसलिए, आईटीसी ₹ 30.30 करोड़ का मिसमैच रहा । प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था । इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

iii. वृत्त सी जयपुर II के अंतर्गत, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 8AAACB2100P1ZX) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि तालिका 4ए(5) में आईटीसी का लिया गया लाभ, जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी(2) में आईटीसी रिवर्सल को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटीसी लाभ (₹ 129.82 करोड़) को शामिल करने पर, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (₹ 119.89 करोड़) से अधिक था । इसलिए, ₹ 9.93 करोड़ के आईटीसी का मिसमैच रहा । प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत डीआरसी-01ए जारी किया गया था । इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

iv. वृत्त ए, जयपुर IV के अंतर्गत मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAFCM4722P1Z1) के प्रकरण में , लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में आईटीसी का लाभ, तालिका 4बी(2) में आईटीसी रिवर्सल को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 की जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटीसी लाभ (₹ 25.82 करोड़) को शामिल करने पर, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (₹ 16.93 करोड़) से अधिक था । इसलिए, आईटीसी ₹ 8.89 करोड़ का मिसमैच रहा । प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है । इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

v. वृत्त ई, कोटा के अंतर्गत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACT4119L1Z8) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में उपलब्ध आईटीसी, जिसमें बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी (₹ 46.46

करोड़) से प्राप्त आईटीसी शामिल है, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आइटीसी (₹ 38.27 करोड़) से अधिक था। इस प्रकार आईटीसी ₹ 8.19 करोड़ का मिसमैच रहा। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ब) दावा की गयी आईटीसी तथा रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के अंतर्गत भुगतान किए गए कर में मिसमैच

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम), सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) अथवा धारा 9(4) तथा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) अथवा उप-धारा (4) के अंतर्गत कुछ श्रेणियों की माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता या प्रदाता के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्त्ता पर होता है।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि सात करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ, जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर से अधिक लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.20 करोड़ की राशि के आईटीसी लाभ का मिसमैच रहा (**परिशिष्ट 2.15**)।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2022)। राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि पांच प्रकरणों[62] (₹ 0.18 करोड़ की राशि) के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और एक प्रकरण[63] के संबंध में संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे। शेष प्रकरण[64](₹ 0.02 करोड़ शामिल) में, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही अधिक राशि रिवर्स/वसूल कर दी गई थी।

सिफारिश: 5 : इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालना के विचलनों के अवधि-पार होने के पूर्व ही विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है।

2.3.9 केंद्रीय माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी में जीएसटी के विभिन्न घटक यथा सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी आदि शामिल हैं। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा आक्षेप संघ एवं राज्यों, दोनों के राजस्व को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में दिये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों का, केंद्र सरकार के सीजीएसटी राजस्व पर लेखापरीक्षा परिणामों का मौद्रिक प्रभाव **परिशिष्ट 2.16** में दिया गया है।

62 वृत्त ए जयपुर IV, I जयपुर III, ए भिवाड़ी, शाहजहांपुर एवं झालावाड़।
63 राशि ₹ 1,800 शामिल।
64 वृत्त ई जोधपुर।

2.3.10 निष्कर्ष

जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष के दौरान विभाग के अनुपालन सत्यापन कार्यों और पंजीकृत करदाताओं द्वारा अनुपालन की सीमा का आंकलन करने के लिए जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाईलिंग पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) शुरू की गयी।

यह एसएससीए मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें 2017-18 के लिए प्रस्तुत जीएसटी विवरणियों में जोखिम वाले क्षेत्रों, रेड फ्लेग्स एवं कुछ प्रकरणों में नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया गया था। एसएससीए में दो स्तरों पर राज्य कर क्षेत्राधिकार कार्यालयों (वृत्तों) के निरीक्षण कार्यों का आंकलन किया गया – जिसमें वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर तथा कार्यात्मक स्तर पर वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों, दोनों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा जिसमें विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों को प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा नमूने में, डेटा विश्लेषण के माध्यम से चुने गए 13 मापदंडों में 21 वृत्त, 628 उच्च मूल्य विचलन/विसंगतियां एवं जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु जोखिम मूल्यांकन के आधार पर 100 करदाताओं का चयन शामिल था।

21 वृत्तों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा जनवरी 2022 में विवरणियों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के बाद हाल ही में वर्ष 2017-18 की विवरणियों की जांच शुरू की गई है। इससे पूर्व, जांच प्रक्रिया को मानकीकृत नहीं किया गया था तथा फरवरी 2020 में जारी निर्देशों के आधार पर बहुत सीमित तरीके से जांच की जा रही थी। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा बिजनेस ऑडिट में विलम्ब एवं जीएसटी विवरणी प्रस्तुत न करने वालों व विलम्ब से प्रस्तुत करने वालों पर कार्रवाई का अभाव वेखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गए 605 उच्च मूल्य डेटा मिसमैच/विसंगतियों के लेखापरीक्षा नमूने में से 323 प्रकरण, जो 53.39 प्रतिशत थे, में ₹ 272.59 करोड़ के राजस्व प्रभाव के साथ स्पष्ट अनुपालना की कमियां पाईं गईं। जोखिम मापदंडों जैसे कि अधिक आईटीसी का लाभ लिया जाना, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा व आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ आदि में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई। जबकि डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 10.41 प्रतिशत प्रकरणों में मिसमैच/विसंगतता रही, 4.96 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग द्वारा पूर्व में ही अग्र सक्रिय कार्रवाई कर ली गई थी। 104 प्रकरणों, जो 17.19 प्रतिशत थे, में (₹364.64 करोड़ के अंतर्निहित विचलन) संबंधित वृत्त अधिकारियों को विभाग द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मिसमैचों की जांच करने एवं अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालनाऐं थी। प्रारंभ में, 100 करदाताओं के नमूने में से 53 प्रकरणों में वित्तीय विवरण, तुलन पत्र एवं 2ए आदि जैसे आवश्यक आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा अन्य 10 प्रकरणों में करदाता के संबंधित अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सीमित रहा। लेखापरीक्षा के दौरान इन प्रकरणों में आईटीसी लाभ एवं कर भुगतान में ₹ 244.85 करोड़ के मिसमैच/विसंगतियों की

जांच नहीं की जा सकी । 47 प्रकरणों में से, जिनकी या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से लेखापरीक्षा की गई थी, लेखापरीक्षा में ₹ 284 करोड़ के राजस्व प्रभाव के साथ 302 अनुपालना संबंधी कमियां देखीं गई । मुख्य कारणों में अपात्र एवं अनियमित आईटीसी का लाभ लिया जाना, कर देयता का निर्वहन न करना, ब्याज का भुगतान न करना आदि थे ।

अनुपालना संबंधी कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को इन प्रकरणों के अवधिपार होने से पूर्व ही सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने चाहिए । एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणी प्रस्तुतीकरण, करदाता अनुपालना, कर भुगतान, पंजीकरण रद्द करने एवं बकायादारों से बकाया राशि की वसूली पर प्रभावी निरीक्षण स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

अध्याय-III

भू–राजस्व

अध्याय–III: भू-राजस्व

प्रस्तावना

भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्य रूप से संपरिवर्तन शुल्क, भूमि का किराया और सरकारी भूमि की बिक्री से प्राप्तियां शामिल हैं।

राजस्व विभाग भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है। राजस्व अधिकारियों पर पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ-साथ राजस्व संबंधी न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व बोर्ड के पास है। राजस्थान बोर्ड को जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों, उप-मंडल स्तर पर उप-मंडल अधिकारियों और तहसील स्तर पर तहसीलदारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भूमि का मूल्य (बाजार दर) समय-समय पर जिला स्तरीय समितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का कुल राजस्व ₹ 93,562.93 करोड़ (2020-21: ₹ 73,936.46 करोड़) था, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की भू-राजस्व प्राप्तियां ₹ 631.48 करोड़ (2020-21: ₹ 279.32 करोड़) थी। राज्य के कुल राजस्व में भू-राजस्व प्राप्तियों का योगदान 0.67 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजस्व निर्धारण और इसके संग्रहण की शुद्धता एवं अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के 33 जिलों में से आठ जिलों की नमूना जांच की, जो नीचे तालिका 3.1 में दी गई है। इसमें जिला कलेक्टर, उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदार आदि जैसी 74 राजस्व निर्धारण इकाइयाँ शामिल थीं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला एवं लेखापरीक्षा अवधि	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षित इकाई में एकत्रित कुल राजस्व	लेखापरीक्षा आपत्ति में शामिल राशि (प्रतिशत में)
1	भरतपुर (04/2017 से 03/2021)	7.01	0.13 (1.85)
2	डूंगरपुर (04/2017 से 03/2021)	9.86	0.05 (0.51)
3	करौली (04/2017 से 03/2021)	6.98	0.29 (4.15)
4	पाली (04/2016 से 03/2021)	67.19	0.32 (0.48)
5	प्रतापगढ़ (04/2016 से 03/2021)	10.80	0.40 (3.70)
6	सिरोही (04/2017 से 03/2021)	7.56	1.27 (16.80)
7	श्रीगंगानगर (04/2016 से 03/2021)	13.90	2.78 (20)
8	सवाई माधोपुर (04/2016 से 03/2021)	12.82	0.55 (4.29)
योग		**136.12**	**5.79 (4.25)**

आठ जिलों की नमूना जांच मे भूमि के आवंटन, संपरिवर्तन/नियमितीकरण और पट्टे आदि के 37,032 मामले पाए गए, जिनमें से 16,560 मामले (लगभग 45 प्रतिशत) लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गये। इन चयनित मामलों में, लेखापरीक्षा के दौरान 1,501 मामलों में विसंगतियां पाई गई। इनमें भूमि उपयोग परिवर्तित करते समय संपरिवर्तन शुल्क की आंशिक/कम वसूली या गैर-वसूली, अनुचित दरों को अपनाने के कारण भू-आवंटन के लिए भूमि मूल्य की गलत गणना शामिल है।

श्रीगंगानगर में पायी गयी विसंगतियाँ कुल विसंगतियों का 20 प्रतिशत थीं, इसके बाद सिरोही (17 प्रतिशत) में विसंगतियां दर्ज की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिकांश विसंगतियाँ भूमि उपयोग के संपरिवर्तन के मामलों में हुईं। तालिका 3.1 में, लेखापरीक्षा आपत्तियों में शामिल ₹ 5.79 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 3.94 करोड़ संपरिवर्तन संबंधी मामलों से संबंधित थे, जिसमें से संबंधित विभागों ने ₹ 1.40 करोड़ की वसूली कर ली थी।

3.1 भूमि उपयोग का संपरिवर्तन

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के अनुसार राज्य सरकार की लिखित अनुमति और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान करने के बाद कृषि भूमि का गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) नियम, 2007 के नियम 7 के अनुसार, कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों (वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक उद्देश्यों आदि) के लिए संपरिवर्तन समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों[1] पर किया जाएगा। इसके अलावा, नियम 13 के तहत, कोई व्यक्ति जिसने बिना अनुमति के कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्य के लिए किया है, वह नियम 7 में निर्धारित संपरिवर्तन शुल्क का चार गुना जमा करके उपयोग के नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। नियम 14 यह प्रावधित करता है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर भूमि का उपयोग ऐसे परिवर्तित उद्देश्य के लिए करने में विफल रहता है, तो कलेक्टर ऐसी भूमि के विस्तार के समय प्रचलित संपरिवर्तन शुल्क की पच्चीस प्रतिशत राशि के भुगतान पर अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

1 **वाणिज्यिक उद्देश्य:** ₹ 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की संबंधित डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि या पंजीकृत बिक्री विलेख में उल्लिखित उस कृषि भूमि की क्रय दर की 10 प्रतिशत राशि, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो।
संस्थागत उद्देश्य: ₹ 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि या पंजीकृत बिक्री विलेख में उल्लिखित उस कृषि भूमि की क्रय दर की 10 प्रतिशत राशि, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो।
औद्योगिक उद्देश्य: ₹ 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डीएलसी दर की 5 प्रतिशत राशि या पंजीकृत बिक्री विलेख में उल्लिखित उस कृषि भूमि की क्रय दर की 5 प्रतिशत राशि, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो।

3.1.1 उचित डीएलसी दर नहीं अपनाने के कारण संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली

कृषि से गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग के संपरिवर्तन के समय लागू उचित डीएलसी दरों को नहीं अपनाने के कारण चार जिला कलेक्टर कार्यालयों-भरतपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में, 24 मामलों में ₹ 52.78 लाख का संपरिवर्तन शुल्क कम वसूल किया गया था ।

3.1.2 संपरिवर्तन शुल्क में अनियमित छूट और संपरिवर्तन के बाद भूमि का अनधिकृत उपयोग

राजस्थान सरकार ने मार्च 2018 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 31 दिसंबर 2018 तक भूमि के नियमितीकरण के आवेदन करने पर संपरिवर्तन शुल्क का डेढ़ गुना राशि जमा करनी होगी । लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जिला कलेक्टर कार्यालय, पाली में दो मामलों में संपरिवर्तन आदेश (जुलाई 2018 और अप्रैल 2019) जारी किए गए थे और संपरिवर्तन शुल्क (₹12.85 लाख) में ऐसी छूट उन आवेदकों को दी गई थी जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने से पहले संपरिवर्तन के लिए आवेदन (जनवरी 2017 और सितंबर 2017) किया था, जबकि यह प्रावधान केवल उन लोगों पर लागू थे जिन्होंने अधिसूचना के बाद आवेदन किया था। इस प्रकार, विभाग ने गलत तरीके से उन मामलों में संपरिवर्तन शुल्क माफ कर दिया, जिसमें उस भूमि का उपयोग अनधिकृत रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था ।

3.1.3 निष्कर्ष

उपर्युक्त विसंगतियों यह दर्शाती है कि भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण की प्रक्रिया में कम्प्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों एवं उसके प्रबंधन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था ।

अध्याय-IV

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय–IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां पंजीयन अधिनियम 1908, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होती हैं । राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दर के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर मुद्रांक कर प्रभार्य है । दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर आरोपणीय है तथा दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय है । 9 मार्च 2011 से मुद्रांक कर पर सरचार्ज भी प्रभार्य है ।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 559 इकाइयाँ[1] (19 प्रशासनिक इकाइयों सहित) हैं । इनमें से लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021-22 के दौरान 21 इकाइयों (एक प्रशासनिक इकाई सहित) का लेखापरीक्षा के लिये चयन किया । इन इकाइयों में 3,39,323 दस्तावेज पंजीबद्ध थे, इनमें से 93,516 दस्तावेज (लगभग 27.56 प्रतिशत) नमूना जांच हेतु चयनित किये गये । संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने 479 दस्तावेजों में कुल ₹ 22.68 करोड़ सम्पतियों के बाजार मूल्य के गलत निर्धारण, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, इत्यादि के मामले देखे ।

ये प्रकरण अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं और केवल उदाहरण मात्र हैं । यद्यपि, समान प्रकृति की त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, ये अनियमिततायें बनी रहीं तथा आगामी लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायीं । देखी गयी अनियमिततायें मुख्यतः नीचे **तालिका 4.1** में दी गई श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 4.1: श्रेणी–वार अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	193	7.29
2	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	144	11.57
3	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) राजस्व से संबंधित	140	3.81
	(ii) व्यय से संबंधित	2	0.01
योग		**479**	**22.68**

वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा 775 प्रकरणों में राशि ₹ 25.46 करोड़ के अवमूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिसमें से राशि ₹ 18.19 करोड़ के 338 प्रकरण वर्ष 2021-22 के

1 559 इकाइयाँ: 540 उप पंजीयक (पंजीयन प्राधिकारी) एवं 19 प्रशासनिक कार्यालय । 540 उप पंजीयक कार्यालयों में से 17 नवीन शुरू किये गये उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था ।

दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान 422 प्रकरणों में राशि ₹ 3.80 करोड़ की वसूली की गयी, इसमें से राशि ₹ 0.10 करोड़ के 6 प्रकरण वर्ष 2021-22 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

2021-22 के दौरान '*अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया*' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का निष्पादन किया गया। विभाग की चयनित इकाइयों में देखे गये ₹13.27 करोड़ (विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित ₹ 6.82 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र की कमियों से सम्बंधित ₹ 1.49 करोड़ तथा अन्य आक्षेपों से सम्बंधित ₹ 4.96 करोड़) के मौद्रिक मूल्य से सम्बंधित अध्याय के आक्षेपों पर चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मुद्दे पूर्व में भी उठाये जा चुके हैं तथा गत वर्षों के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकाशित किये गये हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा कार्यवाही/वसूली आरम्भ की गयी। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग द्वारा मात्र उन्हीं प्रकरणों में कार्यवाही की गयी जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षो में पुनरावृत्ति हुई।

4.3 'अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए प्रक्रिया' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.3.1 प्रस्तावना

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 2 के क्लॉज़ (xxiii) के अनुसार, किसी सम्पति का "*बाजार मूल्य*" जो कि दस्तावेज की विषयवस्तु है, वह मूल्य है जो सम्पति से प्राप्त किया गया हो अथवा दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित हो को खुले बाजार में बेचने पर प्राप्त किया जा सके अथवा दस्तावेज में दर्शाया गया प्रतिफल, जो भी अधिक हो।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7 मार्च 1996 द्वारा जिलों के लिये भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति[2] (डीएलसी) का गठन किया। कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक श्रेणी की भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी द्वारा अनुशंषित दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अन्य श्रेणी की भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार की अनुमति से महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर अथवा राज्य सरकार के द्वारा राजकीय राज-पत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित करके निर्धारित किया जाता है। निर्मित हिस्से के लिए बाजार मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा पृथक से निर्धारित किया जाता है।

2 भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान मुद्रांक नियमों के नियम 2(ब) के तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया। आदेश दिनांक 7 मार्च 1996 के अनुसार जिला स्तरीय समिति में चेयरपर्सन के रूप में जिला कलेक्टर तथा प्रत्येक पंचायत समिति का प्रधान, विधान सभा सदस्य, शहरी सुधार न्यास का सचिव, स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, विकास प्राधिकरणों का सचिव, संबंधित उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) तथा उस क्षेत्र का उप पंजीयक सदस्य के रूप में होंगे।

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां पंजीयन अधिनियम 1908, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दर के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर[3] आरोपणीय है तथा दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय है।

मुद्रांक कर पर 9 मार्च 2011 से 10 प्रतिशत तथा 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज प्रभार्य है। अग्रेतर, इसे 15 मई 2020 को संशोधित करके मुद्रांक कर का 30 प्रतिशत कर दिया गया।

9 अप्रैल 2010 से सम्पति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ पचास हजार तक तथा 9 मार्च 2015 से एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क भी प्रभार्य है। 8 मार्च 2017 से अधिकतम सीमा निर्धारित कर ₹ चार लाख की गयी, 12 फरवरी 2018 से संशोधित करके ₹ तीन लाख निर्धारित की गयी तथा 27 मई 2019 से अधिकतम सीमा हटा दी गयी।

4.3.2 विभागीय सरंचना

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग), वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। मुख्यालय पर अतिरिक्त महानिरीक्षक जो कि पदेन अधीक्षक (मुद्रांक) है तथा प्रशासनिक मामलों में महानिरीक्षक की सहायता करते हैं जबकि वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार महानिरीक्षक की सहायता करते हैं। सम्पूर्ण राज्य को 17 वृत्तों[4] में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख उप महानिरीक्षक सह-पदेन कलक्टर (मुद्रांक) होते हैं। 31 मार्च 2021 को 540 उप पंजीयक कार्यालय थे, इनमें से 113 उप पंजीयक कार्यालय पूर्णकालिक थे जो कि उप पंजीयकों के अधीन थे तथा 427 कार्यालय तहसीलदारों या नायब तहसीलदारों जो कि भू-राजस्व विभाग के अधीन पदेन क्षमता में कार्यरत है, द्वारा संचालित हैं।

4.3.3 लेखापरीक्षा के उददेश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के उददेश्य यह आंकलन करना था कि क्याः

- सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त नियम एवं प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी तथा समान रूप से लागू की गयी थी।
- अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य एवं दरों के निर्धारण के लिए सही प्रक्रिया अपनायी गयी थी।
- सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विभाग की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी।

3 मुद्रांक करः 8 जुलाई 2009 से पांच प्रतिशत की दर से तथा 20 फरवरी 2020 से छः प्रतिशत की दर से।

4 उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) अजमेर-I, अलवर-I, II, बाँसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर-I,II, III, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर तथा उदयपुर।

4.3.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये हैं:

(i) राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998

(ii) राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004

(iii) पंजीयन अधिनियम, 1908

(iv) राजस्थान पंजीयन नियम, 1955

(v) उक्त अधिनियमों तथा नियमों के अन्तर्गत आईजीआरएस/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा परिपत्र।

4.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रणाली एवं कार्य पद्धति के सम्बन्ध में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की कार्य प्रणाली एवं नियन्त्रण की लेखापरीक्षा जून 2021 से फरवरी 2022 के मध्य निष्पादित की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचनाओं के साथ ही चयनित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है।

राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय, उप महानिरीक्षक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों सहित कुल 541 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां हैं। इनमें से 523 उप पंजीयक कार्यालय विभाग के लिये राजस्व संग्रहण करते हैं तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक तथा उप महानिरीक्षक कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों यथा 2018-19 से 2020-21 के दौरान उप पंजीयक कार्यालयों के द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व के आधार पर उप पंजीयक कार्यालयों को उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम इकाईयों में विभक्त किया गया है।

इस लेखापरीक्षा हेतु 17 उच्च जोखिम, 2 मध्यम जोखिम तथा एक कम जोखिम इकाई को शामिल करते हुए कुल 20 उप पंजीयक कार्यालयों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग के नियन्त्रक एवं प्रशासनिक प्रमुख के रूप में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यालय का भी चयन किया गया।

चयनित 20 उप पंजीयक कार्यालयों में ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य के सभी पंजीबद्ध दस्तावेजों तथा ₹ 25 लाख तक मूल्य के 10 प्रतिशत पंजीबद्ध दस्तावेजों का चयन मूल जाँच हेतु किया गया। संशोधन विलेख, विकासकर्ता अनुबंध, रूपान्तरण विलेख, साझेदारी विलेख, विक्रय प्रमाण पत्र, बंटवारा विलेख, समामेलन/पुनर्गठन/अविलिनीकरण विलेख की श्रेणी के सभी पंजीबद्ध दस्तावेजों का चयन भी विस्तृत जाँच हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय समिति के द्वारा अचल सम्पतियों की दरों के निर्धारण के लिये प्रक्रिया तथा विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जाँच भी की गयी।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के साथ-साथ अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ 1 जून 2022 को समापन परिचर्चा आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। विभाग के उत्तर तथा समापन परिचर्चा के दौरान (जून 2022) दिये गये मत को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप में शामिल कर लिया गया है।

4.3.6 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

राज्य सरकार ने इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की प्रारंभिक टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद (जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 के मध्य) निम्नलिखित तीन मामलों में ₹ 73.68 लाख की पूर्ण वसूली कीः

- उप पंजीयक बीकानेर-II तथा भिवाड़ी के दो मामले, जिनमें कंपनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क कुल मिलाकर ₹ 54.20 लाख आरोपित नहीं किया गया था।

- उप पंजीयक कोटा-I के एक मामले में विकासकर्ता अनुबंध के दस्तावेज के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 7.48 लाख का कम आरोपण हुआ।

- उप पंजीयक जयपुर-I के एक मामले में प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण लीज अभिलेख का कम मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12 लाख का कम आरोपण हुआ।

पूर्ण वसूली के कारण इन मामलों को आगामी अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

चयनित इकाईयों में प्रकरणों की जाँच के आधार पर पाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

4.3.7 कम्पनियों के समामेलन के दस्तावेज

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के ऑर्टिकल 21(iii) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत किसी कम्पनी के समामेलन, अविलिनीकरण अथवा पुनर्गठन के आदेश पर मुद्रांक कर देय है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की संपूर्ण अचल संपत्ति के मूल्य के अनुपात में राजस्थान में स्थित अचल संपत्ति का प्रतिशत निकालकर शुद्ध सम्पत्ति के उतने प्रतिशत पर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर निर्धारित किया।

इसके पश्चात, राज्य सरकार ने संबंधित प्रावधानों को अधिकतम ₹ 25 करोड़ के अध्यधीन निम्नलिखित दरों से संशोधित (अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2016 से) कियाः

(i) समामेलन, अविलिनीकरण या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आवंटित या रद्द किये गये शेयरों के बाजार मूल्य में समाविष्ठ कुल राशि या शेयरों के अंकित मूल्य में से जो भी अधिक हो तथा संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर रकम, अथवा

(ii) ट्रांसफरर कम्पनी की राजस्थान राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर रकम,

जो भी अधिक हो।

अधिनियम की धारा 20 में यह प्रावधान है कि यदि कोई दस्तावेज जिस पर राजस्थान के अलावा भारत के किसी भी भाग में भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के तहत अथवा अन्य किसी कानून के तहत जो कि उस समय उस भाग में लागू हो, शुल्क के साथ प्रभार्य हो गया है तथा इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान राज्य में उच्चतर दरों पर शुल्क के साथ प्रभार्य हो गया है तो ऐसे दस्तावेज पर प्रभार्य शुल्क, इस अधिनियम के तहत देय शुल्क में से भारत में पहले से भुगतान किये गये शुल्क की राशि, यदि कोई हो, घटाते हुये प्रभार्य होगी।

4.3.7.1 *कम्पनी के समामेलन दस्तावेज के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण*

उप पंजीयक, नीमराणा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि लेसर[5] तथा लेसी (ट्रांसफरी कंपनी) के मध्य एक पूरक लीज विलेख का निष्पादन (10 अगस्त 2020) हुआ तथा पंजीयन 9 सितम्बर 2020 को हुआ। दस्तावेज के विवरण एवं समामेलन योजना की जाँच में पता चला कि 23 दिसम्बर 2016 को एक कम्पनी (ट्रांसफरर कंपनी) को एक औद्योगिक भूखंड[6] आवंटित किया गया तथा भूखंड के लीज विलेख का पंजीयन 15 नवम्बर 2017 को उप पंजीयक नीमराणा के यहाँ हुआ। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा पारित आदेश (4 अप्रैल 2018) के आधार पर ट्रांसफरर कंपनी जिसका बाजार मूल्य ₹ 23.46 करोड़[7] था ट्रांसफरी कंपनी में समामेलित हुई। विभाग ने इस आदेश को पूरक/संशोधन विलेख के रूप में वर्गीकृत किया तथा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 850[8] मात्र वसूल किये।

यद्यपि, जैसा कि ट्रांसफरर कंपनी की अचल सम्पति ट्रांसफरी कंपनी को पूरक लीज विलेख अनुबंध के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी गयी, इसे समामेलन विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए

5 रीको नीमराणा (अलवर)।

6 रीको औद्योगिक क्षेत्र माजरीकाठ (रीको नीमराणा – द्वितीय फेज) में स्थित भूखंड संख्या एसपी1-33 क्षेत्रफल 52126 वर्ग मीटर।

7 डीएलसी दरों से मूल्य ₹ 23.46 करोड़ (52126 वर्ग मीटर X ₹ 4,500/- प्रति वर्ग मीटर) अथवा प्रतिफल राशि ₹ 50,00,000 (ट्रांसफरर कंपनी के ₹ 100 अंकित मूल्य के 20 इक्विटी शेयर, ट्रांसफरी कंपनी के ₹ 10 अंकित मूल्य के 5 शेयरों से विनिमय किये गये)। इसलिए, प्रतिफल राशि है 50/2000 X 20,00,00,000 (ट्रांसफरर कंपनी की शेयर कैपिटल) = ₹ 50,00,000 डीएलसी मूल्य प्रतिफल राशि से अधिक है। इस तरह, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2016 के अनुसार डीएलसी दरों से मूल्य को ही बाजार मूल्य माना गया है।

8 ₹ 850: मुद्रांक कर ₹ 500, सरचार्ज ₹ 150 तथा पंजीयन शुल्क ₹ 200।

था तथा समामेलन दस्तावेज के निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 23.46 करोड़ पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.45 करोड़[9] आरोपणीय थे । इसलिए, दस्तावेज के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.45 करोड़ का कम आरोपण हुआ ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितंबर 2023) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

4.3.7.2 *विक्रय विलेख के विवरणों पर संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण*

उप पंजीयक, जोधपुर-I के यहाँ एक दस्तावेज विक्रय विलेख[10] के रूप में पंजीबद्ध था (मार्च 2021) । दस्तावेज के विवरण एवं संलग्न समामेलन योजना की जाँच में पता चला कि माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई द्वारा पारित आदेश (अप्रैल 2014) द्वारा एक कंपनी (ट्रांसफरर कंपनी) एक अन्य कम्पनी (ट्रांसफरी कंपनी) में समामेलित हुई । ट्रांसफरर कंपनी की 55 बीघा कृषि भूमि थी जो कि समामेलन के माध्यम से ट्रांसफरी कंपनी को हस्तान्तरित कर दी गयी जिसके बाजार मूल्य ₹ 7.69 करोड़[11] पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 33.83 लाख[12] आरोपणीय था । विभाग द्वारा समामेलन विलेख के पंजीयन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । यद्यपि, उप पंजीयक ने विक्रय विलेख के पंजीयन के समय विक्रय विलेख में बताये गये तथ्यों पर संज्ञान नहीं लिया तथा केवल विक्रय विलेख पर देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वसूल किया । जिसके परिणामस्वरूप समामेलन दस्तावेज पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 33.83 लाख का आरोपण नहीं हुआ ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितंबर 2023) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

4.3.8 विक्रय अनुबंध का पंजीयन

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (i) के अनुसार, अचल सम्पत्ति के विक्रय अनुबंध या अनिस्तारणीय मुख्तयारनामा या अन्य कोई दस्तावेज यथा कन्वेयंस या लीज जैसे कि आवंटन पत्र, पट्टा, लाइसेंस, इत्यादि जिसमे सम्पत्ति के कब्जे का हस्तान्तरण दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व, उस समय या बाद में किया गया हो उसे कन्वेयंस माना जावेगा तथा उस पर तदनुसार ही मुद्रांक कर वसूलनीय है । पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17

9 ₹ 1.45 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 93.83 लाख, सरचार्ज ₹ 28.15 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 23.45 लाख ।

10 पंजीयन संख्या 4178 दिनांक 16 मार्च 2021 ।

11 डीएलसी दरों से मूल्य ₹ 7,68,90,000 (55 बीघा X ₹ 13,98,000/- प्रति बीघा) अथवा प्रतिफल राशि ₹ 4,25,000 (ट्रांसफरर कंपनी के ₹ 10 अंकित मूल्य का एक इक्विटी शेयर ट्रांसफरी कंपनी के ₹ 10 अंकित मूल्य के एक शेयर से विनिमय किये गये) । इसलिए, प्रतिफल राशि है 10/10 X 4,25,000 (ट्रांसफरर कंपनी की शेयर कैपिटल = ₹ 4,25,000) । डीएलसी मूल्य प्रतिफल राशि से अधिक है । इस तरह, डीएलसी दरों से मूल्य यथा ₹ 7.69 करोड़ को ही बाजार मूल्य माना गया है ।

12 ₹ 33.83 लाख: राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के अनुसार मुद्रांक कर ₹ 30.76 लाख तथा सरचार्ज ₹ 3.07 लाख वसूलनीय था ।

के अनुसार अन्य निर्वसीयती लिखत जिनसे यह तात्पर्यित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में एक सौ रूपये या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित, चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती हो, अनिवार्य रूप से पंजीयन आवश्यक है ।

4.3.8.1 विक्रय विलेख के विवरणों से मध्यस्थ अमुद्रांकित दस्तावेज का पता न लगाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण

उप पंजीयक, उदयपुर-I के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि एक आवासीय भू-खण्ड[13] के विक्रय के लिये एक विक्रय विलेख दस्तावेज का निष्पादन हुआ (23 अप्रैल 2019) तथा इसे 24 मई 2019 को पंजीबद्ध करवाया गया। विक्रय विलेख के विवरण की जाँच में पता चला कि विक्रय विलेख के विक्रेता तथा मूल भू-स्वामी के मध्य 29 मार्च 2013 को एक विक्रय अनुबंध का निष्पादन हुआ। भूमि का कब्ज़ा भी अनुबंध के निष्पादन के समय ही सोंप दिया गया था। इस विक्रय अनुबंध के आधार पर शहरी सुधार न्यास, उदयपुर ने विक्रेता के नाम पर एक लीज विलेख (पट्टा) जारी किया (10 सितम्बर 2013) तथा इसे 10 सितम्बर 2013 को पंजीबद्ध करवाया गया। इसलिए, विक्रय अनुबंध दस्तावेज को कन्वेयंस माना जाना चाहिए था एवं अनिवार्य[14] रूप से पंजीबद्ध करवाया जा कर सम्पति के बाजार मूल्य ₹ 2.75 करोड़[15] पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 15.60 लाख[16] आरोपणीय[17] था।

विक्रय अनुबंध दस्तावेज के पंजीयन का तथ्य ना तो विक्रय विलेख दस्तावेज में बताया गया था ना ही विक्रय अनुबंध दस्तावेज की प्रति विक्रय विलेख दस्तावेज के साथ संलग्न थी। इसके अलावा, उप पंजीयक दस्तावेज के पंजीयन न होने के तथ्य का पता लगाने में विफल रहे तथा उसने विक्रय विलेख दस्तावेज पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क मात्र वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 15.60 लाख का अनारोपण हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.3.8.2 विकासकर्ता अनुबंध के विवरणों से मध्यस्थ अमुद्रांकित दस्तावेज का पता न लगाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण

13 उदयपुर जिले के ग्राम बेडवास (अब रकमपुरा) की कपिल विहार के पास स्थित कॉर्नर भू-खण्ड संख्या 1 जिसका क्षेत्रफल 59700 वर्ग फीट है।

14 पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार।

15 ₹ 2.75 करोड़: (59700 वर्ग फीट X ₹ 418 प्रति वर्ग फीट प्लस 10 प्रतिशत कॉर्नर के लिए) = ₹ 2,74,50,060)। इसलिए, ₹ 2.75 करोड़ को बाजार मूल्य माना गया है।

16 ₹ 15.60 लाख: मुद्रांक कर ₹ 13.73 लाख, सरचार्ज ₹ 1.37 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.50 लाख।

17 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21 के नीचे दिये गये स्पष्टिकरण (i) के अनुसार।

उप पंजीयक, कोटा-I के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2021) के दौरान यह पाया गया कि एक आवासीय परियोजना[18] के विकास के लिये भू-स्वामी तथा विकासकर्ता के मध्य एक विकासकर्ता अनुबंध का निष्पादन हुआ (दिसम्बर 2020)। विकासकर्ता अनुबंध के विवरण की जाँच में पता चला कि विकासकर्ता अनुबंध के निष्पादन से पूर्व भूस्वामी एवं विकासकर्ता के मध्य भूमि के तीन खंडो के लिए तीन विक्रय अनुबंधों का निष्पादन (फरवरी से जून 2020 के मध्य) प्रतिफल राशि ₹ 10.89 करोड़[19] पर किया गया तथा प्रत्येक ₹ 500 मुद्रांक कर से नोटेराईजड़ थे। चूंकि भूमि का कब्ज़ा विकासकर्ता को सौंप दिया गया था, अतः दस्तावेज को आवश्यक रूप से कन्वेयंस माना जाना चाहिए था एवं सम्पति की प्रतिफल राशि ₹ 10.89 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 87.92 लाख[20] आरोपणीय था।

यद्यपि, सम्बंधित उप पंजीयक, विकासकर्ता अनुबंध के विवरण में मौजूद तथ्यों का पता लगाने में विफल रहा एवं मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.67 लाख[21] आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 86.25 लाख[22] का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि इस मामले में कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.3.9 लीज विलेखों का मूल्यांकन

अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के अनुसार, राज्य सरकार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों[23], शहरी विकास न्यास (यूआईटी), नगर निगम, नगर पालिका परिषद, कृषि उपज मंडी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इत्यादि के द्वारा आवंटित अथवा विक्रय की गयी भूमि के लिए उनके द्वारा निष्पादित लीज विलेख अथवा विक्रय विलेख पर मुद्रांक कर, प्रीमियम की राशि तथा प्रतिफल के रूप में अदा किये गये अन्य शुल्कों मय ब्याज या जुर्माना, यदि दस्तावेज पर लगाया गया हो तथा दो वर्ष का औसत किराया कन्वेयंस की दर से वसूलनीय है। अग्रेतर, उक्त अधिसूचना को अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2021 के द्वारा अधिक्रमित किया गया लेकिन लीज विलेख अथवा विक्रय विलेख पर देय मुद्रांक कर से संबंधित प्रावधान समान ही रखे गये। इसके अलावा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 2 (xi) के अनुसार, कन्वेयंस में बिक्री, दस्तावेज, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश इत्यादि पर कन्वेयंस शामिल है, जिसके द्वारा सम्पति चाहे चल अथवा अचल हो या कोई सम्पति या किसी सम्पति में हित किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है या उसमें निहित किया जाता है,

18 ग्राम हनुवत खेड़ा में स्थित आवासीय संपरिवर्तित 11.25 बीघा अथवा 196020 वर्ग फीट भूमि।

19 ₹ 10.89 करोड़ (₹ 3,56,25,000 + ₹ 32,50,000 + ₹ 7,00,00,000) = ₹ 10,88,75,000 अथवा ₹ 10.89 करोड़।

20 ₹ 87.92 लाखः मुद्रांक कर ₹ 65.32 लाख, सरचार्ज ₹ 19.60 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.00 लाख।

21 ₹ 1.67 लाखः मुद्रांक कर ₹ 0.72 लाख, सरचार्ज ₹ 0.22 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.73 लाख।

22 ₹ 86.25 लाखः मुद्रांक कर ₹ 64.60 लाख, सरचार्ज ₹ 19.38 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.27 लाख।

23 अजमेर, जयपुर तथा जोधपुर।

और जो अन्यथा अनुसूची द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया हो । कन्वेयंस के प्रकरण में मुद्रांक कर सम्पति के बाजार मूल्य अथवा अंकित मूल्य/प्रतिफल, जो भी अधिक हो पर वसूलनीय है ।

4.3.9.1 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लीज विलेख

उप पंजीयक, जयपुर-I के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपंजीबद्ध कब्ज़ा पत्रों के आधार पर आवासीय भूखण्डों के तीन लीज विलेख जारी किये गये । इन भूखण्डों के लिए विकासकर्ता के द्वारा प्रतिफल प्राप्त किया जा चुका था तथा लीज विलेख जारी किये जाने से पूर्व ही आवंटियों को कब्ज़ा भी सौंप दिया गया था । लीज विलेख के पंजीयन के समय उप पंजीयक नें कब्ज़ा पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर विचार नहीं किया तथा लीज विलेखों के जयपुर विकास प्राधिकरण[24] द्वारा निर्धारित पंजीबद्ध मूल्य पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क मात्र वसूल किया । उप पंजीयक नें दस्तावेज (कब्ज़ा पत्र) पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का आरोपण नहीं किया जो कि अपंजीबद्ध थे तथा हस्तान्तरण विलेख के रूप में माने जानें चाहिए थे जिस पर उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सम्पति के बाजार मूल्य ₹ 2.92 करोड़ पर कन्वेयंस की दर से मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.36 लाख[25] आरोपित किये जानें चाहिए थे । इस प्रकार, लीज विलेख के विवरण में बताये गये तथ्यों पर विचार नहीं करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.36 लाख का अनारोपण हुआ ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा प्रकरण निर्णित किया गया तथा ब्याज एवं शास्ति ₹ 10.71 लाख सहित मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 36.07 लाख की मांग कायम की गयी । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

4.3.9.2 कृषि उपज मंडी समिति द्वारा जारी लीज विलेख

उप पंजीयक, उदयपुर-II एवं कोटा-II के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा व्यावसायिक दुकान/भूखण्ड के लिए 18 विनिमय लीज विलेख[26] जारी किये गये । विनिमय लीज विलेखों के विवरण से पता चला कि व्यावसायिक दुकानों/भूखण्डों का स्वामित्व संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा मूल आवंटियों से अन्य फर्मो को हस्तांतरित कर दिया गया था । ये विनिमय लीज विलेख कन्वेयंस के रूप में वर्गीकृत किये जाने चाहिए थे तथा तदनुसार ही बाजार मूल्य ₹ 19.79 करोड़ पर पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.64 करोड़[27] आरोपणीय थे । यद्यपि, उप पंजीयकों ने निर्धारित मूल्य ₹ 6.40 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.48 करोड़[28] आरोपित किये । इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक

24 अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के अनुसरण में ।

25 ₹ 25.36 लाख: मुद्रांक कर ₹ 17.26 लाख, सरचार्ज ₹ 5.18 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.92 लाख ।

26 उप पंजीयक, उदयपुर-II के यहाँ 2 विनिमय लीज विलेख तथा उप पंजीयक, कोटा-II के यहाँ 16 विनिमय लीज विलेख ।

27 ₹ 1.64 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 1.16 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.26 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.22 करोड़ ।

28 ₹ 0.48 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 0.34 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.07 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.07 करोड़ ।

कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.16 करोड़[29] का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्न **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क के कम आरोपण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	प्रकरणों की संख्या	उप पंजीयक का नाम	मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क की राशि	टिप्पणी
1	2	उदयपुर-II	0.12	दस्तावेजों को हस्तान्तरण विलेख (कन्वेयंस डीड) के स्थान पर सामान्य लीज विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा सम्पति के बाजार मूल्य के स्थान पर प्रतिफल राशि पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क वसूल किये गये।
2	1	कोटा-II	0.04	सम्पति के बाजार मूल्य (जोकि प्रतिफल राशि से अधिक था) के स्थान पर प्रतिफल राशि पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क की वसूली की गयी।
3	15	कोटा-II	1.00	सड़क से नजदीक के स्थान पर सड़क से दूर की जिला स्तरीय समिति की वाणिज्यिक दरें लागू की गयी।
कुल	**18**		**1.16**	

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि उप पंजीयक उदयपुर-II के एक प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा निर्णय दिया गया तथा ब्याज एवं शास्ति ₹ 2.65 लाख सहित मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 5.73 लाख की मांग कायम की गयी। शेष 17 प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ निर्णय हेतु विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.3.9.3 शहरी सुधार न्यास द्वारा जारी लीज विलेख

उप पंजीयक, उदयपुर-II के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि एक खातेदार ने एक आवासीय भूखण्ड[30] के एक-चौथाई हिस्से का स्वामित्व अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपंजीबद्ध मुख्त्यारनामा से हस्तान्तरण करने के लिए सहमति प्रदान की। तत्पश्चात, शहरी सुधार न्यास, उदयपुर नें भूमि के तीन-चौथाई हिस्से के लिए खातेदार के पक्ष में तथा अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपंजीबद्ध मुख्त्यारनामा के आधार पर एक-चौथाई हिस्से का लीज विलेख जारी किया।

चूँकि उपरोक्त लीज विलेख के माध्यम से भूमि के एक-चौथाई हिस्से का स्वामित्व अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित (नवम्बर 2020) किया गया था अतः आवासीय भूखण्ड के एक-चौथाई हिस्से को कन्वेयंस के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था तथा बाजार मूल्य ₹ 1.40 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12.32 लाख[31] वसूलनीय थे। यद्यपि, उप पंजीयक ने मुख्त्यारनामा में उल्लेखित भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के तथ्य को ध्यान में नहीं रखा तथा भू-खण्ड का

29 ₹ 1.16 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 0.82 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.19 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.15 करोड़।

30 उदयपुर के ग्राम रूपनगर में भूखण्ड संख्या एक।

31 ₹ 12.32 लाख: मुद्रांक कर ₹ 8.40 लाख, सरचार्ज ₹ 2.52 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.40 लाख।

एक-चौथाई हिस्सा जोकि लीज विलेख के आधार पर हस्तांतरित किया गया के बाजार मूल्य पर कन्वेयंस की दर से आरोपित किये बिना केवल लीज विलेख पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क वसूल किया । इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12.32 लाख[32] का कम आरोपण हुआ ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

4.3.10 ई-पंजीयन में खसरा संख्याओं को जिला स्तरीय समिति की दरों के साथ सम्बद्ध न करना

लोगों को पारदर्शी ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2014 को *ई-पंजीयन* की शुरुआत की गयी । *ई-पंजीयन* प्रणाली निष्पादकों को उनकी संपत्तियों के स्व-मूल्यांकन के साथ-साथ मुद्रांक कर के मूल्यांकन तथा पंजीकरण के भुगतान विवरण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है । यह प्रणाली 18 अक्टूबर 2017 से सभी कार्यालयों में क्रियाशील है ।

राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा अन्य मुख्य सड़कों पर स्थित कृषि भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति की दरों का निर्धारण उक्त सड़क से दूरी यथा 100 मीटर, 200 मीटर, इत्यादि के आधार पर किया जाता है ।

4.3.10.1 कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति की दरों के साथ खसरा संख्याओं को सम्बद्ध न करना

उप पंजीयक, बीकानेर-II के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2021) कि 2 मई 2019 को तीन विक्रय विलेखों[33] का पंजीयन हुआ । उप पंजीयक ने सम्पति का बाजार मूल्य डीएलसी की कृषि दरों से ₹ 0.57 करोड़ निर्धारित किया एवं मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.01 लाख[34] आरोपित किये । यद्यपि, विक्रय विलेख के विवरण तथा विक्रय विलेख के साथ संलग्न उप पंजीयक की मौका निरीक्षण रिपोर्ट (15 मई 2019) से पता चला कि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित थी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कृषि भूमि के लिए डीएलसी की दरों से बाजार मूल्य ₹ 1.53 करोड़[35] निर्धारित किया जा कर उस पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 10.74 लाख[36] आरोपणीय था ।

32 ₹ 12.32 लाखः मुद्रांक कर ₹ 8.40 लाख, सरचार्ज ₹ 2.52 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.40 लाख ।

33 ग्राम नोरांगदेसर में स्थित 10.95 बीघा भूमि ।

34 ₹ 4.01 लाखः मुद्रांक कर ₹ 2.87 लाख, सरचार्ज ₹ 0.57 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.57 लाख ।

35 ₹ 1.53 करोड़ः (कृषि भूमिः सात बीघा तथा संस्थानिक भूमिः 3.9524 बीघा) । कृषि भूमि का बाजार मूल्य = ₹ 72,08,460 (डीएलसी दर ₹ 10,29,780 प्रति बीघा x सात बीघा) + संस्थानिक भूमि का बाजार मूल्य = ₹ 81,40,204 (डीएलसी दर ₹ 10,29,780 प्रति बीघा x 3.9524 बीघा x दो गुणा क्योंकि भूमि संस्थानिक थी) = ₹ 1,53,48,665 यथा ₹ 1.53 करोड़ ।

36 ₹ 10.74 लाखः मुद्रांक कर ₹ 7.67 लाख, सरचार्ज ₹ 1.53 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.54 लाख ।

यह देखा गया कि उप पंजीयक ने मौका निरीक्षण के आधार पर संशोधित मूल्यांकन विवरण तैयार किया जिसमे मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क की वसूलनीय सही राशि को दर्शाया। तथापि, उप पंजीयक नें न तो मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क की अंतर राशि वसूल की और न ही धारा 54[37]के तहत वसूली करने के लिए सम्बंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किये और न ही राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 51[38] के तहत कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ सन्दर्भ दर्ज करवाया। अग्रेतर, ई-पंजीयन में खसरा संख्याओं को जिला स्तरीय समिति की दरों के साथ सम्बद्ध करने से प्रथम दृष्टांत में अपने आप ही खसरे की लोकेशन के आधार पर सही देय मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क वसूल करने में मदद मिलती।

इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के अभाव तथा ई-पंजीयन प्रणाली में खसरा संख्याओं को जिला स्तरीय समिति की दरों के साथ में सम्बद्ध नही करनें के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 6.73 लाख[39] का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि सभी तीनों प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ निर्णय हेतु विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.3.10.2 जिला स्तरीय समिति की आवासीय कॉलोनी की दरों के साथ में खसरा संख्याओं को सम्बद्ध न करना

उप पंजीयक, उदयपुर-II के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत आवासीय भूखंडो[40] के तीन विक्रय विलेखों के प्रकरणों में आवासीय भूखंडो का बाज़ार मूल्य दूसरी कॉलोनी की आवासीय दरों के आधार पर ₹ 94.84 लाख निर्धारित किया गया तथा मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 6.64 लाख[41] आरोपित किये गये। यद्यपि, जिला स्तरीय समिति की प्रचलित दरों के अनुसार आवासीय भूमि का मूल्य ₹ 1.97 करोड़ था जिस पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 13.76 लाख[42] आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा नें पाया कि *ई-पंजीयन* तंत्र में खसरा संख्या जिस पर भूखंड स्थित था, को कॉलोनी की जिला स्तरीय समिति की दर से सम्बद्ध कर भूखंड के सही बाजार मूल्य की गणना करने के प्रावधानों का अभाव था। *ई-पंजीयन* में इस तरह की प्रणाली के अभाव में संबंधित उप पंजीयक ने विभिन्न कॉलोनियों के खसरा संख्याओं के विवरण वाले रजिस्टर को मैन्युअल रूप से संधारित किया हुआ था। यद्यपि, इन प्रकरणों में उप पंजीयक रजिस्टर में उल्लेख की गयी खसरा संख्याओं पर स्थित

37 धारा 54 पंजीयन प्राधिकारी को इस अधिनियम के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) के यहाँ संदर्भ दर्ज करवानें से पहले मुद्रांक कर की कमी का भुगतान करने का उचित अवसर प्रदान करने की अनुमति देती है।

38 धारा 51 कलेक्टर (मुद्रांक) को किसी संपत्ति का सही बाजार मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देती है। इसका प्रयोग या तो कलेक्टर की स्वयं की पहल पर किया जा सकता है या जब पंजीयन अधिकारी को लगता है कि दस्तावेज़ में अचल संपत्ति का बाजार मूल्य सटीक रूप से नहीं बताया गया है।

39 ₹ 6.73 लाखः मुद्रांक कर ₹ 4.80 लाख, सरचार्ज ₹ 0.96 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.97 लाख।

40 कुल क्षेत्रफल 12470 वर्ग फीट तथा मई 2019 से जनवरी 2020 के मध्य पंजीबद्ध।

41 ₹ 6.64 लाखः मुद्रांक कर ₹ 4.74 लाख, सरचार्ज ₹ 0.95 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.95 लाख।

42 ₹ 13.76 लाखः मुद्रांक कर ₹ 9.83 लाख, सरचार्ज ₹ 1.97 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.96 लाख।

भूखंडों के लिए जिला स्तरीय समिति की सही दरें लागू करने हेतु रजिस्टर से जाँच करने में विफल रहे।

इसलिए, जिला स्तरीय समिति की सही दरें लागू करने में उप पंजीयक की विफलता तथा *ई-पंजीयन* में जिला स्तरीय समिति की दरों के साथ खसरा संख्याओं के सम्बद्धन संबंधित प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 7.12 लाख[43] का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि एक प्रकरण में सम्पूर्ण आक्षेपित राशि ₹ 2.98 लाख की वसूली कर ली गयी है (अप्रैल 2022)। एक अन्य मामले में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णय दिया गया तथा ब्याज एवं शास्ति राशि ₹ 1.58 लाख सहित मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.72 लाख की मांग कायम की गई। शेष प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की जा सकती है।

जैसा कि उपरोक्त पैरा में बताया गया है, खसरा नंबरों को सम्बद्ध न करने के संबंध में राज्य सरकार ने बताया कि *ई-पंजीयन* प्रणाली में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा मेगा हाईवे पर स्थित खसरा नंबरों के एकीकरण से संबंधित कार्य राज्य के चार वृत्तों में पूरा हो चुका है तथा शेष 13 वृत्तों में प्रक्रियाधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.3.11 अचल सम्पतियों के मौका निरीक्षणों की प्रभावहीनता

राजस्थान मुद्रांक नियमों के नियम 57 के अनुसार अचल सम्पत्ति के ऐसे दस्तावेज जिन पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर प्रभार्य हो, तो निष्पादकों द्वारा मुद्रांक कर को प्रभावित करने वाले तथ्यों को दस्तावेज में सही सही बताया जाना चाहिए। जहां तथ्यों की शुद्धता के बारे में पंजीयन अधिकारी को संदेह हो तो वह संपत्ति का स्वयं निरीक्षण कर सकता हैं अथवा इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा अधिकृत अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सम्पत्ति का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित कर सकता हैं ताकि तथ्यों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके एवं बाजार मूल्य के अनुसार मुद्रांक कर निर्धारित किया जा सके।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के परिपत्र 11/2006 (दिनांक 08.05.2006) के अनुसार, ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य की अचल सम्पतियों के सभी दस्तावेजों का पंजीयन के तत्काल पश्चात मौका निरीक्षण आवश्यक रूप से करना होगा। ये निर्देश परिपत्र 05/2015 (दिनांक 17.06.2015) से लगातार लागू रहे तथा परिपत्र 08/2019 (दिनांक 19.06.2019) से इन्हें संशोधित कर नियत किया गया कि ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य की अचल सम्पतियों के दस्तावेजों का पंजीयन सम्पति के मौका निरीक्षण के पश्चात करना होगा।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेज पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान

43 ₹ 7.12 लाखः मुद्रांक कर ₹ 5.09 लाख, सरचार्ज ₹ 1.02 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.01 लाख।

मुद्रांक नियमों 2004 के नियम 58 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों में से जो उच्चतर हो, के आधार पर निर्धारित होगा ।

अधिसूचना दिनांक 09 मार्च 2015 के अनुसार, फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए क्रय की गई कृषि भूमि या फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें 500 वर्ग मीटर या कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत या भाग जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य एवं

(i) जहां फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2500 वर्ग मीटर से कम है तो शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होगी;

(ii) जहां फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर या इससे अधिक है तो शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य होगी ।

सात उप पंजीयक कार्यालयों[44] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि अवधि 2014-15 से 2020-21 के दौरान कृषि/आवासीय/ वाणिज्यिक/फार्म हाउस भूमियों से संबंधित 18 दस्तावेज विक्रय विलेखों के रूप में पंजीबद्ध थे । इन 18 विक्रय विलेखों का बाजार मूल्य ₹ 25 लाख से अधिक था, अतः प्रावधानों के अनुसार उप पंजीयकों के द्वारा इनका मौका निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए था । यद्यपि, उप पंजीयकों नें 17 विक्रय विलेखों के मामलों में मौका निरीक्षण किया तथा शेष एक विक्रय विलेख के मामले में मौका निरीक्षण नहीं किया ।

यह देखा गया कि सभी 18 प्रकरणों में संबंधित उप पंजीयकों द्वारा सम्पतियों के स्थान एवं प्रकृति के सन्दर्भ में गलत दरें लागू करने के कारण सम्पतियों का बाजार मूल्य ₹ 52.69 करोड़ के स्थान पर ₹ 35.02 करोड़ निर्धारित किया गया जो कि मौका निरीक्षणों की प्रभावहीनता को दर्शाता है । प्रकरणवार मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क की अपवंचना का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) 17 में से 14 प्रकरणों, जिनमें मौका निरीक्षण किया गया था, में संबंधित उप पंजीयकों द्वारा सम्पतियों के बाजार मूल्य का निर्धारण गलत किया गया (जिला स्तरीय समिति की निर्धारित दरों के स्थान पर जिला स्तरीय समिति की कम दरें लागू करने से) ।

(ii) शेष तीन प्रकरणों में, जिनमें मौका निरीक्षण किया गया था, में संबंधित उप पंजीयकों द्वारा सम्पतियों के बाजार मूल्य का निर्धारण फार्महाउस के स्थान पर जिला स्तरीय समिति की कृषि दरों से किया गया । यद्यपि, संबंधित विलेखों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि भूमियाँ फार्महाउस भूमि थी ।

(iii) शेष एक प्रकरण में उप पंजीयक ने अचल सम्पति का मौका निरीक्षण नहीं किया तथा बाजार मूल्य का निर्धारण नीलामी मूल्य के स्थान पर जिला स्तरीय समिति की दर से किया जबकि भूखण्ड राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नीलामी के माध्यम से बेचा गया था । इसलिए, मुद्रांक

44 बडगांव (उदयपुर), बीकानेर-II, जयपुर-I, जयपुर-V, नीमराना, उदयपुर-II तथा जयपुर-II ।

कर तथा पंजीयन शुल्क जिला स्तरीय समिति मूल्य के स्थान पर नीलामी मूल्य पर प्रभार्य था। जिला स्तरीय समिति मूल्य से मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क प्रभार्य करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 23.26 लाख का कम आरोपण हुआ।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अनिवार्य मौका निरीक्षण नहीं किये गये तथा जिन प्रकरणों में मौका निरीक्षण किये गये वहां इनकी प्रभावशीलता संदेहात्मक थी। इस प्रकार, प्रभावशील मौका निरीक्षणों के अभाव में सम्बंधित उप पंजीयकों नें मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.54 करोड़[45] के स्थान पर ₹ 2.94 करोड़[46] आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.60 करोड़[47] का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि तीन प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ विचाराधीन है, दस प्रकरणों में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णय दिया गया तथा ब्याज एवं शास्ति राशि ₹ 0.45 करोड़ सहित मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.15 करोड़ की मांग कायम की गई। इसके अलावा, पांच प्रकरणों में आक्षेपित राशि ₹ 42.37 लाख के समक्ष विशेष राहत योजना के तहत ₹ 31.46 लाख की वसूली की गयी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.3.12 विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

पिछले अनुच्छेदों में बताए अनुसार वसूली और आवश्यक कार्यवाही के अलावा विभाग ने *ई-पंजीयन'* की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा लेखापरीक्षा की (मई 2023) जो इसकी शुरुआत से अब तक नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

4.3.12.1 मूल्यांकन सीट की डिजाईन

'ई-पंजीयन' में सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए मूल्यांकन सीट का एक ही प्रारूप है। विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिए अलग-अलग निर्धारण प्रारूप होने चाहिए। उदाहरण स्वरुप विकासकर्ता अनुबंध के दस्तावेज पर विकासकर्ता तथा भू-स्वामी के हिस्सों पर देय अलग-अलग मुद्रांक कर की गणना के लिए मूल्यांकन सीट में अलग-अलग कॉलम होना चाहिए। इसी प्रकार, साझेदारी फर्म से एक साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर उसका हिस्सा दूसरे साझेदार को हस्तांतरित करने पर अथवा नये साझेदार के फर्म में शामिल होने पर उसको हस्तांतरित हिस्से के लिए मूल्यांकन सीट में अलग से कोई कॉलम नहीं है, इत्यादि। इस तरह की सभी सूचनाएं विलेखों के विवरण और/अथवा सहायक दस्तावेजों में विद्यमान रहती हैं ना कि मूल्यांकन सीट में अलग से।

विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिए अलग-अलग प्रकार की मूल्यांकन सीट की उपलब्धता उन प्रकार के दस्तावेजों के लिए ऐसी विशिष्ट सूचना को लेने में सहायक होगी, जिससे उप पंजीयक कार्यालयों

45 ₹ 4.54 करोड़ः मुद्रांक कर ₹ 3.18 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.81 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.55 करोड़।
46 ₹ 2.94 करोड़ः मुद्रांक कर ₹ 2.06 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.52 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.36 करोड़।
47 ₹ 1.60 करोड़ः मुद्रांक कर ₹ 1.12 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.29 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.19 करोड़।

को उनके समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रभावी जाँच करने तथा पारदर्शिता बढानें में सहायता मिलेगी ।

इसी प्रकार, मूल्यांकन सीट में, अपंजीबद्ध मुख्त्यारनामा, मध्यस्थ हस्तान्तरण जैसे कि कम्पनी/भागीदारी फर्म का सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) में संपरिवर्तन, इत्यादि प्रकरणों में उप पंजीयक द्वारा अतिरिक्त मुद्रांक कर की मांग जो कि उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के विवरण की जाँच में पायी गयी हो, से संबंधित प्रावधान भी होने चाहिए । इन प्रावधानों में अतिरिक्त मुद्रांक कर की मांग के कारण तथा अतिरिक्त मुद्रांक कर की वसूली का विवरण भी दर्ज होना चाहिए । वर्तमान में *'ई-पंजीयन'* में, पंजीबद्ध दस्तावेजों के मामलों में अतिरिक्त मुद्रांक कर की वसूली की सूचना दर्ज नहीं की जाती है तथा इस तरह के भुगतान का विवरण, यदि किया गया है, तो केवल भुगतानकर्ता के नाम एवं *ई-पंजीयन* में भुगतान की दिनांक के साथ खोजा जा सकता है । यदि मूल्यांकन सीट में अतिरिक्त मुद्रांक कर की मांग के कारण दर्ज करने तथा अतिरिक्त मुद्रांक कर की वसूली का विवरण दर्ज करने के प्रावधान हों तो किसी दस्तावेज पर पर्याप्त मुद्रांक कर का भुगतान किया गया है, यह आसानी से एवं स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि प्रकरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के यहाँ प्रक्रियाधीन है तथा परिणामों से अवगत करवा दिया जायेगा । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

4.3.12.2 दस्तावेजों की श्रेणियों का पृथक्करण

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि *ई-पंजीयन* की एमआईएस रिपोर्ट, वृहद श्रेणी यथा 'अनुबंध', 'लीज विलेख', 'विक्रय विलेख', इत्यादि के आधार पर तैयार की जा रही थी जिसमें 'अनुबंध' के अंतर्गत उप-श्रेणी यथा विक्रय अनुबंध, विकासकर्ता अनुबंध, इत्यादि तथा 'लीज विलेख' के अंतर्गत टाउनशिप पालिसी के तहत स्थानीय निकायों के द्वारा जारी लीज विलेख, नीलामी के आधार पर जारी लीज विलेख, इत्यादि तथा विक्रय विलेख के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत, फार्महाउस श्रेणीयों का उल्लेख नहीं था । *ई-पंजीयन* के द्वारा तैयार समग्र एमआईएस रिपोर्ट में विशिष्ट श्रेणी के दस्तावेजों की पहचान के लिए उनकी मैन्युअल पहचान की आवश्यकता होती है ।

ऐसी उप-श्रेणियों के सम्बन्ध में एमआईएस रिपोर्ट की उपलब्धता से विभाग को उनसे सार्थक जानकारी प्राप्त करने तथा अधिक प्रभावी तरीके से उनका लाभ लेनें में मदद मिलेगी ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि समग्र *ई-पंजीयन* पोर्टल में एमआईएस में उप श्रेणीवार विकल्प सर्च करने का प्रावधान उपलब्ध करवाने के लिए एनआईसी को पत्र लिख दिया गया है ।

4.3.12.3 गलत/संभावित फर्जी चालानों के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 27(2) में प्रावधान है कि नियन्त्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ से फार्म जी.ए.13 में मासिक लेखे और विवरणियां प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा,

जिसमें कोषालय में जमा की गयी राशि या अन्यथा लेखांकित राशि के लिए क्रेडिट का दावा किया जायेगा तथा महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत कोषालय क्रेडिट विवरण के साथ उनकी तुलना की जायेगी, ताकि यह देखा जा सके कि एकत्र की गयी राशि को समेकित निधि और/अथवा लोक लेखों में विधिवत जमा किया गया है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान नियन्त्रक अधिकारी के ध्यान में गलत क्रेडिट आती है तो वह तुरंत लेखों में सुधार के लिए महालेखाकार को सूचित करेगा। यदि किसी क्रेडिट का दावा किया गया हो लेकिन लेखों में पाया नहीं गया हो तो प्रथमतः संबंधित जिम्मेदार विभागीय अधिकारी से पूछताछ की जाएगी।

अग्रेतर, नियम 44(3)(डी)(1) के अनुसार विभाग ऑनलाइन प्राप्ति जमा के आधार पर सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए जमाकर्ता को विभाग को जीआरएन तथा सीआईएन उपलब्ध कराने होंगे। विभाग इन आँकड़ो का *ई-ग्रास*[48] पर उपलब्ध सूचना से सत्यापित भी करेगा।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी निर्देशों (20 जनवरी 2020) के अनुसार सभी कार्यालयों को *ई-ग्रास* में चालानों को डिफेस अंकित करना अनिवार्य था, यदि वे जमाकर्ताओं को कुछ सेवा प्रदान करते हों। इसे विभागीय अनुप्रयोगों के साथ भी एकीकृत किया जाना था।

सात उप पंजीयकों[49] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 102 दस्तावेजों के पंजीयन पर 124 *ई-ग्रास* चालानों के माध्यम से मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 1.45 करोड़ की वसूली हुई। लेखापरीक्षा नें ई-पंजीयन की रिपोर्टों[50] का विश्लेषण किया तथा इन्हें *ई-ग्रास* पोर्टल पर उपलब्ध सूचना से क्रॉस चेक किया, जिसमें पता चला किः

- 58 दस्तावेजों के पंजीयन के लिए ₹ 0.56 करोड़ मूल्य के 73 चालानों का उपयोग हुआ, जिनमें जमाकर्ता न तो खरीददार थे न ही विक्रेता थे। *ई-पंजीयन* प्रणाली में दर्ज जमाकर्ताओं के नाम, पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप से प्रस्तुत किये गये चालानों से अलग थे अर्थात् पंजीयन के लिए गलत चालान उपयोग किये गये थे।

- अन्य/गलत लेखा शीर्षों[51] में जमा किये गए (निष्पादकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा) ₹ 0.24 करोड़ के 11 चालान, 6 दस्तावेजों के पंजीयन के लिए उपयोग में लिए गये थे। इनमें से, नौ चालान दस्तावेजों के पंजीयन की दिनांक से पूर्व में ही डिफेस कर दिए गये थे।

- 38 दस्तावेजों के पंजीयन के लिए ₹ 0.65 करोड़ के 40 चालानों का उपयोग हुआ जो कि पंजीयन हेतु दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण की दिनांक से पूर्व में डिफेस थे। यहाँ भी चालानों पर व्यक्तियों के नाम निष्पादकों के नाम से भिन्न थे सिवाय एक चालान के।

48 राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली।

49 जयपुर-II, V, X, बडगांव, उदयपुर-I, II तथा भिवाड़ी।

50 ई-पंजीयन द्वारा जनरेटेड रिपोर्टो जिसमें चालानों, डिमांड ड्राफ्ट, ई-स्टाम्प्स, ई-प्राप्तियां, मुद्रांक पत्रों, इत्यादि के माध्यम से भुगतान का विवरण दर्शाया गया था।

51 शीर्ष 0039 में छः चालान, शीर्ष 0041 में तीन चालान तथा शीर्ष 0030 में मुद्रांक पत्र खरीद के दो चालान।

उदाहरणस्वरुप उप पंजीयक जयपुर-V के एक प्रकरण में उप पंजीयक जयपुर-V के यहाँ पंजीबद्ध एक दस्तावेज[52] के साथ प्रस्तुत एक चालान[53] के जीआरएन को *ई-ग्रास* के साथ जांचा गया तथा यह देखा गया कि उस विशेष जीआरएन का वास्तविक चालान, उस चालान पर दर्शायी गयी दिनांक के 16 दिन बाद में जनरेट किया गया मतलब कि दस्तावेज के साथ प्रस्तुत मूल चालान संभवतः फर्जी था।

ये मामलें दर्शाते है किः

(i) उप पंजीयक दस्तावेजों के पंजीयन से पूर्व मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के भुगतान को सत्यापित करने में विफल रहे जो स्थापित प्रक्रियाओं के पालन करने में कमी तथा उनके कामकाज में पर्याप्त जांच और संतुलन के अभाव को दर्शाता है।

(ii) उप पंजीयकों ने न तो राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 44(3)(डी)(1) के तहत *ई-ग्रास* पोर्टल पर चालानों को सत्यापित किया न ही वित्त विभाग के द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में दस्तावेजों के पंजीयन के समय चालानों को डिफेस किया।

(iii) दस्तावेजों के पंजीयन के समय डीफेसड चालानों के उपयोग अथवा लेखों के अन्य/गलत शीर्ष में जमा के चालानों को रोकनें से संबंधित प्रावधान ई-पंजीयन प्रणाली में विद्यमान नहीं थे। यह संबंधित चालानों पर उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम/पहचान को पंजीकृत किए जा रहे दस्तावेजों पर संबंधित विवरण के साथ सह-संबंधित नहीं करता है।

(iv) *ई-पंजीयन* प्रणाली में अपना स्वयं का भुगतान गेटवे/पोर्टल नहीं है जिसके माध्यम से दस्तावेजों के पंजीयन के समय निष्पादकों द्वारा भुगतान किया जा सके।

इस प्रकार, नियमों और प्रक्रियाओं की पालन न करने तथा गलत/जाली चालानों के उपयोग को रोकने के लिए *ई-पंजीयन* प्रणाली की असमर्थता के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.45 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि 39 दस्तावेजों में राशि ₹ 27.71 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष दस्तावेजों में वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

तथापि, विभाग ने 28 जुलाई 2021 को *ई-पंजीयन* में *'देखें/सत्यापित करें'* विकल्प लागू किया, जिसके बाद *ई-पंजीयन,* दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए जाली चालानों का उपयोग स्वीकार नहीं कर रहा है।

52 दस्तावेज़ संख्या 916 दिनांक 11 जनवरी 2021।

53 जीआरएन संख्या 46856865 दिनांक 11 जनवरी 2021।

4.3.12.4 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 5 के अनुसार सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से या तो सरकार के बकाया के रूप में या जमा के लिए, प्रेषण अथवा अन्यथा के लिए प्राप्त सभी धन को बिना विलम्ब के सरकारी खाते में जमा करवाया जायेगा। नियम 48 (1) में प्रावधान है कि सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रपत्र जीए 48 में एक रोकड़ बही का संधारण करेगा तथा प्रपत्र जीए 51 में धनादेश, चेक, डीडी, इत्यादि के लिए एक रजिस्टर का संधारण करेगा। नियम 48 (2) में प्रावधान है कि सभी मौद्रिक लेनदेन जैसे ही वे होते हैं रोकड़ बही में दर्ज किए जाएंगे तथा नमूना जाँच के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किये जायेगे।

अग्रेतर, कार्यालय प्रमुख/आहरण एवं संवितरण अधिकारी एक माह में कोषागार में जमा की गयी राशि का विवरण तैयार करने की व्यवस्था करेगा तथा माह के अंत के बाद माह के दौरान कोषागार में जमा की गई राशि की सत्यता के प्रमाण के रूप में कोषागार की अनुसूची के साथ उसका मिलान करेगा। कोषाधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत विवरणी को अभिलेखों से तुलना करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर कर वापस कर देगा। विसंगतियां, यदि कोई हो, की स्थिति में विभागीय अधिकारी नियम 59 के अधीन उनके सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

दो उप पंजीयकों[54] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अवधि 2018-21 के दौरान 116 प्रकरणों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 2.06 करोड़ की वसूली की गयी। लेखापरीक्षा ने ई-पंजीयन की रिपोर्टों का विश्लेषण किया तथा उन्हें संबंधित पंजीयन अभिलेखों के साथ क्रॉस चेक किया जिसमें पता चला कि राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 59 के तहत निर्धारित प्रपत्र जीए-51 में चालान तथा डीडी/चेक के रजिस्टर, इन उप पंजीयकों द्वारा संधारित नहीं किये जा रहे थे। इन उप पंजीयकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र जीए-48 में रोकड़ बही का भी संधारण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा नें आगे देखा कि पांच प्रकरणों में ₹ 0.14 करोड़ की राशि के डीडी के बैंक चालान दस्तावेजों के साथ संलग्न थे, तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। शेष 111 प्रकरणों में डीडी के बैंक चालान दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं थे तथा डीडी रजिस्टर संधारित नहीं थे। इनमें से 43 प्रकरणों में, *ई-पंजीयन* प्रणाली में डीडी का विवरण गलत तरीके से दर्ज किया गया था जिसमें अमान्य डिमांड ड्राफ्ट संख्या जैसे 0, 1234560, एएफएसडीएफएसडी, इत्यादि थे। शेष 68 प्रकरणों में डीडी संख्या सही प्रतीत होना पाया गया। यद्यपि, इन 111 प्रकरणों में निहित राशि ₹ 1.92 करोड़ के मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क के भुगतान का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका। *ई-पंजीयन* प्रणाली ने गलत डिमांड ड्राफ्ट संख्याओं को स्वीकार किया तथा शुल्क रसीदें तैयार की तथा डीडी राशि जमा न होनें पर भी दस्तावेजों के पंजीयन को अनुमत किया। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि डीडी की राशि बैंक में चालान के माध्यम से जमा की गयी, लेकिन *ई-पंजीयन* प्रणाली में डीडी के साथ-साथ संबंधित चालानों के महत्वपूर्ण विवरणों को अनिवार्य रूप से दर्ज करने का प्रावधान नहीं था।

54 बडगांव (उदयपुर) तथा जयपुर-V।

नियमों एवं स्थापित प्रक्रियाओं की अनुपालना न होने, समुचित तत्परता का अभाव तथा ई-पंजीयन प्रणाली की कमियों के कारण राजस्व की हानि से इंकार नहीं किया जा सकता ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि 67 प्रकरणों में राशि ₹ 1.66 करोड़[55] का निस्तारण/वसूली की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं । विभाग ने यह भी सूचित किया कि डीडी या पे ऑर्डर के माध्यम से मुद्रांक कर की वसूली से संबंधित प्रावधान वापस ले लिया गया है (फरवरी 2023)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

4.3.12.5 स्टाम्प पेपर के बिना दस्तावेजों का पंजीयन

राजस्थान पंजीयन नियमों, 1955 के नियम 126 के अनुसार कोई भी दस्तावेज जिसे पंजीयन के लिए स्वीकार किया जाता है, तो उसके सही स्वरुप एवं सही बाजार मूल्य को देखते हुए उचित तथा पर्याप्त रूप से मुद्रांकित किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने के लिए पंजीयन लिपिक को सौंप दिया जाना चाहिए ।

उप पंजीयक जयपुर-V के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि *ई-पंजीयन* पर उपलब्ध सूचना के अनुसार छह पंजीकृत दस्तावेजों (जून 2020 एवं दिसम्बर 2020 के मध्य पंजीकृत) के प्रकरणों में, मुद्रांक कर ₹ 3.55 लाख का भुगतान स्टाम्प पेपर के माध्यम से किया गया । यह देखा गया कि दस्तावेज ₹ 3.55 लाख के स्टाम्प पेपरों के स्थान पर सादे कागजों पर मुद्रित किये गये थे तथा दस्तावेजों के साथ अपेक्षित राशि के स्टाम्प भी संलग्न नहीं थे ।

इस प्रकार पंजीयन के समय संबंधित उप पंजीयकों द्वारा दस्तावेजों के उचित सत्यापन में असमर्थता तथा *ई-पंजीयन* में आवश्यक सुविधाओ के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 3.55 लाख की राजस्व हानि हुई ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि दो दस्तावेजों में राशि ₹ 1.30 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष चार दस्तावेजों में वसूली हेतु प्रयास किये जा रहें हैं । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

पैरा 4.3.12.3, 4.3.12.4 तथा 4.3.12.5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा के परिणाम एवं निष्कर्ष चयनित उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों की नमूना जांच पर आधारित हैं । ऐसे प्रकरणों की व्यापक पैमाने पर मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

विभाग के कामकाज एवं आंतरिक नियंत्रण में गंभीर कमजोरी तथा ई-पंजीयन प्रणाली के संचालन में गहन कमियों को दर्शाने के अलावा इन मामलों में विभाग द्वारा व्यापक जांच और उचित कार्यवाही की आवश्यकता है, ताकि सरकार को होने वाली राजस्व हानि को रोका जा सके ।

55 ₹ 1.66 करोड़: 17 प्रकरणों में ₹ 0.11 करोड़ वसूले गए, 39 प्रकरणों में डीडी के बजाय ई-ग्रास चालान के माध्यम से ₹ 1.43 करोड़ पहले ही जमा किये जा चुके थे, 10 प्रकरणों में, ₹ 0.04 करोड़ मुख्तयारनामा, अनुबंध इत्यादि के माध्यम से पूर्व में ही जमा की गयी राशि के समक्ष समायोजित किये गये तथा एक प्रकरण में रिप्स के अंतर्गत मुद्रांक कर ₹ 0.08 करोड़ की छूट अनुमत की गई थी ।

4.3.13 निष्कर्ष तथा सिफारिशें

लेखापरीक्षा में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण, पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के विवरण से अमुद्रांकित दस्तावेजों का पता न लगना, अचल सम्पतियों के मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समिति की गलत दरें लागू करना, प्रभावशील मौका निरीक्षणों के अभाव में मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क की अपवंचना तथा *ई-पंजीयन* प्रणाली के संचालन में कमियों का पता चला।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है:

- *पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना।*
- *ई-पंजीयन प्रणाली में विभिन्न श्रेणियों की भूमियों के खसरा संख्याओं के लिए लागू जिला स्तरीय समिति की दरों का सम्बद्धन सुनिश्चित करना।*
- *राजस्व की छीजत को रोकने के लिए पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अचल सम्पतियों के प्रभावी मौका निरीक्षणों को सुनिश्चित करना।*
- *उप पंजीयक कार्यालयों में स्थापित प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करना तथा ई-पंजीयन प्रणाली की कमजोरियों को दूर करना, विशेष रूप से शुल्क के भुगतान से संबंधित, ताकि सरकार को होने वाली राजस्व हानि को रोका जा सके।*
- लोगों की सुविधा के साथ-साथ भुगतान की सुरक्षा एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान के विकल्पों में से एक के रूप में *ई-पंजीयन* प्रणाली में भुगतान गेटवे को लागू करना।

अन्य अनियमितताऐ

4.4 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर की अनियमित छूट

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (योजना) 2014 एवं 2019 के क्लॉज 3 के अनुसार योजना नये एवं विद्यमान उद्यमों के लिए नयी इकाईयों की स्थापना हेतु निवेश, विद्यमान उद्यमों को उनके विस्तारीकरण के लिए निवेश तथा रूग्ण उद्यमों को उनके पुनरूत्थान हेतु निवेश करने पर इस शर्त के अधीन लागू होगी कि योजना की परिचालन अवधि के दौरान उद्यम को व्यावसायिक उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा। योजना के क्लॉज 4 मे प्रावधान है कि जिस उद्यम को पात्रता प्रमाण-पत्र[56] जारी किया जावेगा वह भूमि की खरीद या लीज के लिए निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत/100 प्रतिशत छूट का दावा करने के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 15[57]/17[58] में यह प्रावधान है कि योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने

56 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत छूट का दावा करने के लिए जिला उद्योग केंद्र, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र।

57 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना 2014 का (50 प्रतिशत छूट)।

58 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना 2019 का (100 प्रतिशत छूट)।

की स्थिति में, उपयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा योजना के तहत प्राप्त लाभ वापस ले लिया जावेगा तथा इसकी सिफारिश पर, संबंधित विभाग, उद्यम द्वारा प्राप्त किये गये लाभों को उस तिथि से जिस दिन से लाभ प्राप्त किया गया है, 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूल करेगा।

दो उप पंजीयक कार्यालयों[59] के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि राजस्थान निवेश संवर्धन योजना[60] के तहत मुद्रांक कर में 50 से 100 प्रतिशत छूट के साथ दो दस्तावेज[61] पंजीबद्ध थे (सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य) जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

4.4.1 उप पंजीयक जयपुर-I के यहाँ रीको, प्रहलादपुरा, जयपुर में स्थित एक औद्योगिक भूखण्ड[62] जो कि लेसी के द्वारा खुली नीलामी के माध्यम से ख़रीदा गया था, के लिए रीको जयपुर (लेसर) एवं एक कंपनी (लेसी) के मध्य एक लीज विलेख का निष्पादन (अक्टूबर 2020) हुआ। लीज विलेख के पंजीयन के समय जिला उद्योग केंद्र, जयपुर (ग्रामीण) के द्वारा योजना के तहत हेंडीक्राफ्ट आईटम के निर्माण के लिए औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए जारी पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट ₹ 17.49 लाख[63] प्रदान की गयी। यद्यपि, लेसी ने औद्योगिक भूखण्ड का बिना इकाई की स्थापना करे विक्रय कर दिया (23 दिसम्बर 2020) तथा उप पंजीयक ने क्रेता को पंजीयन[64] के समय पुनः 100 प्रतिशत छूट प्रदान की। इसलिए, मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में प्रदान की गयी छूट राशि ₹ 17.49 लाख मय ब्याज[65] राशि ₹ 1.52 लाख लेसी से वसूलनीय थी।

4.4.2 उप पंजीयक नीमराणा के यहाँ रीको, माजरीकाठ (रीको नीमराणा-द्वितीय फेज) में स्थित एक औद्योगिक भूखण्ड के लिए रीको, नीमराणा, अलवर (लेसर) एवं एक कंपनी (लेसी) के मध्य एक लीज विलेख का निष्पादन (नवम्बर 2017) हुआ। लीज विलेख के पंजीयन[66] के समय आयुक्त, उद्योग, जयपुर के द्वारा योजना के तहत ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए जारी पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर प्रतिफल राशि ₹ 16.46 करोड़ पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट ₹ 49.38 लाख[67] प्रदान की गयी। तत्पश्चात, लेसी (ट्रांसफरर कंपनी) बिना इकाई स्थापित करे अन्य कंपनी (ट्रांसफरी कंपनी) में समामेलित हो गयी जिससे इसकी समस्त सम्पतियाँ ट्रांसफरी कंपनी में निहित हो गयी। इसलिए, मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में प्रदान की गयी छूट राशि ₹ 49.38 लाख एवं ब्याज[68] राशि ₹ 30.02 लाख ट्रांसफरर कंपनी से वसूलनीय थी।

59 जयपुर-I तथा नीमराणा।

60 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना 2014 में 50 प्रतिशत तथा राजस्थान निवेश संवर्धन योजना 2019 में 100 प्रतिशत।

61 एक विक्रय विलेख तथा एक पूरक विलेख।

62 संख्या एफ-87 जिसका क्षेत्रफल 1950 वर्ग मीटर तथा मूल्य ₹ 2.24 करोड़।

63 ₹ 17.49 लाखः मुद्रांक कर ₹ 13.45 लाख तथा सरचार्ज ₹ 4.04 लाख।

64 पंजीयन संख्या 9105 दिनांक 23 दिसम्बर 2020

65 31 मार्च 2022 तक गणना की गयी।

66 पंजीयन संख्या 3820 दिनांक 15 नवम्बर 2017

67 ₹ 49.38 लाखः मुद्रांक कर ₹ 41.15 लाख तथा सरचार्ज ₹ 8.23 लाख।

68 31 मार्च 2022 तक गणना की गयी।

इस प्रकार, इन प्रकरणों में मुद्रांक कर तथा सरचार्ज की कुल राशि ₹ 66.87 लाख[69] तथा ब्याज राशि ₹ 31.54 लाख[70] वसूलनीय थी।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ एक प्रकरण विचाराधीन है तथा दूसरे प्रकरण में आक्षेपित राशि ₹ 79.40 लाख के समक्ष राशि ₹ 49.38 लाख की वसूली की जा चुकी है, जबकि इस प्रकरण में शेष राशि ₹ 30.02 लाख के वसूली के बारे में उत्तर में नहीं बताया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.5 साझेदारी फर्मो को अचल सम्पत्तियों का अंशदान

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 43(1)(सी) के अनुसार, साझेदारी के दस्तावेज जहाँ अंशदान अचल सम्पत्ति के माध्यम से लाया जाता है, पर मुद्रांक कर ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक, जयपुर-X के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि अचल सम्पति के विक्रय अनुबंध का एक दस्तावेज 23 जून 2020 को पंजीबद्ध[71] किया गया था। दस्तावेज के विवरण की जाँच तथा संलग्न दस्तावेजों[72] से यह पता चला कि कंपनी की भूमि[73] जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर 2012 को आवासीय उद्देश्य हेतु संपरिवर्तित की गयी थी। कंपनी तथा सात अन्य नें साथ मिलकर एक साझेदारी फर्म का गठन किया जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, दिल्ली के यहाँ 11 मार्च 2013 को पंजीबद्ध हुआ।

कंपनी ने उक्त भूमि को अपने पूंजी अंशदान के रूप में साझेदारी फर्म में हस्तान्तरित किया। जयपुर विकास प्राधिकरण नें उक्त साझेदारी फर्म के पक्ष में एक लीज विलेख[74] जारी किया जो कि उप पंजीयक जयपुर-II के यहाँ 25 नवम्बर 2013 को पंजीबद्ध हुआ जिस पर भूमि के बाजार मूल्य ₹ 51.43 करोड़[75] पर मुद्रांक कर ₹ 2.83 करोड़[76] आरोपणीय था। यद्यपि, उप पंजीयक संबंधित दस्तावेजों को ध्यान में रखने में विफल रहा, जिससे साझेदारी विलेख का दस्तावेज मुद्रांक कर ₹ 5,000 मात्र से नोटेराइज्ड था, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 2.83 करोड़[77] का कम आरोपण रहा।

69 ₹ 66.87 लाखः (₹ 17.49 लाख + ₹ 49.38 लाख)।

70 ₹ 31.54 लाखः (₹ 1.52 लाख + ₹ 30.02 लाख)।

71 पंजीयन संख्या 2393 दिनांक 23.06.2020

72 90-अ के आदेश एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी लीज विलेख, साझेदारी विलेख की प्रति, रेरा वेबसाइट से डाउनलोड की गयी सूचना तथा जमाबन्दी की प्रति।

73 निंदर ग्राम में स्थित 43000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल।

74 37968.60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल।

75 ₹ 51.43 करोड़ः (37968.60 वर्ग मीटर अथवा 45393.57 वर्ग गज X ₹ 11,330/- प्रति वर्ग गज) = ₹ 51,43,09,148

76 ₹ 2.83 करोड़ः मुद्रांक कर ₹ 2.57 करोड़ तथा सरचार्ज ₹ 0.26 करोड़।

77 ₹ 2.83 करोड़ः मुद्रांक कर ₹ 2.57 करोड़ तथा सरचार्ज ₹ 0.26 करोड़।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4.6 रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं करना

पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के अभिलेखों के प्रभावी निरीक्षण में असमर्थता के परिणामस्वरूप विकासकर्ता अनुबंध दस्तावेज पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण

उप पंजीयक भिवाड़ी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान उप पंजीयक भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाली संपत्तियों से संबंधित राजस्थान रेरा की वेबसाइट[78] पर उपलब्ध सूचना[79] का लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक वाणिज्यिक परियोजना[80] के लिए एक भूस्वामी एवं एक विकासकर्ता के मध्य विकासकर्ता अनुबंध के एक दस्तावेज जिसमें भूस्वामी तथा विकासकर्ता के हिस्से क्रमशः 39 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत थे, को निष्पादित किया गया (8 नवंबर 2017)। संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 59.59 करोड़[81] था जिस पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 115.13 लाख[82] देय था। यद्यपि, विकासकर्ता अनुबंध उप पंजीयक भिवाड़ी के यहाँ पंजीबद्ध नहीं था तथा इसके स्थान पर केवल ₹ 500 के मुद्रांक कर के साथ नोटेराइज्ड था जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 115.12 लाख[83] का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया (अगस्त 2022) कि लोक कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना को मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क की वसूली हेतु उपयोग में लेने के लिए परिपत्र 08/2021 (दिनांक 19.07.2021) जारी कर निर्देशित किया गया है। विभाग ने यह भी सूचित किया (सितम्बर 2023) कि आक्षेपित प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ विचाराधीन है आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

78 https://rera.rajasthan.gov.in

79 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विवरणः रेरा पंजीकरण संख्या राज/पी/2018/701 दिनांक 26 अप्रैल 2018।

80 तहसील तिजारा के ग्राम खानपुर में राज्य राजमार्ग संख्या 25 पर स्थित खसरा नं. 827/533 था, 810/534 जिसमें 5594.13 वर्ग मीटर अथवा 6688.09 वर्ग गज क्षेत्र।

81 ₹ 59.59 करोड़ः 6688.09 वर्ग गज X ₹ 89100 प्रति वर्ग गज = ₹ 59,59,08,819।

82 ₹ 115.13 लाखः मुद्रांक कर ₹ 95.94 लाख तथा सरचार्ज ₹ 19.19 लाख की गणना राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 (ई) के अनुसार विकासकर्ता के हिस्से पर 2 प्रतिशत तथा भूस्वामी के हिस्से पर एक प्रतिशत की दर से की गई है। 08 मार्च 2016 से मुद्रांक कर पर 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज की गणना की गयी है।

83 ₹ 115.12 लाखः मुद्रांक कर ₹ 95.93 लाख तथा सरचार्ज ₹ 19.19 लाख।

अध्याय -V

राज्य आबकारी

अध्याय–V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं । आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं । विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं । जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं ।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ (54 कार्यान्वयन इकाईयों सहित) हैं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए 44 इकाइयों (33 कार्यान्वयन इकाईयों सहित) का चयन किया गया । इन इकाईयों के अभिलेखों, जिनमें 2,663 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 3,069 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित हैं, की संवीक्षा 7,512 प्रकरणों की जांच के साथ की गई । इसमें 5,391 प्रकरणों में (लगभग 72 प्रतिशत) राशि ₹ 195.42 करोड़ की आबकारी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि, अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना और प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई । चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं । समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी । तथापि, ये अनियमितताएं न केवल बनी रहीं अपितु इनमें से कुछ आगामी लेखापरीक्षा होने तक पहचानी नहीं जा सकी ।

पायी गई अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गयी **तालिका 5.1** में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	1,908	100.96
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर पर रिटेल-ऑन और रिटेल-ऑफ लाइसेंसधारियों से अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि की अवसूली	1,954	72.88
3	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली	1,190	15.25
4	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	11	0.34
5	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली	267	5.98
6	अन्य अनियमितताएं		
	(i) राजस्व	58	0.01
	(ii) व्यय	03	0.00
योग		**5,391**	**195.42**

विभाग ने 5,203 प्रकरणों में निहित राशि ₹ 40.43 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 39.08 करोड़ के 1,484 प्रकरण वर्ष 2021-22 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 3731 प्रकरणों में ₹ 1.76 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिनमें से ₹ 0.42 करोड़ के 12 प्रकरण वर्ष 2021-22 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात राज्य सरकार ने एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) एवं कम्पोजिट फीस के देरी से किये भुगतान पर ब्याज की अवसूली के 25 प्रकरणों[1] में निहित राशि ₹ 18.85 लाख को स्वीकार किया (मई 2022) एवं ₹ 17.37 लाख की वसूली की गयी। साथ ही, राज्य सरकार ने चार प्रकरणों (जिला आबकारी अधिकारी-उत्पादन इकाई, बहरोड़ से सम्बन्धित) में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की निर्यात गन्तव्य पर कम आपूर्ति पर आबकारी शुल्क ₹ 28.63 लाख की अवसूली को स्वीकार एवं पूर्णतः वसूल किया (मई 2022) तथा देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की होलसेल विक्रेताओं से अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली के छः प्रकरणों में ₹ 22.50 लाख की पूर्ण वसूली की (जुलाई 2022)। इन अनुच्छेदों की प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों के कुछ प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 143 करोड़ शामिल है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफल रहा जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

5.3 आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा

5.3.1 प्रस्तावना

आबकारी विभाग (विभाग) राज्य सरकार का राजस्व अर्जन का एक प्रमुख विभाग है। विभाग को राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी शुल्क तथा राज्य में लागू फीस के आरोपण व संग्रहण को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विभाग का उद्देश्य मादक पदार्थों की खपत को विनियमित करना, शुल्क व फीस आरोपित कर राजस्व में वृद्धि करना तथा मादक पदार्थों के राज्य में अवैध उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाना है।

1 जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालय अजमेर, जयपुर-शहरी, कोटा तथा सिरोही से सम्बन्धित।

राज्य के आबकारी राजस्व में मुख्यतः उत्पादन, थोक व खुदरा बिक्री ईकाइयों पर अनुज्ञा शुल्क वसूली, निर्यात व आयात पर परमिट फीस तथा राज्य में उत्पादित/आयातित तथा बेची जाने वाली मदिरा पर एकत्रित आबकारी शुल्क सम्मिलित है। राज्य आबकारी शुल्क, अनुज्ञा शुल्क व अन्य शुल्क का आरोपण व संग्रहण राज्य आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अधीन बनाये गये राज्य आबकारी नियम 1956 से नियन्त्रित होते है। राज्य सरकार मदिरा की दुकानों के संचालन हेतु लाईसेंस देने के सिद्धान्तो को निर्धारित करने एवं आबकारी शुल्क तथा अन्य सम्बंधित मामलों की दरों के निर्धारण के लिए राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति (नीति) की घोषणा करती है।

आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण के लिए मौजूदा प्रणालियों व प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा जून 2021 से फरवरी 2022 के दौरान की गई। इस अनुपालना लेखापरीक्षा हेतु सात[2] जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) कार्यालयों का चयन किया गया। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त कार्यालय का भी विभाग के नियंत्रक एवं प्रशासकीय प्रमुख के रूप में चयन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान इन डीईओ कार्यालयों के अंतर्गत 33 क्रियान्वयन इकाईयों जैसे डिस्टिलरीज, बॉटलिंग प्लांट, ब्रेवरीज आदि को भी शामिल किया गया था।

5.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विभाग ने विभागीय अधिकारियों और दो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों राजस्थान स्टेट बेवरेजेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) व राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल) के लिए राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा तथा अन्य आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के व्यवसाय के प्रबंधन हेतु एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) नामक एक आईटी प्रणाली की शुरूआत की (अप्रैल 2011)। आईईएमएस में अधिकारियों की सहायता हेतु अनेक मॉड्यूल्स प्रदान किए गए है। आबकारी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए दिसंबर 2021 में लॉग-इन आईडी आधारित आईईएमएस एक्सेस उपलब्ध कराया गया।

चयनित इकाइयों के प्रकरणों की संवीक्षा के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

5.3.2.1 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के कम उठाए गए मासिक गारंटी कोटा पर आबकारी शुल्क की अवसूली

नीति 2020-21 के अनुसार, देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के समूह/दुकानों को एकाकी विशेषाधिकार राशि[3] (ईपीए) के आधार पर लाइसेंस आवंटित किए गए थे। देशी मदिरा

2 जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर, अलवर, बहरोड़ (उत्पादन इकाई), जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही।

3 एकाकी विशेषाधिकार राशिः निर्दिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार के लिए देशी मदिरा समूहों/दुकानों से आबकारी विभाग द्वारा वसूल की जाने वाली राशि।

एवं राजस्थान निर्मित मदिरा समूह/दुकान का अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञा अवधि के लिए निर्धारित ईपीए के अनुसार आबकारी शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित समूह/दुकान के निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना आवश्यक था। मासिक किस्त का भुगतान उस माह की अंतिम तारीख तक करना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में असमर्थ रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर का भुगतान नकद में करने के लिए उत्तरदायी था।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[4] के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 1157 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित महीनो के लिए निर्धारित कोटा ₹ 828.67 करोड़ के समक्ष ₹ 777.61 करोड़ की देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिससे 839 अनुज्ञाधारियों की मासिक गारंटी राशि में ₹ 51.06 करोड़ की कमी रही। इस कमी मे से 375 अनुज्ञाधारियों की प्रतिभूति राशि में से ₹ 27.18 करोड़ की राशि का वसूली/समायोजन किया गया। तथापि संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने 464 लाइसेंसधारियों से शेष राशि ₹ 23.88 करोड़ वसूल नहीं की । जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.88 करोड़ कम राजस्व संग्रहण हुआ।

पिछले वर्षों के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में यह मुद्दा नियमित रूप से उठाया गया है, जिसमें विभाग ने आक्षेपों को स्वीकार किया तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। आगे, सरकार ने यह भी कहा (दिसंबर, 2020) कि मासिक गारंटी राशि की कमी की वसूली को सुगम बनाने के लिये आईईएमएस में उपयुक्त प्रावधान जोड़ दिया गया है। तथापि, लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2022 तक इस तरह का प्रावधान नहीं लाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (फरवरी 2022) पर, विभाग द्वारा स्वीकार (मार्च 2022) किया गया कि आईईएमएस, में लम्बित/कम रही राशि जमा कराने के बाद ही अनुज्ञाधारी को मदिरा की खरीद के लिए अगला परमिट जारी करने की अनुमति देने की सुविधा अब तक लागू नहीं की गई है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रेषित (मार्च एवं मई, 2022) किया गया । सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए जबाव दिया (जून 2022) कि ₹ 10.46 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वसूली के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही (डीईओ बहरोड़ (उत्पादन इकाई) के अंतर्गत कोई खुदरा लाइसेंसधारी नहीं है)।

5.3.2.2 आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की अंतर राशि की अवसूली ।

आबकारी नीति 2020-21 के पैरा 3.7.6 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.4 व 2.5 तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार (फरवरी 2020 एवं फरवरी 2021) अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की न्यूनतम 30 प्रतिशत पूर्ति 25 यूपी[5] आरएमएल के उठाव से तथा शेष 70 प्रतिशत देशी मदिरा के उठाव से करनी होगी ।

यदि अनुज्ञाधारी किसी विशेष माह में राजस्थान निर्मित मदिरा तथा देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संबंधित तिमाही के अन्य माहों में राजस्थान निर्मित मदिरा तथा देशी मदिरा का उठाव सुनिश्चित करेगा । किसी त्रैमास में आरएमएल व देशी मदिरा के कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी आरएमएल व देशी मदिरा के निर्धारित कोटे व वास्तविक उठाव पर देय आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस के अंतर की राशि नगद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[6] के कार्यालयों के अभिलेखों (जून 2021 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान) की जांच में पाया गया कि 2020-21 के दौरान 1157 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाही में निर्धारित कोटा ₹ 480.63 करोड़ के समक्ष ₹ 454.67 करोड़ की राजस्थान निर्मित मदिरा एवं देशी मदिरा का उठाव किया, इस प्रकार 720 अनुज्ञाधारियों के तिमाही गारंटी कोटा में ₹ 25.96 करोड़ की कमी रही । इस कमी में से 37 अनुज्ञाधारियों की ₹ 38.16 लाख की सम्पूर्ण कमी या तो जमा करायी गयी या प्रतिभूति राशि मे से समायोजित की गयी तथा 683 अनुज्ञाधारियों के ₹ 92.94 लाख की आंशिक कमी, जमा या प्रतिभूति राशि से समायोजित की गयी । तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने 683 अनुज्ञाधारियों से ₹ 24.65 करोड़ की शेष अंतर राशि वसूल नहीं की । जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.65 करोड़ कम राजस्व संग्रहण हुआ ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022) । राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा जवाब दिया (जून 2022) कि ₹ 3.14 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास जारी है । तथापि, वसूली के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

5.3.2.3 कम उठायी गयी मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली ।

छः जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों[7] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2020-21 के दौरान 189.41 लाख बल्क लीटर (बी एल) राजस्थान निर्मित मदिरा तथा ₹ 265.17 लाख बी एल 50/60 यू पी देशी मदिरा के निर्धारित कोटा के समक्ष संबंधित तिमाहियों में 1157

5 यूपी 'अंडर प्रूफ' को संदर्भित करता है । यह एक अल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है । उदाहरण के लिए, 50 डिग्री प्रुफ को 50 यूपी और 40 डिग्री प्रुफ को 60 यूपी के रूप में दर्शाया जा सकता है ।

6 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही ।

7 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही ।

अनुज्ञाधारियों ने ₹ 173.71 लाख बी एल राजस्थान निर्मित मदिरा तथा ₹ 255.19 लाख बी एल 50/60 यू पी देशी मदिरा उठायी, इस प्रकार 802 अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध 15.70 लाख बी एल राजस्थान निर्मित मदिरा तथा ₹ 9.98 लाख बी एल 50/60 यू पी देशी मदिरा के उठाव में कमी रही, जिस पर ₹ 9.96 करोड़ की बेसिक लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

यद्यपि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने 251 अनुज्ञाधारियों से ₹ 4.40 करोड़ की वसूली या प्रतिभूति राशि से समायोजन किया, परिणामस्वरूप 551 अनुज्ञाधारियों से ₹ 5.56 करोड़ की कम वसूली रही। इस तरह नीति के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 5.56 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार (मार्च व मई 2022) को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया तथा जवाब (जून 2022) दिया कि ₹ 1.38 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वसूली के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

5.3.3 रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क के अंतर राशि की अवसूली

अधिनियम की धारा 28 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दरों का प्रावधान किया गया है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क क्वार्टस, पिंट्स, निप्स या अन्य आकारों के प्रति कार्टन मूल्य[8] के अनुसार विभिन्न स्लेबों में उद्ग्रहणीय था तथा बीयर के मामले में एक्स-ब्रुवरी मूल्य के यथा मूल्य प्रतिशत के आधार पर आबकारी शुल्क उदग्रहणीय था। भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मामले में अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर ₹ 900 प्रति कार्टन मूल्य तक 20 प्रतिशत तथा ₹ 900 से अधिक प्रति कार्टन पर 35 प्रतिशत थी। बीयर के मामले में अवधि 2019-20 के दौरान यह दर एक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइस, निर्यात शुल्क, आबकारी शुल्क तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) द्वारा उत्पादक को वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति के कुल योग पर 35 प्रतिशत उदग्रहणीय थी।

राज्य सरकार ने दिनांक 29 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त आबकारी शुल्क बढ़ाकर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मामले में ₹ 950 प्रति कार्टन की कीमत तक 35 प्रतिशत, ₹ 950 से अधिक प्रति कार्टन कीमत पर 45 प्रतिशत तथा बीयर के मामले में 45 प्रतिशत कर दिया। सरकार द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि उक्त अधिसूचना से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि के कारण खुदरा अनुज्ञाधारियों के मार्जिन में वृद्धि को सरकारी खाते में जमा किया जाए।

इसके अतिरिक्त, सभी जिला आबकारी अधिकारीयों को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था (5 मई 2020) कि 22 मार्च 2020 से लॉक-डाउन के कारण भारत निर्मित विदेशी

8 आईएमएफएल और बीयर के संबंध में मूल्य का अर्थ लाइसेंसधारियों/निर्माताओं द्वारा घोषित और राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत मूल्य है।

मदिरा/बीयर पर संशोधित नए प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त आबकारी शुल्क की गणना 31 मार्च 2020 को लाइसेंस अवधि समाप्त होने पर रिटेल ऑन[9] व रिटेल ऑफ[10] लाइसेंसधारियों के पास शेष स्टॉक की मात्रा पर की जानी थी तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क की देय राशि के अंतर को सरकारी खाते में जमा किया जाना था।

आबकारी आयुक्त कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने आईईएमएस के लाईसेंसी स्टॉक मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंतर्गत 'आइटम लेजर स्टॉक आरएसबीसीएल' रिपोर्ट से वर्ष 2019-20 के लिए सभी रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ लाइसेंसधारियों की भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के स्टॉक की स्थिति के अन्तिम शेष से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित की। इस सूचना की जांच में पाया गया कि 34 जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधीन सभी 954 रिटेल-ऑन तथा 1000 मे से 972 रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों द्वारा 31 मार्च 2020 को ऐसी आईएमएफएल व बीयर ब्रांडों का अंतिम शेष दिखाया गया जिसके लिए 29 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर बढ़ा दी गई थी। इन रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों के अन्तिम स्टॉक में क्रमशः ₹ 2.59 करोड़ व ₹ 70.29 करोड़ के अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अन्तर राशि सन्निहित थी।

इस प्रकार इन अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के अन्तिम स्टॉक पर समग्र रूप से ₹ 72.88 करोड़ की अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि उदग्रहणीय थी। तथापि, छः चयनित जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि (छः चयनित जिला आबकारी अधिकारियों के मामलों में ₹ 22.72 करोड़) न तो अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा करवाई गई है और न ही संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा मांग की गई। इस तरह आबकारी आयुक्त के लागू दिशा-निर्देशों की अनुपालना न होने के परिणाम स्वरुप अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि ₹ 72.88 करोड़ की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया कि जिला आबकारी अधिकारियों को अंतर राशि वसूली के निर्देश जारी किये गए हैं (जून 2022) आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

5.3.4 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम उठायी गयी मात्रा पर निर्धारित अतिरिक्त राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति (नीति) 2020-21 के पैरा 3.18 (i) एवं 4.6 के अनुसार, 2020-21 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) की कम उठायी गयी मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर तथा बीयर की कम उठायी गयी मात्रा पर ₹ 10 प्रति

9 रिटेल-ऑन का अर्थ है एक लाइसेंसधारी जिसके पास परिसर में खपत हेतु विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए एवं ऐसे परिसर मे आने वाले ग्राहकों और आगंतुकों को मदिरा और बीयर परोसने हेतु होटल/रेस्टोरेंट/क्लब का लाइसेंस है।

10 रिटेल-ऑफ का अर्थ है सीलबंद कंटेनरों में मदिरा की खुदरा बिक्री और खुदरा विक्रेता के परिसर में इसका सेवन नहीं करना।

बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से लिया जाना था जिन्होनें पिछले वर्ष की उसी तिमाही में ली गयी मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर की न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। प्रत्येक त्रैमास के अंत में ऐसी कम उठायी गयी मात्रा की दुकान-वार गणना की जानी थी।

इसी प्रकार नीति के पैरा 5.4 के अनुसार यह प्रावधान उन रिटेल-ऑन अनुज्ञाधारियों पर लागू था, जिन्होनें पिछले वर्ष उसी तिमाही में ली गयी मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर के उठाव में न्यूनतम पांच प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। तत्पश्चात्, राजस्थान सरकार ने रिटेल-ऑन अनुज्ञाधारियों के लिए उपर्युक्त प्रावधानों को संशोधित किया (जुलाई 2020) कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत तक कम उठाव पर कोई पेनल्टी लागू नहीं होगी।

आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशानुसार (फरवरी 2020) सभी जिला आबकारी अधिकारियों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर विभागीय वेबसाइट पर नोटिस जारी करके अतिरिक्त राशि की वसूली की जानी थी तथा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर समूह/दुकान को देय अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर ही आगामी परमिट जारी करना था। साथ ही विभाग के आईटी अनुभाग को भी निर्देशित किया गया था कि राजस्व के समयबद्ध संग्रहण हेतु विभागीय वेबसाइट पर जरूरी प्रावधान करें।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[11] के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य) में पाया गया कि 2020-21 की अवधि में 1192 (रिटेल-ऑफ व रिटेल-ऑन) अनुज्ञाधारियों ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की निर्धारित मात्रा नहीं उठायी अतः इस प्रकार अतिरिक्त राशि ₹ 15.25 करोड़ भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने कम उठायी गयी मात्रा पर निर्धारित अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की तथा पिछली तिमाही के अंत में देय अतिरिक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित किए बिना मदिरा के उठाव के लिए परमिट जारी कर दिए। इस प्रकार, जिला आबकारी अधिकारी नीति प्रावधानों को लागू नहीं कर सके तथा आबकारी आयुक्त के मौजूदा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि की अवसूली रही।

आगे, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आईईएमएस में लंबित अतिरिक्त राशि जमा करने के बाद ही अनुज्ञाधारियों को अगला परमिट जारी करने की अनुमति देने की सुविधा मार्च 2022 तक लागू नहीं की गई थी।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल व मई 2022)। राज्य सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि ₹ 5.15 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारीयों को शेष अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तथापि,

11 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही।

वसूली के समर्थन में राज्य सरकार ने साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित रही (अक्टूबर 2024)।

5.3.5 रेस्टोरेंट बार लाइसेंसधारियों से शेष लाइसेंस फीस की दूसरी किस्त की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेंट बार लाइसेंस ग्रांट) नियम, 2004 यथा संशोधित[12] (अप्रैल 2020) के नियम 3(3) के अनुसार (अ) जयपुर/जोधपुर मुख्यालय के शहरीकरण योग्य सीमा क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट के लिए प्रारंभिक/बेसिक लाइसेंस फीस ₹ 9 लाख तथा (ब) अन्य संभागीय व जिला मुख्यालयों में ₹ 6.50 लाख निर्धारित की गयी थी।

तत्पश्चात, राज्य सरकार ने उन होटल बार, क्लब बार या रेस्टोरेंट बार जिनका अनुज्ञापत्र वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु 30 सितंबर 2020 तक नवीनीकृत किया गया था के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु बेसिक या प्रारंभिक लाइसेंस फीस में 25 प्रतिशत की छूट[13] प्रदान की। ऐसे अनुज्ञाधारियों को प्रारंभिक/बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण राशि दो किस्तों में 31 दिसंबर 2020 तक बिना ब्याज व अतिरिक्त फीस के जमा करवानी थी तथा छूट दी गई फीस की राशि का वर्ष 2021- 22 के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के समय समायोजन करना था।

जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) व कोटा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई व अगस्त 2021 के मध्य) कि जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) के अंतर्गत 17 (93 में से) तथा जिला आबकारी अधिकारी कोटा के अंतर्गत एक (45 में से) रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2020-21 हेतु 30 सितंबर 2020 तक लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन किया तथा प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में निर्धारित ₹ 159.50 लाख बेसिक/प्रारंभिक लाइसेंस फीस के समक्ष ₹ 82.00 लाख जमा करवाये। संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने इन रेस्टोरेंट बार के लाइसेंस को प्रथम किस्त की प्राप्ति पर ही नवीनीकृत कर दिया। तथापि, उन्होंने शेष लाइसेंस फीस की दूसरी किस्त की वसूली नहीं की, जिसे अनुज्ञाधारियों द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक जमा किया जाना था। इस प्रकार जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त नियम/अधिसूचना के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 77.50 लाख[14] की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई ।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल व मई 2022)। राज्य सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) से संबंधित में ₹ 36.00 लाख की वसूली कर ली गयी है तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को शेष राशि की वसूली हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार ने आगे कहा (जनवरी 2024) कि

12 वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4(1)एफडी/एक्स/2020-पार्ट-I दिनांक 01 अप्रैल 2020।

13 वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4(1) एफडी/एक्स/2020-पार्ट-I दिनांक 28 अक्टूबर 2020।

14 जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर) : ₹ 74.25 लाख एवं जिला आबकारी अधिकारी, कोटाः ₹ 3.25 लाख।

सात अनुज्ञाधारियों से ₹ 15.75 लाख की राशि वसूलने योग्य नहीं थी क्योंकि 25 प्रतिशत छूट का लाभ वर्ष 2021-22 के स्थान पर वर्ष 2020-21 में दिया गया था। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2020-21 में लाइसेंस शुल्क का पूरा भुगतान करने के पश्चात ही वर्ष 2021-22 में 25 प्रतिशत की छूट दी जानी थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

5.3.6 राज्य आबकारी विभाग में कंप्यूटरीकरण

आईईएमएस प्रणाली की कार्यपद्धति में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है:

5.3.6.1 अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित कोटा अनुरूप देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा उठाने में विफल रहने पर आईईएमएस में रेड फ्लैग करने की सुविधा का न होना।

आईईएमएस के लाइसेंस स्टॉक मैनेजमेंट मॉड्यूल का उपयोग रिटेल-ऑफ व रिटेल-ऑन अनुज्ञाधारियों की मदिरा इन्वेंट्री की ऑन-लाइन व्यवस्था बनाए रखने के लिये किया जाता है। अनुज्ञाधारियों को मदिरा की क्रय राशि जमा कराने हेतु नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी व आरटीजीएस जैसे विभिन्न भुगतान के तरीके उपलब्ध है। धन राशि जमा करने के बाद, अनुज्ञाधारियों द्वारा आरएसबीसीएल व आरएसजीएसएमएल से क्रय की गई मदिरा स्वतः संबंधित अनुज्ञाधारी के इन्वेंट्री लेजर में जुड़ जाती है। प्रत्येक अनुज्ञाधारी के लिए आईईएमएस के मदिरा इन्वेंट्री मेनेजमेंट मॉड्यूल में एक अनन्य लेजर की व्यवस्था की गयी है। अनुज्ञाधारी लेजर में अनुज्ञाधारी के साथ प्रत्येक लेन-देन यथा राशि की प्राप्ति, जारी किए गए चालान, लेजर में उपलब्ध शेष आदि का विवरण होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त मॉड्यूल में उन देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा अनुज्ञाधारियों को रेड फ्लैग करने की सुविधा का अभाव था जो निर्धारित मासिक गारंटी कोटा तथा तिमाही गारंटी कोटा में 50/60 यूपी देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा के निर्धारित न्यूनतम अनुपात के अनुसार देशी मदिरा/ राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव करने में विफल रहे। इसके अलावा अनुज्ञाधारियों द्वारा ऐसी कम उठायी गयी देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की मात्रा पर नकद में देय शेष मासिक गारण्टी राशि एवं आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की त्रैमासिक अन्तर राशि की गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन मॉड्यूल में विलंबित जमा के कारण लगाए जाने वाले ब्याज और कम उठाई गई मात्रा के विरुद्ध अनुज्ञाधारी द्वारा नकद जमा की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं था।

उपर्युक्त के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि विभाग कम मात्रा में उठायी गयी देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा के लिए उत्तरदायी अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर लगाये जाने वाले आबकारी शुल्क की मासिक गारंटी राशि तथा आबकारी शुल्क की अन्तर राशि को पूर्ण व समयबद्ध तरीके से वसूली करने हेतु प्रभावी रूप से आईईएमएस का लाभ नहीं उठा सका।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022) । सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि निर्धारित गारंटी कोटा के अनुसार देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठायी गयी मात्रा हेतु उत्तरदायी अनुज्ञाधारियों को रेड फ्लैग करने की सुविधा प्रारंभ करने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है एवं शीघ्र ही आईईएमएस में प्रस्तावित की जायेगी । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

5.3.6.2 कस्टमर लेजर के डेटा में अनियमितताऐं ।

एक उचित डेटाबेस प्रणाली को खातों के संधारण के लिए आवश्यक रूप से सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए । आईईएमएस के देशी मदिरा परमिट ऑनलाइन मॉड्यूल के अंतर्गत देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के कस्टमर लेजर में देशी मदिरा के आबकारी शुल्क से संबंधित अनुज्ञाधारियों के साथ किये गये लेनदेन जैसे जमा आबकारी शुल्क, समायोजित आबकारी शुल्क व शेष आबकारी शुल्क आदि सम्मिलित है ।

वर्ष 2020-21 के लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों के देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के कस्टमर लेजर के आईईएमएस डेटा की जांच में पाया गया कि 15 जिला आबकारी अधिकारियों के 2,681 अनुज्ञाधारियों की वर्ष 2020-21 के अंत में आबकारी शुल्क के अन्तिम शेष में राशि ₹ 21.40 लाख क्रेडिट दिखाई गई है । तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए कस्टमर लेजर के विश्लेषण से पता चला कि क्रेडिट शेष के स्थान पर, वर्ष 2020-21 के अंत में आबकारी शुल्क राशि ₹ 399.98 लाख का डेबिट शेष होना चाहिए था । यह इंगित करता है कि आईईएमएस की सूचनाओं में विश्वसनीयता व सत्यनिष्ठा का अभाव था ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर (फरवरी 2022) विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि नीति के पैरा 3.12.2 तथा 3.12.3 के अनुसार अनुज्ञाधारी के आवेदन पर परिक्षेत्र की कंपोजिट दुकानों के संबंध में वर्ष के लिए देय कंपोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि ईपीए में शामिल की जा सकती है एवं सितंबर 2021 से फरवरी 2022 तक मासिक गारंटी राशि में देशी मदिरा के आबकारी शुल्क के समक्ष समायोजित की जा सकती है । इस प्रकार, कस्टमर लेजर में संबंधित अनुज्ञाधारियों की समायोजित राशि को शामिल न करने के कारण कस्टमर लेजर के डेटा में अंतर था । तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि पूर्ण और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समायोजन राशि को कस्टमर लेजर में भी दर्शाया जाना चाहिए ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022) । सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) की आईईएमएस के कस्टमर लेजर में सुधार किया जाना प्रक्रियाधीन है । अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

5.3.6.3 देशी मदिरा के आबकारी शुल्क के ऑकडों में ईपीए रिपोर्ट तथा कस्टमर लेजर रिपोर्ट के मध्य भिन्नता ।

आईईएमएस के देशी मदिरा परमिट ऑनलाइन मॉड्यूल में देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों की कस्टमर लेजर में एक अनुज्ञाधारी से संबंधित देशी मदिरा के आबकारी शुल्क के लेनदेन का विवरण जैसे जमा आबकारी शुल्क, समायोजित आबकारी शुल्क, शेष आबकारी शुल्क

आदि सम्मिलित होते है । जबकि देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की ईपीए रिपोर्ट में अनुज्ञाधारी से संबंधित देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा, देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा के विरुद्ध समायोजित आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस के लेनदेनों का विवरण शामिल होता है ।

लेखापरीक्षा ने आईईएमएस के लिए लॉगिन आईडी आधारित पहुंच के माध्यम से सभी जिला आबकारी अधिकारियों के देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के वर्ष 2020-21 के लिये ईपीए रिपोर्ट तथा कस्टमर लेजर के सम्बंध में जानकारी एकत्र की । आँकडों की जांच में पाया गया कि ईपीए रिपोर्ट में देशी मदिरा की वसूली की गयी आबकारी शुल्क की राशि एवं कस्टमर लेजर में देशी मदिरा की दर्शायी समायोजित आबकारी शुल्क की राशि कुल 34 जिला आबकारी अधिकारियों में से 13 जिला आबकारी अधिकारियों के प्रकरणों में ही समान थी । शेष जिला आबकारी अधिकारियों में निम्नलिखित अनियमितताएं रहीः-

- 20 जिला आबकारी अधिकारियों के प्रकरणों में, ईपीए रिपोर्ट में देशी मदिरा की वास्तविक उठाई गई मात्रा के आधार पर आबकारी शुल्क की राशि ₹ 1,421.05 करोड़ दर्शाई। तथापि, कस्टमर लेजर रिपोर्ट में वसूल की गयी आबकारी शुल्क की राशि ₹ 1,425.80 करोड़ दर्शाई गई । इस प्रकार, कस्टमर लेजर रिपोर्ट में आबकारी शुल्क ईपीए रिपोर्ट में दर्शाये गये वास्तविक आबकारी शुल्क की तुलना में ₹ 4.75 करोड़ अधिक था ।

- जिला आबकारी अधिकारी सिरोही के प्रकरण में ईपीए रिपोर्ट में आबकारी शुल्क की प्राप्त राशि कस्टमर लेजर रिपोर्ट से ₹ 0.77 लाख अधिक थी ।

इससे यह इंगित होता है कि आईईएमएस की सूचना में निरंतरता व सत्यनिष्ठा का अभाव है ।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022) । सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि सर्वर व कस्टमर लेजर से प्राप्त रिपोर्ट समान है । सरकार का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह ईपीए और कस्टमर लेजर रिपोर्ट के बीच डेटा में भिन्नता के बिंदु के अनुरूप नहीं था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था ।

5.3.6.4 राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की जानकारी का कस्टमर लेजर रिपोर्ट में नहीं दर्शाया जाना ।

देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूह/दुकान का अनुज्ञाधारी देशी मदिरा और आरएमएल पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था । नीति 2020-21 द्वारा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल स्पिरिट पर आधारित 25 यूपी वाली "राजस्थान निर्मित मदिरा" नामक मदिरा की एक नई किस्म प्रारम्भ की गयी ।

सभी जिला आबकारी अधिकारियों के वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समुहों की ईपीए रिपोर्ट व कस्टमर लेजर रिपोर्ट के संबंधित आईईएमएस डेटा की जांच में पाया गया कि ईपीए रिपोर्ट में देशी मदिरा के साथ-साथ राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा,

आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस के लेनदेनों का विवरण सम्मिलित था। जबकि, कस्टमर लेजर रिपोर्ट में केवल देशी मदिरा के आबकारी शुल्क संबंधी विवरण ही था तथा राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस की जानकारी का अभाव था। इस तरह आईईएमएस के कस्टमर लेजर रिपोर्ट में जानकारी राजस्थान निर्मित मदिरा से संबंधित लेनदेनों की सीमा तक अपूर्ण थी।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि आईईएमएस के कस्टमर लेजर रिपोर्ट में सुधार हेतु कार्य प्रगति पर है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

5.3.6.5 एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) में अन्य मुद्दे।

आईईएमएस की जांच में कुछ अन्य कमियां उजागर हुई, जैसेः-

- आईईएमएस में संबंधित अनुज्ञाधारियों को कम रही राशि या बकाया राशि तथा देय तिथि के संबंध में अग्रिम रूप से एसएमएस भेजने या जिला आबकारी अधिकारियों को ऐसी श्रेणीवार सूचना भेजने का कोई प्रावधान/तंत्र उपलब्ध नही था। इस तरह की अधिसूचना संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों व अनुज्ञाधारियों को भुगतान तिथि से पूर्व ही सतर्क कर देती तथा राजस्व के समयबद्ध संग्रहण को सक्षम बनाती। यहाँ यह प्रासंगिक होगा कि इस तरह की एसएमएस/ई-मेल वाली अधिसूचना प्रणाली अनेक क्षेत्रों की कंपनियों यथा बीमा, बैंकिंग, यूटिलिटी आदि में बकाया/वसूली के संग्रहण के लिए काफी प्रभावी ढ़ंग से उपयोग में ली जाती है।

- उभरते व्यवसाय और साइबर सुरक्षा परिवेश और बदलती आबकारी व मद्यसंयम नीतियों के अनुरूप आईटी प्रणाली के प्रगतिशील विकास/संशोधन के लिए आईटी प्रणाली की आवधिक समीक्षा/लेखापरीक्षा के लिए कोई तंत्र नहीं था।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि जिला आबकारी अधिकारिओं व अनुज्ञाधारियों को एसएमएस की सुविधा के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

5.3.7 निष्कर्ष

विभाग ने कई मामलों में लागू आबकारी शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। मौजूदा अधिनियम/नियमों/नीति के प्रावधानों और सरकार/आबकारी आयुक्त के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने के कई दृष्टांत थे, जैसे राजस्थान निर्मित मदिरा व देशी मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर मासिक व त्रैमासिक गारंटी कोटा पर आबकारी शुल्क में अंतर राशि की अवसूली, आईएमएफएल और बीयर के रिटेल ऑन एवं रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों के पास उपलब्ध अंतिम स्टॉक पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि, आईएमएफएल व बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की अवसूली, बार अनुज्ञाधारियों से लाइसेंस फीस की कम वसूली आदि।

इसके अतिरिक्त, आईईएमएस के क्रियान्वयन मे कमियां जैसे निर्धारित मासिक/त्रैमासिक गारंटी कोटा अनुसार देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा उठाने में असफल रहे देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा अनुज्ञाधारियों को रेड फ्लैग करने के लिये प्रणाली में सुविधा का न होना तथा आईईएमएस में सूचनाओं में निरंतरता व सत्यनिष्ठा की कमी देखी गयी ।

लेखापरीक्षा ने विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में भी चूककर्ता अनुज्ञाधारियों के प्रकरणों में अप्रभावी कार्रवाई जैसी कमियाँ देखी ।

5.3.8 अनुशंसाएँ

- *विभाग को लागू आबकारी आबकारी शुल्क एवं शास्ति को आरोपित करने एवं संग्रहण में नीति/अधिनियम/नियमों/आदेशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है ।*

- *आईईएमएस में अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली के लिए मॉड्यूल विकसित किया जा सकता है जो देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर वसूली के ब्यौरे को प्रत्येक माह या तिमाही के बाद टैग करेगा ताकि अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा की गयी आगामी राशि से तथा उन्हें मदिरा का अगला स्टॉक जारी करने से पूर्व ही स्वतः वसूली की जा सके ।*

- *विभाग आईईएमएस में देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज की स्वतः गणना हेतु तंत्र की शुरुआत करने पर विचार कर सकता है ।*

- *विभाग संबंधित अनुज्ञाधारियों व जिला आबकारी अधिकारियों को कम राशि या बकाया देय राशि एवं संबंधित देय तिथि के बारे में सचेत करने के लिए आईईएमएस में एक एसएमएस आधारित अधिसूचना प्रणाली लागू कर सकता है ।*

- *विभाग आईईएमएस में सूचनाओं की सत्यनिष्ठा, निरंतरता व समयबद्ध अद्यतीकरण को सुनिश्चित कर सकता है ।*

भाग - ख

व्यय क्षेत्र

अध्याय - VI

सामान्य

अध्याय–VI: सामान्य

6.1 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 66 विभाग, 236 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विभागों की सूची **परिशिष्ट 6.1** में दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **तालिका 6.1** में दी गई है।

तालिका 6.1 : सरकार द्वारा किये गए व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व व्यय					
सामान्य सेवाएँ	43,451	54,364	56,186	60,144	65,406
सामाजिक सेवाएँ	53,064	65,687	68,313	74,009	85,054
आर्थिक सेवाएँ	49,327	46,722	51,986	44,156	59,330
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-*	-**	-***	-****	-*****
योग (अ)	**1,45,842**	**1,66,773**	**1,76,485**	**1,78,309**	**2,09,790**
पूंजीगत एवं अन्य व्यय					
पूंजीगत परिव्यय	20,623	19,638	14,718	15,271	24,152
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	1,334	1,113	2,255	491	621
लोक ऋण की अदायगी[1]	11,674	16,915	20,032	41,023	56,128
आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	500
लोक लेखा संवितरण	1,47,088	1,60,570	1,79,741	1,99,229	2,40,110
योग (ब)	**1,80,719**	**1,98,236**	**2,16,746**	**2,56,014**	**3,21,511**
कुल योग (अ+ब)	**3,26,561**	**3,65,009**	**3,93,231**	**4,34,323**	**5,31,301**

स्त्रोत : राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* ₹ 11 लाख मात्र, ** ₹ 9 लाख मात्र, *** ₹ 7 लाख मात्र, **** ₹ 7 लाख मात्र, ***** ₹ 4 लाख मात्र

6.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा का प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 एवं 17 के अंतर्गत प्राप्त है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए

1 मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट सहित।

सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखा एवं लेखापरीक्षा के विनियम, 2007, 2020 में यथा संशोधित तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं ।

6.3 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा का संचालन करता है । वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की चयनित इकाइयों की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई ।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है । जोखिम का मूल्यांकन व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है । इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं ।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए, इकाई/विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने का निवेदन करते हुए नि.प्र. जारी किए जाते हैं । जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है । इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है ।

वर्ष 2021-22 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) की 533 इकाइयों (24,550 में से) की लेखापरीक्षा के लिए 10,023 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किए गए । लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाइयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थी ।

6.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर

6.4.1 प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है । यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुए, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाए । तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया । सम्बंधित विभागों के प्राप्त हो चुके प्रत्युत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है ।

6.4.2 परिशिष्ट 6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327(1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि का प्रावधान करता है, जो कि महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात एक से तीन वर्ष के मध्य है ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की असमर्थता के परिणामस्वरुप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटान नहीं हो सका । सितम्बर 2022 को वर्ष 1998-99 से 2021-22 की अवधि के दौरान जारी 6,171 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 27,119 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे । वर्षवार बकायों की संख्या **तालिका 6.2** में दर्शायी गई है ।

तालिका 6.2 : निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों का विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2014-15 तक	3,097	8,945
2015-16	655	2,638
2016-17	502	2,254
2017-18	302	1,925
2018-19	499	3,090
2019-20	656	4,590
2020-21	306	2,254
2021-22 (मार्च 2022 तक जारी)	154	1,423
योग	**6,171**	**27,119**

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किए थे (मई 1997) । इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई । मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाना परिकल्पित था ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए अनुच्छेदों पर प्रत्युत्तर के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिए दो विभागों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया । जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (90 निरीक्षण प्रतिवेदन) एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (104 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण मे ज्ञात हुआ कि 30 सितम्बर 2022 को 194 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1,131 अनुच्छेद बकाया थे । निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट 6.2** में दिया गया है । आगे, यह भी देखा गया कि प्रथम अनुपालना, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, 191 निरीक्षण प्रतिवेदनों[2] के सम्बन्ध में, 15 माह की औसत देरी के साथ (04 दिवस से 137 माह तक) प्राप्त हुई एवं एक निरीक्षण प्रतिवेदन[3] की प्रथम अनुपालना आदिनांक तक प्राप्त होना बाकी है ।

2 कुल 191 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें प्रथम अनुपालना देरी से प्राप्त हुई – तकनीकी शिक्षा विभागः 103 नि.प्र. (09 दिवस से 137 माह) एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागः 88 नि.प्र. (04 दिवस से 107 माह) ।

3 विद्या भवन कॉलेज, उदयपुर (तकनीकी शिक्षा विभाग) का निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि अप्रैल 2007 से मार्च 2013 की प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई है ।

सरकार को इन मामलों को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) समयानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन/ अनुच्छेदों का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें (ब) समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली के लिए कार्यवाही करें और (स) लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित व उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार करें।

6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निर्णय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ (एक्शन टेकन एक्सप्लेनेटरी नोट्स), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जनलेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के व्यय क्षेत्र (पूर्ववर्ती सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 54 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 05 सितम्बर 2018 तथा 22 सितम्बर 2022 के मध्य प्रस्तुत किया गया। इनमें से 08 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ निर्धारित समय पर प्राप्त हो गई एवं 46 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ औसतन तीन से चार माह के विलम्ब से प्राप्त हुई।

जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 29 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गई और इन 29 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को सितम्बर 2024 तक 19 जनलेखा समिति प्रतिवेदनों (18 विभागों से संबंधित) में सम्मिलित किया गया।

6.6 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत क्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उन कमियों को इंगित करता है जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय VII में प्रतिवेदित किये गये हैं।

अध्याय-VII

व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय–VII: व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमितता, औचित्यता एवं मितव्ययता के मानकों के अनुपालन में विफलता के मामले उजागर हुए, जिनको अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है ।

युवा मामले एवं खेल विभाग

7.1 शूटिंग रेंज में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय

राजस्थान राज्य के जयपुर में एक शूटिंग रेंज थी और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर उन्नयन करने के लिए, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद (परिषद) ने वर्ष 2016 में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली के क्रय का निर्णय लिया । मुख्यमंत्री के बजट घोषणा की अनुपालना में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली के क्रय के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में ₹ 5 करोड़ का आवंटन किया था ।

वर्ष 2016 में, परिषद द्वारा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली की एकल स्त्रोत खरीद के लिए मैसर्स एसआईयूएस एजी स्विट्ज़रलैंड (फर्म) की पहचान की गई, क्योंकि यह फर्म भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) द्वारा अनुमोदित स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली की एकमात्र वितरक थी ।

फर्म द्वारा अपना प्रस्ताव अप्रैल 2016 में प्रस्तुत किया गया और 10 मीटर (16 सेट), 25 मीटर (5 सेट) और 50 मीटर (5 सेट) टारगेट वाले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली, जिसकी कुल राशि सी एच एफ 2,59,004 (स्विस फ्रैंक में) थी (जो ₹ 1.80 करोड़[1] के समकक्ष है) की पेशकश की गई ।

मई 2016 में, भारत में फर्म के एजेंट (मैसर्स जैम इंटरनेशनल) के साथ वार्ता के बाद, कीमत को और घटाकर सी एच एफ 2,56,100 (₹ 1.72 करोड़[2]) कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में फर्म ने दावा किया कि यह केरल खेल परिषद को दी गई कीमत से कम थी । यद्यपि परिषद ने कोई आदेश नहीं दिया था ।

फर्म के साथ तीन बार (अगस्त 2016, फरवरी 2017 और जून 2017) वार्ता करने के बाद, अक्टूबर 2017 में, खेल मंत्री के साथ हुई फर्म की बैठक में इसकी कीमत भारतीय रूपये में

1 सी एच एफ 2,59,004* ₹ 69.5363 (दिनांक 06 अप्रैल 2016 को विनिमय दर) = ₹ 1.80 करोड़ ।
2 सी एच एफ 2,56,100* ₹ 67.3428 (दिनांक 27 मई 2016 को विनिमय दर) = ₹ 1.72 करोड़ ।

उद्धृत करने एवं अतिरिक्त शुल्क पर 2 वर्षों का निःशुल्क व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध तथा 5 वर्षों की वारंटी की पेशकश करने को कहा गया था। जिस पर फर्म ने सहमति जताई और ₹ 1.68 करोड़ उद्धृत की गई ।

फर्म को दिनांक 5 अप्रैल 2018 को 10 मीटर टारगेट के 16 सेट, 25 मीटर टारगेट के 5 सेट और 50 मीटर टारगेट के 5 सेट के लिए ₹ 1.88 करोड़ (जिसमें एकीकृत जीएसटी ₹ 0.20 करोड़ शामिल है) का आपूर्ति आदेश दिया गया । हालाँकि, परिषद की आयात क्रय प्रक्रिया में समझ की कमी के कारण एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद साख-पत्र[3] (एलसी) नहीं खोला जा सका । फर्म ने एक प्रारूप अनुबंध समझौता भेजा (सितंबर 2019), लेकिन परिषद ने इसे हस्ताक्षरित नहीं किया, क्योंकि यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 68)[4] में निर्धारित प्रारूप समझौते से भिन्न था, जो अप्रैल 2016 में फर्म को भेजे गए प्रारंभिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध के साथ संलग्न था । बैंक बिना अनुबंध के एलसी नहीं खोल सके ।

तीन वर्षों के प्रयासों के बाद, 05 नवंबर 2019 को सम्पूर्ण क्रय प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रय प्रक्रिया को रद्द करने के कारण, यथा फर्म द्वारा भेजा गया प्रारूप अनुबंध समझौता पूर्व में भेजे गए प्रारूप से भिन्न होना, स्वीकृति पत्र के 15 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होना, आरटीपीपी नियमों के नियम 40 का उल्लंघन करते हुए बोली मूल्यांकन में 3 वर्ष लगना और वार्ता के दौरान वास्तविक लागत, राज्य लोक उपापन पोर्टल (एसपीपी) में सूचित अनुमानित लागत से अधिक होना, आदि, स्वेच्छित थे, क्योंकि फर्म द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार समझौता तैयार किया गया था और इसके आगे, नियमों में यह वर्णित नहीं किया गया है कि यदि समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए ।

इस प्रकार, अप्रैल 2016 से लेकर नवंबर 2019 तक निविदा प्रक्रिया के रद्द होने में तीन वर्ष छह माह लगे । मई 2016 में पहले दौर की वार्ता के बाद, जब क्रय ₹ 1.72 करोड़ के लिए अंतिमीकृत की गई, तब फर्म के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए । इसके बजाय, आदेश देने से पहले फर्म के साथ अगले दो वर्षों में कई बार वार्ता की गई ।

नवंबर 2019 में निविदा रद्द होने के बाद, परिषद ने पुनः फर्म (मैसर्स जैम इंटरनेशनल, मैसर्स एसआईयूएस एजी स्विट्ज़रलैंड की भारतीय एजेंट) से अनुमान प्राप्त किये । फर्म ने फरवरी 2020 में ₹ 4.91 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया। अगस्त 2020 में, परिषद द्वारा एक नई

3 एलसी एक अनुबंध समझौते के आधार पर संचालित होती हैं, जो दोनों पक्षों के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। आपूर्ति आदेश एक विक्रेता को जारी किए गए औपचारिक प्रस्ताव हैं, जो कि सहमत हुई कीमत पर एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए सहमति को दर्शाते हैं ।

4 आरटीपीपी नियम अनुबंध समझौते के फॉर्म का उपयोग निर्दिष्ट करता है ।

क्रय प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया एवं मार्च 2021 में निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन कोविड की लहर के कारण, बोली नहीं खोली जा सकी और सितंबर 2021 में निविदा पुनः रद्द कर दी गई।

सितंबर 2021 में, ₹ 4.97 करोड़ की अनुमानित लागत के लिए पुनः निविदा आमंत्रण सूचना (एन. आई. टी.) जारी की गई और जिसमें ₹ 5.84 करोड़ की बोली के साथ पुनः मैसर्स एसआईयूएस एजी स्विट्ज़रलैंड ही एकमात्र बोलीदाता रही। जनवरी 2022 में, फर्म के साथ वार्ता की गई, जिस पर ₹ 5.43 करोड़ का अंतिम प्रस्ताव दिया गया। मूल्यांकन समिति ने पाया कि यह मूल्य ₹ 4.97 करोड़ के अनुमानित मूल्य से बहुत अधिक था और जुलाई 2022 में निविदा को पुनः रद्द कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने समिति द्वारा किए गए इस मूल्यांकन को गलत पाया। फर्म द्वारा फरवरी 2020 में ₹ 4.91 करोड़ का अनुमान लगाया था, जब 1 सीएचएफ का मूल्य ₹ 74.00 था। बोली प्रस्तुत करने की तिथि (अक्टूबर 2021) पर इस अनुमान का मूल्य ₹ 5.50 करोड़ था, क्योंकि उस समय विनिमय दर 1 सीएचएफ = ₹ 82.92 थी। इस विनिमय दर पर, फर्म की बोली मूल्य ₹ 5.43 करोड़ थी, जो अनुमानित मूल्य से कम थी।

जनवरी 2023 में, परिषद द्वारा चौथी बार पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू की गई और 10 मीटर टारगेट के 31 सेट, 25 मीटर टारगेट के 10 सेट और 50 मीटर टारगेट के 10 सेट हेतु एन. आई. टी. जारी की गई। राजस्थान राइफल्स एसोसिएशन की मांग पर अप्रैल 2018 में जारी आपूर्ति आदेश की तुलना में मात्राओं में वृद्धि की गई थी। फरवरी 2023 में, फर्म मैसर्स जैम इंटरनेशनल को वार्ता में तय कीमत ₹ 5.34 करोड़ पर आपूर्ति आदेश जारी किया गया। फर्म द्वारा जुलाई 2023 में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली स्थापित की गई। परन्तु, लेखापरीक्षा द्वारा सम्पन्न भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) में पाया गया कि 25 मीटर (10 सेट) और 50 मीटर (10 सेट) शूटिंग टारगेट में उपकरणों में सुरक्षा सुविधाएं स्थापित नहीं होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय बहुत ही अकुशलता से किया गया था, क्योंकि परिषद द्वारा प्रत्येक चरण में निर्णय लेने में बहुत समय लिया गया। क्रय क्षमता की कमी के कारण क्रय प्रक्रिया में भी अत्यन्त कुप्रबंधन हुआ।

ये निरस्तीकरण और पुनः निविदाएं मनमाने ढंग से की गईं एवं इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, सिवाय इसके कि इससे समान प्रकार की वस्तुओं[5] की खरीद की लागत अप्रैल 2018 के ₹ 3.69 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2023 में ₹ 5.34 करोड़ हो गई, जो ₹ 1.65 करोड़ अधिक थी।

5 10 मीटर लक्ष्य के 31 सेट, 25 मीटर लक्ष्य के 10 सेट और 50 मीटर लक्ष्यों के 10 सेट की लागत की गणना अप्रैल 2018 की प्रस्तावित कीमत के आधार पर की गई है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रेता के साथ की गई कई दौर की वार्ताएं आरटीपीपी[6] नियमों के नियम 69(1), (2) और (5) का उल्लंघन थी, जो असाधारण स्थितियों, जैसे कि अव्यवहारिक रूप से अधिक मूल्य, को छोड़कर वार्ता पर प्रतिबंध लगाता है।

राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (मार्च 2023) में तथ्यों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी 2023 में क्रय प्रक्रिया में कमियों को उजागर करने और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के बाद राज्य सरकार द्वारा क्रय प्रक्रिया में तेजी लाई गई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

7.2 विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बकाया राशि की वसूली का अभाव

चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल, जयपुर ने कैंसर रोगियों की जाँच हेतु 'लीनियर एक्सेलरेटर मशीन' की स्थापना और संचालन करने के लिए मैसर्स इमेजिंग सुपर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड (लाइसेंसधारी), जयपुर से एक अनुबंध निष्पादित किया (जुलाई, 2007)। एसएमएस अस्पताल द्वारा रोगियों को जाँच हेतु रैफर किया जाना था। इस मशीन का उपयोग करके लाइसेंसधारी द्वारा दस[7] प्रकार की जाँच की जानी थी। अनुबंध की अवधि मशीन के चालु होने/संचालन की दिनांक (अप्रैल 2009) से दस वर्ष थी।

6 नियम 69 (1) एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धति के अलावा, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व स्तर के पश्चात् कोई बातचीत नहीं की जायेगी। मांगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली-पूर्व अवस्था में ही मांगे जायेंगे।

(2) तथापि, बातचीत केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितयों में की जा सकेगीः-

(क) जब उपापन की विषय-वस्तु के लिए बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (रिंग प्राइस) उद्धृत की गयी हो; या

(ख) जब उद्धृत की गई दरों में बड़े पैमाने पर अंतर हो और प्रचलित ब्याज दरों से बहुत अधिक प्रतीत हो।

(5) बातचीत बोली लगाने वाले के द्वारा किये गए मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी। बोली मूल्यांकन समिति के पास मूल प्रस्ताव पर विचार करने का विकल्प होगा यदि बोली लगाने वाला मूल रूप से उद्धृत की गयी दरों में बढ़ोतरी करने का विनिश्चय करता है या कोई नवीन निबंधन या शर्तें अधिरोपित करता है।

7 दस प्रकारः कंप्यूटर उपचार आयोजना के साथ तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण थेरेपी (आईएमआरटी); 3 डी कनफर्मल रेडियोथेरेपी (3 डीसीआरटी); 3 डीटीपीएस पर पूर्ण जाँच आयोजन (3 डीटीपीएस); आरईसीटी/ स्टीरियोटैक्टिक प्रोस्टेट विकिरण थेरेपी (एसपीआरटी); सेटुक्सिमैब (सीईटी); स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी (एसआरएस); छवि-निर्देशित विकिरण थेरेपी (आईजीआरटी); स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी (एसआरटी); समवर्ती कीमो रेडियोथेरेपी (सीसीआरटी) और जटिल उपशामक जाँच (सीपीआरटी)।

अनुबंध के वाक्यांश 7 के अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा एकत्रित कुल राजस्व का 21.21 प्रतिशत हिस्सा प्रति माह राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी (आरएमआरएस) को भुगतान किया जाएगा । वाक्यांश 8 के अनुसार, लाइसेंसधारी एसएमएस अस्पताल द्वारा रैफर किये गए प्रकरणों में से 20 प्रतिशत तक प्रकरणों का आरएमआरएस योजना के अंतर्गत निःशुल्क[8] जांच करेगा ।

प्रत्येक उपचार के लिए प्रतिशत की गणना अलग से की जाएगी । यदि निःशुल्क प्रकरणों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक रहती है, तो आरएमआरएस अधिक प्रकरणों का भुगतान करेगा और यदि निःशुल्क प्रकरण अनिवार्य 20 प्रतिशत से कम रहते हैं, तो लाइसेंसधारी कमी के लिए प्रत्येक छह माह में आरएमआरएस को धन राशि वापिस करेगा ।

अप्रैल 2013 और जनवरी 2019 के दौरान लाइसेंसधारी ने अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा रैफर किये गए 9,384 प्रकरणों की जांच की । इनमें से, केवल 1,474 प्रकरणों (15.70 प्रतिशत) को अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा निःशुल्क मामलों के रूप में रैफर किया गया था । चूंकि यह 20 प्रतिशत से कम प्रकरण थे, इसलिए लाइसेंसधारी को 402 निःशुल्क प्रकरणों की कमी के लिए आरएमआरएस को ₹1.47 करोड़[9] का भुगतान करना था (विवरण **परिशिष्ट 7.1** में दिया गया है) । हालाँकि, लाइसेंसधारी भुगतान करने में विफल रहा (अगस्त 2022) । इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारी द्वारा फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान की गई जाँचों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निःशुल्क प्रकरणों में कमी अप्रैल 2013 के पश्चात हुई है । हालांकि, आरएमआरएस ने जून 2018 और अगस्त 2019 में लाइसेंसधारी को निःशुल्क प्रकरणों की कमी के लिए नोटिस जारी किए । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह प्रकरण पूर्व में सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र) 2013-14, राजस्थान सरकार में उठाया गया था, जिस पर जन लेखा समिति ने विभाग को लाइसेंसधारी से बकाया राशि की वसूली करने हेतु निर्देशित किया था। यद्यपि, विभाग ने जन लेखा समिति के अनुदेशों पर

8 आरएमआरएस बीपीएल, लावारिस, विधवा, एचआईवी पॉजिटिव, आस्था कार्ड धारक, सहरिया जाति, कैदियों, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है ।

9 आईएमआरटी के 117 मामलों में कमीः ₹1.17 करोड़; 3डीसीआरटी के 65 मामलेः ₹16.25 लाख; सीईटी के 4 मामलेः ₹0.60 लाखः सीपीआरटी के 9 मामलेः ₹0.68 लाख; 3डीटीपीएस के 217 मामलेः ₹10.85 लाख; आईजीआरटी का 1 मामलाः ₹1.10 लाख; एसआरटी का 1 मामलाः ₹0.75 लाख; सीसीआरटी का 1 मामलाः ₹0.23 लाख; आरईसीटी/एसपीआरटी के 13 मामलों के लिए अधिक ₹0.65 लाख। कुल 402 मामलेः ₹1.47 करोड़ ।

प्रतिवेदन में उल्लिखित बकाया राशि की वसूली/समायोजन किया, तथापि, वह त्रुटि की पुनरावृत्ति को रोकने में विफल रहा।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध के वाक्यांश 7 के अनुसार, लाइसेंसधारी को मासिक आधार पर आरएमआरएस को कुल राजस्व का 21.21 प्रतिशत भुगतान करना था। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि लाइसेंसधारी ने अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान ₹19.44 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया। अनुबंध के अनुसार, लाइसेंसधारी को टीडीएस और निर्धारित जाँचें न किए जाने के कारण रिफंड की कटौती करने के बाद, ₹ 3.63 करोड़ का भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि, लाइसेंसधारी ने आरएमआरएस को केवल ₹ 2.62 करोड़ का भुगतान किया था। लाइसेंसधारी को शेष ₹ 1.01 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना था। आगे, आरएमआरएस ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) के अंतर्गत किए गए उपचारों के लिए फर्म को देय ₹ 1.08 करोड़ की राशि के विरुद्ध लेखापरीक्षा द्वारा सीएजी के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई राशि ₹ 84.80 लाख की वसूली को समायोजित किया। इस प्रकार, बीएसबीवाई के अंतर्गत लाइसेंसधारी को देय ₹ 23.50 लाख के शेष राजस्व को समायोजित करने के बाद, 21.21 प्रतिशत हिस्से की बकाया राशि ₹ 0.77 करोड़ थी (विवरण **परिशिष्ट 7.2** में दिया गया है)। आगे यह पाया गया कि लाइसेंसधारी ने रोगियों से नियमित प्राप्तियों के बावजूद मई 2016 से दिसंबर 2017 तक 20 माह में आरएमआरएस को किसी राशि का भुगतान नहीं किया। हालांकि, आरएमआरएस ने इस संबंध में लाइसेंसधारी को अक्टूबर 2017 से ही नोटिस जारी किए।

ये उदाहरण विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों की कमजोर निगरानी को दर्शाते हैं। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का विलंब से संज्ञान लेने के बाद भी विभाग ने संविदा को समाप्त करने के लिए अनुबंध के वाक्यांश 9 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के स्थान पर लाइसेंसधारी को राजस्व एकत्रित करने की अनुमति जारी रखी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2022) अवगत कराया कि फर्म से राशि ₹ 2.24 करोड़ [10] वसूल किये जाने हैं और बकाया राशि की वसूली के लिए फर्म को जून 2022 में नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल ने अवगत करवाया (03 जून 2024) कि फर्म की ₹ 11.17 लाख की प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर आरएमआरएस, जयपुर के खाते में जमा कर दी गई है (जून 2023)। बकाया राशि ₹ 2.13 करोड़ की राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

10 निःशुल्क मामलों की कमी के बदले ₹ 1.47 करोड़ तथा अनुबंध के अनुसार राजस्व का हिस्सा ₹ 0.77 करोड़।

इस प्रकार, अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान, विभाग अनुबंध की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी से कुल ₹ 2.13 करोड़ की बकाया देय राशि वसूल करने में विफल रहा। साथ ही, राजस्थान सरकार, लाइसेंसधारी द्वारा फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान किए गए जाँचों का विवरण भी प्राप्त नहीं कर सकी । उदासीन दृष्टिकोण, कमजोर निगरानी और यथासमय एवं आवश्यक कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो सकी तथा लाइसेंसधारी को अनुचित मौद्रिक लाभ हुआ।

(सतीश कुमार गर्ग)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
राजस्थान

जयपुर,
दिनांक 21 अप्रैल, 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक 30 अप्रैल, 2025

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.2)

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहां उत्तर प्राप्त हुए		प्रकरण जिनमें विभाग द्वारा अभी तक जांच की जानी है		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						अनुपालन विचलन							
					डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		आक्षेप से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण		वसूली की गई या एससीएन जारी[1] किया गया		एएसएमटी-10/नोटिस/डीआरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
जीएसटीआर-2ए और जीएसटी आर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच (डी 1)	50	205.91	10	35.49	5	17.66	7	23.6	6	24.33	1	1.53	21	103.3	0	0	22	104.83
आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान (डी 2)	48	30.3	4	1.77	10	5.98	5	0.79	1	0.55	0	0	28	21.21	0	0	28	21.21
बिना भुगतान के ली गई आरसीएम आईटीसी (डी 3)	47	29.76	4	1.65	11	6.19	4	0.5	2	0.67	0	0	26	20.75	0	0	26	20.75
आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग (डी 4)	50	12.87	8	3.16	17	4.11	1	0.15	0	0	1	0.1	22	5.21	1	0.14	24	5.45

1 19 प्रकरणों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की गई और ₹ 25.88 करोड़ के 31 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया।

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहां उत्तर प्राप्त हुए		प्रकरण जिनमें विभाग द्वारा अभी तक जांच की जानी है		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						अनुपालन विचलन							
					डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		आक्षेप से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण		वसूली की गई या एससीएन जारी[1] किया गया		एएसएमटी-10/नोटिस/डीआरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान (डी 5)	47	1686.59	10	235.55	5	69.81	2	30.73	20	819.53	0	0	10	#	0	0	10	#
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच (डी 6)	50	463.93	6	7.64	5	29.85	3	3.47	14	18.9	0	0	22	$	0	0	22	$
जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मिसमैच (डी 7)	50	-[2]	11	-	0	-	0	-	12	-	0	-	27	-	0	-	27	-
जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच (डी 8)	50	-[3]	8	-	4	-	0	-	7	-	5	-	26	-	0	-	31	-
लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच (डी 9)	48	45.72	3	1.64	4	2.78	5	2.12	4	4.15	10	1.36	22	33.67	0	0	32	35.03
अस्थिर देनदारियां (डी 10)	39	188.85	14	75.64	2	3.89	2	13.80	2	20.15	7	21.64	12	53.73	0	0	19	75.37

\# जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में *मिलान नहीं हुई* आईटीसी का अनुपालन विचलन ₹ 530.97 करोड़।

$ जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में *मिलान नहीं हुई* आईटीसी का अनुपालन विचलन ₹ 404.07 करोड़।

[2] 50 प्रकरणों में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में कुल *मिलान नहीं हुआ* टर्नओवर ₹ 5,889.32 करोड़ है, जिसमें से 11 प्रकरणों में ₹ 1,342.73 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर की जांच विभाग द्वारा अभी तक की जानी है, 12 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 672.36 करोड़ का मिसमैच टर्नओवर शामिल हैं, विभाग ने मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किया है और ₹ 3,874.23 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले शेष 27 प्रकरणों में विचलन को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

[3] 50 प्रकरणों में जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में कुल *मिलान नहीं हुआ* कर योग्य टर्नओवर ₹ 3,138.42 करोड़ है, जिसमें से आठ प्रकरणों में ₹ 259.52 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर की विभाग द्वारा जांच की जानी बाकी है, चार प्रकरणों में ₹ 64.87 करोड़ का मिसमैच टर्नओवर डेटा प्रविष्टि की त्रुटि के कारण था, ₹ 322.34 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले सात प्रकरणों में विभाग द्वारा मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किया गया और शेष 31 प्रकरणों में ₹ 2,491.69 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले विचलन को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहां उत्तर प्राप्त हुए		प्रकरण जिनमें विभाग द्वारा अभी तक जांच की जानी है		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						अनुपालन विचलन							
					डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		आक्षेप से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण		वसूली की गई या एससीएन जारी' किया गया		एएसएमटी-10/नोटिस/डीआरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना (डी 11)	26	0	4	0	0	0	0	0	9	0	3	0	10	0	0	0	13	0
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है (डी 12)	50	0	13	0	0	0	1	0	5	0	9	0	22	0	0	0	31	0
ब्याज का कम भुगतान (डी 13)	50	12.48	9	2.1	0	0	0	0	1	0.13	14	3.12	25	6.97	1	0.16	40	10.25
कुल	**605**	**2,676.41**	**104**	**364.64**	**63**	**140.27**	**30**	**75.16**	**83**	**888.41**	**50**	**27.75**	**273**	**244.84**	**2**	**0.3**	**325**	**272.89**

परिशिष्ट–2.2 (ए)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4(ए)(5)के अनुसार आईटीसी।	जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(बी)(2) के अनुसार रिवर्स की गई आईटीसी	जीएसटीआर 9 में कॉलम 8 (सी) के अनुसार सभी करों का योग	दावा की गई कुल आईटीसी(क़ॉलम डी- क़ॉलम ई+क़ॉलम एफ)	बी2बी आपूर्ति के लिए जीएसटीआर 2ए का योग 2ए का कॉलम 3	जीएसटीआर नेट 2ए के अनुसार सभी करों का योग, 2ए का कॉलम 4	जीएसटीआर 2ए के कॉलम 5 के अनुसार	2ए के अनुसार उपलब्ध कुल आईटीसी (कॉलम एच+ कॉलम आई+कॉलम जे)	अधिक आईटीसी का लाभ उठाया (कॉलम जी–कॉलम के)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल
1	08AAFCG9082L1Z0	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ, एसी/सीटीओ वार्ड	116551736	0	67960	116619696	92160448	202844	-46019	92317274	2,43,02,422
2	08AADCC5109J1ZQ	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ, -वार्ड -I	391489975	341401	310312	391458886	274664327	39785	1638625	276342738	11,51,16,148
3	08AACCH1274J1ZK	वृत्त-एन, जयपुर-तृतीय, एसी/सीटीओ वार्ड	332561937	0	463926	333025863	270660241	0	-58660	270601581	6,24,24,282
4	08AAACL6442L1ZA	वृत्त-एन, जयपुर-तृतीय	2204645632	0	64667959	2269313591	2086502846	840339	-17005869	2070337315	19,89,76,276
5	08AAACE0078P1ZD	वृत्त-एन, जयपुर-तृतीय	1175864536	0	52975630	1228840166	1196969387	39029	806331	1197814747	3,10,25,419
6	08AAAGC0017Q2ZH	वृत्त-डी, बीकानेर	326179067	0	0	326179067	262253633	567	-4422479	257831721	6,83,47,346
7	08ACIFS5325G1Z0	वृत्त-बी, सीकर, जयपुर-चतुर्थ, वार्ड -II	55378631	0	0	55378631	39233458	0	-5878	39227580	1,61,51,051
8	08ADMPC4705D1ZX	वृत्त-बी, सीकर, जयपुर-चतुर्थ, एसी/सीटीओ वार्ड	17331288	0	0	17331288	527048	0	0	527048	1,68,04,240
9	08AADCB2008D1ZC	वृत्त-सी, जयपुर-प्रथम, एसी/सीटीओ वार्ड	22135888	0	31367370	53503258	27766081	16391	-121783	27660688	2,58,42,570
10	08AAVCS8021P1ZF	वृत्त-सी, जयपुर-प्रथम, एसी/सीटीओ वार्ड	24885673	0	902823	25788496	11225486	0	-26552	11198934	1,45,89,562
11	08AEFPR6781L1ZQ	वृत्त-ए, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	32115847	0	27881	32143728	12395188	0	-413	12394775	1,97,48,953
12	08AAFCR0446M1Z5	वृत्त-झुंझुनु, बीकानेर	317033501	0	0	317033501	302845870	0	-387622	302458248	14575,253

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4(ए)(5)के अनुसार आईटीसी।	जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(बी)(2) के अनुसार रिवर्स की गई आईटीसी	जीएसटीआर 9 में कॉलम 8 (सी) के अनुसार सभी करों का योग	दावा की गई कुल आईटीसी(क़ॉलम डी- क़ॉलम ई+क़ॉलम एफ)	बी2बी आपूर्ति के लिए जीएसटीआर 2ए का योग 2ए का कॉलम 3	जीएसटीआर नेट 2ए, 2ए के कॉलम 4 के अनुसार सभी करों का योग	जीएसटीआर 2ए के कॉलम 5 के अनुसार	2ए के अनुसार उपलब्ध कुल आईटीसी (कॉलम एच+ कॉलम आई+कॉलम जे)	अधिक आईटीसी का लाभ उठाया (कॉलम जी-कॉलम के)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल
13	08AAACT0686N1ZW	वृत्त-आई, जयपुर-तृतीय, वार्ड -I	729739836	35280	0	729704556	707340089	0	221176	707561265	22143,291
14	08AADCS0472N1Z2	वृत्त-आई, जयपुर-तृतीय, वार्ड -II	314522651	1497610	29923398	342948439	213507113	32611	-6645870	206893854	136054,585
15	08AAFCR1929K1Z3	वृत्त-आई, जयपुर-तृतीय, एसी/सीटीओ वार्ड	254325104	0	0	254325104	238805068	-409540	-235202	238160326	16164,778
16	08AAXCS0910P1ZN	वृत्त ए, जयपुर-चतुर्थ	36225340	0	588029	36813369	14483455	0	0	14483455	22329,914
17	08ADQPK6623E1ZE	वृत्त ए, अजमेर	14864278	0	15014632	29878910	14590163	0	-8218	14581945	15296,965
18	08ADJPP6148E1ZC	वृत्त-बी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	18760370	0	19242092	38002462	18624819	0	1169	18625989	19376,473
19	08AAKCA1961F1ZQ	वृत्त-बी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	87002481	27000	0	86975481	25169010	0	0	25169010	61806,471
20	08AAACM5489L1ZW	वृत्त-ए, भिवाड़ी	368076036	0	0	368076036	341884137	37876	126074	342048086	26027,950
21	08AAACR0259D1ZQ	वृत्त-ए, भिवाड़ी	182872373	0	0	182872373	144513620	0	-412489	144101131	38771,242
22	08AAACM8040P1Z3	वृत्त-ए, भिवाड़ी	778205590	0	0	778205590	697150110	5458	-1379628	695775940	82429,650
योग											**1048304,841**

परिशिष्ट 2.2 (बी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटी 3बी/जीएसटीआर 9 में कर भुगतान

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9 के 4(जी) के अनुसार आरसीएम का टर्नओवर	जीएसटीआर 9 के 6(सी) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	जीएसटीआर 9 के 6(डी) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	जीएसटीआर 9 के 6(एफ) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	आर3आईटीसीआईए मपीएस	जीएसटीआर 3बी के 4(ए)(3) की कुल आरसीएम आईटीसी	आरसीएम के तहत दावा की गई आईटीसी (कॉलम 5+6+7, जहाँ जीएसटीआर-9 फाइल किया गया और कॉलम8+9)	आरसीएम के तहत भुगतान किया गया कुल कर जीएसटीआर 3 बी की 3.1 (डी)	आरसीएम के तहत अधिक आईटीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	08APDPS1961G1ZR	वृत्त-सी, जोधपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	0	1635581	0	0	0	1635581	1635581	0	1635581
2	08AAACW1337M1Z5	वृत्त-सी, जोधपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	127533644	7311988	0	0	0	7311988	7311988	6327180	984808
3	08AAJFT9023H1ZX	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ, वार्ड -I	0	0	0	1046287	0	0	1046287	0	1046287
4	08AABFR2507C1ZQ	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	1935928	98416	0	21090552	0	106885	21188968	106883	21082085
5	08ABEFA5297L1ZY	वृत्त-सी, भिवाडी, एसी/सीटीओ वार्ड	11029600	3275313	0	0	0	3275315	3275313	551480	2723833
6	08AAECS4917P1ZR	वृत्त-सी, बीकानेर, एसी/सीटीओ वार्ड	24920836	2361161	0	0	0	569301	2361161	1194813	1166348
7	08AADCH1906N1ZG	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	9419240	0	1695464	0	0	0	1695464	0	1695464
8	08AABCB0916C1ZB	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	10773692	1134137	0	4151924	0	1134047	5286061	1134137	4151924
9	08AARCS9459D1ZO	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	5274124	1953333	0	0	0	830178	1953333	722247	1231086
10	08ABUPY0172G1Z4	वृत्त-ई, जयपुर -चतुर्थ	3612474	180623	1526986	0	0	140614	1707609	181638	1525971

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9 के 4(जी) के अनुसार आरसीएम का टर्नओवर	जीएसटीआर 9 के 6(सी) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	जीएसटीआर 9 के 6(डी) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	जीएसटीआर 9 के 6(एफ) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	आर3आईटीसीआईए मपीएस	जीएसटीआर 3बी के 4(ए)(3) की कुल आरसीएम आईटीसी	आरसीएम के तहत दावा की गई आईटीसी (कॉलम 5+6+7, जहाँ जीएसटीआर–9 फ़ाइल किया गया और कॉलम8+9)	आरसीएम के तहत भुगतान किया गया कुल कर जीएसटीआर 3 बी की 3.1 (डी)	आरसीएम के तहत अधिक आईटीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	08AAJCS5263M1ZR	वृत्त-सिरोही, वार्ड - चतुर्थ	0	0	1781051	0	0	0	1781051	0	1781051
12	08ABUPB6717E1ZK	वृत्त-सिरोही, वार्ड - चतुर्थ	0	0	1148266	0	0	0	1148266	0	1148266
13	08AACCR5652A1ZN	वृत्त, सिरोही एसी/सीटीओ वार्ड	33167632	14316116	0	0	0	2866651	14316116	3451748	10864368
14	08AACCA4856H1ZM	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	0	0	1485559	0	0	0	1485559	0	1485559
15	08AGWPS9925N1Z0	वृत्त - किशनगढ़ एसी/सीटीओ वार्ड	738946	0	44748	1143474	1035365	44748	1188222	44748	1143474
16	08AANCS6218A1ZF	वृत्त-अ, जयपुर-IV	15652420	3528912	0	0	0	2005367	3528912	2005367	1523545
17	08BMQPK0010D1ZJ	वृत्त-एफ, जयपुर-III	0	0	2433949	0	0	0	2433949	0	2433949
18	08AQLPK0940L1ZL	वृत्त शाहपुरा जयपुर-I	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	1210866	1210866	0	1210866
19	08AOOPR5883G1Z6	वृत्त शाहपुरा जयपुर-I	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	1213932	1213932	0	1213932
20	08CHWPD3031M1Z0	वृत्त शाहपुरा जयपुर-I	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	1727047	1727047	0	1727047
21	08AABCK4906F1ZQ	वृत्त-आई, जयपुर-I	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	2845944	2845944	906	2845038
22	08ADJPP6148E1ZC	वृत्त-बी, कोटा	142360	0	19242094	0	0	2233	19242094	7118	19234976
23	08AVVPK9777E1ZN	वृत्त-ए, पाली	376776	1210130	0	0	0	19562	1210130	20714	1189416
24	08AAACP1563C1ZT	वृत्त जैसलमेर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	113895952	145112272	259008224	145112256	113895968
25	08AACCA7721R1Z7	वृत्त-ए, भिवाड़ी	11765779	521948	0	7541959	0	368298	8063907	673470	7390437
26	08AAHCA7988H1Z2	वृत्त-ए, भिवाड़ी	19604500	13864	3045967	2816038	2816038	243793	5875869	3264210	2611659
27	08AABCS6963J1ZW	वृत्त-ए, भिवाड़ी	34451364	2497930	0	0	0	913643	2497930	933358	1564572
28	08AAACN6127E1ZP	वृत्त-ए, भिवाड़ी	19975470	2772034	0	0	0	1018012	2772034	1187873	1584161
योग											212091671

परिशिष्ट 2.2 (सी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

बिना भुगतान के ली गई आरसीएम आईटीसी

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	आरसीएम का कुल कर जीएसटीआर 3 बी का 3.1 (डी)	आर3आईटीसीआईएमपीएस	आरसीएम की कुल आईटीसी जीएसटीआर 3 बी का 4 (अ) (3)	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(सी) के अनुसार	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(डी) के अनुसार	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(एफ) के अनुसार	जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी	बिना भुगतान किए अधिक आईटीसी
1	08AAACW1337M1Z5	वृत्त-सी, जोधपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	6327181	0	7311988	7311988	0	0	6327180	984807
2	08APDPS1961G1ZR	वृत्त-सी, जोधपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	0	0	1635581	1635581	0	0	0	1635581
3	08AAJFT9023H1ZX	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ, वार्ड -I	0	0	0	0	0	1046286	0	1046286
4	08AAFCR5544Q1ZO	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	1514	0	851286	851286	0	0	1514	849772
5	08AABFR2507C1ZQ	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	106883	0	106885	98416	0	21090552	118467	21070501
6	08ABEFA5297L1ZY	वृत्त-सी, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	551480	0	3275315	3275315	शून्य	शून्य	551479	2723836
7	08AABCB0916C1ZB	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	1134137	0	1134047	1134137	0	4151924	1134137	4151924
8	08ABUPY0172G1Z4	वृत्त-ई, जयपुर-चतुर्थ, एसी/सीटीओ वार्ड	181638	0	140614	180623	1526986	0	180622	1526985
9	08AGVPG4807G1Z5	वृत्त-झालावाड़, कोटा, वार्ड -II	0	0	911727	911727	0	0	0	911727
10	08AAJCS5263M1ZR	वृत्त-सिरोही, वार्ड -चतुर्थ	0	0	0	0	1781051	0	0	1781051
11	08ABUPB6717E1ZK	वृत्त-सिरोही ,वार्ड -चतुर्थ	0	0	0	0	1148266	0	0	1148266
12	08AACCR5652A1ZN	वृत्त-सिरोही, एसी/सीटीओ वार्ड	3451749	0	2866651	14316116	0	0	3451747	10864367
13	08AAECB4903A1Z9	वृत्त-जी, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	294847	887050	294848	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	887051
14	08AACCA4856H1ZM	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	0	0	0	0	1485559	0	0	1485559
15	08AGWPS9925N1Z0	वृत्त - किशनगढ़ एसी/सीटीओ वार्ड	44748	1035365	44748	0	44748	1143474	44748	1143474
16	08BMQPK0010D1ZJ	वृत्त-एफ, जयपुर-III	0	0	0	0	2433950		0	2433950
17	08AQLPK0940L1ZL	वृत्त शाहपुरा जयपुर-I	0	0	1210866	शून्य	शून्य	शून्य	0	1210866
18	08CHWPD3031M1Z0	वृत्त शाहपुरा जयपुर-I	0	0	1727047	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1727047
19	08AOOPR5883G1Z6	वृत्त शाहपुरा जयपुर-I	0	0	1213932	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1213932
20	08AABCK4906F1ZQ	वृत्त-आई, जयपुर-I	906	0	2845945	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2845039
21	08ADJPP6148E1ZC	वृत्त-बी, कोटा	7118	0	2233	0	19242094	0	7118	19234976
22	08AVVPK9777E1ZN	वृत्त-ए, पाली	20714	0	19562	1210130	0	0	20714	1189416

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	आरसीएम का कुल कर जीएसटीआर 3 बी का 3.1 (डी)	आर3आईटीसीआईएमपीएस	आरसीएम की कुल आईटीसी जीएसटीआर 3 बी का 4 (अ) (3)	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(सी) के अनुसार	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(डी) के अनुसार	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(एफ) के अनुसार	जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी	बिना भुगतान किए अधिक आईटीसी
23	08AAACP1563C1ZT	वृत्त- जैसलमेर,	145112272	113895952	145112272	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	113895952
24	08AAHCA7988H1Z2	वृत्त-ए, भिवाड़ी	3264210	2816038	243793	13864	3045967	2816038	3264210	2611659
25	08AACCA7721R1Z7	वृत्त-ए, भिवाड़ी	673470	0	368298	521948	0	7541959	673470	7390437
26	08AAACN6127E1ZP	वृत्त-ए, भिवाड़ी	1187873	0	1018012	2772034	0	0	1187873	1584161
योग										**207548622**

परिशिष्ट 2.2 (डी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	वर्ष	आईएसडी क्रेडिट के तहत जीएसटीआर -3बी में दावा की गई आईटीसी	आईएसडी क्रेडिट के तहत जीएसटीआर-9 में दावा की गई आईटीसी (जीएसटीआर-9 का कॉलम 6(जी)	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर -6 की तालिका 5ए	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर-6 की तालिका 8ए	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर -6 की तालिका 9ए	अधिक आईएसडी क्रेडिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08CDYPK1410P1ZY	वृत्त-झुंझुनू वार्ड -III	2017-18	575340	575340	शून्य	शून्य	शून्य	575340
2	08AABCH5055Q1Z4	वृत्त-सी, कोटा, वार्ड -II	2017-18	7366670	3808800	2415840	शून्य	शून्य	1392960
3	08AAACH0812J1ZW	वृत्त - शाहजहांपुर एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	55919652	55919652	34823095	शून्य	शून्य	21096557
4	08AAECV7170P1ZL	वृत्त-ए, भिवाड़ी एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	1048559	1048559	शून्य	शून्य	शून्य	1048559
5	08AINPB0354M1Z6	वृत्त-बी, सीकर, जयपुर-चतुर्थ एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	1477402	1477402	शून्य	शून्य	शून्य	1477402
6	08AAACL1954B1ZW	वृत्त-ए, जयपुर-II, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	1675520	1675520	571072	शून्य	शून्य	1104448
7	08AAPCS6078Q1Z6	वृत्त-ए, भिवाड़ी एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	1154242	1154242	शून्य	शून्य	शून्य	1154242
8	08ABUPG7724J1Z3	वृत्त-ए, जयपुर-II एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	1101508	1101508	शून्य	शून्य	शून्य	1101508
9	08BPIPD5621Q1ZI	वृत्त-चितौड़गढ, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	539540	539540	शून्य	शून्य	शून्य	539540
10	08ACDPT6227B1ZQ	वृत्त-ए, भीलवाड़ा - वार्ड -I	2017-18	715589	715589	शून्य	शून्य	शून्य	715589
11	08ABDPJ5662M1ZA	वृत्त-बी, उदयपुर एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	2810333	2810333	शून्य	शून्य	शून्य	2810333
12	08AAGCM8122L1Z6	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	2891376	2891376	1031854	शून्य	शून्य	1859522
13	08AADCE4925E1ZT	वृत्त - शाहजहांपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	3302604	3302607	2341105	शून्य	शून्य	961499
14	08AAOFS2084A1Z8	वृत्त-बी, उदयपुर एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	638093	638093	शून्य	शून्य	शून्य	638093
15	08AACCS4797D1Z4	वृत्त-ए, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	1312854	1410960	शून्य	शून्य	शून्य	1312854
16	08BEQPS4084D1Z2	वृत्त-बी, पाली, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	1326668	1326668	शून्य	शून्य	शून्य	1326668
17	08AAOFN2658R1ZA	वृत्त-बुंदी, वार्ड -II	2017-18	763893	763893	शून्य	शून्य	शून्य	763893
18	08ABMPD1117G1Z2	वृत्त-सी, बीकानेर, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	435130	435130	शून्य	शून्य	शून्य	435130
19	08AAACE7582J1ZA	वृत्त-बी, भीलवाड़ा, वार्ड -II	2017-18	7845853	शून्य	5996980	शून्य	शून्य	1848873
20	08ABLFS2104H1ZA	वृत्त-सी, कोटा एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	5051356	5051356	शून्य	शून्य	शून्य	5051356

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	वर्ष	आईएसडी क्रेडिट के तहत जीएसटीआर –3बी में दावा की गई आईटीसी	आईएसडी क्रेडिट के तहत जीएसटीआर–9 में दावा की गई आईटीसी (जीएसटीआर–9 का कॉलम 6(जी)	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर –6 की तालिका 5ए	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर–6 की तालिका 8ए	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर –6 की तालिका 9ए	अधिक आईएसडी क्रेडिट
21	08AAACL6442L1ZA	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	47380832	47380832	42671972	शून्य	शून्य	4708860
22	08AAACV8389C1Z1	वृत्त - मकराना, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	612134	612134	शून्य	शून्य	शून्य	612134
23	08AJXPS0733J1ZK	वृत्त-ई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	2017-18	596423	596423	शून्य	शून्य	शून्य	596423
योग									**53131783**

परिशिष्ट 2.2 (ई)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

जीएसटीआर-9सी की तालिका 14 टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	वार्षिक रिटर्न 9सी(14एस) में दावा की गई आईटीसी	पात्र आईटीसी 9सी(14आर)	मिलान नहीं हुई आईटीसी 9सी(14टी)
1	08AAGCP9214Q1ZQ	वृत्त-बी, पाली, वार्ड-II	277825219	0	277825219
2	08AABCD9335M1Z9	वृत्त-एन, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	135651985	0	135651985
3	08AANCS4504R1ZN	वृत्त-एन, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	130031764	0	130031764
4	08AAECP4708K1Z7	वृत्त-ए, भीलवाड़ा	229555320	0	229555320
5	08AADCG3235B1Z4	वृत्त-सी, जयपुर -I, एसी/सीटीओ वार्ड	260015560	0	260015560
6	08AAFFS2927K1ZW	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	185064170	0	185064170
7	08AAACM9401C1ZV	वृत्त-ई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	133774067	0	133774067
8	08AAACC9762A1ZT	वृत्त-सी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	5537379731	1899371927	3638007804
9	08AELPV5424N1ZQ	वृत्त-आई, जयपुर-I	192415152	0	192415152
10	08AAACN6127E1ZP	वृत्त-ए, भिवाड़ी	127387113	0	127387113
योग					**5309728154**

परिशिष्ट 2.2 (एफ)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	प्राप्त आईटीसी में मिसमैच (जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ के अनुसार आईटीसी)
1	08AAACI5139B1ZY	वृत्त-सी, जयपुर-III, वार्ड-I	32208855
2	08AQAPA8752D1Z5	वृत्त-सी, जोधपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	10104057
3	08AADFU2915M1ZW	वृत्त-डी, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	23232428
4	08AAACI7990L1ZY	वृत्त-एच, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	10039868
5	08AABCT1296R1ZN	वृत्त-जे, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	8862179
6	08ADZPA1697H1Z1	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	12399122
7	08AACCR8969E1ZX	वृत्त-सी, जयपुर-II	8944752
8	08AAACJ2238E1ZX	वृत्त-सी, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	29783330
9	08AAACM0405A1ZD	वृत्त-सी, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	15216731
10	08AAACS0206P1ZD	वृत्त-सी, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	11670149
11	08AACCS0255J1ZE	वृत्त-ए, भीलवाड़ा, एसी/सीटीओ वार्ड	8648750
12	08AAACC9762A1ZT	वृत्त-सी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	3639963610
13	08AABCG3707A1Z7	वृत्त-सी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	102015583
14	08ACLPK0524G1ZT	वृत्त-जी, जयपुर-III	7909228
15	08AABCR7436B1ZK	वृत्त-आई, जयपुर-III, वार्ड-I	53223908
16	08AAIFT0891J1ZR	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	14296204
17	08AACCD5740R1Z5	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	12505682
18	08AAFCB0525K1ZT	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	9742817
19	08AADCB0274F1Z0	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	8653445
20	08AAHCR3870P1ZN	वृत्त-बी, जयपुर-III	7623505
21	08AADCB2110L1Z0	वृत्त-बी, कोटा	6699552
22	08AAACH0156K1ZP	वृत्त-ए, भिवाड़ी	6919362
योग			**4040663117**

परिशिष्ट 2.2 (जी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नऑवर में मिसमैच

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5(पी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5(क्यु)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में टर्नऑवर मिसमैच
1	08AAECG1174A1Z3	वृत्त-सी, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	917769416	240162032	677607384
2	08ABDPK8467H1ZB	वृत्त-सी, जयपुर III	1104822540	563027346	541795194
3	08AAACI5139B1ZY	वृत्त-सी, जयपुर III, वार्ड -I	2628346539	2432273370	196073169
4	08AABCJ6373K1Z7	वृत्त-एच, जयपुर I, वार्ड -II	133160261666	119506745650	13653516016
5	08AANCS6027R1ZH	वृत्त-एन, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	11397611142	50000	11397561142
6	08AABCL4708Q1Z2	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	1967509970	660653831	1306856139
7	08AAACS8479A1Z9	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	163160317	3013689	160146628
8	08AAFFA7652R1ZS	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	175308548	17426904	157881644
9	08AAGFC0806N1ZF	वृत्त-डी, जयपुर-II	275525510	95000	275430510
10	08AWNPS2137D2ZE	वृत्त-एच, जयपुर चतुर्थ	3736209032	1631848368	2104360664
11	08AWNPS2137D1ZF	वृत्त-एच, जयपुर चतुर्थ	3736209032	2034761998	1701447034
12	08FJWPS4147A1ZR	वृत्त-एच, जयपुर चतुर्थ	4590045216	4403182427	186862789
13	08AAAAS1601G2ZY	वृत्त-बी, सीकर, जयपुर चतुर्थ, एसी/सीटीओ वार्ड	823516599	10199395	813317204
14	08AADCG4274G1ZL	वृत्त -ए, अलवर, एसी/सीटीओ वार्ड	768145158	0	768145158
15	08AAMCS7915D1Z4	वृत्त-सी, जयपुर-I, वार्ड -II	180894422	4244000	176650422
16	08AAACC9762A1ZT	वृत्त-सी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	26431397606	26219876397	211521209
17	08AACCC0502G1ZB	वृत्त-सी, जयपुर-II, एसी/सीटीओ वार्ड	265142219	5887333	259254887
18	08AAATB2599R1ZZ	वृत्त-झुझुनु, घट-चतुर्थ	2494107351	2252864182	241243169
19	08AACCH5105N1ZI	वृत्त-जी, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	280510144	21599512	258910632
20	08AAACX1139J1ZA	वृत्त-आई, जयपुर III, वार्ड -II	381122586	64975109	316147477
21	08AABCE5026E1Z1	वृत्त-आई, जयपुर III, वार्ड -II	199462786	52758476	146704310
22	08AAACM3816F1ZQ	वृत्त-आई, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	4764230911	4216753421	547477490
23	08AACCS2613L2ZB	वृत्त-आई, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	168104561	23328940	144775621
24	08AACCR7382R1ZH	वृत्त-बी, भिवाड़ी	1006432060	840317767	166114293
25	08AAACC1205A1ZN	वृत्त-बी, जयपुर-III	4681035597	2985246805	1695788792
26	08AJQPM4885J1ZC	वृत्त-आई, जयपुर-I	552121015	131303721	420817294
27	08AADCR0723R1Z1	वृत्त-ए, पाली	252240066	36327464	215912602
योग					**38742318873**

परिशिष्ट 2.2 (एच)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नऑवर

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 (एफ) के अनुसार कुल टर्नऑवर	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 (ई) के समायोजनों के बाद कुल टर्नऑवर	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 (जी) के अनुसार मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नओवर
1	08ATQPK6567R2ZE	वृत्त-ए, जोधपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	0	172596128	172596128
2	08AAECG1174A1Z3	वृत्त-सी, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	240162032	917769416	677607384
3	08ABDPK8467H1ZB	वृत्त-सी, जयपुर III	212129287	753924480	541795193
4	08AAACI5139B1ZY	वृत्त-सी, जयपुर III, - वार्ड -I	2432273370	2628346539	196073169
5	08AAFCR8492P1ZD	वृत्त-जे, जयपुर I, एसी/सीटीओ वार्ड	36457912	289257573	252799661
6	08AANCS6027R1ZH	वृत्त-एन, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	50000	11397611142	11397561142
7	08AABCL4708Q1Z2	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	650134606	1956990746	1306856140
8	08AAACS8479A1Z9	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	639641	160786269	160146628
9	08AAFFA7652R1ZS	वृत्त-बी, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	17426904	175308548	157881644
10	08AFKPG6770N1ZT	वृत्त-ए, भीलवाड़ा, वार्ड -1	922263	113674064	112751801
11	08BDVPS9401A1ZA	वृत्त-एफ, जयपुर II, एसी/सीटीओ वार्ड	159331	151859786	151700455
12	08AAGFC0806N1ZF	वृत्त-डी, जयपुर II	95000	275525510	275430510
13	08AWNPS2137D2ZE	वृत्त-एच, जयपुर-चतुर्थ	1631848368	3736209032	2104360664
14	08AWNPS2137D1ZF	वृत्त-एच, जयपुर-चतुर्थ	2024847465	3726294499	1701447034
15	08FJWPS4147A1ZR	वृत्त-एच, जयपुर-चतुर्थ	4393334347	4580197136	186862789
16	08AAACW5831E1ZF	वृत्त-जी, जयपुर I, एसी/सीटीओ वार्ड	9495373	185761411	176266038
17	08AAKCA2581R1ZZ	वृत्त-बी, सीकर, जयपुर-चतुर्थ, - वार्ड -II	512	139670397	139669885
18	08AADCG4274G1ZL	वृत्त - ए, अलवर, एसी/सीटीओ वार्ड	0	768127058	768127058
19	08AAACA6522C1Z7	वृत्त-सी, बीकानेर	3716084564	3876007261	159922697
20	08AAMCS7915D1Z4	वृत्त-सी, जयपुर I, वार्ड -II	4244000	180894422	176650422
21	08AJLPP7284P1Z3	वृत्त-सी, कोटा, वार्ड -I	0	140965461	140965461
22	08AACCC0502G1ZB	वृत्त-सी, जयपुर II, एसी/सीटीओ वार्ड	5887333	265142219	259254886
23	08AAMFA7698A1Z6	वृत्त-सी, जयपुर II, एसी/सीटीओ वार्ड	9689480	150860266	141170786
24	08AANPM7316E1ZL	वृत्त-डी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	15316754	126958847	111642093
25	08AACCH5105N1ZI	वृत्त-जी, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	21587140	280497773	258910633
26	08AAACX1139J1ZA	वृत्त-आई, जयपुर III, - वार्ड -II	64334423	287416442	223082019
27	08AAACM3816F1ZQ	वृत्त-आई, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	4216753421	4710366248	493612827
28	08AACCS2613L2ZB	वृत्त-आई, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	0	144775621	144775621
29	08AAACC1205A1ZN	वृत्त-बी, जयपुर-III	2834728611	4528148283	1693419672
30	08AJQPM4885J1ZC	वृत्त-आई, जयपुर I	131303721	552121015	420817294
31	08AADCR0723R1Z1	वृत्त-ए, पाली	36327464	249103106	212775642
योग					**24916933376**

परिशिष्ट 2.2 (आई)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

लेखा पुस्तकों एवं विवरणीयों के बीच कर भुगतान में मिसमैच

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9सी (9) के अनुसार कर योग्य टर्नओवर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार सीजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार एसजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार आईजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार सेस कर	जीएसटीआर-9सी के कॉलम 9पी का योग	जीएसटीआर 9सी (9क्यु) के अनुसार भुगतान की गई राशि	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ सीजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ एसजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ आईजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ सेस भुगतान	जीएसटीआर-9सी के कॉलम 9क्यु के अनुसार कुल मिलान नहीं हुआ कर भुगतान
1	08AFFPK9391G2Z1	वृत्त-बी, जयपुर-I	163674293	15650375	15650375	11880	शून्य	31312630	15700182	7806224	7806224	0	0	15612448
2	08AAACI5139B1ZY	वृत्त-सी, जयपुर-III, वार्ड - I	2432273370	147559350	147559350	0	0	295118700	204651156	45233772	45233772	0	0	90467544
3	08AAJFT9023H1ZX	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ, वार्ड-I	375128493	शून्य	शून्य	67523289.2	शून्य	67523289	58380305	0	0	9142984	0	9142984
4	08AALCS5957L1ZI	वृत्त-एच, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	513286059.6	30892477.8	30892477.8	11805878.58	0	73590834	67832603	1353317	1353317	3051598	0	5758231
5	08ABTPG9248A1ZG	वृत्त-जे, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	75652212.92	10203061.42	10203061.42	0	46281013.98	66687137	57968329	1182146	1182146	0	6354516	8718808
6	08AAACR9697P1Z9	वृत्त-ए, भीलवाड़ा	274233959	6666287	6666287	462173.9	शून्य	13794748	10206557	69000	69000	1	3450190	3588191
7	08AABCP4431G1ZN	वृत्त-ए, जयपुर-II,वार्ड-I	48328808	4067405	4067405	513573	0	8648383	4663183	1992600	1992600	0	0	3985200
8	08AAIFM3956F1Z3	वृत्त-चितौड़गढ, एसी/सीटीओ वार्ड	14509003	शून्य	शून्य	3761157.14	शून्य	3761157	0	0	0	3761157	0	3761157
9	08AAIFM9990R1Z0	वृत्त-डी, बीकानेर, वार्ड-I	52681870.49	4741368.34	4741368.34	0	0	9482737	5459450	2011643	2011643	0	0	4023287
10	08AAACB1534F1Z6	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	1679719572	145078668	145078672	12192181	शून्य	302349521	298967427	1682385	1699627	82	0	3382094
11	08AABCK7530K1ZD	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	369548379.4	32117889	35188614	5863782	0	73170285	66501446	183213	3253938	3231688	0	6668839
12	08AABFL2967J1Z1	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	388395659.2	9709891.48	9709891.48	0	0	19419783	16610520	1404631	1404631	0	0	2809263
13	08AARCS9459D1ZO	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	266376040	17475332	17475312	15872217	0	50822861	0	17475332	17475312	15872217	0	50822861

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9सी (9) के अनुसार कर योग्य टर्नओवर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार सीजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार एसजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार आईजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार सेस कर	जीएसटीआर–9सी के कॉलम 9पी का योग	जीएसटीआर 9सी (9क्यु) के अनुसार भुगतान की गई राशि	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ सीजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ एसजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ आईजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ सेस भुगतान	जीएसटीआर–9सी के कॉलम 9क्यु के अनुसार कुल मिलान नहीं हुआ कर भुगतान
14	08AACAP3835H1ZI	वृत्त-ई, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	40719493	3664128.85	3664128.85	शून्य	शून्य	7328258	1169410	3079424	3079424	0	0	6158848
15	08AARPC0479J1ZE	वृत्त-सिरोही, पाली, एसी/सीटीओ वार्ड	26535034.83	3002514.00	3002513.00	0	15831798.00	21836825	8092247	1	1	0	13744578	13744578
16	08AACCR5652A1ZN	वृत्त-सिरोही, पाली, एसी/सीटीओ वार्ड	1043335458	63930328	63928655	0	0	127858983	114650721	6604967	6603295	0	0	13208262
17	08AAACU3561B2ZN	वृत्त-आई, जयपुर- III	288844018.2	25957703.39	25957703.39	204119.73	शून्य	52119527	47011184	2553954	2554389	0	0	5108343
18	08AAACP0165G1ZP	वृत्त-आई, जयपुर- III, - वार्ड-I	1793206336	139887020	139887020	49479735	शून्य	329253775	314923818	7094846	7094846	140266	0	14329957
19	08AAFCR1929K1Z3	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	4337064405	129588165	129588165	2043124.76	0	261219455	256331099	2485070	2485070	-81783	0	4888356
20	08AAFAT1966Q1ZO	वृत्त-आई, जयपुर-III, एसी/सीटीओ वार्ड	2347816306	143097931	143097931	शून्य	शून्य	286195862	281737940	2228961	2228961	0	0	4457922
21	08AACCN1451B1Z0	वृत्त-बी, भिवाड़ी	29711880	99011.25	99011.25	5150115.9	शून्य	5348138	1266790	99011	99011	3883326	0	4081348
22	08AWPPK3179D1Z9	वृत्त-एल, जयपुर-III	52823105.66	7131990.22	7131990.22	0	36319837.47	50583818	44805285	3	3	0	5778526	5778533
23	08AAHFV4156F2Z0	वृत्त-बारां	71766318	6458968.62	6458968.62	शून्य	शून्य	12917937	9370524	1773706	1773706	0	0	3547413
24	08ATUPJ4781A1ZF	वृत्त-बूंदी	24468437.03	3389686	3389686	0	32073121.73	38852494	31392309	31298	31298	0	7397589	7460185
25	08AASPJ1823C1ZV	वृत्त-ए, पाली	103310140	414345.03	414345.03	4326345.14	0	5155035	0	414345	414345	4326345	0	5155035
26	08AAFCM1868G2ZA	वृत्त-ए, हनुमानगढ	37481868	0	0	6746736.24	0	6746736	0	0	0	6746736	0	6746736
27	08ACRFS4474M1Z6	वृत्त-सी, श्रीगंगानगर	131918815.8	8176065	8176065	0	0	16352130	5080058	5636036	5636036	0	0	11272072
28	08AAFFB0669P1Z0	वृत्त-सूरतगढ़	115454563	9858901	9858901	0	0	19717802	8898344	5409729	5409729	0	0	10819458
29	08AADHA0499Q1ZT	वृत्त - मकराना	33094747.29	1975967.82	1975967.82	0	0	3951936	0	1975968	1975968	0	0	3951936
30	08AIMPM1727C1ZE	वृत्त- दौसा	57811322.61	3541000.04	3541000.04	0	0	7082000	2529910	2276045	2276045	0	0	4552090
31	08AABCS3931J1ZA	वृत्त-ए, भिवाड़ी	1594282040	4259600	4259600	163283311	14863	171817374	163093216	0	0	15933	8740092	8724158
32	08AAJCS3085P1ZL	वृत्त-ए, भिवाड़ी	382927274.6	11405516.85	11405516.85	45600711.56	शून्य	68411745	60800157	1436646	1436646	4738297	0	7611588
योग														350337725

परिशिष्ट 2.2 (जे)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (क))

अस्थिर देनदारियां

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर-1 के अनुसार देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार देयता	कॉलम 4 व 5 में से अधिकतम	जीएसटीआर-3बी के अनुसार भुगतान	जीएसटीआर-9 के अनुसार भुगतान	कॉलम 7 व 8 में से अधिकतम	नहीं चुकाया गया दायित्व (कॉलम 6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08AAACI5139B1ZY	वृत्त-सी, जयपुर III, वार्ड -I	210418129	295118696	295118696	115343308	199835355	199835355	95283341
2	08AADCR0095E1ZJ	वृत्त-आई, जयपुर III	20681618	20681618	20681618	5468	5468	5468	20676150
3	08AACCB5744P1Z7	वृत्त-जी, जयपुर चतुर्थ, एसी/सीटीओ वार्ड	38432838	0	38432838	7140777	0	7140777	31292061
4	08AGBPS2905H1ZG	वृत्त-जी, जयपुर I, एसी/सीटीओ वार्ड	176423581	0	176423581	228360	0	228360	176195221
5	08AAKCM6407G1ZD	वृत्त-ए, जयपुर III, एसी/सीटीओ वार्ड	22668830	1708219	22668830	1633900	1647789	1647789	21021041
6	08BDHPM6568A1ZG	वृत्त-बी, सीकर, जयपुर चतुर्थ, एसी/सीटीओ वार्ड	28989278	0	28989278	1356530	0	1356530	27632748
7	08AADCR3380E1ZH	वृत्त-सी, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	139975916	0	139975916	13657723	0	13657723	126318193
8	08ADIPK3399P1ZO	वृत्त-सी, अलवर, एसी/सीटीओ वार्ड	64475215	0	64475215	40112644	0	40112644	24362571
9	08AABCD9782E1ZF	वृत्त-सी, बीकानेर, एसी/सीटीओ वार्ड	877132113	856895036	877132113	856826936	856826936	856826936	20305177
10	08AAACB1534F1Z6	वृत्त-सी, जयपुर I, एसी/सीटीओ वार्ड	269202866	294259854	294259854	265179353	273269024	273269024	20990830
11	08AAKCA8820H1ZI	वृत्त -झालावाड़, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	215826588	209977133	215826588	189292545	191034650	191034650	24791938
12	08AATPC6739R1ZP	वृत्त-ई, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	197523	197524	197524	5822	33896	33896	163628
13	08ADDPS7629F1Z9	वृत्त-झुंझुनू, वार्ड-चतुर्थ	23009172	0	23009172	490994	0	490994	22518178
14	08ASFPV5712K1ZA	वृत्त-ई, जयपुर-III	33612112	0	33612112	7543263	0	7543263	26068849
15	08AACCK7334A1ZV	वृत्त-बी, भिवाड़ी	50877864	83906895	83906895	50857112	52111905	52111905	31794990
16	08AAACO7127K1Z9	वृत्त-ए, जयपुर-चतुर्थ	791547385	768085741	791547385	755777145	755856345	755856345	35691040
17	08ASNPA2590A1Z2	वृत्त-एफ, जयपुर-चतुर्थ	42695385	0	42695385	23662618	0	23662618	19032767
18	08AAFFB0669P1Z0	वृत्त-सूरतगढ़	25215443	19698340	25215443	14415448	14415448	14415448	10799995
19	08AAACA4691C1ZX	वृत्त - मेड़ता सिटी	60171836	45110863	60171836	40708624	41398099	41398099	18773737
योग									**753712455**

परिशिष्ट 2.2 (के)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4.7.3 (क))

कंपोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार
1	08ABDFM8485D1Z0	वृत्त-एच, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड
2	08ADGPV1079F1ZB	वृत्त-ए, जयपुर-I, वार्ड-I
3	08ASQPD3430K1ZM	वृत्त-ए, सीकर, वार्ड - I
4	08GKWPS2573G1ZA	वृत्त-ए, अलवर, वार्ड -III
5	08ACEPP4179R1ZP	वृत्त-सी, जयपुर-I, वार्ड -II
6	08ARJPP5671J1Z6	वृत्त-सी, जयपुर-II, एसी/सीटीओ वार्ड
7	08AAEFO6307N1ZX	वृत्त-सी, जयपुर-II, वार्ड -I
8	08ACBPY4374J1Z2	वृत्त-आई, जयपुर-II, वार्ड -I
9	08BEDPG5036G1ZR	वृत्त-आई, जयपुर-II, वार्ड -II
10	08AMUPA0595N1ZF	वृत्त-ए, उदयपुर, वार्ड -II
11	08AVJPC8169Q1ZQ	वृत्त-एच, जयपुर-II, वार्ड -II
12	08CQFPM4613L1ZL	वृत्त-एफ, जयपुर-III
13	08AMQPD1518A1ZI	वृत्त-ए, पाली

परिशिष्ट 2.2 (एल)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4.7.3 (क))

जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	कर देयता (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 का अधिकतम)	आईटीसी (जीएसटीआर 2ए के अनुसार)
1	08AOPPP4204C1Z2	वृत्त-बी, जयपुर-I	104985	89686
2	08AQJPR5543E1ZM	वृत्त-बी, जोधपुर-II, वार्ड-II	152016	74746
3	08AADHM4855J2ZU	वृत्त-सी, जयपुर-III	601125	147182
4	08AAFCN5063L1Z4	वृत्त-सी, जयपुर-III	67314	358180
5	08CILPS3667Q1Z3	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ	278318	27392
6	08AOKPK8754P1ZY	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ	21309	207084
7	08AJMPP6146K2ZK	वृत्त-जे, जयपुर-III	496030	319568
8	08AHDPK0349Q1ZZ	वृत्त-एल, जयपुर-III	66510	333973
9	08AALFD4535E1ZI	वृत्त-डी, भीलवाड़ा	142709	171502
10	08AAHCM2298L1ZW	वृत्त-ए, जयपुर-II	277263	66586
11	08AACCA6422D1Z4	वृत्त-ए, ब्यावर	1488334	118442
12	08CHIPS2096B1Z7	वृत्त-ए, ब्यावर	294970	139130
13	08AJFPD7782C1Z9	वृत्त-ए, भीलवाड़ा, एसी/सीटीओ वार्ड	41387	27948
14	08AOJPG0306C1ZM	वृत्त-डी, जयपुर-II	4175036	91074
15	08AANFV5968P1ZW	वृत्त-डी, जयपुर-II	50335	478362
16	08BOTPS1319L1Z9	वृत्त-बी, भिवाड़ी	1461314	39152
17	08AFNPC2277B1ZP	वृत्त-बी, भिवाड़ी	40064	659
18	08AZSPK1048H1Z4	वृत्त-बी, भरतपुर	355341	522778
19	08AABCK2947C2ZQ	वृत्त-बी, जयपुर-III	123572	3303
20	08AQRPJ5909Q1ZV	वृत्त-एफ, जयपुर-III	1249078	270170
21	08CJTPB8029C1Z5	शाहपुरा, जयपुर-I	809788	128835
22	08AMDPJ4521G1ZC	शाहपुरा, जयपुर-I	104694	14619
23	08AFZPM7566B1ZT	वृत्त-बी, जोधपुर-I	3508346	7033
24	08AZIPA5131H1ZO	वृत्त-बी, जोधपुर-I	146849	109803
25	08EEKPK6922K1ZZ	वृत्त-बी, कोटा	70382	37604
26	08CWGPS0220L1ZF	वृत्त-बूंदी	376321	379985
27	08AKQPG3782P1ZA	वृत्त-नागौर	46372	23502
28	08BPVPS8555K1ZN	वृत्त-धोलपुर	123748	948
29	08AIGPK5577N1ZJ	वृत्त-दौसा	86400	2272
30	08DDIPK4324R1ZY	वृत्त-जैसलमेर	309118	72109
31	08HXXPS1224R1Z9	वृत्त-ए, भिवाड़ी	145563	51068

परिशिष्ट 2.2 (एम)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4.7.3 (क))

ब्याज का कम भुगतान

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	आरोपणीय ब्याज	रोकड़ लेजर में भुगतान किया गया ब्याज	जीएसटीआर 3बी में घोषित अनुसार देय ब्याज	ब्याज का कम भुगतान
1	08AAACJ5184F1ZK	वृत्त-बी, बाड़मेर, जोधपुर-II, एसी/सीटीओ वार्ड	7213237	5807670	5807670	1405567
2	08AARCS6166P1Z9	वृत्त-डी, भीलवाड़ा	2377923	774021	727347	1603902
3	08AACCS5810P1ZZ	वृत्त-जी, जयपुर-चतुर्थ, वार्ड-I	1350486	0	0	1350486
4	08AAACR7643H1Z8	वृत्त-एच, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	4084108	1612402	1244936	2471706
5	08AACCS5778G1ZZ	वृत्त-एच, जयपुर- I, एसी/सीटीओ वार्ड	1237956	0	0	1237956
6	08AAJCS0425R1ZV	वृत्त-जे, जयपुर- III, एसी/सीटीओ वार्ड	1866489	0	0	1866489
7	08AAECJ0228L1ZK	वृत्त-एन, जयपुर- III, एसी/सीटीओ वार्ड	1797984	0	0	1797984
8	08AACCR8969E1ZX	वृत्त-एफ, जयपुर- II	5174930	0	0	5174930
9	08AFRPS1722D1ZD	वृत्त-चितौड़गढ़, एसी/सीटीओ वार्ड	1324478	0	0	1324478
10	08AAECG6662M1Z3	वृत्त-बी, सीकर, जयपुर-चतुर्थ, एसी/सीटीओ वार्ड	2311852	10257	10257	2301595
11	08AAGCA0724Q1ZG	वृत्त-सी, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	2293251	0	0	2293251
12	08AAACT3227D1ZQ	वृत्त-सी, भिवाड़ी, एसी/सीटीओ वार्ड	3559627	640918	640918	2918709
13	08BBIPS6001H1ZN	वृत्त-ए, भीलवाड़ा, एसी/सीटीओ वार्ड	1383531	0	0	1383531
14	08AABCI4025P1ZD	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	4605074	0	0	4605074
15	08AACCK0420F1Z4	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	4976758	0	0	4976758
16	08AAMFN7746C1Z0	वृत्त-सी, जयपुर-I, वार्ड-II	2354287	0	0	2354287
17	08AABCK7530K1ZD	वृत्त-सी, जयपुर-I, एसी/सीटीओ वार्ड	6614645	514942	514942	6099703
18	08AAAJB1164C1ZV	वृत्त-सी अजमेर, एसी/सीटीओ वार्ड	1692514	0	0	1692514
19	08AIJPR5867K1ZE	वृत्त-ई, जोधपुर-I, वार्ड-III	2540407	0	0	2540407
20	08AALCS2349L1ZU	वृत्त-सी, जयपुर-II, एसी/सीटीओ वार्ड	2455034	0	0	2455034
21	08ABJPH3476P1Z0	वृत्त-डी, कोटा, एसी/सीटीओ वार्ड	1357884	0	0	1357884
22	08AAKCS5538G1Z1	वृत्त-ए, उदयपुर, एसी/सीटीओ वार्ड	2143839	0	0	2143839
23	08AADCS0852Q1ZW	वृत्त-ए, उदयपुर, वार्ड-III	1756680	0	0	1756680
24	08AAECR0062J1ZG	वृत्त-झुंझुनू, वार्ड-II	1866113	0	0	1866113
25	08AVMPK0958Q1ZQ	वृत्त-झुंझुनू , बीकानेर, एसी/सीटीओ वार्ड	3423901	0	0	3423901
26	08AACCD5090Q1Z4	वृत्त-डी, जयपुर-II, एसी/सीटीओ वार्ड	1457933	0	0	1457933
27	08AAEFF8562C1ZG	वृत्त-डी, जयपुर-II, वार्ड-II	2446694	0	0	2446694
28	08AAEFH4702Q1Z3	वृत्त-एच, जयपुर-चतुर्थ, वार्ड-I	4100320	0	0	4100320
29	08AAACD0817B1ZC	वृत्त-शाहजहांपुर	2183791	12547	12547	2171244
30	08AAAFD9568L1ZV	वृत्त-ए,बीकानेर	1937738	0	0	1937738
31	08AABFH1270Q1Z5	वृत्त-एफ, बीकानेर	4176111	0	0	4176111
32	08AAECM2181R1ZX	वृत्त-एफ, बीकानेर	1853760	0	0	1853760
33	08AAHFK5693G1ZY	वृत्त-बी, जयपुर-III	7291821	0	0	7291821
34	08AAMFT1994Q1Z3	वृत्त-ए, बाड़मेर/नया वृत्त-बी, बाड़मेर	2359070	0	0	2359070
35	08ABAPL0783A1Z4	वृत्त-बी, कोटा	1584783	0	0	1584783
36	08AFCPS0369H1ZB	वृत्त-ए, श्रीगंगानगर	1323862	0	0	1323862
37	08AAACH3581N1Z8	वृत्त-जैसलमेर	1304892	0	0	1304892
38	08AAACP1563C1ZT	वृत्त-जैसलमेर	2114088	0	0	2114088
39	08AABCC7684C1ZN	वृत्त-ए, भिवाड़ी	4368773	18500	18500	4350273
योग						**100875367**

परिशिष्ट 2.3 (ए)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आइटीसी मिसमैच

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4(ए)(5)के अनुसार आईटीसी।	जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(बी)(2) के अनुसार रिवर्स की गई आईटीसी	जीएसटीआर 9 में कॉलम 8 (सी) के अनुसार सभी करों का योग	दावा की गई कुल आईटीसी(क़ॉलम डी- क़ॉलम ई+क़ॉलम एफ)	बी2बी आपूर्ति के लिए जीएसटीआर 2ए का योग 2ए का कॉलम 3	जीएसटीआर नेट 2ए के अनुसार सभी करों का योग, 2ए का कॉलम 4	जीएसटीआर 2ए के कॉलम 5 के अनुसार	2ए के अनुसार उपलब्ध कुल आईटीसी (कॉलम एच+ कॉलम आई+कॉलम जे)	अधिक आईटीसी का लाभ उठाया (कॉलम जी- कॉलम के)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल
1	08AAHCP0002D1Z4	वृत-ए, जयपुर प्रथम, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	24325325	0	0	24325325	शून्य	शून्य	शून्य	0	24325325
2	08AHHPM2757N1ZR	वृत-बी, अलवर वार्ड तृतीय मुख्यालय, खेरथल	106714340	0	0	106714340	2970514	0	-7	2970506	103743834
3	08AAACU0748E1ZJ	वृत-ई, जोधपुर प्रथम, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	403898283	110404	7328433	411116312	392785858	42480	-992897	391835441	19280871
4	08AANPA8904C1ZX	वृत-किशनगढ़, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	18862580	0	0	18862580	4042901	0	0	4042901	14819679
5	08AADFJ8965A1ZA	वृत-किशनगढ़, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	21380924	0	37044	21417968	6989289	0	-1179	6988110	14429858
योग											**176599567**

परिशिष्ट 2.3 (बी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9 के 4(जी) के अनुसार आरसीएम का टर्नओवर	जीएसटीआर 9 के 6(सी) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	जीएसटीआर 9 के 6(डी) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	जीएसटीआर 9 के 6(एफ) के अनुसार आरसीएम की आईटीसी	आर3आईटीसीआईएमपीएस	जीएसटीआर 3बी के 4(ए)(3) की कुल आरसीएम आईटीसी	आरसीएम के तहत दावा की गई आईटीसी (कॉलम 5+6+7, जहाँ जीएसटीआर-9 फ़ाइल किया गया और कॉलम8+9)	आरसीएम के तहत भुगतान किया गया कुल कर जीएसटीआर 3 बी की 3.1 (डी)	आरसीएम के तहत अधिक आईटीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	08AAECK1273E1ZR	वृत-डी, जयपुर तृतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	13379693	13379693	23389	13356304
2	08AUQPN8583M1ZG	वृत-एच, जयपुर प्रथम, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	6845785	31664498	0	0	0	342289	31664498	342289	31322209
3	08BFHPJ6539J1Z1	वृत-सी, भीलवाडा, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	1792602	1792602	0	1792602
4	08BLXPK8100N1ZE	वृत-बी, ब्यावर	0	0	1419568	0	0	0	1419568	0	1419568
5	08AABCK0743J1ZM	वृत-सी, अलवर, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	17915902	751757	0	4920905	0	751757	5672662	992346	4680316
6	08AYAPA2914K1ZQ	वृत-ए, ब्यावर	0	0	1128437	0	0	0	1128438	0	1128437
7	08CWPPK3732G1ZA	वृत-रतनगढ़, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	555000	23250	0	2174451	0	23250	2197701	27750	2169951
8	08AOJPD7368F1ZR	वृत-ए, भरतपुर, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	0	0	1743655	0	0	0	1743655	0	1743655
9	08AUSPS4008C1ZI	वृत-आई, जयपुर-II, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	0	1099794	0	0	0	1099794	1099794	0	1099794
10	08CDDPS2565N1ZX	वृत सवाई माधोपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	1073031	1073031	0	1073031
योग											**59785867**

परिशिष्ट 2.3(सी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

बिना भुगतान के ली गयी आरसीएम आईटीसी

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	आरसीएम का कुल कर जीएसटी आर 3 बी का 3.1 (डी)	आर3आईटी सीआईएमपी एस	आरसीएम की कुल आईटीसी जीएसटीआर 3 बी का 4 (अ) (3)	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(सी) के अनुसार	आरसीएम की आईटीसी जीएसटी आर 9 के 6(डी) के अनुसार	आरसीएम की आईटीसी जीएसटीआर 9 के 6(एफ) के अनुसार	जीएसटी आर 9 की तालिका 4जी	बिना भुगतान किए अधिक आईटीसी
1	08AAECK1273E1ZR	वृत-डी, जयपुर तृतीय	23389	0	13379693	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13356304
2	08AUQPN8583M1ZG	वृत-एच, जयपुर प्रथम, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	342289	0	342289	31664498	0	0	342289	31322209
3	08BFHPJ6539J1Z1	वृत-सी, भीलवाडा, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	0	0	1792602	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1792602
4	08BLXPK8100N1ZE	वृत-बी, ब्यावर	0	0	0	0	1419568	0	0	1419568
5	08AABCK0743J1ZM	वृत-सी, अलवर, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	992346	0	751757	751757	0	4920905	992346	4680316
6	08AYAPA2914K1ZQ	वृत-ए, ब्यावर	0	0	0	0	1128437	0	0	1128437
7	08CWPPK3732G1ZA	वृत-रतनगढ़, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	27750	0	23250	23250	0	2174451	27750	2169951
8	08AAQFP5970J1ZH	वृत्त-अ, भरतपुर	0	0	0	0	829566	0	0	829566
9	08AOJPD7368F1ZR	वृत-ए, भरतपुर, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	0	0	0	0	1743655	0	0	1743655
10	08AUSPS4008C1ZI	वृत-आई, जयपुर-II, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	0	0	1099794	1099794	0	0	0	1099794
11	08ABHPM2978F1ZD	वृत-एफ, उदयपुर , स.आ./वा.क.अ. वार्ड	946701	0	3259537	3259537	0	0	937048	2322488
योग										**61864890**

परिशिष्ट 2.3(डी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4.7.3 (ग))

आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ लेना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	वर्ष	आईएसडी क्रेडिट के तहत जीएसटीआर-3बी में दावा की गई आईटीसी	आईएसडी क्रेडिट के तहत जीएसटीआर-9 में दावा की गई आईटीसी (जीएसटीआर-9 का कॉलम 6(जी)	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर-6 की तालिका 8ए	आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर-6 की तालिका 9ए	अधिक आईएसडी क्रेडिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08AGFPG8371B1ZK	वृत-शाहपुरा जयपुर प्रथम स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	1195051	1195051	शून्य	शून्य	शून्य	1195051
2	08AQLPM0408P1ZG	वृत -बी भरतपुर - वार्ड-द्वितीय	2017-18	416724	416724	शून्य	शून्य	शून्य	416724
3	08AGHPB0466E1ZT	वृत-नीम का थाना जयपुर चतुर्थ स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	1600987	1600987	शून्य	शून्य	शून्य	1600987
4	08AJNPJ6396G1ZN	वृत-बी जयपुर तृतीय - वार्ड-द्वितीय	2017-18	436598	436598	शून्य	शून्य	शून्य	436598
5	08AAECN6497P1ZH	वृत-दौसा स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	11710696	11710696	शून्य	शून्य	शून्य	11710696
6	08ACEFS6845F1ZV	वृत-सी, अलवर, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	15146442	14425182	शून्य	शून्य	शून्य	14425182
7	08AAFCN3096H1Z8	वृत-एच, जयपुर तृतीय, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	470291	470291	शून्य	शून्य	शून्य	470291
8	08AHPPP1506J1Z3	वृत-जालोर, वार्ड-प्रथम	2017-18	599096	599096	शून्य	शून्य	शून्य	599096
9	08AAECC0130G1Z9	वृत-डी भीलवाडा स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	907835	907835	शून्य	शून्य	शून्य	907835
10	08ABIPA5083A2Z3	वृत-बी जयपुर द्वितीय - वार्ड-द्वितीय	2017-18	521670	521670	शून्य	शून्य	शून्य	521670
11	08BAHPR0331P2ZC	वृत-जैसलमेर जोधपुर प्रथम स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	525071	525071	शून्य	शून्य	शून्य	525071
12	08AITPM0331P1ZQ	वृत-बी भरतपुर - वार्ड-द्वितीय	2017-18	760636	760636	शून्य	शून्य	शून्य	760636
13	08ABYPJ7321A1ZM	वृत-ए ब्यावर स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	792614	792614	शून्य	शून्य	शून्य	792614
14	08AFXPA5676E1Z2	वृत-बी भीलवाड़ा स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	4024373	4024373	शून्य	शून्य	शून्य	4024373
15	08AGDPA5209J1ZO	वृत-ए भीलवाड़ा स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	1210047	1210047	शून्य	शून्य	शून्य	1210047
16	08AABCF8391H1ZC	वृत -शाहजहांपुर स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	1025065	1025065	शून्य	शून्य	शून्य	1025065
17	08AAOHS8935C1ZO	वृत-जालौर स.आ./वा.क.अ. वार्ड	2017-18	489902	489902	शून्य	शून्य	शून्य	489902
योग									41111838

परिशिष्ट 2.3(ई)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में मिलान न हुई आईटीसी

क.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	वार्षिक विवरणी 9सी (14एस) में दावा की गई आईटीसी	पात्र आईटीसी 9सी(14आर)	मिलान न हुई आईटीसी 9सी(14टी)
1	08AUQPN8583M1ZG	वृत-एच, जयपुर प्रथम, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	147855216	3897557	143957659
2	08AAGCA9158C1ZN	वृत-बी, ब्यावर	129448883	0	129448883
3	08ACLPM9140N1ZY	वृत-एफ, उदयपुर , स.आ./वा.क.अ. वार्ड	112691312	0	112691312
4	08AABCD0834B1ZA	वृत-एच, जयपुर-II, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	212306936	0	212306936
5	08ABCPB3962H1ZV	वृत ए -अजमेर	117593842	17876413	99717429
योग					**698122219**

परिशिष्ट 2.3(एफ)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच

क.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	प्राप्त आईटीसी में मिसमैच (जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ के अनुसार आईटीसी)
1	08AUQPN8583M1ZG	वृत-एच, जयपुर प्रथम, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	143957659
2	08ALEPA0112A1ZB	वृत-चुरू - वार्ड-II	18100000
3	08AANPA8904C1ZX	वृत - किशनगढ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	14819941
4	08ABCPB3962H1ZV	वृत ए -अजमेर	99717429
5	08AAEAM5743R1ZV	वृत ई बीकानेर	21902480
योग			**298497509**

परिशिष्ट 2.3(जी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान न हुआ कर योग्य टर्नओवर

क.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 (एफ) के अनुसार कुल टर्नओवर	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 (ई) समायोजनो के बाद कुल टर्नओवर	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 (जी) के अनुसार मिलान न हुआ कर योग्य टर्नओवर
1	08AAACG7586Q1ZQ	वृत-सी, बीकानेर	2593648	252697816	250104168
2	08AACCJ2882L1Z6	वृत - किशनगढ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	14252658	141568271	127315613
3	08AAKPJ9060D1ZO	वृत - मेड़ता सिटी	522743340	661839265	139095925
4	08ABYPA7699E1ZY	वृत सी, जयपुर-चतुर्थ	0	132211499	132211499
योग					**648727205**

परिशिष्ट 2.3(एच)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

लेखा पुस्तकों एवं विवरणियो के बीच कर भुगतान में मिसमैच

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर 9सी (9) के अनुसार कर योग्य टर्नओवर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार सीजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार एसजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार आईजीएसटी कर	जीएसटीआर 9सी (9पी) के अनुसार सेस कर	जीएसटीआर-9सी के कॉलम 9पी का योग	जीएसटीआर 9सी (9क्यु) के अनुसार भुगतान की गई राशि	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ सीजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ एसजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ आईजीएसटी भुगतान	जीएसटीआर 9सी के (9आर) के अनुसार मिलान नहीं हुआ सेस भुगतान	जीएसटीआर-9सी के कॉलम 9क्यु के अनुसार कुल मिलान नहीं हुआ कर भुगतान
1	08ABRPA3635P1Z6	वृत-सी, अजमेर, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	40677811.36	5184888.21	5184888.21	881234.83	0	11251011	6091044	2139513	2139513	880940	0	5159968
2	08AAGCP5334D1ZK	वृत-बी, जोधपुर प्रथम	603813499	75151803	75151803	19269119	41969755	211542480	207028332	257074	257074	4000000	0	4514148
3	08ABLFS0344P1ZN	वृत बी श्रीगंगानगर	35104664.65	2117767.23	2117767.23	0	0	4235534	0	2117767	2117767	0	0	4235534
4	08ABCPM4752G1ZO	वृत-नागौर	209727257	29361907.81	29361907.81	0	148091230.4	206815046	192968977	1	1	0	13846067	13846069
योग														27755719

परिशिष्ट 2.3(आई)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.3 (ग))

अस्थिर देनदारियाँ

क.सं.	जीएसटीआईएन	राज्य क्षेत्राधिकार	जीएसटीआर-1 के अनुसार देयताऐ	जीएसटीआर-9 के अनुसार देयताऐ	कॉलम 4 और 5 में अधिकतम	जीएसटीआर-3बी में भुगतान	जीएसटीआर-9 के अनुसार भुगतान	कॉलम 7 और 8 में अधिकतम	नहीं चुकायी गयी देयताऐ (कॉलम 6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08AAGHB1735H1ZJ	वृत- बी ब्यावर- वार्ड- तृतीय	11762143	0	11762143	0	0	0	11762143
2	08ACUPV7990A1ZT	वृत-डी, कोटा, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	80239856	80236824	80239856	53051115	53051115	53051115	27188741
योग									**38950884**

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.1)

अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

वृत क्षेत्राधिकार	नमूना	अप्रस्तुत अभिलेख	
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	आईटीसी/कर देयता में मिसमैच
डी, उदयपुर	1	1	0.32
बी, जयपुर II	5	1	2.88
बी, उदयपुर	2	2	2.36
ई, जयपुर-प्रथम	1	1	0.88
एफ, उदयपुर	1	1	0.54
एच, जयपुर-प्रथम	2	2	2.02
आई, जयपुर-तृतीय	9	8	7.62
निम्बाहेड़ा	2	2	3.22
ए, उदयपुर	1	1	2.38
ए, जयपुर III	1	1	1.06
सी, जोधपुर II	1	1	2.09
ए, राजसमन्द	1	1	0.22
एच, जयपुर II	2	2	0.35
सी, जोधपुर प्रथम	1	1	0.14
जैसलमेर	1	1	0.46
बी, कोटा	2	2	36.12
बी, जयपुर तृतीय	1	1	0
बी, जयपुर चतुर्थ	1	1	0.01
सी, जयपुर तृतीय	5	5	129.33
डी, जोधपुर II	7	7	13.68
ई, कोटा	3	3	10.28
आई, जयपुर प्रथम	3	3	4.45
सी, जयपुर प्रथम	4	4	5.92
ई, जोधपुर प्रथम	2	1	0.07
योग	**59**	**53**	**226.40**

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.1)

अभिलेखों को आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाना

(₹ करोड़ में)

वृत क्षेत्राधिकार	नमूना	आईटीसी/कर देयता में मिसमैच	
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	विचलन की राशि
सी, जयपुर II	2	2	10.50
जे, जयपुर तृतीय	1	1	3.79
ए, भिवाड़ी	3	1	1.77
ए, जयपुर II	1	1	1.23
आई, जयपुर तृतीय	9	1	0.55
जी, जयपुर चतुर्थ	1	1	0.44
जी, जयपुर तृतीय	1	1	0.13
शाहपुरा, जयपुर-प्रथम	2	1	0.03
डी, जयपुर II	1	1	0.01
योग	**21**	**10**	**18.45**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.1)

विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

क.सं.	वृत का नाम	जीएसटीआईएन	अभिलेख मांगे गए और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए	
			मूलभूत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, ट्रायल बैलेंस, ऑडिटर की रिपोर्ट आदि	संबंधित अन्य अभिलेख जैसे डेबिट/क्रेडिट नोट, इनवॉयस, छूट प्राप्त आपूर्ति के अभिलेख आदि
1. ऐसे मामले जिनमें विभाग द्वारा करदाता का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया				
1	वृत डी उदयपुर	08AIUPM8432G1ZQ	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
2	वृत बी जयपुर-II	08AAACG1895Q1ZY	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
3	वृत बी उदयपुर	08ADNPC5964D1ZH	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
4		08AAACG5306N1ZI	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
5	वृत ई जयपुर प्रथम	08AABCE3582F1ZQ	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
6	वृत-एफ उदयपुर	08AAGCM0477N1Z0	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
7	वृत-एच जयपुर प्रथम	08AAWCA1501B1ZK	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
8		08ALWPS9412P1ZV	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
9		08AACI7351P1Z3	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
10	वृत-आई जयपुर तृतीय	08AABCR0347P1Z	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
11		08AACCE4248H1ZO	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
12		08AACI0996E1ZL	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
13		08ACDPV6557E1Z9	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
14		08AAACU2414K2ZE	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
15		08AAFFE1898K1ZY	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
16		08AAACB2894G1ZN	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
17		08AAACH0968B1ZW	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
18	वृत निम्बाहेड़ा	08AEFPV5593N1Z1	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
19	वृत्त ए उदयपुर	08AABCJ0672P1Z7	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
20	वृत ए जयपुर-III	08AAACA1517B1ZG	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
21	वृत सी जोधपुर-II	08AABCS1848L1Z2	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
22	वृत ए राजसमन्द	08AEBPC9520J1ZM	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
23	वृत एच जयपुर-II	08AAATT0611L1ZK	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
24	वृत्त एच जयपुर-II	08ADAFS8903K1ZV	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
25	वृत सी जोधपुर प्रथम	08AAHHJ3320F2ZK	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
26	वृत जैसलमेर	08ADEFS3875Q1Z6	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
27	वृत बी कोटा	08AABCJ0355R1Z7	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
28	वृत बी कोटा	08AFRPS6744K1ZI	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
29	वृत बी जयपुर तृतीय	08AAGCP6333A1ZP	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
30	वृत बी जयपुर चतुर्थ	08ASQPA3326D1Z1	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
31	वृत सी जयपुर तृतीय	08AAACL0140P7ZD	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
32	वृत्त डी जोधपुर-II	08AABCL5967D1ZE	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
33		08AHIPG0574C1ZO	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
34		08AACCN4450C1ZT	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
35		08AADCB1093N1ZG	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
36		08AABCV3315P1Z1	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
37		08AABCD9523D1ZU	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
38		08AACCN6194P1ZP	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
39		08ABPPS7358P1ZE	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

क.सं.	वृत का नाम	जीएसटीआईएन	अभिलेख मांगे गए और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए	
40		08AAECP9650J1ZY	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
41		08AANFM4741R1ZG	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
42		08AABCH2668B1ZU	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
43		08AAACT4119L1Z8	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
44	वृत ई कोटा	08AAECN8067D1ZC	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
45		08ABZPG0374K1Z4	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
46		08AADCK7842G1ZD	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
47	वृत आई जयपुर प्रथम	08ABFFM6647P1AH	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
48		08AILPG2384C1ZE	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
49	वृत सी जयपुर प्रथम	08AAACO0191M2ZA	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
50		08AACCE8931F1ZM	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
51		08ABEPV4860A1ZO	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
52		08ACHFS6211Q1ZL	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
53	वृत ई जोधपुर प्रथम	08AAWPV7430R1ZD	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

क्र.सं.	वृत	जीएसटीआईएन	मूलभूत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, ट्रायल बैलेंस, ऑडिटर की रिपोर्ट आदि	संबंधित अन्य अभिलेख जैसे डेबिट/क्रेडिट नोट, इनवॉयस, छूट प्राप्त आपूर्ति के अभिलेख आदि जो विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये
2. ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा संबंधित अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए				
1	वृत ए भिवाड़ी	08AAACI3924J1ZK	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) नमूना इनवॉयस
				(ii) अनुसूचियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और 3सीबी/सीडी रिपोर्ट के साथ निदेशक की रिपोर्ट
				(iii) क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, जॉब वर्क या कर दायित्व में कमी से संबंधित अन्य दस्तावेज
				(iv) बिक्री बही/जावक आपूर्ति रजिस्टर
				(v) आरसीएम का संबंधित बिल
				(vi) चयनित महीने के इनवॉयस
				(vii) आईएसडी के संबंधित इनवॉयस
2	वृत ए जयपुर-II	08ACTPM0139M1Z3	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) डेबिट/क्रेडिट नोट्स, मुख्य इनवॉयस
				(ii) मिलान विवरण, भुगतान विवरण आदि।
				(iii) आईटीसी रजिस्टर/लेजर
				(iv) जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर 2ए
				(v) नमूना इनवॉयस
				(vi) सम्पत्ती खाता- मूल्यह्रास अनुसूची
				(vii) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण की अनुसूची
3	वृत सी जयपुर-II	08AAACS7018R1ZT	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) डेबिट/क्रेडिट नोट्स, मुख्य इनवॉयस
4		08AAACB2100P1ZX		(ii) मिलान विवरण, भुगतान विवरण आदि।
				(iii) आईटीसी रजिस्टर/लेजर
				(iv) जीएसटीआर 2ए
				(v) नमूना इनवॉयस
				(vi) राज्य विशेष का वित्तीय विवरण/ट्रायल बैलेंस
				(vii) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और निदेशक की रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण की अनुसूची
				(viii) जीएसटीआईएन 08AAACB2100P1ZX के मामले में इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटीआर-6
5	वृत शाहपुरा जयपुर प्रथम	08AAUCS3125P1ZL	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(I) प्रत्येक प्रकार की जावक आपूर्ति के इनवॉयस के नमूने
				(ii) अनुसूचियों/अनुलग्नकों के साथ राज्य विशेष का वार्षिक वित्तीय विवरण
				(iii) क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, जॉब वर्क या कर दायित्व में कमी से संबंधित अन्य दस्तावेज
				(iv) आइएसडी के संबंधित इनवॉयस

क्र.सं.	वृत	जीएसटीआईएन	मूलभूत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, ट्रायल बैलेंस, ऑडिटर की रिपोर्ट आदि	संबंधित अन्य अभिलेख जैसे डेबिट/क्रेडिट नोट, इनवॉयस, छूट प्राप्त आपूर्ति के अभिलेख आदि जो विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये
				(v) आरसीएम का संबंधित बिल
				(vi) चयनित महीने के बिल/इनवॉयस
6	वृत जे जयपुर तृतीय	08AAACP9588R1Z9	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) आईटीसी रजिस्टर/लेजर
				(ii) बिक्री खाता
				(iii) फरवरी 2018 और मार्च 2018 के महीने के इनवॉयस
				(iv) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण की अनुसूची
				(v) स्थाई संपत्तियों की अनुसूची
7	वृत डी जयपुर-II	08ABPFS3650Q1ZA	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) आईटीसी रजिस्टर/खाता
				(ii) बिक्री खाता
				(iii) फरवरी और मार्च 2018 के महीने के इनवॉयस
				(iv) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण की अनुसूची
8	वृत आई जयपुर तृतीय	08AAECM8357R1ZJ	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) प्रत्येक प्रकार की जावक आपूर्ति के नमूना इनवॉयस
				(ii) बिक्री खाता / जावक आपूर्ति रजिस्टर
				(iii) अनुसूचियों के साथ राज्य विशेष का वार्षिक वित्तीय विवरण
				(iv) अग्रिम का विवरण
				(v) बिल / इनवॉयस
9	वृत जी जयपुर चतुर्थ	08AAFDE4760C1ZQ	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) आईटीसी रजिस्टर/लेजर
				(ii) बिक्री खाता
				(iii) फरवरी और मार्च 2018 के महीने के इनवॉयस
				(iv) संशोधित इनवॉयस का विवरण
				(v) विविध देनदारों/लेनदारों का विवरण
				(vi) आरसीएम से संबंधित लेनदेनो का विवरण
10	वृत जी जयपुर तृतीय	08AATCS8224J1ZO	अभिलेख उपलब्ध कराये गये।	(i) आईटीसी रजिस्टर/लेजर
				(ii) बिक्री खाता
				(iii) फरवरी और मार्च 2018 के महीने के इनवॉयस
				(iv) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण की अनुसूची

परिशिष्ट 2.7 (ए)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.2 I (क))

ब्याज का भुगतान न करना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
1	08AADFE4760C1ZQ	एफिल कंस्ट्रक्शन	वृत जी जयपुर-चतुर्थ	जुलाई-17	25.08.2017	24.12.2017	121	0	605350	605350	0	1210700	0	36122	36122	0	72244
2	08AADFE4760C1ZQ	एफिल कंस्ट्रक्शन	वृत जी जयपुर-चतुर्थ	अगस्त-17	20.09.2017	24.12.2017	95	0	668835	668835	0	1337670	0	31334	31334	0	62669
3	08AADFE4760C1ZQ	एफिल कंस्ट्रक्शन	वृत जी जयपुर-चतुर्थ	सितम्बर-17	20.10.2017	25.12.2017	66	0	393346	393346	0	786692	0	12803	12803	0	25605
4	08AADFE4760C1ZQ	एफिल कंस्ट्रक्शन	वृत जी जयपुर-चतुर्थ	अक्टूबर-17	20.11.2017	07.04.2018	138	0	1493992	244217	0	1738209	0	101673	16620	0	118293
5	08AADFE4760C1ZQ	एफिल कंस्ट्रक्शन	वृत जी जयपुर-चतुर्थ	मार्च-18	20.04.2018	17.09.2018	150	0	70579	70579	0	141158	0	5221	5221	0	10442
6	08AAACB2100P1ZX	वोडाफ़ोन आइडिया लि.	वृत सी जयपुर द्वितीय	जुलाई-17	25.08.2017	02.11.2017	69	42346865	1539785	1539785		45426435	1440954	52395	52395	0	1545743
7	08AAACB2100P1ZX	वोडाफ़ोन आइडिया लि.	वृत सी जयपुर द्वितीय	अगस्त-17	20.09.2017	08.11.2017	49	157745	849743	849743		1857231	3812	20534	20534	0	44879
8	08AAACB2100P1ZX	वोडाफ़ोन आइडिया लि.	वृत सी जयपुर द्वितीय	सितम्बर-17	20.10.2017	09.11.2017	20	293811	773432	773432		1840675	2898	7628	7628	0	18155
9	08AAACT5317J1ZA	तिरुपति प्लास्टोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	जुलाई-17	25.08.2017	18.10.2017	54	4745	86522	86522	0	177789	126	2304	2304	0	4735
10	08AAACT5317J1ZA	तिरुपति प्लास्टोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	अगस्त-17	20.09.2017	18.10.2017	28	15773	217239	217239	0	450251	218	3000	3000	0	6217
11	08AAFCM4722P1Z1	मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	जुलाई-17	25.08.2017	31.08.2017	6	16586	567844	567844	0	1152274	49	1680	1680	0	3409
12	08AAFCM4722P1Z1	मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	अक्टूबर-17	20.11.2017	19.12.2017	29	2860	111836	111836	0	226532	41	1599	1599	0	3240

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
13	08AAFCM4722P1Z1	मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	मार्च-18	20.04.2018	12.05.2018	22	105751	199057	199057	0	503865	1147	2160	2160	0	5467
14	08AAGCS6809Q1ZK	श्री पृथ्वी स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	दिसम्बर-17	20.01.2018	22.01.2018	2	103192	11500	11500	0	126192	102	11	11	0	124
15	08AAGCS6809Q1ZK	श्री पृथ्वी स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	मार्च-18	20.04.2018	24.04.2018	4	64829	6780	1757859	0	1829468	128	13	3468	0	3609
16	08AASFS7334R1Z2	सत्यम पॉलीप्लास्ट	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	अगस्त-17	20.09.2017	21.09.2017	1	533	9721	9721	0	19975	0	5	5	0	10
17	08AASFS7334R1Z2	सत्यम पॉलीप्लास्ट	वृत-ए, जयपुर चतुर्थ, स.आ./वा.क.अ. वार्ड	दिसम्बर-17	20.01.2018	22.01.2018	2	600	19676	19676	0	39952	1	19	19	0	39
18	08AAMFA4380K1Z4	ए आर एस स्टोन्स	वृत किशनगढ़	अगस्त-17	20.09.2017	21.09.2017	1	562166	0	0	0	562166	277	0	0	0	277
19	08AAACV5228N1ZY	वेंकटेश एरिगेशन सिस्टम (पी) लिमिटेड	वृत-बी, अजमेर	सितम्बर-17	20.10.2017	25.10.2017	5	0	31195	31195	0	62390	0	77	77	0	154
20	08AAACV5228N1ZY	वेंकटेश एरिगेशन सिस्टम (पी) लिमिटेड	वृत-बी, अजमेर	फरवरी-18	20.03.2018	04.05.2018	45	0	53248	53248	0	106496	0	1182	1182	0	2363
21	08AAACV5228N1ZY	वेंकटेश एरिगेशन सिस्टम (पी) लिमिटेड	'वृत-बी, अजमेर	मार्च-18	20.04.2018	04.05.2018	14	0	45985	45985	0	91970	0	317	317	0	635
22	08ABBFM5944K1ZX	मर्करी इंडस्ट्रीज	'वृत-बी, भिवाड़ी	दिसम्बर-17	20.01.2018	22.01.2018	2	866988	0	0	0	866988	855	0	0	0	855
23	08ABBFM5944K1ZX	मर्करी इंडस्ट्रीज	'वृत-बी, भिवाड़ी	जनवरी-18	20.02.2018	28.02.2018	8	1812556	0	0	0	1812556	7151	0	0	0	7151
24	08AAACI3924J1ZK	जिलेट इंडिया लिमिटेड	'वृत-ए, भिवाड़ी	नवम्बर-17	20.12.2017	21.12.2017	1	234636	5940	5940	0	246516	116	3	3	0	122
25	08AAACI3924J1ZK	जिलेट इंडिया लिमिटेड	'वृत-ए, भिवाड़ी	दिसम्बर-17	20.01.2018	22.01.2018	2	717545	0	5376160	0	6093705	708	0	5303	0	6010

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
26	08AAACA0062F1ZA	अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड	वृत-ए, भिवाड़ी	दिसम्बर-17	20.01.2018	22.01.2018	2	127801	127570	127570	0	382941	126	126	126	0	378
27	08AAAAS5265L1Z4	साबरकांठा जिला सहकारी दूध उत्पाद यूनियन लिमिटेड	वृत-शाहपुरा जयपुर प्रथम	मार्च-18	20.04.2018	13.06.2018	54	5771642	0	0	0	5771642	153700	0	0	0	153700
28	08AAEFR2027A1ZS	आर टी इंडस्ट्रीज	वृत-टोंक, जयपुर द्वितीय	दिसम्बर-17	20.01.2018	21.01.2018	1	0	938121	0	0	938121	0	463	0	0	463
29	08AAEFR2027A1ZS	आर टी इंडस्ट्रीज	वृत-टोंक, जयपुर द्वितीय	जनवरी-18	20.02.2018	24.02.2018	4	0	988341	0	0	988341	0	1950	0	0	1950
30	08AAEFR2027A1ZS	आर टी इंडस्ट्रीज	वृत-टोंक, जयपुर द्वितीय	मार्च-18	20.04.2018	24.04.2018	4	0	36695	36695	0	73390	0	72	72	0	145
31	08ABQPG6565P1ZQ	गिन्नी इंडस्ट्रीज	वृत-ए, हनुमानगढ़	जुलाई-17	25.08.2017	22.09.2017	28	0	9116	0	0	9116	0	126	0	0	126
32	08ABQPG6565P1ZQ	गिन्नी इंडस्ट्रीज	वृत-ए, हनुमानगढ़	अगस्त-17	20.09.2017	22.09.2017	2	0	41735	0	0	41735	0	41	0	0	41
33	08ABQPG6565P1ZQ	गिन्नी इंडस्ट्रीज	वृत-ए, हनुमानगढ़	मार्च-18	20.04.2018	25.04.2018	5	0	8956	0	0	8956	0	22	0	0	22
34	08AYQPS3768M1ZA	कपिल ट्रेडिंग कंपनी	वृत-बी, श्रीगंगानगर	जुलाई-17	25.08.2017	19.10.2018	420	0	2662	2661	0	5323	0	551	551	0	1103
35	08AYQPS3768M1ZA	कपिल ट्रेडिंग कंपनी	वृत-बी, श्रीगंगानगर	अगस्त-17	20.09.2017	19.10.2018	394	0	4906	4906	0	9812	0	953	953	0	1906
36	08AAUFS5858C1ZM	सन्नी वूलेन्स इंडस्ट्रीज	वृत ए बीकानेर	सितम्बर-17	20.10.2017	19.11.2017	30	384965	16048	16048	0	417061	5695	237	237	0	6170
37	08AABCU0113A1Z7	यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	वृत-शाहजहांपुर	अगस्त-17	20.09.2017	25.09.2017	5	21872241	1042287	1042287	0	23956815	53932	2570	2570	0	59072
38	08AABCU0113A1Z7	यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	वृत-शाहजहांपुर	सितम्बर-17	20.10.2017	23.10.2017	3	8283977	756105	756105		9796187	12256	1119	1119	0	14493
39	08AABCU0113A1Z7	यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	वृत-शाहजहांपुर	नवम्बर-17	20.12.2017	26.12.2017	6	507057	16650	98838	0	622545	1500	49	292	0	1842
40	08AABCU0113A1Z7	यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	वृत-शाहजहांपुर	दिसम्बर-17	20.01.2018	23.01.2018	3	326089	37987	37987	0	402063	482	56	56	0	595
41	08AABCU0113A1Z7	यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	वृत-शाहजहांपुर	मार्च-18	20.04.2018	23.04.2018	3	152967	5400	5400	0	163767	226	8	8	0	242
42	08AADCT9702E1ZD	टोकई इंपीरियल हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-शाहजहांपुर	जुलाई-17	25.08.2017	28.08.2017	3	50042	900	900		51842	74	1	1	0	77

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
43	08AADCT9702E1ZD	टोकई इंपीरियल हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-शाहजहांपुर	सितम्बर-17	20.10.2017	23.10.2017	3	44649	638	638		45925	66	1	1	0	68
44	08AABCJ0355R1Z7	जे. के. सीमेंट लि.	वृत-बी कोटा	जुलाई-17	25.08.2017	29.11.2017	96	415828155	10755055	77102469	0	503685679	19686330	509171	3650221	0	23845722
45	08AABCJ0355R1Z7	जे. के. सीमेंट लि.	वृत-बी कोटा	अगस्त-17	20.09.2017	30.11.2017	71	378694533	72846526	72846526	0	524387585	13259496	2550626	2550626	0	18360749
46	08AABCJ0355R1Z7	जे. के. सीमेंट लि.	वृत-बी कोटा	सितम्बर-17	20.10.2017	30.11.2017	41	347415166	68972665	68972665	0	485360496	7024449	1394571	1394571	0	9813590
47	08AABCJ0355R1Z7	जे. के. सीमेंट लि.	वृत-बी कोटा	अक्टूबर-17	20.11.2017	01.12.2017	11	375883093	68246425	68246425	6866	512382809	2039037	370213	370213	37	2779501
48	08AFRPS6744K1ZI	पापुलर टायर्स	वृत-बी कोटा	सितम्बर-17	20.10.2017	07.12.2017	48	0	48715	48715	0	97430	0	1153	1153	0	2306
49	08AFRPS6744K1ZI	पापुलर टायर्स	वृत-बी कोटा	अक्टूबर-17	20.11.2017	07.12.2017	17	3113	21222	21222	0	45557	26	178	178	0	382
50	08AFRPS6744K1ZI	पापुलर टायर्स	वृत-बी कोटा	जनवरी-18	20.02.2018	26/02/2018	6	0	5928	0	0	5928	0	18	0	0	18
51	08AFRPS6744K1ZI	पापुलर टायर्स	वृत-बी कोटा	मार्च-18	20.04.2018	26.04.2018	6	0	0	41270	0	41270	0	0	122	0	122
52	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	जुलाई-17	25.08.2017	01.09.2017	7	0	505270	505270	0	1010540	0	1744	1744	0	3488
53	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	सितम्बर-17	20.10.2017	24.12.2018	430	0	137050	137050	0	274100	0	29062	29062	0	58124
54	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	अक्टूबर-17	20.11.2017	02.03.2019	467	0	420753	480855	0	901608	0	96900	110742	0	207642
55	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	नवम्बर-17	20.12.2017	02.03.2019	437	0	883233	883233	0	1766466	0	190343	190343	0	380686
56	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	दिसम्बर-17	22.01.2018	05.03.2019	407	0	285479	285479	0	570958	0	57299	57299	0	114598
57	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	जनवरी-18	20.02.2018	12.03.2019	385	0	312254	312254	0	624508	0	59285	59285	0	118571
58	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	फरवरी-18	20.03.2018	14.03.2019	359	9018	358542	358542	0	726102	1597	63477	63477	0	128550
59	08AAAFI8531Q1ZV	इम्पेल्को इलेक्ट्रिक कंपनी	वृत-डी कोटा	मार्च-18	20.04.2018	14.03.2019	328	0	0	1070694	0	1070694	0	0	173188	0	173188
60	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्स्टाईल लिमिटेड	सीटीओ वृत झालावाड़	जुलाई-17	25.08.2017	29.08.2017	4	0	12773	12773	0	25546	0	25	25	0	50

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
61	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्स्टाईल लिमिटेड	सीटीओ वृत झालावाड़	अगस्त-17	20.09.2017	18.10.2017	28	6958	16630	16630	0	40218	96	230	230	0	555
62	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्स्टाईल लिमिटेड	सीटीओ वृत झालावाड़	सितम्बर-17	20.10.2017	16.11.2017	27	70586	13338	13338	0	97262	940	178	178	0	1295
63	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्स्टाईल लिमिटेड	सीटीओ वृत झालावाड़	नवम्बर-17	20.12.2017	22.01.2018	33	29652	4637	4637	0	38926	483	75	75	0	633
64	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्स्टाईल लिमिटेड	सीटीओ वृत झालावाड़	दिसम्बर-17	22.01.2018	20.02.2018	29	104900	725	725	0	106350	1500	10	10	0	1521
65	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्स्टाईल लिमिटेड	सीटीओ वृत झालावाड़	फरवरी-18	20.03.2018	05.06.2018	77	36655	13075	288641	0	338371	1392	496	10960	0	12849
66	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्स्टाईल लिमिटेड	सीटीओ वृत झालावाड़	मार्च-18	20.04.2018	06.07.2018	77	138428	12163	12163	0	162754	5256	462	462	0	6180
67	08AADCB1093N1ZG	फ्यूचर रिटेल लिमिटेड	वृत सी, जोन तृतीय, जयपुर	जुलाई-17	20.08.2017	20.09.2017	31	0	105382	1541930	164181	1811493	0	1611	23573	2510	27694
68	08AAACG5306N1ZI	जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	वृत-बी, उदयपुर	मार्च-18	20.04.2018	26.04.2018	6	1649072	570816	570816	0	2790704	4879	1689	1689	0	8257
69	08AAACG5306N1ZI	जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	वृत-बी, उदयपुर	अगस्त-17	20.09.2017	21.09.2017	1	119827	893524	893524	0	1906875	59	441	441	0	940
70	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	जुलाई-17	25.08.2017	16.09.2017	22	0	601141	601141	0	1202282	0	6522	6522	0	13044
71	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	अगस्त-17	20.09.2017	29.09.2017	9	0	406796	406796	0	813592	0	1806	1806	0	3611
72	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	सितम्बर-17	20.10.2017	17.11.2017	28	0	1029526	1029526	0	2059052	0	14216	14216	0	28432
73	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	अक्टूबर-17	20.11.2017	13.12.2017	23	0	665685	817001	0	1482686	0	7551	9267	0	16817
74	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	नवम्बर-17	20.12.2017	23.01.2018	34	0	354888	363753	0	718641	0	5950	6099	0	12050

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
75	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	दिसम्बर-17	20.01.2018	26.02.2018	37	0	6241	605283	0	611524	0	114	11044	0	11158
76	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	जनवरी-18	20.02.2018	16.03.2018	24	0	0	260346	0	260346	0	0	3081	0	3081
77	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	फरवरी-18	20.03.2018	09.04.2018	20	0	441253	506797	0	948050	0	4352	4999	0	9351
78	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेस कांट्रेक्टर	वृत-डी, भीलवाड़ा	मार्च-18	20.04.2018	24.05.2018	34	0	313132	527476	0	840608	0	5250	8844	0	14095
79	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	मार्च-18	20.04.2018	29.09.2018	162	76606	2143241	9715493	0	11935340	6120	171224	776175	0	953519
80	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	फरवरी-18	20.03.2018	27.07.2018	129	23450	282004	282004	0	587458	1492	17940	17940	0	37372
81	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	जनवरी-18	20.02.2018	17.05.2018	86	0	211785	211785	0	423570	0	8982	8982	0	17964
82	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	दिसम्बर-17	20.01.2018	10.03.2018	49	0	70615	70615	0	141230	0	1706	1706	0	3413
83	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	नवम्बर-17	20.12.2017	10.03.2018	80	10220	348749	348749	0	707718	403	13759	13759	0	27921
84	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अक्टूबर-17	20.11.2017	10.03.2018	110	0	69563	69563	0	139126	0	3774	3774	0	7547
85	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	सितम्बर-17	20.10.2017	12.02.2018	115	664	88101	88101	0	176866	38	4996	4996	0	10030

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
86	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अगस्त-17	20.09.2017	10.02.2018	143	6945	67095	67095	0	141135	490	4732	4732	0	9953
87	08AABCD9523D1ZU	दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	जुलाई-17	25.08.2017	10.02.2018	169	9878	183220	183220	0	376318	823	15270	15270	0	31363
88	08AACCN6194P1ZP	एअर इंडिया लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	जनवरी-18	20.02.2018	21.02.2018	1	0	0	3391095	0	3391095	0	0	1672	0	1672
89	08AACCN6194P1ZP	एअर इंडिया लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	सितम्बर-17	20.10.2017	23.10.2017	3	9566566	3051410	3051410	0	15669386	14153	4514	4514	0	23182
90	08AACCN6194P1ZP	एअर इंडिया लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अगस्त-17	20.09.2017	21.09.2017	1	0	0	2609607	0	2609607	0	0	1287	0	1287
91	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	मार्च-18	20.04.2018	25.10.2018	188	0	6718	6718	0	13436	0	623	623	0	1246
92	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	फरवरी-18	20.03.2018	25.10.2018	219	0	3327	3327	0	6654	0	359	359	0	719
93	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	जनवरी-18	20.02.2018	25.10.2018	247	0	12435	12435	0	24870	0	1515	1515	0	3029
94	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	दिसम्बर-17	20.01.2018	25.10.2018	278	0	13700	13700	0	27400	0	1878	1878	0	3756
95	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	नवम्बर-17	20.12.2017	25.10.2018	309	0	6290	6290	0	12580	0	958	958	0	1917
96	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अक्टूबर-17	20.11.2017	25.10.2018	339	0	22558	22558	0	45116	0	3771	3771	0	7542
97	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	सितम्बर-17	20.10.2017	03.07.2018	256	0	591406	1177180	0	1768586	0	74663	148615	0	223278
98	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अगस्त-17	20.09.2017	03.07.2018	286	0	507077	507077	0	1014154	0	71519	71519	0	143037

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
99	08ABPPS7358P1ZE	रघुराज सिंह तेजवीर सिंह	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	जुलाई-17	25.08.2017	07.03.2018	194	0	860043	860043	0	1720086	0	82281	82281	0	164563
100	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	मार्च-18	20.04.2018	22.05.2018	32	1049806	2280025	2280025	0	5609856	16567	35981	35981	0	88528
101	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	फरवरी-18	20.03.2018	31.03.2018	11	71912	327180	327180	0	726272	390	1775	1775	0	3940
102	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	जनवरी-18	20.02.2018	31.03.2018	39	31170	476915	476915	0	985000	599	9172	9172	0	18944
103	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	दिसम्बर-17	20.01.2018	31.03.2018	70	110613	331693	331693	0	773999	3818	11450	11450	0	26719
104	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	नवम्बर-17	20.12.2017	31.03.2018	101	59783	584874	584874	0	1229531	2978	29132	29132	0	61241
105	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अक्टूबर-17	20.11.2017	31.03.2018	131	333685	673767	673767	0	1681219	21557	43527	43527	0	108611
106	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	सितम्बर-17	20.10.2017	31.03.2018	162	86676	2865790	2865790	0	5818256	6925	228949	228949	0	464823
107	08AABCH2668B1ZU	एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अगस्त-17	20.09.2017	31.03.2018	192	67597	1698094	1698094	0	3463785	6400	160784	160784	0	327968
108	08AANFM4741R1ZG	मोहनगढ़ इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	मार्च-18	20.04.2018	19.10.2018	182	0	2272424	3252779	0	5525203	0	203958	291948	0	495906

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाताओं के नाम	वृत का नाम	माह	चुकाने योग्य कर की देय तिथि	भुगतान किए गए कर की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल कर का भुगतान	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आरोपणीय कुल ब्याज 18 प्रतिशत की दर से
109	08AANFM4741R1ZG	मोहनगढ़ इंजीनियर्स एंडकंस्ट्रक्शन कंपनी	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	सितम्बर-17	20.10.2017	21.06.2018	244	0	869694	1143133	0	2012827	0	104649	137552	0	242201
110	08AANFM4741R1ZG	मोहनगढ़ इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	वृत-डी, जोन द्वितीय, जोधपुर	अगस्त-17	20.09.2017	14.02.2018	147	0	421880	421880	0	843760	0	30583	30583	0	61167
111	08ADEFS3875Q1Z6	एस.एन. कंस्ट्रक्शन कंपनी	वृत-जैसलमेर, जोधपुर प्रथम	सितम्बर-17	20.10.2017	25.10.2018	370	0	475610	481059		956669	0	86783	87777	0	174559
112	08ADEFS3875Q1Z6	एस.एन. कंस्ट्रक्शन कंपनी	वृत-जैसलमेर, जोधपुर प्रथम	नवम्बर-17	20.12.2017	25.10.2018	309	0	87000	87000		174000	0	13257	13257	0	26515
113	08ADEFS3875Q1Z6	एस.एन. कंस्ट्रक्शन कंपनी	वृत-जैसलमेर, जोधपुर प्रथम	दिसम्बर-17	20.01.2018	25.10.2018	278	0	39057	39057		78114	0	5355	5355	0	10709
114	08AABCR0347P1Z3	रेडिंगटन (इंडिया) लि.	वृत-आई, जयपुर तृतीय, एसी / सीटीओ वार्ड	अगस्त-17	20.09.2017	02.10.2017	12	99457	2159	2159	0	103775	589	13	13	0	614
115	08AABCR0347P1Z3	रेडिंगटन (इंडिया) लि.	वृत-आई, जयपुर तृतीय, एसी / सीटीओ वार्ड	फरवरी-18	20.03.2018	30.03.2018	10	158032	177	177	0	158386	779	1	1	0	781
116	08ACDPV6557E1Z9	क्लासिक रोवर्स	वृत-आई, जयपुर तृतीय, एसी / सीटीओ वार्ड	अगस्त-17	20.09.2017	25.09.2017	5	872	9527	9527	0	19926	2	23	23	0	49
117	08AAFFE1898K1ZY	एवरशाइन ज्वैलर्स	वृत-आई, जयपुर तृतीय, एसी / सीटीओ वार्ड	अगस्त-17	20.09.2017	13.10.2017	23	0	7422	7422	0	14844	0	84	84	0	168
118	08AAACB2894G1ZN	भारती एयरटेल लिमिटेड	वृत-आई, जयपुर तृतीय, एसी / सीटीओ वार्ड	जुलाई-17	25.08.2017	28.08.2017	3	0	15062	15062	0	30124	0	22	22	0	45
119	08AAGCM0477N1Z0	मेवाड़ पेस्टीसिडेस और फ़र्टिलाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-एफ, उदयपुर	दिसम्बर-17	22.01.2018	06.09.2018	227	0	0	395921	0	395921	0	0	44321	0	44321
120	08AAGCM0477N1Z0	मेवाड़ पेस्टीसिडेस और फ़र्टिलाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	वृत-एफ, उदयपुर	मार्च-18	20.04.2018	14.09.2018	147	0	0	130939	0	130939	0	0	9492	0	9492
योग	**36 मामले**		**22 वृत**									**2233264584**	**43796304**	**7113409**	**11273044**	**2547**	**62185304**

परिशिष्ट-2.7 (बी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.2 I (क))

अनियमित उपयोग की गयी आईटीसी पर ब्याज का भुगतान नहीं करना

क.सं.	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वृत का नाम	विवरणी का माह	दिनांक/ माह जिसमें आईटीसी का गलत उपयोग हुआ	दिनांक/माह जिसमें गलत तरीके से उपयोग की गई आईटीसी को रिवर्स की गयी	ब्याज गणना के लिए दिनों की संख्या	गलत उपयोग की गयी आईटीसी की राशि				अनियमित उपयोग की गयी आईटीसी की राशि	आरोपणीय ब्याज 18 प्रतिशत की दर से (₹ में)				कुल ब्याज
								आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस		आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	
1	08AAACB2894G1ZN	भारती एयरटेल लिमिटेड	आई, जयपुर-तृतीय	उपलब्ध नहीं	28 अगस्त 2017	14 अक्टूबर 2017	47	0	16544114	0	0	16544114	0	383461	0	0	383461
2				उपलब्ध नहीं	20 सितम्बर 2017	14 अक्टूबर 2017	24	0	41574827	0	0	41574827	0	492064	0	0	492064
3	08AADCK7842G1ZD	कमल ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड	आई, जयपुर-प्रथम	उपलब्ध नहीं	1 अक्टूबर 2017	30 सितम्बर 2018	364	6412893	0	0	0	6412893	1151158	0	0	0	1151158
4				उपलब्ध नहीं	1 जनवरी 2018	30 सितम्बर 2018	272	0	0	0	4663170	4663170	0	0	0	625504	625504
5	08AAVPT6020A1ZN	कालू राम राकेश कुमार	एफ, जयपुर चतुर्थ	उपलब्ध नहीं	1 अगस्त 2017	28 फरवरी 2019	576	57932	0	0	0	57932	16456	0	0	0	16456
6				उपलब्ध नहीं	1 सितम्बर 2017	28 फरवरी 2019	545	32182	0	0	0	32182	8649	0	0	0	8649
7				उपलब्ध नहीं	1 अक्टूबर 2017	28 फरवरी 2019	515	222169	0	0	0	222169	56425	0	0	0	56425
8				उपलब्ध नहीं	1 दिसम्बर 2017	28 फरवरी 2019	454	178655	0	0	0	178655	39999	0	0	0	39999
योग	**3 प्रकरण**		**3 वृत**					**6503007**	**58118941**	**0**	**4663170**	**69685942**	**1272687**	**875525**	**0**	**625504**	**2773716**

परिशिष्ट 2.8(ए)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.2 I (बी))

जीएसटीआर-2ए से अधिक आईटीसी का अधिक लाभ लेना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में आईटीसी का लाभ लिया								अगले वर्ष में लाभ ली गयी आईटीसी की राशि			
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) टेबल 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)			
				आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2017-18	57159095	20113096	20113096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	08AAIHS0631P1ZQ	वृत ई, जोन द्वितीय, जयपुर	वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				आईटीसी का लिया गया अधिक लाभ				
			आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	योग
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			57159095	20113096	20113096	0	55977824	14624943	14624943	0	1181271	5488153	5488153	0	12157577
	08ALKPY4327R1Z1	वृत सी, जयपुर चतुर्थ		जीएसटीआर 3बी में आईटीसी का लाभ लिया								अगले वर्ष में लाभ ली गयी आईटीसी की राशि			
			2017-18	जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) टेबल 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)			
				आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6545007	689758	644302	344558	0	0	0	0	0	0	23358	0
2			वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				आईटीसी का लिया गया अधिक लाभ				
			आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	योग
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			6545007	689758	667660	344558	912455	667660	667660	0	5632552	22098	0	344558	5999208
3	08ABAFS8903K1ZV	वृत एच जयपुर द्वितीय	2017-18	जीएसटीआर 3बी में आईटीसी का लाभ लिया								अगले वर्ष में लाभ ली गयी आईटीसी की राशि			
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) टेबल 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)			
				आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				602302	1595862	1595862	0	0	0	0	0	11686	25470	25470	0

			वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				आईटीसी का लिया गया अधिक लाभ				
			आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	योग
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			613988	1621332	1621332	0	565084	1128096	1128096	0	48904	493236	493236	0	1035375
4	08AADCB0457G1ZX	वृत्त डी, कोटा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में आईटीसी का लाभ लिया							अगले वर्ष में लाभ ली गयी आईटीसी की राशि				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) टेबल 4बी(2)			जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				57050	15943440	15943440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				आईटीसी का लिया गया अधिक लाभ				
			आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	योग
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			57050	15943440	15943440	0	31208	2468888	2468888	0	25842	13474552	13474552	0	26974946
योग															**46167106**

परिशिष्ट 2.8(बी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.2 I (बी))

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत आईटीसी का अधिक लाभ लेना

क.सं.	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वृत का नाम	वर्ष	आरसीएम के तहत आईटीसी का उठाया गया लाभ				आरसीएम के तहत कर देयता				आरसीएम के तहत आईटीसी का उठाया गया अधिक लाभ				
					जीएसटीआर 9 तालिका 6सी+6डी+6एफ				जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी)								
					आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	योग
1	08AAIHS0631P1ZQ	सिद्धार्थ ट्रेडिंग कंपनी	वृत ई, जोन द्वितीय, जयपुर	2017-18	484171	407193	407193	0	384171	407694	407694	0	100000	0	0	0	100000
योग																	**100000**

परिशिष्ट 2.8(सी)

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.2 I (बी))

न चुकाई गयी कर देयता

क.सं.	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वृत	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कुल कर देयता					जीएसटीआर-1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कुल कर देयता					जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-9 की अधिक राशि	आवक आपूर्ति जिस पर आरसीएम आधार पर कर भुगतान किया जाना है			
				आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	कुल		आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	08ALKPY4327R1Z1	वेब आईटी सोल्यूशन्स	वृत्त सी, जयपुर चतुर्थ	884711	605617	605617		2095945	875255	646991	646991	0	2169237	GSTR 1	0	0	0	0

				जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता				न चुकायी गयी कुल कर देयता
				आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	आइजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	सेस	
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				875255	646991	646991	0	593407	338451	338451	0	281848	308540	308540	0	**898928**

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद **2.3.8.2** II)

धारा 17(5) के अंतर्गत गैर अनुमत्य आईटीसी का अनियमित लाभ लिया जाना

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाता का नाम	वृत्त का नाम	अवरुद्ध/अपात्र क्रेडिट के अंतर्गत मदों का विवरण	लिया गया अनियमित/अवरुद्ध आईटीसी लाभ				धारा 17(5) के अंतर्गत जीएसटीआर-9 के कॉलम 7(ई) में रिवर्सल				कॉलम 7(ई) में किए गए रिवर्सल के पश्चात रिवर्स किये जाने योग्य अनियमित आईटीसी				अनियमित आईटीसी की कुल राशि	अभ्युक्तियाँ
					आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर		
1	08AAACA0062F1ZA	अक्ष ऑप्टीफाइबर लि.	ए भिवाड़ी	विज्ञापन स्पर्च, मोबाइल, यात्रा व्यय आदि	147202	69889	69890	0	0	0	0	0	147202	69889	69890	0	286981	जीएसटीआर-09
2	08AAACI3924J1ZK	जिलेट इंडिया लि.		आभूषण, रेस्तरां एवं कैंटीन सेवाएं, मोबाइल, कर्मचारी कल्याण व्यय, हवाई यात्रा आदि।	99229	1744954	1744954	0	0	0	0	0	99229	1744954	1744954	0	3589137	जीएसटीआर-09
3	08ADDPI8588B1ZF	एके दिलशान कॉन्ट्रेक्टर		मोटर वाहन की आईटीसी	0	80769	80769	0	0	0	0	0	0	80769	80769	0	161538	जीएसटीआर-09 दाखिल नहीं किया गया
4	08ALWPS9412P1ZV	चंद्र सिंह कॉन्ट्रेक्टर	एच जयपुर I	मोटर वाहन की आईटीसी	0	462397	462397	0	0	0	0	0	0	462397	462397	0	924794	करदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना बीजक व जीएसटीआर -9 के आंकड़े
5	08AADCT9702E1ZD	टोकई इंपीरियल हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	शाहजहांपुर	दीवाली त्यौहार उपहार, कैब किराया/मोटर वाहन स्पर्च, मोबाइल स्पर्च, स्वाद्य पदार्थों की आईटीसी, कपड़े, सोने/चांदी के सिक्के आदि एवं धारा 17(5) में वर्गीकृत विभिन्न मदें	0	117456	375549	0	0	3490	3490	0	0	113966	372059	0	486025	स्वरीद विवरण एवं जीएसटीआर-09 से लिये गये आंकड़े
6	08AABCU0113A1Z7	यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड			906587	3948595	3948595	0	0	0	0	0	906587	3948595	3948595	0	8803777	
7	08AAUCS3125P1ZL	श्री श्यामकृपा इंटीरियर एंड लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड	शाहपुरा	कर्मचारी कल्याण गतिविधियों का आईटीसी, कपड़े और जूते की स्वरीद, त्यौहारों आदि पर कर्मचारियों को दी जाने वाली मिठाई एवं पेय पदार्थों की आईटीसी व धारा 17(5) में वर्गीकृत विभिन्न मदें	62514	60315	60315	0	0	0	0	0	62514	60315	60315	0	183144	जीएसटीआर-09
योग	**7 प्रकरण**		**4 वृत्त**		**1215532**	**6484375**	**6742469**	**0**	**0**	**3490**	**3490**	**0**	**1215532**	**6480885**	**6738979**	**0**	**14435396**	

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.2 III)

कर-मुक्त टर्नओवर के लिए आगत कर रिवर्सल का अभाव

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाता का नाम	वृत्त का नाम	कुल टर्नओवर (टीओ)	कर मुक्त टर्नओवर	अवधि के दौरान लिया गया आईटीसी का लाभ				आवश्यक रिवर्सल				रिवर्सल की कुल राशि	सूचना का स्रोत
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर		
1	08AAACA0062F1ZA	अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड	ए भिवाड़ी	4721947012	1062473	340682523	26296891	26296891	0	76656	5917	5917	0	88490	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
2	08AAACG1895Q1ZY	जायडस हेल्थकेयर लिमिटेड	वृत्त-ए, जोन-IV, जयपुर	832345375	10311913	95701660	15528340	15528340	0	1185646	192380	192380	0	1570406	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
3	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विस कांट्रेक्टर	डी भीलवाड़ा	119068348	4588447	1604434	1327530	1327530	0	61829	51158	51158	0	164145	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
4	08AAGCM0477N1Z0	मेवाड़ पेस्टीसाइड्स एंड फर्टिलाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड	एफ उदयपुर	122657144	25931935	9062694	1796263	1796263	0	1916017	379762	379762	0	2675541	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
5	08AASFS7334R1Z2	सत्यम पॉलीप्लास्ट	ए जयपुर IV	249114425	17710637	20682301	5495440	5495440	0	1470395	390695	390695	0	2251785	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
6	08AABCS1848L1Z2	अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड	सी जोधपुर II	340229134	95661493	8811590	17558056	17558056	0	2477536	4936761	4936761	0	12351058	जीएसतीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
7	08ABQPG6565P1ZQ	गिन्नी इंडस्ट्रीज	ए हनुमानगढ़	56815408	1235778	0	1349075	1349075	0	0	29343	29343	0	58686	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
8	08AABCH2668B1ZU	एच जी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	डी जोधपुर II	5599242785	65610392	303659082	308902032	308902032	0	3558194	3619629	3619629	0	10797452	जीएसतीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
9	08ABFPB6954J1ZH	दयावान स्टील यार्ड	ई जोधपुर II	172089350	12508999	1582142	29553828	29553828	0	115004	2148238	2148238	0	4411480	जीएसटीआर-3बी के अनुसार आँकड़े
योग										**10861277**	**11753883**	**11753883**	**0**	**34369043**	

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.3 I)

संबंधित व्यक्ति से प्राप्त आपूर्तियों को शामिल न करना

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाता का नाम	वृत का नाम	ऋण राशि जिस पर गारंटी दी गई है (₹ में)	आरसीएम देयता के लिए आपूर्ति का मूल्य (@2.3%)	अभ्युक्तियाँ
1	08AAACA0062F1ZA	अक्ष ऑप्टीफाइबर लि.	ए भिवाड़ी	688571000	15837133	बैलेंस शीट एवं जीएसटीआर 9सी के आंकड़े
2	08AAFCM4722P1Z1	मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	ए जयपुर IV	191366525	4401430	बैलेंस शीट एवं जीएसटीआर 9सी के आंकड़े
3	08AAACT5317J1ZA	तिरुपति प्लास्टोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड		257550040	5923651	
4	08AABCD9523D1ZU	दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	डी जोधपुर II	136742698	3145082	बैलेंस शीट और जीएसटीआर 9सी के आंकड़े
योग	**4 प्रकरण**		**3 वृत्त**	**1274230263**	**29307296**	

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.3 II)

आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी भुगतान का अभाव

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाता का नाम	वृत्त का नाम	आपूर्ति / लेनदेन की प्रकृति	आरसीएम देयता के लिए आपूर्ति का मूल्य	जीएसटी की दर (% में)	आरसीएम के अंतर्गत देय कर राशि				कर की कुल राशि	अभ्युक्तियाँ
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर		
1	08ANMPG6556C1ZX	जगदीश सर्विसेज कांट्रेक्टर	डी भीलवाड़ा	परिवहन व्यय (जीटीए सेवाएं)	17173688	5	0	429342	429342	0	858684	व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा जीएसटीआर 9सी के आंकड़े
2	08AEFPV5593N1ZI	तुलसी कन्स्ट्रक्शन	निंबाहेडा	भाड़ा प्रभार (जीटीए सेवाएं)	6081447	5	0	152036	152036	0	304072	व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा जीएसटीआर 9सी के आंकड़े
3	08AAUCS3125P1ZL	श्री श्यामकृपा इंटीरियर एंड लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड	शाहपुरा	कानूनी सलाहकार शुल्क	30000	18	0	2700	2700	0	5400	बैलेंस शीट, जीएसटीआर 9सी एवं 25.07.2022 तक के ब्याज के आंकड़े
				भाड़ा प्रभार (जीटीए सेवाएं)	74041	5	0	1851	1851	0	3702	
				अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आपूर्ति	45917	18	0	4133	4133	0	8266	
4	08AABCD9523D1ZU	दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	डी जोधपुर II	कानूनी एवं पेशेवर शुल्क	82047063	18	0	7384236	7384236	0	14768472	व्यापार एवं लाभ हानि खाता, जीएसटीआर 9सी तथा बैलेंस शीट के आंकड़े
5	08AABCV3315P1Z1	वरिन्द्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड		कानूनी एवं पेशेवर शुल्क	151650	18	0	13649	13649	0	27298	व्यापार एवं लाभ हानि खाता, जीएसटीआर 9सी तथा बैलेंस शीट के आंकड़े
6	08AAUFS5858C1ZM	सनी वूलेन्स इंडस्ट्रीज	ए बीकानेर	अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आपूर्ति	56135	28	0	7859	7859	0	15718	बैलेंस शीट, जीएसटीआर 9सी एवं 25.08.2022 तक के ब्याज के आंकड़े
योग	**6 प्रकरण**		**5 वृत्त**		**105659941**			**7995806**	**7995806**	**0**	**15991612**	

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.3 V)

कर देयता में मिसमैच

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	08AADCK7842G1ZD	वृत्त-I जोन-I जयपुर	32564701	72482027	72482027	90006065	267534820	30513401	72729091	72729091	90694763	266666346	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			32564701	72482027	72482027	90006065	29779976	71916845	71916845	90541236	2784725	565182	565182	-535171	3915089		
2	08ABFFM6647P1ZH	वृत्त-I जोन-I जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			10588253	3947569	3947569	0	18483391	10589757	3064489	3064489	0	16718735	GSTR 9	0	1257692	1257692	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			10588253	5205261	5205261	0	10589455	4387612	4387612	0	-1202	817649	817649	0	1635298		
3	08AAACA1517B1ZG	वृत्त-ए जोन-III जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			788662	2952787	2952787	0	6694236	786938	2952787	2952787	0	6692512	GSTR 9	0	752	752	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			788662	2953539	2953539	0	314469	3985468	3985468	0	474193	-1031929	-1031929	0	474193		
4	08AAACG1895Q1ZY	वृत्त-बी जोन-द्वितीय जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1607039	47378186	47378186	0	96363411	1607039	47415585	47415585	0	96438209	GSTR 1	107	56871	56871	0

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता				न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर				
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
			1607146	47472456	47472456	0	1607146	47384725	47384725	0	0	87731	87731	0	175462			
5	08ACTPM0139M1Z3	वृत्त-ए जोन-द्वितीय जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			45276	11498403	11498403	0	23042082	45726	11497302	11497302	0	23040330	GSTR 9	0	6750	6750	0	
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता				न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर				
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
			45276	11505153	11505153	0	45726	10450684	10450684	0	-450	1054469	1054469	0	2108938			
6	08ABPFS3650Q1ZA	वृत्त-डी जोन-द्वितीय जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			18494190	63552382	63552382	0	145598954	18494190	63553642	63553642	0	145601474	GSTR 1	0	1890	1890	0	

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			18494190	63555532	63555532	0	18494190	63553643	63553643	0	0	1889	1889	0	3778		
7	08ACMPB7093C1ZN	वृत्त-ई जोन-III जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			8451890	25337910	25337910	0	59127710	8494344	25353813	25353813	0	59201970	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			8494344	25353813	25353813	0	7760484	25326556	25326556	0	733860	27257	27257	0	788374		
8	08AADFE4760C1ZQ	वृत्त-जी जोन-IV जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	12025059	12025059	0	24050118	0	12025059	12025059	0	24050118	GSTR 9	0	1822045	1822045	0

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	13847104	13847104	0	0	13196450	13196450	0	0	650654	650654	0	1301308		
9	08AAGCS6809Q1ZK	वृत्त ए, जयपुर IV	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			9868377	63392643	63392643	0	136653663	9868377	63586985	63586985	0	137042347	GSTR 1	409535	166971	166971	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			10277912	63753956	63753956	0	10167168	63548468	63548468	0	110744	205488	205488	0	521720		
10	08AAMFA4380K1Z4	वृत्त किशनगढ़	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			11284709	4358478	4358478	0	20001665	11238285	4344516	4344516	0	19927317	GSTR 9	0	675	675	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			11284709	4359153	4359153	0	11238285	4358793	4358793	0	46424	360	360	0	47144		
11	08AAACV5228N1ZY	वृत्त-बी, अजमेर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			19101868	1491685	1491685	0	22085238	19018451	204800	204800	0	19428051	GSTR 9	0	335311	335311	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			19101868	1826996	1826996	0	19227368	1748620	1748620	0	-125500	78376	78376	0	156752		
12	08ABBFM5944K1ZX	वृत्त-बी, भिवाड़ी	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			27962823	267189	267189	0	28497201	31643471	342158	342158	0	32327787	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			31643471	342158	342158	0	29901140	307047	307047	0	1742331	35111	35111	0	1812553		
13	08AAPPS0297N1ZS	वृत्त-सी, भिवाड़ी	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	2750730	2750730	0	5501460	0	2750730	2750730	0	5501460	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	2750730	2750730	0	0	2379467	2379467	0	0	371263	371263	0	742526		
14	08ADDPI8588B1ZF	वृत्त-ए, भिवाड़ी	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	1774483	54540	54540	0	1883563.13	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			1774483	54540	54540	0	1646579	0	0	0	127904	54540	54540	0	236984		
15	08AAACA0062F1ZA	वृत्त-ए, भिवाड़ी	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			606197445	41144370	41144370	0	688486185	440248617	41444192	41444192	0	523137001	GSTR 9	2744550	4064696	4064696	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			608941995	45209066	45209066	0	608671740	45352748	45352748	0	270255	-143682	-143682	0	270255		
16	08AAAAS5265L1Z4	वृत्त-शाहपुरा जयपुर I	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			44700863	439868	439868	0	45580599	44701891	439354	439354	0	45580599	GSTR 9	0	22394	22394	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			44700863	462262	462262	0	44700863	366327	366327	0	0	95935	95935	0	191870		
17	08ABQPG6565P1ZQ	वृत्त-ए, हनुमानगढ़	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2190270	373840	373840	0	2937950	2271573	290601	290601	0	2852775	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			2190270	373840	373840	0	13008201	310967	310967	0	- 10817931	62873	62873	0	125746		
18	08AAACO0191M2ZA	वृत्त- सी, जयपुर- I	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4137953	44901487	44886872	391	93926703	2602509	41527641	41593564	0	85723714	GSTR 9	4583	1204878	1204878	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता				न चुकायी गयी कुल कर देयता		
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			4142536	46106365	46091750	391	4016485	45244322	45229707	0	126051	862043	862043	391	1850528		
19	08ABEPV4860A1ZO	वृत्त- सी, जयपुर- I	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	7273933	7273933	26359694	40907560	0	7228153	7228153	26359694	40816000	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता				न चुकायी गयी कुल कर देयता		
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	7273933	7273933	26359694	0	7284224	7284224	24024109	0	-10291	-10291	2335585	2335585		
20	08ACHFS6211Q1ZL	वृत्त- सी, जयपुर- I	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	0	26709566	26709566	0	53419132	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	26709566	26709566	0	0	24053875	24053875	0	0	2655691	2655691	0	5311382		
21	08ASQPA3326D1Z1	वृत्त- बी, जयपुर-IV	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			22853	17589603	17589603	0	35202059	22853	17622210	17622210	0	35267273	GSTR 1	0	2279	2279	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			22853	17624489	17624489	0	22853	17591881	17591881	0	0	32608	32608	0	65216		
22	08ALWPS9412P1ZV	वृत्त-एच, जयपुर-I	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	23724038	23724038	0	47448076	0	27019567	27019567	0	54039134	GSTR 1	0	745354	745354	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	27764921	27764921	0	0	24788130	24788130	0	0	2976791	2976791	0	5953582		
23	08ABAFS8903K1ZV	वृत्त-एच, जयपुर-II	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			441449	2000440	2000440	0	4442329	460168	1989905	1989905	0	4439978	GSTR 9	0	5968	5968	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			441449	2006408	2006408	0	406985	1721699	1721699	0	34464	284709	284709	0	603882		
24	08AAACT4119L1Z8	वृत्त-ई, कोटा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7429637	227551979	227551979	0	462533595	7468564	227540729	227540729	0	462550022	GSTR 1	4542660	1061320	1061320	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			12011224	228602049	228602049	0	11086028	229078110	229078110	0	925196	-476061	-476061	0	925196		
25	08AABCJ0355R1Z7	वृत्त-बी, कोटा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4563703927	945894658	945894658	6866	6455500109	4563218155	945857769	945857769	6866	6454940559	GSTR 9	34447648	161984465	161984465	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			4598151575	1107879123	1107879123	6866	4597629209	1107998420	1107998420	6866	522366	-119297	-119297	0	522366		
26	08AFRPS6744K1ZI	वृत्त-बी, कोटा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													उच्चतरआंकड़े				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			48156	1842307	1842307	0	3732770	48156	1842307	1842307	0	3732770	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			48156	1842307	1842307	0	33216	1575248	1575248	0	14940	267059	267059	0	549058		
27	08AAAFI8531Q1ZV	वृत्त-डी, कोटा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			55809	5730447	5730447	0	11516703	0	6340979	6340979	0	12681958	GSTR 1	0	126400	126400	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	6467379	6467379	0	55809	5856847	5856847	0	-55809	610532	610532	0	1221064		
28	08AADCB0457G1ZX	वृत्त-डी, कोटा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													उच्चतरआंकड़े				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	675563	675563	0	1351126	0	674196	674196	0	1348392	GSTR 9	0	94674	94674	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	770237	770237	0	0	768872	768872	0	0	1365	1365	0	2730		
29	08AABCN1537H1ZM	वृत्त-झालावाड़, कोटा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			72864684	14843264	14843264	431902	102983114	71078253	14843264	14843264	431902	101196683	GSTR 9	525490	68392	68392	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			73390174	14911656	14911656	431902	53927408	14921093	14908755	0	19462766	-9437	2901	431902	19897569		
30	08AACCN4450C1ZT	वृत्त-सी, जोन-III, जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													उच्चतरआंकड़े				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	21274260	21274260	0	42548520	0	21274260	21274260	0	42548520	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	21274260	21274260	0	0	15842929	15842929	0	0	5431331	5431331	0	10862662		
31	08AABCJ0672P1Z7	वृत्त-ए, उदयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			11085417	2956870	2956870	0	16999157	9994227	2956803	2956803	0	15907833	GSTR 9	0	1639850	1639850	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			11085417	4596720	4596720	0	11075667	4591706	4591706	0	9750	5014	5014	0	19778		
32	08ADNPC5964D1ZH	वृत्त-बी, उदयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													उच्चतर आंकड़े				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			64957	2615932	2615932	0	5296821	66145	1449337	1449337	0	2964819	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			64957	2615932	2615932	0	50513	1339433	1339433	0	14444	1276499	1276499	0	2567442		
33	08AAACG5306N1ZI	वृत्त-बी, उदयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			89355770	447352032	447352032	0	984059834	89355198	447351827	447351827	0	984058852	GSTR 9	3960365	3828042	3828042	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			93316135	451180074	451180074	0	93316264	451178380	451178380	0	-129	1694	1694	0	3388		
34	08AEBPC9520J1ZM	वृत्त-ए, राजसमंद	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													उच्चतर आंकड़े				
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	1273474	1273474	0	2546948	0	756768	756768	0	1513536	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	1273474	1273474	0	0	756769	756769	0	0	516705	516705	0	1033410		
35	08ANMPG6556C1ZX	वृत्त-डी, भीलवाड़ा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चत रआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			29670	6598565	6598565	0	13226800	33404	6598566	6598566	0	13230536	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			33404	6598566	6598566	0	26935	6584670	6584670	0	6469	13896	13896	0	34261		

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	08AABCD9523D1ZU	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			72000	148312319	148312319	0	296696638	0	24659151	24659151	0	49318302	GSTR 9	127763	3464372	3464372	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता				न चुकायी गयी कुल कर देयता		
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			199763	151776691	151776691	0	127763	151737875	151737875	0	72000	38816	38816	0	149632		
37	08ABPPS7358P1ZE	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	21074978	21074978	0	42149956	0	24659151	24659151	0	49318302	GSTR 1	0	2023554	2023554	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता				न चुकायी गयी कुल कर देयता		
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	26682705	26682705	0	0	23098532	23098532	0	0	3584173	3584173	0	7168346		

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	08AAECP9650J1ZY	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	4994821	4994821	0	9989642	0	2719383	2719383	0	5438766	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	4994821	4994821	0	0	2719383	2719383	0	0	2275438	2275438	0	4550876		
39	08AAACI7351P1Z3	वृत्त- I, जोन-III, जयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			15704791	102477082	103029080	0	221210953	15704792	103029080	103029080	0	221762952	GSTR 1	27972322	23775420	23775420	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			43677114	126804500	126804500	0	43677114	126252511	126804509	0	0	551989	-9	0	551989		

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	08ACDPV6557E1Z9	वृत्त- I, जयपुर-III	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			793962	2737422	2737422	0	6268806	901660	2718587	2718587	0	6338834	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			901660	2718587	2718587	0	901801	1706832	1706832	0	-141	1011755	1011755	0	2023510		
41	08AAECM8357R1ZJ	वृत्त- I, जयपुर-III	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	3834329	3834329	0	7668658	0	3817013	3817013	0	7634026	GSTR 9	0	35508	35508	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	3869837	3869837	0	0	3852523	3852523	0	0	17314	17314	0	34628		

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	08AIUPM8432G1ZQ	वृत्त-डी, उदयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7377210	97703	97703	0	7572616	8349656	97702	97702	0	8545060	GSTR 1	43320	21492	21492	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			8392976	119194	119194	0	7431506	119196	119196	0	961470	-2	-2	0	961470		
43	08ADFPA2390H1ZT	वृत्त-ई, उदयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	2522222	2522222	0	5044444	0	2625387	2625387	0	5250774	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	2625387	2625387	0	0	2522222	2522222	0	0	103165	103165	0	206330		
44	08AAGCM0477N1Z0	वृत्त-एफ, उदयपुर	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	0	7119041	7119041	0	14238082	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	7119041	7119041	0	0	6591043	6591043	0	0	527998	527998	0	1055996		
45	08AAACH0968B1ZW	वृत्त-निंबाहेड़ा, जोन-भीलवाड़ा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1829282	161994458	161994458	0	325818198	1829282	161645430	161645430	0	325120142	GSTR 9	0	498441	498441	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1829282	162492899	162492899	0	1829284	157099370	157099370	0	-2	5393529	5393529	0	10787058		
46	08AEFPV5593N1ZI	वृत्त-निंबाहेड़ा, जोन-भीलवाड़ा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	19861	19861	0	39722	0	524271	524271	0	1048542	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	524271	524271	0	0	16713	16713	0	0	507558	507558	0	1015116		
47	08AICPC1143J1ZP	वृत्त-सी, भीलवाड़ा	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1567	3026707	3026707	0	6054981	1567	3026706	3026706	0	6054979	GSTR 9	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1567	3026707	3026707	0	1567	2997938	2997938	0	0	28769	28769	0	57538		
48	08AAWPV7430R1ZD	वृत्त-ई, जोधपुर-I	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतरआंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	38.56	1111238	1111238	0	2222514.56	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			38.56	1111238	1111238	0	3771	775116	775116	0	-3732	336122	336122	0	672244		
49	08AAHHJ3320F2ZK	वृत्त-सी, जोधपुर-I	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	0	3673421	3673421	0	7346842	GSTR 1	0	0	0	0
			जीएसटीआर-1/जीएसतीआर-9 के अनुसार कुल कर देयता				जीएसटीआर-3B/9 के अनुसार भुगतान किया गया कर				न चुकायी गयी कर देयता			न चुकायी गयी कुल कर देयता			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर			

क्र. सं.	जीएसटीएन	वृत्त	जीएसटीआर 9(4एन-4जी) के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता					जीएसटीआर 9/जीएसटी आर 1 में से उच्चतर आंकड़े	आरसीएम के लिए दायी आवक आपूर्ति पर कर देयता (4जी)			
			आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	योग		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			0	3673421	3673421	0	0	3672450	3672450	0	0	971	971	0	1942		
योग															97503764		

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.3 VI (अ))

आईटीसी उपभोग मे मिसमैच

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	08ABFFM6647P1ZH	वृत्त-आई, जोन-I, जयपुर	2017-18	2771	10132198	10132198	0	0	0	0	0	2570994	240182	240182	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2573765	10372380	10372380	0	8765	7626236	7626236	0	2565000	2746144	2746144	0	8057288
2	08AAADCK7842G1ZD	वृत्त-आई, जोन-I, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				176161030	1311251	1311252	100776171	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				176161030	1311251	1311252	100776171	162130123	1159274	1159274	91775847	14030907	151977	151978	9000324	23335186
3	08AAACA1517B1ZG	वृत्त-ए, जयपुर-III	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2231635	1856517	1856517	0	0	0	0	0	0	6196240	6196240	0	

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2231635	8052757	8052757	0	0	4115737	4115737	0	2231635	3937020	3937020	0	10105675
4	08AAACG1895Q1ZY	वृत्त-ए जोन-IV, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				95701552	15470704	15470704	0	0	0	0	0	13677642	57881	57881	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				109379194	15528585	15528585	0	111290794	2010779	2010779	92	0	13517806	13517806	0	27035612
5	08ACTPM0139M1Z3	वृत्त-ए जोन-II, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				901922	8626374	8626374	0	0	0	0	0	164552	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1066474	8626374	8626374	0	1064277	5436930	5436930	0	2197	3189444	3189444	0	6381085
6	08AAVPT6020A1ZN	वृत्त-एफ जोन-IV, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				5353874	11302105	11302105	0	5353874	0	0	0	0	1589	1589	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	11303694	11303694	0	0	11216646	11216646	0	0	87048	87048	0	174096
7	08AAACB2100P1ZX	वृत्त-सी, जयपुर-II	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				298516063	460420008	462520519	0	947545	11525627	11525627	0	10578669	44847417	45320230	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				308147187	493741798	496315122	0	305253815	445815453	447821012	1203818	2893372	47926345	48494110	0	99313827
8	08AAACS7018R1ZT	वृत्त-सी जोन-II, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				5097533	2682078	2682078	0	0	0	0	0	6988692	3060426	3060426	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				12086225	5742504	5742504	0	12031610	4797349	4800746	272	54615	945155	941758	0	1941528
9	08ABPFS3650Q1ZA		2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		वृत्त-डी जयपुर-II		जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				18248400	65158260	65158260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				18248400	65158260	65158260	0	18248400	65157022	65157022	0	0	1238	1238	0	2476
10	08AATCS8224J1ZO	वृत्त-जी, जयपुर-III	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	1316713	1316713		0	0	0		0	0	0		
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	1316713	1316713		17111	685997	685997	5	0	630716	630716	0	1261432
11	08AAACP9588R1Z9	वृत्त-जे, जयपुर-III	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				88816064	113972290	113972290	74910466	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				88816064	113972290	113972290	74910466	80776801	102489883	102489883	68056632	8039263	11482407	11482407	6853834	37857911
12	08ACMPB7093C1ZN	वृत्त-ई, जयपुर-III	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				354745	29151570	29151570		0	0	0		2032570	0	0		
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2387315	29151570	29151570		2387316	29059716	29059716		0	91854	91854	0	183708
13	08AADFE4760C1ZQ	वृत्त-जी, जयपुर-IV	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				6807389	7348287	7348287		0	0	0		0	0	0		
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				6807389	7348287	7348287		4996333	6858796	6858796		1811056	489491	489491	0	2790038
14	08AAACT5317J1ZA	वृत्त ए, जयपुर IV	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				100464617	92173486	126179858	0	0	8439070	27735645	0	9298821	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				109763438	83734416	98444213	0	109586507	77761582	77761582	0	176931	5972834	20682631	0	26832396
15	08AAFCM4722P1Z1	वृत्त ए, जयपुर IV	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				151837923	62757992	56841920	0	93323	1042097 6	4069241	0	347943	532876	532876		0
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				152092543	52869892	53305555	0	66975721	51186724	51186724	0	85116822	1683168	2118831	0	88918821
16	08AAGCS6809Q1ZK	वृत्त ए, जयपुर IV	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				27164418	45619591	45619591	0	0	0	0	0	0	5758681	5758681		1172022
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				27164418	51378272	51378272	1172022	15988754	50966219	50966219	1315165	11175664	412053	412053	0	11999770
17	08AASFS7334R1Z2	वृत्त ए, जयपुर IV	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				15655255	5406938	5406938	0	0	0	0	0	1026125	187353	187353	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				16681380	5594291	5594291	0	8864849	5664009	5667104	0	7816531	0	0	0	7816531
18	08AAIFR6164N1ZJ	वृत्त ए, जयपुर IV	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				20733456	1520905	1520905	0	0	0	0	0	985466	782290	782290	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				21718922	2303195	2303195	0	21496485	2305873	2305873	10.2	222437	0	0	0	222437
19	08AAMFA4380K1Z4	वृत्त किशनगढ़	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				5681490	4578512	4578512	0	0	0	0	0	113623	2528	2528	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				5795113	4581040	4581040	0	3582931	4583274	4583274	0	2212182	0	0	0	2212182
20	08AAACV5228N1ZY	वृत्त-बी, अजमेर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				18104995	4667264	4667264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				18104995	4667264	4667264	0	17441636	2129293	2129293	0	663359	2537971	2537971	0	5739301
21	08ABBFM5944K1ZX	वृत्त-बी, भिवाड़ी	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				6034967	445600	445600	0	0	0	0	0	0	119138	119138	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				6034967	564738	564738	0	4665636	564738	564739	0	1369331	0	0	0	1369331
22	08AAACI3924J1ZK	वृत्त-ए, भिवाड़ी	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				192771528	13545175	13545176	0	0	0	0	0	1474925	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				194246453	13545175	13545176	0	180183219	14483103	14483103	0	14063234	0	0	0	14063234
23	08ADDPI8588B1ZF	वृत्त-ए, भिवाड़ी	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1268105	1768387	1768387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1268105	1768387	1768387	0	937990	1392963	1392963	0	330115	375424	375424	0	1080963
24	08AAUCS3125P1ZL	वृत्त-शाहपुरा जयपुर I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1233230	1003756	1003756	0	0	0	0	0	884428	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2117658	1003756	1003756	0	736540	960973	960973	0	1381118	42783	42783	0	1466684
25	08AAEFR2027A1ZS	वृत्त-टोंक, जयपुर II	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1129579	7823741	7823741	0	0	3152911	3152911	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1129579	4670830	4670830	0	1130201	4627923	4627923	0	0	42907	42907	0	85814

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	08ABQPG6565P1ZQ	वृत्त-ए, हनुमानगढ़	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10817930	1349075	1349075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				10817930	1349075	1349075	0	2624	1278103	1278103	0	10815306	70972	70972	0	10957250
27	08AYQPS3768M1ZA	वृत्त-बी, श्री गंगानगर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1262427	4469766	4469766	0	0	2652000	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1262427	1817766	4469766	0	1261386	1815794	1815794	0	1041	1972	2653972	0	2656985
28	08AAUPK1929J1Z6	वृत्त-झुंझुनू, बीकानेर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				26649	6897746	6897746	12667356	0	0	0	0	0	0	0	8257805	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				26649	6897746	6897746	20925161	46092	4202365	4202365	20925160	0	2695381	2695381	1	5390763
29	08AHQPT9847F1ZF	वृत्त-झुंझुनू, बीकानेर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	3101500	3101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	3101500	3101500	0	0	2232758	2232758	0	0	868742	868742	0	1737484
30	08AABUC0113A1Z7	वृत्त- शाहजहांपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				164209903	19756029	19756029	0	0	0	0	0	2073249	18532588	1222265	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				166283152	38288617	20978294	0	167207927	19318719	19318719	21117	0	18969898	1659575	0	20629473
31	08AADCT9702E1ZD	वृत्त- शाहजहांपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				32133894	57932873	360974	0	272483	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				31861411	57932873	360974	0	16602120	462029	462029	0	15259291	57470844	0	0	72730135
32	08AAACO0191M2ZA	वृत्त-सी, जोन-I, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				8496553	15839216	15839216	0	474276	843797	843797		22272116	5542784	5542789		
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				30294393	20538203	20538208	0	7309597	2151036 9	21766730		22984796	0	0	0	22984796
33	08AACCE8931F1ZM	वृत्त-सी, जोन-I, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	5092703	5092703	0	0	0	0		0	0	0		
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	5092703	5092703	0	0	2081088	2081088		0	3011615	3011615	0	6023230
34	08ABEPV4860A1ZO	वृत्त-सी, जोन-I, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				6518150	7319191	7319191	24007082	0	0	0	0	0	8069	8069	2478186	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				6518150	7327260	7327260	26485268	199387	7311762	7311762	26650262	6318763	15498	15498	0	6349759
35	08ACHFS6211Q1ZL	वृत्त-सी, जोन-I, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	24054920	24054920	0	0	0	0	0	0	0			
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	24054920	24054920	0	0	16881873	16881873	0	0	7173047	7173047	0	14346094
36	08AABCE3582F1ZQ	वृत्त -ई, जयपुर-I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				16984657	50994233	50994233	0	0	0	0	0	82355	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				17067012	50994233	50994233	0	15019230	47637526	47637611	0	2047782	3356707	3356622	0	8761111
37	08ALWPS9412P1ZV	वृत्त-एच, जयपुर-I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2445670	13788223	13564833	0	0	0	0	0	196841	389851	389851	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2642511	14178074	13954684	0	2601984	12050772	12050772	660568	40527	2127302	1903912	0	4071742
38	08AAECA1501B1ZK	वृत्त-एच, जयपुर-I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3945442	454353	454353	0	0	0	0	0	10511618	355265	355265	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				14457060	809618	809618	0	5172222	804607	804607	0	9284838	5011	5011	0	9294860
39	08AILPG2384C1ZE	वृत्त-एच, जयपुर-I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				14357144	17252418	17252418	0	0	0	0	0	12312	104895	104895	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				14369456	17357313	17357313	0	14369474	14466441	14466441	0	0	2890872	2890872	0	5781744
40	08AAATT0611L1ZK		2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		वृत्त-एच, जयपुर-II		जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				597199	675964	675964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				597199	675964	675964	0	0	43341	43341	0	597199	632623	632623	0	1862445
41	08AAACT4119L1Z8	वृत्त-ई, कोटा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				307483269	67113103	67060935	0	0	0	0	0	19433298	1767820	1767820	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				326916567	68880923	68828755	0	285412924	48647389	48657895	0	41503643	20233534	20170860	0	81908038
42	08AAECN8067D1ZC	वृत्त-ई, कोटा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				39711616	109945758	109945758	0	412940	29838645	29838645	0	684426	2874	2874	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				39983102	80109987	80109987	0	31115829	74540758	74540758	0	8867273	5569229	5569229	0	20005731
43	08AABCJ0355R1Z7	वृत्त-बी, कोटा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				886101774	296518650	296518650	0	0	0	0	0	32286372	4005854	4005854	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				918388146	300524504	300524504	0	615806363	300306234	300361511	96222442	302581783	218270	162993	0	302963046
44	08AFRPS6744K1ZI	वृत्त-बी, कोटा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	1444356	1444356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	1444356	1444356	0	2100	287517	287517	0	0	1156839	1156839	0	2313678
45	08AAAFI8531Q1ZV	वृत्त-डी, कोटा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1508693	1531517	1531517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1508693	1531517	1531517	0	98415	1566710	1566710	0	1410278	0	0	0	1410278
46	08AABCN1537H1ZM	वृत्त-झालावाड़, कोटा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				65809124	6969919	6969919	0	0	0	0	0	17378808	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				83187932	6969919	6969919	0	71139175	3930050	3930050	0	12048757	3039869	3039870	0	18128495
47	08AAACL0140P7ZD	वृत्त-सी, जोन-III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1548139295	790478601	790478601	0	0	0	0	0	325440713	153507049	153507049	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1873580008	943985650	943985650	0	1293633608	652181976	652220287	409851	579946400	291803674	291765363	0	1163515437
48	08AABCL5967D1ZE	वृत्त-सी, जोन-III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				468332907	24759577	24759577	0	0	0	0	0	81442710	12007932	12007932	0	

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				549775617	36767509	36767509	0	516557718	30902012	30902012	81015	33217899	5865497	5865497	0	44948893
49	08AHIPG0574C1ZO	वृत्त-सी, जोन-III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				35000042	41806	45182	3375	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				35000042	41806	45182	3375	11049	236036	236036	0	34988993	0	0	3375	34992368
50	08AADCB1093N1ZG	वृत्त-सी, जोन-III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				143193792	166508851	166508851	867456	0	0	0	0	30259	125801	125801	4137	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				143224051	166634652	166634652	871593	143715370	147124682	147124719	1033062	0	19509970	19509933	0	39019903
51	08AABCJ0672P1Z7	वृत्त-ए, उदयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13348753	16236025	20394091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				13348753	16236025	20394091	0	10924120	7651951	7651951	6991	2424633	8584074	12742140	0	23750847
52	08ADNPC5964D1ZH	वृत्त-बी, उदयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				336574	1191551	1191551	0	0	0	0	0	20440	1217551	1217551	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				357014	2409102	2409102	0	354134	1871370	1871370	0	2880	537732	537732	0	1078344
53	08AAACG5306N1ZI	वृत्त-बी, उदयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				273381050	265521231	265521231	0	0	28083	28083	0	3052984	2237299	2237299	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				276434034	267730447	267730447	0	274547713	258712402	258712401	293642	1886321	9018045	9018046	0	19922412
54	08AEBPC9520J1ZM		2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		वृत्त-ए, राजसमंद		जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				712724	987433	987433	0	0	0	0	0	0	231076	231076	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				712724	1218509	1218509	0	6480	1008231	1008231	0	706244	210278	210278	0	1126800
55	08ANMPG6556C1ZX	वृत्त-डी, भीलवाड़ा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1604434	1327530	1327530	0	0	0	0	0	148940	184369	184369	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1753374	1511899	1511899	0	913188	1355658	1355658	0	840186	156241	156241	0	1152668
56	08AABCD9523D1ZU	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				182374432	69576245	69576245	0	0	0	417503	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				182374432	69576245	69158742	0	182866973	60146905	60146905	0	0	9429340	9011837	0	18441177
57	08AACCN6194P1ZP	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				30675329	8786714	8786714	0	0	0	0	0	31641873	5730870	5730870	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				62317202	14517584	14517584	0	197063	20336656	20336656	0	62120139	0	0	0	62120139
58	08AAECP9650J1ZY	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1337487	2403451	2403451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1337487	2403451	2403451	0	0	890882	890882	0	1337487	1512569	1512569	0	4362625
59	08AANFM4741R1ZG	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1420531	7968730	7968729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1420531	7968730	7968729	0	1256192	3486132	3486130	146486	164339	4482598	4482599	0	9129536
60	08AABCV3315P1Z1	वृत्त-डी, जोन II, जोधपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				590648	347603	347603	0	0	0	0	0	0	5531	5531	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				590648	353134	353134	0	14854	43503	43503	0	575794	309631	309631	0	1195056
61	08ADEFS3875Q1Z6	वृत्त-जैसलमेर, जोधपुर I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2088909	7732936	7732936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2088909	7732936	7732936	0	601239	6283715	6283715	84	1487670	1449221	1449221	0	4386112
62	08AAACI7351P1Z3	वृत्त- आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				47204631	2638347	2638347	0	896	2214	2214	0	44187450	5616233	5616233	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				91391185	8252366	8252366	0	82999433	4136315	4141614	0	8391752	4116051	4110752	0	16618555
63	08AABCR0347P1Z3	वृत्त-आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				269320165	23236481	23236481	0	0	0	0	0	44074051	352367	352367	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				313394216	23588848	23588848	0	295357810	19310657	19310657	0	18036406	4278191	4278191	0	26592788
64	08AACCE4248H1ZO	वृत्त- आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				46153686	11143279	11143279	0	10936	2	2	0	14945671	20031739	20031739	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				61088421	31175016	31175016	0	55412729	27010625	27010625	0	5675692	4164391	4164391	0	14004474

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	08AAACI0996E1ZL	वृत्त- आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10911764	639678	639678	0	237505	30562	30562	0	5261632	291384	291384	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				15935891	900500	900500	0	10783890	714594	714594	0	5152001	185906	185906	0	5523813
66	08ACDPV6557E1Z9	वृत्त- आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1974172	1219117	1219117	0	0	0	0	0	153759	642689	642689	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2127931	1861806	1861806	0	543237	1120779	1120779	0	1584694	741027	741027	0	3066748
67	08AAACU2414K2ZE	वृत्त- आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				109345070	0	0	0	0	0	0	0	14148	8981	8981	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				109359218	8981	8981	0	109320957	1527	1527	0	38261	7454	7454	0	53169
68	08AAFFE1898K1ZY	वृत्त- आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	5656	5656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	5656	5656	0	0	3280	3280	0	0	2376	2376	0	4752
69	08AAACB2894G1ZN	वृत्त- आई, जोन- III, जयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				453109231	160019797	160019797	0	433693	255296	255296	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				452675538	159764501	159764501	0	445872829	185941664	185948546	0	6802709	0	0	0	6802709
70	08AAECM8357R1ZJ	वृत्त- आई, जयपुर- III	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				7298502	7093816	7093816	0	0	0	0	0	0	126693	126693	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				7298502	7220509	7220509	0	1814302	7415499	7415499	12409	5484200	0	0	0	5484200
71	08AIUPM8432G1ZQ	वृत्त-डी, उदयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2660288	338978	338978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2660288	338978	338978	0	383838	341829	341829	0	2276450	0	0	0	2276450
72	08ADFPA2390H1ZT	वृत्त-ई, उदयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1171428	1798038	1798038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1171428	1798038	1798038	0	1163209	1142991	1142991	0	8219	655047	655047	0	1318313
73	08AAGCM0477N1Z0	वृत्त-एफ, उदयपुर	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				9062694	1796263	1796263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				9062694	1796263	1796263	0	8965882	1021380	1021380	0	96812	774883	774883	0	1646578
74	08AAACH0968B1ZW	वृत्त-निम्बाहेडा, जोन-भीलवाड़ा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				96512006	69696637	69696637	0	0	0	0	0	9428364	2047104	2047104	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				105940370	71743741	71743741	0	93675595	68399365	68399365	0	12264775	3344376	3344376	0	18953527
75	08AEFPV5593N1ZI	वृत्त-निम्बाहेडा, जोन-भीलवाड़ा	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	662748	662748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	662748	662748	0	0	75577	75577	0	0	587171	587171	0	1174342
76	08AICPC1143J1ZP		2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		वृत्त-सी, भीलवाड़ा		जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2354417	2083294	2083294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2354417	2083294	2083294	0	38791	2042961	2042961	1020	2315626	40333	40333	0	2396292
77	08ACEPM8860G1ZB	वृत्त-ई, जोधपुर-I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	15168240	15168240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				0	15168240	15168240	0	0	13809513	13809513	0	0	1358727	1358727	0	2717454
78	08ABFPB6954J1ZH	वृत्त-ई, जोधपुर-II	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1582142	29553828	29553828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1582142	29553828	29553828	0	1643274	11890135	11890135	0	0	17663693	17663693	0	35327386
79	08AAHHJ3320F2ZK	वृत्त-सी, जोधपुर-I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				850968	3238845	3238845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				850968	3238845	3238845	0	412688	2783684	2783684	0	438280	455161	455161	0	1348602
80	08AABCS1848L1Z2	वृत्त-सी, जोधपुर-II	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				8806485	17349007	17349007	0	0	0	0	0	140399	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				8946884	17349007	17349007	0	8776562	13182329	13182329	0	170322	4166678	4166678	0	8503678
81	08ABAFS3304A1ZV	वृत्त-डी, जोधपुर-I	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				576547	2621150	6807698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								

क्र.सं.	जीएसटीएन	वृत्त का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				576547	2621150	6807698	0	387632	1468340	1468340	0	188915	1152810	5339358	0	6681083
82	08AAEFP7840B1ZD	वृत्त- सुमेरपुर पाली,	2017-18	जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी का उपभोग								अगले वर्ष लिया गया आईटीसी का उपभोग				
				जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए(5)				(-) तालिका 4बी(2)				जीएसटीआर 9 (तालिका 8सी)				
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1170538	1902661	1902661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गयी कुल आईटीसी				जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी				लिया गया अधिक आईटीसी का उपभोग				
								जीएसटीआर 2ए (तालिका 3+तालिका 5)								
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				1170538	1902661	1902661	0	1169999	1864111	1864111	0	539	38550	38550	0	77639
योग	82 प्रकरण	51 वृत्त														2590269332

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.3.VI ब)

दावा की गयी आईटीसी तथा रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के अंतर्गत भुगतान किए गए कर में मिसमैच

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाता का नाम	वृत्त का नाम	वर्ष	आरसीएम के अंतर्गत लिया गया आईटीसी का लाभ				आरसीएम के अंतर्गत कर देयता				आरसीएम के तहत अधिक लिया गया आईटीसी का लाभ					अभ्युक्तियाँ
					जीएसटीआर 9 तालिका 6सी+6डी+6एफ				जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी)									
					आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	कुल	
1	08AAACG1895Q1ZY	जायडस हेल्थकेयर लिमिटेड	वृत्त-ए, जोन-IV, जयपुर	2017-18	107	55979	55979	0	108	10746	10746	0	0	45233	45233	0	**90466**	जीएसटीआर-9
2	08ACTPM0139M1Z3	श्री अग्रवाल ब्रदर्स	वृत्त-ए, जोन-II, जयपुर	2017-18	0	6750	6750	0	0	5850	5850	0	0	900	900	0	**1800**	जीएसटीआर-9
3	08AAACA0062F1ZA	अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड	वृत्त-ए, भिवाड़ी	2017-18	4243424	3928574	3928574	0	2744550	4064696	4064696	0	1498874	0	0	0	**1498874**	जीएसटीआर-9
4	08AADCT9702E1ZD	टोकई इंपीरियल हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	वृत्त- शाहजहांपुर	2017-18	375915	9956	9955	0	329841	9956	9955	0	46074	0	0	0	**46074**	जीएसटीआर-9
5	08AABCN1537H1ZM	प्लेटिनम टेक्सटाईल्स लिमिटेड	वृत्त-झालावाड़, कोटा	2017-18	525490	55536	55536	0	390231	65491	65491	0	135259	0	0	0	**135259**	जीएसटीआर-9
6	08AAACI0996E1ZL	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड	वृत्त- I, जोन-III, जयपुर	2017-18	83948	385082	385082	0	0	384857	384857	0	83948	225	225	0	**84398**	जीएसटीआर-9
7	08ACEPM8860G1ZB	पॉप्युलर स्टोर	वृत्त-ई, जोधपुर-I	2017-18	0	269716	269716		0	179055	179055		0	90661	90661		**181322**	जीएसटीआर-9
कुल	**7 प्रकरण**		**7 वृत्त**												**योग**		**2038193**	

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9)

केंद्रीय माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

(राशि करोड़ ₹ में)

अनुच्छेद संख्या	प्रकरणों की संख्या	शामिल सीजीएसटी राशि
2.3.8.2 I (अ)	39	0.80
2.3.8.2 II	7	0.65
2.3.8.2 III	9	1.18
2.3.8.2 IV	1	0.19
2.3.8.2 VI	2	0.40
2.3.8.2 VII	1	0.14
2.3.8.3 II	6	0.80
2.3.8.3 V	49	3.16
2.3.8.3 VI (अ)	82	62.24
2.3.8.3 VI (ब)	7	0.01
कुल	**203**	**69.57**

परिशिष्ट 6.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.1)

विभागों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	कृषि	23	उच्च शिक्षा	45	राजस्व आसूचना
2	कृषि विपणन	24	गृह विभाग गृह रक्षा सहित	46	ग्रामीण विकास
3	पशुपालन	25	उद्यान	47	सैनिक कल्याण
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	26	सूचना एवं जनसम्पर्क सूचना आयोग सहित	48	संस्कृत शिक्षा
5	कला एवं संस्कृति	27	निरीक्षण	49	माध्यमिक शिक्षा
6	आयुर्वेद	28	सिंचाई (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना)	50	बंदोबस्त
7	भाषा एवं पुस्तकालय	29	जेल	51	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि
8	कलेक्टर (विविध)	30	श्रम	52	कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता
9	सिंचित क्षेत्र विकास	31	भू राजस्व	53	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
10	सहकारिता	32	विधि एवं विधिक कार्य	54	मृदा एवं जल संरक्षण
11	देवस्थान	33	स्थानीय कोष लेखापरीक्षा	55	पंजीयन एवं मुद्रांक
12	आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा	34	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	56	राज्य आबकारी
13	निर्वाचन	35	चिकित्सा शिक्षा	57	आर्थिक एवं सांख्यिकी
14	प्राथमिक शिक्षा	36	अल्पसंख्यक मामलात्	58	तकनीकी शिक्षा
15	कर्मचारी राज्य बीमा	37	पंचायती राज संस्थान	59	पर्यटन
16	मूल्यांकन	38	पटवार प्रशिक्षण केंद्र	60	कोष एवं लेखा
17	वित्त	39	पेंशन (बैंक)	61	जनजातीय क्षेत्रीय विकास
18	मत्स्य	40	कार्मिक	62	वैट/जीएसटी
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	41	मुद्रण एवं स्टेशनरी	63	जल संसाधन विभाग
20	सामान्य प्रशासन विधानसभा सचिवालय, राज्यपाल सहित	42	राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान	64	मार्गोपाय
21	गोपालन	43	राजस्थान लोक सेवा आयोग	65	महिला एवं बाल विकास
22	भू-जल	44	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड	66	युवा मामले एवं खेल

परिशिष्ट 6.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.4)

निरीक्षण प्रतिवेदनों में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणी-वार दर्शित विवरण

क्र.सं.	अनियमितताओं की श्रेणी	जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग		तकनीकी शिक्षा विभाग	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/भंडार एवं नकद की चोरी	6	13.29	08	13.72
2	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां	52	144.46	50	16.98
3	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	12	45.15	27	17.72
4	परिहार्य/अधिक व्यय	35	99.24	31	8.93
5	निरर्थक/निष्फल व्यय	33	140.96	35	63.15
6	विनियामक प्रकरण	228	2,579.25	136	537.62
7	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन	85	597.66	56	131.47
8	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना	03	1.79	01	0.58
9	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	44	148.96	09	19.57
10	विविध	118	229.49	162	104.86
योग		**616**	**4,000.25**	**515**	**914.60**

परिशिष्ट 7.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2)

अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 के दौरान निशुल्क प्रकरणों का विवरण

क्र. स.	उपचार का प्रकार	जाँचों की कुल संख्या	कुल निशुल्क मामले	कुल अनिवार्य निशुल्क मामले (20%)	निशुल्क मामलों में कमी	उपचार की दर (₹ में)	शुद्ध वसूलनीय राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8=(6*7)
1	3 डीटीपीएस	4,312	645	862	217	5,000	10,85,000
2	3 डीसीआरटी	3,768	689	754	65	25,000	16,25,000
3	आईएमआरटी	1,097	102	219	117	1,00,000	1,17,00,000
4	सीपीआरटी	87	8	17	9	7,500	67,500
5	आरसीईटी / एसपीआरटी	56	24	11	(-)13*	5,000	-65,000*
6	सीईटी	49	6	10	4	15,000	60,000
7	एसआरएस	1	0	0	0	1,25,000	0
8	आईजीआरटी	7	0	1	1	1,10,000	1,10,000
9	एसआरटी	2	0	1	1	75,000	75,000
10	सीसीआरटी	5	0	1	1	22,500	22,500
कुल		**9,384**	**1,474**	**1,876**	**402**		**1,46,80,000**

*** आर एम आर एस द्वारा लाईसेंसधारी को देय अनिवार्य रूप से 20% मामलों से अधिक 13 मामले**

परिशिष्ट 7.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2)

समझौते के वाक्यांश 7 के अनुसार गणना का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जाँच की अवधि	जाँच पद्धतियों से नकद संग्रहित राशि	वापसी राशि	वास्तविक संग्रहण	साझा किया जाने वाला राजस्व (वास्तविक राजस्व का 21.21%)	10% टीडीएस कटौती कॉलम 5 से	जाँचें न कराने के कारण आरएमआरएस पत्र पर वापस की गई राशि	आरएमआरएस को देय शुद्ध राशि	फर्म द्वारा जमा की गई राशि	माह के लिए कमी
	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7	8 = {5-(6+7)}	9	10
1	अप्रैल-13	32,52,500	50,000	32,02,500	6,79,250	67,925	1,00,000	5,11,325	5,11,325	0
2	मई-13	24,87,500	1,37,500	23,50,000	4,98,435	49,843	1,00,000	3,48,592	3,48,592	0
3	जून-13	32,95,000	80,000	32,15,000	6,81,902	68,191	0	6,13,711	6,13,711	0
4	जुलाई-13	28,65,000	12,500	28,52,500	6,05,015	60,501	0	5,44,514	5,44,514	0
5	अगस्त-13	32,77,500	7,500	32,70,000	6,93,567	69,357	1,00,000	5,24,210	5,24,210	0
6	सितम्बर-13	33,60,000	0	33,60,000	7,12,656	71,266	0	6,41,390	6,41,390	0
7	अक्टूबर-13	26,52,500	0	26,52,500	5,62,595	56,259	0	5,06,336	5,06,336	0
8	नवम्बर-13	24,55,000	0	24,55,000	5,20,705	52,070	0	4,68,635	4,68,635	0
9	दिसम्बर-13	34,30,000	28,750	34,01,250	7,21,405	72,140	0	6,49,265	6,49,265	0
10	जनवरी-14	37,22,500	28,750	36,93,750	7,83,444	78,344	30,000	6,75,100	6,75,100	0
11	फरवरी-14	35,45,000	5,000	35,40,000	7,50,834	75,083	0	6,75,751	6,75,751	0
12	मार्च-14	26,67,500	5,000	26,62,500	5,64,716	56,471	0	5,08,245	5,08,245	0
13	अप्रैल-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मई-14	38,60,000	12,500	38,47,500	8,16,055	81,606	0	7,34,449	7,34,449	0
15	जून-14	35,02,500	62,500	34,40,000	7,29,624	72,962	1,00,000	5,56,662	5,56,662	0
16	जुलाई-14	30,87,500	25,000	30,62,500	6,49,556	64,955	0	5,84,601	5,84,601	0

क्र.सं.	जाँच की अवधि	जाँच पद्धतियों से नकद संग्रहित राशि	वापसी राशि	वास्तविक संग्रहण	साझा किया जाने वाला राजस्व (वास्तविक राजस्व का 21.21%)	10% टीडीएस कटौती कॉलम 5 से	जाँचें न कराने के कारण आरएमआरएस पत्र पर वापस की गई राशि	आरएमआरएस को देय शुद्ध राशि	फर्म द्वारा जमा की गई राशि	माह के लिए कमी
17	अगस्त-14	31,77,500	30,000	31,47,500	6,67,585	66,759	0	6,00,826	6,00,826	0
18	सितम्बर-14	39,60,000	25,000	39,35,000	8,34,613	83,461	0	7,51,152	7,51,152	0
19	अक्टूबर-14	28,85,000	0	28,85,000	6,11,908	61,190	0	5,50,718	5,50,718	0
20	नवम्बर-14	39,27,500	37,500	38,90,000	8,25,069	82,507	0	7,42,562	7,42,562	0
21	दिसम्बर-14	30,45,000	62,500	29,82,500	6,32,588	63,259	0	5,69,329	5,69,329	0
22	जनवरी-15	38,12,500	12,500	38,00,000	8,05,980	80,598	0	7,25,382	7,25,382	0
23	फरवरी-15	27,25,000	0	27,25,000	5,77,973	57,798	0	5,20,175	5,20,175	0
24	मार्च-15	40,00,000	1,01,250	38,98,750	8,26,925	82,693	4	7,44,228	7,44,228	0
25	अप्रैल-15	35,30,000	3,750	35,26,250	7,47,918	74,792	1,00,000	5,73,126	5,73,126	0
26	मई-15	29,27,500	50,000	28,77,500	6,10,318	61,032	0	5,49,286	5,49,286	0
27	जून-15	35,35,000	0	35,35,000	7,49,773	74,977	0	6,74,796	6,74,796	0
28	जुलाई-15	34,97,500	5,000	34,92,500	7,40,759	74,076	0	6,66,683	6,66,683	0
29	अगस्त-15	13,80,000	67,500	13,12,500	2,78,381	27,838	0	2,50,543	2,50,543	0
30	सितम्बर-15	34,90,000	0	34,90,000	7,40,229	74,023	0	6,66,206	6,66,206	0
31	अक्टूबर-15	28,87,500	0	28,87,500	6,12,439	61,244	0	5,51,195	5,51,195	0
32	नवम्बर-15	24,00,000	20,000	23,80,000	5,04,798	50,480	0	4,54,318	4,54,318	0
33	दिसम्बर-15	35,30,000	0	35,30,000	7,48,713	74,871	0	6,73,842	6,73,842	0
34	जनवरी-16	33,12,500	35,000	32,77,500	6,95,158	69,516	0	6,25,642	6,25,642	0
35	फरवरी-16	26,30,000	18,750	26,11,250	5,53,846	55,384	2,00,000	2,98,462	2,98,462	0
36	मार्च-16	27,17,500	50,000	26,67,500	5,65,776	56,577	0	5,09,199	5,09,199	0
37	अप्रैल-16	20,00,000	0	20,00,000	4,24,200	42,420	0	3,81,780	3,81,780	0

क्र.सं.	जाँच की अवधि	जाँच पद्धतियों से नकद संग्रहित राशि	वापसी राशि	वास्तविक संग्रहण	साझा किया जाने वाला राजस्व (वास्तविक राजस्व का 21.21%)	10% टीडीएस कटौती कॉलम 5 से	जाँचें न कराने के कारण आरएमआरएस पत्र पर वापस की गई राशि	आरएमआरएस को देय शुद्ध राशि	फर्म द्वारा जमा की गई राशि	माह के लिए कमी
38	मई-16	19,65,000	12,500	19,52,500	4,14,125	41,413	0	3,72,712	0	3,72,712
39	जून-16	20,52,500	75,000	19,77,500	4,19,428	41,943	1,00,000	2,77,485	0	2,77,485
40	जुलाई-16	15,80,000	0	15,80,000	3,35,118	33,512	0	3,01,606	0	3,01,606
41	अगस्त-16	13,95,000	75,000	13,20,000	2,79,972	27,997	0	2,51,975	0	2,51,975
42	सितम्बर-16	16,15,000	75,000	15,40,000	3,26,634	32,663	0	2,93,971	0	2,93,971
43	अक्टूबर-16	19,70,000	18,750	19,51,250	4,13,860	41,386	0	3,72,474	0	3,72,474
44	नवम्बर-16	27,75,000	0	27,75,000	5,88,578	58,858	1,55,000	3,74,720	0	3,74,720
45	दिसम्बर-16	19,75,000	1,25,000	18,50,000	3,92,385	39,239	0	3,53,146	0	3,53,146
46	जनवरी-17	13,32,500	12,500	13,20,000	2,79,972	27,997	0	2,51,975	0	2,51,975
47	फरवरी-17	20,45,000	50,000	19,95,000	4,23,139	42,314	0	3,80,825	0	3,80,825
48	मार्च -17	25,15,000	75,000	24,40,000	5,17,524	51,752	0	4,65,772	0	4,65,772
49	अप्रैल-17	32,25,000	0	32,25,000	6,84,022	68,402	1,00,000	5,15,620	0	5,15,620
50	मई-17	27,40,000	0	27,40,000	5,81,154	58,115	0	5,23,039	0	5,23,039
51	जून-17	24,22,500	0	24,22,500	5,13,812	51,381	0	4,62,431	0	4,62,431
52	जुलाई—17	12,15,000	2,37,500	9,77,500	2,07,328	20,733	0	1,86,595	0	1,86,595
53	अगस्त-17	16,55,000	24,000	16,31,000	3,45,935	34,594	0	3,11,341	0	3,11,341
54	सितम्बर-17	32,10,000	94,000	31,16,000	6,60,904	66,090	0	5,94,814	0	5,94,814
55	अक्टूबर-17	21,60,000	74,000	20,86,000	4,42,441	44,244	0	3,98,197	0	3,98,197
56	नवम्बर-17	20,37,500	90,000	19,47,500	4,13,065	41,307	0	3,71,758	0	3,71,758
57	दिसम्बर-17	25,25,000	1,10,000	24,15,000	5,12,222	51,222	0	4,61,000	0	4,61,000
58	जनवरी-18	23,25,000	1,12,000	22,13,000	4,69,377	46,938	0	4,22,439	2,50,498	1,71,941

क्र.सं.	जाँच की अवधि	जाँच पद्धतियों से नकद संग्रहित राशि	वापसी राशि	वास्तविक संग्रहण	साझा किया जाने वाला राजस्व (वास्तविक राजस्व का 21.21%)	10% टीडीएस कटौती कॉलम 5 से	जाँचें न कराने के कारण आरएमआरएस पत्र पर वापस की गई राशि	आरएमआरएस को देय शुद्ध राशि	फर्म द्वारा जमा की गई राशि	माह के लिए कमी
59	फरवरी-18	25,95,000	58,000	25,37,000	5,38,098	53,810	0	4,84,288	4,54,288	30,000
60	मार्च-18	17,65,000	80,000	16,85,000	3,57,389	35,739	0	3,21,650	3,21,650	0
61	अप्रैल-18	11,37,500	0	11,37,500	2,41,264	24,127	0	2,17,137	2,17,137	0
62	मई-18	21,50,000	1,44,000	20,06,000	4,25,473	42,548	0	3,82,925	3,82,925	0
63	जून-18	27,67,500	0	27,67,500	5,86,987	58,699	0	5,28,288	5,28,288	0
64	जुलाई-18	28,95,000	64,000	28,31,000	6,00,455	60,045	0	5,40,410	5,40,410	0
65	अगस्त-18	28,05,000	1,04,000	27,01,000	5,72,882	57,288	0	5,15,594	2,85,594	2,30,000
66	सितम्बर-18	24,57,500	0	24,57,500	5,21,236	52,124	0	4,69,112	4,69,112	0
67	अक्टूबर-18	29,90,000	1,14,000	28,76,000	6,10,000	61,000	0	5,49,000	5,19,000	30,000
68	नवम्बर-18	24,65,000	36,500	24,28,500	5,15,085	51,509	0	4,63,576	4,21,076	42,500
69	दिसम्बर-18	19,12,500	0	19,12,500	4,05,641	40,564	0	3,65,077	2,15,077	1,50,000
70	जनवरी-19	30,30,000	98,000	29,32,000	6,21,877	62,188	0	5,59,689	5,59,689	0
कुल		**18,65,35,000**	**29,32,500**	**18,36,02,500**	**3,89,42,090**	**38,94,209**	**10,85,004**	**3,39,62,877**	**2,57,86,980**	**81,75,897**
बीएसबीवाई		**1,08,30,000**	**0**	**1,08,30,000**	**22,97,043**	**0**	**0**	**22,97,043**	**3,81,780**	**19,15,263**
कुल योग		**19,73,65,000**	**29,32,500**	**19,44,32,500**	**4,12,39,133**	**38,94,209**	**10,85,004**	**3,62,59,920**	**2,61,68,760**	**1,00,91,160**

बीएसबीवाई के तहत संग्रहित आरएमआरएस द्वारा फर्म को देय कुल राजस्व	1,08,30,000	**निशुल्क मामलों में कमी के कारण कुल बकाया राशि**	**1,00,91,160**
कम लेखापरीक्षा वसूली	84,80,000	**बीएसबीवाई के तहत फर्म को देय कम राशि**	**23,50,000**
बीएसबीवाई के तहत उपचार के लिए फर्म को देय शेष राजस्व	23,50,000	**फर्म से वसूल की जाने वाली कुल राशि**	**77,41,160**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi

